खण्ड-475, अंक-6
मंगलवार, 26 माघ, शक संवत् 1932
(15 फरवरी, 2011 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2011)

(खण्ड 475 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2011

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-5
प्रश्नोत्तर	7-122
दिनांक 8 फरवरी, 2011 को विधायक निधि से सम्बन्धित विषय पर लोकायुक्त सम्बन्धी प्रस्ताव केवल मौखिक सूचना के आधार पर तत्काल सदन द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं पारित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	122-129
विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री सुक्खन सिंह के निधन पर शोकोद्‌गार ...	129-130
दिनांक 8 फरवरी, 2011 को विधायक निधि से सम्बन्धित विषय पर लोकायुक्त सम्बन्धी प्रस्ताव केवल मौखिक सूचना के आधार पर तत्काल सदन द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं पारित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	130-131
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	131-132
जनपद महामायानगर (हाथरस) एवं जनपद मथुरा के दो मुख्य मार्ग सादाबाद-राया एवं मई-बल्देव के दोनों मुख्य मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासन से धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132-133
बलरामपुर विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड बलरामपुर में फुलवरिया बाईपास के निकट रेलवे लाइन पर रेलवे सम्पार फाटक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	133
जनपद लखीमपुर के रायपुर ग्राम सभा में टूटी विद्युत लाइन एवं ट्रान्सफार्मर बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	133
प्रदेश में लेखपालों द्वारा तहसील दिवस एवं थाना दिवस के बहिष्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
जनपद सोनभद्र के ग्राम पनौरा विकास खण्ड नंगवा में एक विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
गोरखपुर में आवास विकास परिषद्‌ की आवास विकास कालोनी, विकास नगर की अत्यन्त जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	135
जे0 एल0 आर0 वाई0 एम0 योजना के अन्तर्गत लखनऊ के कैन्ट क्षेत्र में सीवर लाइन का कार्य न प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135-136

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा मुन्डेरा बाजार चौरी-चौरा शहीद स्थली गोरखपुर में राजकीय अतिथि गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक बथरा के अन्तर्गत ग्राम ढिढावली में 25 के0 वी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने तथा मकानों के ऊपर से गई विद्युत लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	136-137
जनपद गोण्डा में बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 से निकले हुये मलवे के प्रदूषण से भयानक बीमारियों एवं जल प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
अधिवक्ता कल्याण निधि के अन्तर्गत वकीलों को मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी तथा बिहार प्रदेश सरकार की तर्ज पर पेंशन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	138
कानपुर नगर के ध्वस्त मार्गों का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138-139
जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र मोरना में कतिपय ग्रामों में जल निकासी हेतु नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	139
मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों का अनुपालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	139-140
जनपद जालौन के उरई में करमेर रोड एवं स्टेशन रोड के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	140
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	140-141
प्रदेश के मंत्रियों के अधिकारों में कटौती किये जाने तथा उनसे स्थानान्तरण जैसे मामलों में नियंत्रण ले लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	141-142
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 का संचालित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा (सदन के पटल पर रखा गया)	143
उत्तर प्रदेश वन निगम वार्षिक लेखों (वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07) (सदन के पटल पर रखीं गयीं)	143
श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना ...	143

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति का (2010-2011) पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	143
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति का (2010-2011) षष्टम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	144
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव.. (स्वीकृत)	144-145
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011...(पुरःस्थापित)... ...	146
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	146-171
वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)... ...	172-225
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	226-227
अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के बन्द होने के उपरान्त उसके कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	227-228
जनपद खीरी के ग्राम-डकरमुंहा के पूर्व ग्राम प्रधान को गिरफ्तार करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	228-230
गोरखपुर में जिला जेल बाईपास के निर्माण के लिये भूमि का अधिग्रहण किये बिना भूमि पर कब्जा करने तथा मुआवजा न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य...	230-231
रामपुर में विलासपुर से चकफेरी नवाबगंज मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	231-232
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में निर्मित क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	232-234
प्रदेश के सहायता प्राप्त पालीटेक्निक तथा आई0आई0आर0टी0 इलाहाबाद के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2002 से वेतन न मिलने एवं छठे वेतनमान का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य	234-235

विषय		पृष्ठ-संख्या
मथपुरा शहर से अलीगढ़ जाने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल का सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	...	236
आजमगढ़ स्थित बिलरियागंज-रौनापार क्षतिग्रस्त मार्ग को मिक्स्ड प्लान्ट से बनवाए जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	...	236-237
नत्थियां	...	238-256

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-297

1.	अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
2.	अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
3.	अकीलुर्रहमान खाँ, श्री	मुरादाबाद
4.	अजय तोमर, डा0	बागपत
5.	अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
6.	अजय यादव, श्री	एटा
7.	अजय सिंह, श्री	जालौन
8.	अनन्त कुमार मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
9.	अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
10.	अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
11.	अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
12.	अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
13.	अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
14.	अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
15.	अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
16.	अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
17.	अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
18.	अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
19.	अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
20.	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
21.	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
22.	अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
23.	अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
24.	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
25.	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
26.	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
27.	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
28.	अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
29.	अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
30.	अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
31.	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
32.	अशोक कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
33.	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
34.	अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
35.	अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
36.	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
37.	आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
38.	आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
39.	आर0 ए0 उस्मानी, (डा0) श्री	लखीमपुर खीरी
40.	आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
41.	आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
42.	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
43.	आसिफ, श्री	हरदोई
44.	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
45.	इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
46.	उदयराज, श्री	उन्नाव
47.	उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी

48.	उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
49.	ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
50.	ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
51.	कमलेश चन्द दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
52.	काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
53.	कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
54.	कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
55.	काशीराम, श्री	रामपुर
56.	कुवेर सिंह, श्री	एटा
57.	कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
58.	कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
59.	कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
60.	कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
61.	कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
62.	कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
63.	कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
64.	के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
65.	केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
66.	कैलाश साहू, श्री	झांसी
67.	कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
68.	कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
69.	कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
70.	खातून तौफीक, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
71.	गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
72.	गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
73.	गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
74.	गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
75.	गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
76.	गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
77.	घूराराम, श्री	बलिया
78.	चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
79.	चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री	सुल्तानपुर
80.	चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
81.	छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
82.	छोटे सिंह, श्री	जालौन
83.	जगदीश नारायण राय, श्री	जौनपुर
84.	जगपाल, श्री	सहारनपुर
85.	जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
86.	जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
87.	जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री	जौनपुर
88.	जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
89.	जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
90.	जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
91.	ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
92.	ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
93.	त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
94.	दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
95.	दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
96.	दयाराम, श्री	कौशाम्बी
97.	दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
98.	दाउद अहमद, श्री	हरदोई
99.	दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
100.	दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
101.	दूधराम, श्री	बस्ती
102.	धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
103.	धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
104.	धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
105.	धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
106.	धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली

107. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
108. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
109. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
110. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
111. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
112. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
113. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
114. नारायण सिंह, श्री आगरा
115. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
116. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
117. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
118. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
119. पशुपति, श्री गाजीपुर
120. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
121. प्रजापालन, श्री एटा
122. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
123. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
124. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
125. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
126. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
127. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
128. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
129. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
130. फागू चौहान, श्री मऊ
131. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
132. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
133. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
134. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
135. बिरजू राम, श्री जौनपुर
136. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
137. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
138. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
139. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
140. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
141. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
142. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
143. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
144. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
145. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
146. ममतेश शाक्य, श्री एटा
147. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
148. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
149. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
150. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
151. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
152. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
153. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
154. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
155. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
156. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
157. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
158. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
159. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
160. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
161. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
162. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
163. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
164. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
165. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
166. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
167. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
168. याकूब हाजी, श्री मेरठ
169. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
170. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
171. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
172. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
173. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात

174. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
175. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
176. रतनलाल अहिरवार, श्री झांसी
177. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
178. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
179. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
180. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
181. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
182. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
183. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
184. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
185. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
186. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
187. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
188. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
189. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
190. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
191. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
192. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
193. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
194. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
195. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
196. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
197. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
198. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
199. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
200. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
201. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
202. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
203. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
204. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
205. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
206. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया
207. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
208. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
209. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
210. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
211. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
212. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
213. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
214. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
215. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
216. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
217. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
218. लखीराम नागर, श्री मेरठ
219. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
220. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
221. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
222. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
223. वारिस अली, श्री बहराइच
224. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
225. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
226. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
227. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
228. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
229. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
230. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
231. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
232. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
233. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
234. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
235. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
236. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
237. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
238. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
239. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
240. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर

241. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
242. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
243. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
244. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
245. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
246. शिवशंकर, श्री बलिया
247. शीशराम, श्री बिजनौर
248. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
249. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
250. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
251. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
252. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
253. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
254. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
255. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'', श्री कानपुर नगर
256. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
257. संध्या, कुमारी मैनपुरी
258. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
259. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
260. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
261. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
262. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
263. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
264. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
265. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
266. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
267. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
268. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
269. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
270. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
271. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
272. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
273. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
274. सुखलाल, श्री पीलीभीत
275. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
276. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
277. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
278. सुभाष, श्री बलिया
279. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
280. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
281. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
282. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
283. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
284. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
285. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
286. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
287. सुल्तान बेग, श्री बरेली
288. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
289. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
290. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
291. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
292. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
293. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
294. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
295. हसरत उल्ला, श्री एटा
296. हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
297. होराम सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर

नोट :-लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) एवं भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण, अवस्थापना विकास विभाग एवं संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये दण्डात्मक कार्यवाही करने की योजना

**1-श्री जोखू लाल यादव, श्री मदन चौहान तथा चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी हां। प्रदेश में खाद्य पदार्थो में मिलावट के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विशेष जांच दल/खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से सघन प्रवर्तन की कार्यवाही कराते हुये नमूने संग्रहीत कराकर नमूनों का विश्लेषण राजकीय/क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में कराया जाता है। अपमिश्रित पाये गये नमूनों के लिये उत्तरदायी निर्माता/विक्रेता के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 व तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272/273 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर उक्त अधिनियम, 1954 की धारा 7/16 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में वाद योजित कराये जाने की कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम की धारा 16 में आर्थिक दण्ड से आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है।

विभाग द्वारा प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट/नकली सामान की बिक्री के विरुद्ध विभागीय खाद्य निरीक्षकों/विशेष जांच दल के माध्यम से सघन प्रवर्तन की कार्यवाही कराते हुये दिनांक 01-04-2010 से 31-01-2011 की अवधि में अपमिश्रण के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272/273 के अन्तर्गत 526 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा 821 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाते हुये और 494 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया तथा रु0 4,64,74,126/- मूल्य के खााद्य पदार्थ जब्त/नष्ट कराये गये। अपमिश्रण के मामलों में अप्रैल, 2010 से दिसम्बर, 2010 की अवधि में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत मा0 न्यायालयों में 2475 वाद योजित कराये गये, जिसमें 416 व्यक्तियों को कारावास तथा रु0 4,15,950/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने सवाल किया मा0 मुख्य मंत्री जी से कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? उसका विवरण क्या है ? कार्य योजना मा0 मंत्री जी ने बता दी और बहुत ही लंबी-चौड़ी कार्य योजना है। अब मैं मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कार्य योजना वर्तमान में है खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये, उस कार्य योजना के रहते हुये प्रदेश में तमाम लोग मिलावट का काम कर रहे हैं। जो मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया। बहुत सारे तमाम लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी, जेल भेजने का काम

हुआ, अर्थदण्ड लगाने का काम हुआ। इसका मतलब सरकार भी मानती है कि मिलावट का काम बहुत जोरों से हो रहा है। हजारों में लोगों की गिरफ्तारी करने का काम किया गया है तो मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो कार्य योजना आज वर्तमान में है, उसके द्वारा तो खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने का काम हो नहीं रहा है। क्या मा0 मंत्री कोई नयी कार्य योजना, प्रभावी कार्य योजना बनाने का काम करेंगे जिससे खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट को रोकने का काम हो, नम्बर एक ? दूसरा मेरा अनुपूरक है मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि जिन जिलों में जिन अधिकारियों की जवाबदेही है खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने की, चाहे वो खाद्य निरीक्षक हों, सी0एम0ओ0 हों या जिलाधिकारी हों जिनको अब शामिल कर लिया गया है। जिन जिलों में इस तरह की मिलावट करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही करने का काम करेगी सरकार ? खाली मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का काम हो रहा है क्योंकि मेरा यह मानना है कि मिलावट अधिकारियों के साथ मिल करके हो रही है खुले रूप से, चोरी-छूपे नहीं हो रही है। अधिकारी बाकायदा सुविधा शुल्क ले करके छूट देने का काम कर देते हैं मिलावट करने वालों को और वो खोवा में, पनीर में तमाम लोग चीजों में मिलावट करने का काम करते हैं। तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कठोर कार्यवाही करने का काम करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में ही बताया कि जो अधिनियम है, भारत सरकार का अधिनियम, 1954 की धारा-17-16 के अन्तर्गत, उस उक्त अधिनियम की धारा-16 में आर्थिक दण्ड से आजीवन कारावास के दण्ड का प्राविधान पहले से है और मान्यवर, उस अधिनियम का प्रयोग करते हुये कार्यवाही बड़े पैमाने पर की जा रही है। स्वाभाविक है कि कार्यवाही है और पहले से ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यवाही करने से अपराध कम किया जा रहा है, जिससे काफी लोग पकड़े भी गये हैं और सजा भी हुई है, गिरफ्तारी हुई है और सजा भी हुई है, तो अलग से कार्य योजना बनाने का कोई औचित्य नहीं है। उसमें प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

दूसरे सवाल का भी जबाव दिया जाये मान्यवर, मैंने कहा था कि क्या मंत्री जी उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे जिन जिलों में यह मिलावट का काम मिल रहा है ? उनके खिलाफ भी सरकार कोई कार्यवाही करने का काम करेगी, जिन जिलों में लोग पकड़े गये जहां पर मिलावट काम जोरों पर है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी आप कोई कार्यवाही करने का काम करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

जहां भी कोई खाद्य निरीक्षक या मुख्य खाद्य निरीक्षक जिम्मेदारी में लिप्त पाया जायेगा, निश्चित कार्यवाही होगी और कई जगहों पर मुख्य खाद्य निरीक्षकों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दो पहलुओं में यह अपमिश्रण होता है एक तो यह जो यह संस्थाएं बना रही हैं, चाहे वह कोई भी खाद्य पदार्थ हो, उसको जो बना रही हैं और

दूसरा जो विक्रय कर रहा है। मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने उत्तरदायी निर्माताओं के खिलाफ यह कार्यवाही हुई और कितने विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही हुई ? दूसरा मेरा अनुपूरक है कि जितने खाद्य पदार्थ हैं उसमें से दूध की मिलावट में कितने फैक्ट्री वालों के खिलाफ कार्यवाही हुई और कितने विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही हुई और क्या कार्यवाही हुई यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश में दिनांक 1-04-2010 से 31-01-11 तक सघन प्रर्वतन की कार्यवाही की गई, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272, 273 के अन्तर्गत कुल 526 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, अभियुक्तों की संख्या 821 और मौके पर गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 494 और 4 करोड़ 64 लाख 74 हजार 126 रू0 की सामग्री जब्त की गई। इसी के साथ-साथ मान्यवर, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7/16 के अन्तर्गत कुल दाखिल वादों की संख्या-2475, मा0 न्यायालय द्वारा कारावास के सजा दिये गये व्यक्तियों की संख्या-416 और अर्थदण्ड 4 लाख 15 हजार 950 की गई। प्रभावी कार्यवाही करके मुकदमों का निस्तारण कराकर इसमें सजा भी कराने की कार्यवाही की गई।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि दूध में मिलावट के कितने सैम्पल लिये गये ? कितने बनाने वाले पकड़े गये और कितने बेचने वाले पकड़े गए ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य सुनें खाद्य पदार्थो में मिलावट को रोकने के लिए क्या कोई कार्य योजना है, यह प्रश्न था, जिसके विषय में उन्होंने बताया और जिनको दण्डित किया गया है वह भी बताया है और अब आप ब्रेकअप यह पूछने लगे, दूध में, मसाले में, तेल में इन सब में अलग-अलग बताइये। उन्होंने अपमिश्रण का पूरा बता दिया और अब आप अलग से दूध का पूछ रहे हैं कि दूध में कितनी मिलावट हुई है तो इसके लिए आप अपना स्पेसिफिक प्रश्न लगाइये। आपकी बात मैं मानता हूं लेकिन जितनी मिलावट की घटनाएं थीं उनकी संख्या इन्होंने बता दी है। इन्होंने एक संख्या बताई है कि इसमें विभिन्न पदार्थों में मिलावट पायी गयी होगी, उसमें दूध भी सम्मिलित होगा।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, इसमें लिखा है कि उत्तरदायी निर्माताओं के खिलाफ वे कितने लोग हैं उत्तरदायी निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही हुई ? मान्यवर, मैं संरक्षण चाहते हुए आपसे चाहूंगा कि इसमें आप जबाव दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष-

जब प्रदेश में खाद्य पदार्थों की मिलावट में सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है और इसमें निर्माता और विक्रेता का कहीं ब्रेकअप तो है नहीं जो आपने मिलाने वाला और विक्रेता दोनों का पूछा है केवल खाद्य पदार्थों का इसमें पूछा है और खाद्य पदार्थों का बता दिया है मंत्री जी ने कि इतने लोगों का मैंने एफ0आई0आर0 किया है, इतने लोगों का चालान किया और इतने लोगों का जुर्माना हुआ है,

उसमें खाद्य आपूर्ति निरीक्षक भी हुए हैं। मा0 सदस्य आप बैठ जाएं। मा0 मंत्री जी ये निर्माताओं का भी आप बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दूध का एक अलग प्रश्न अलग से भी लगा है। आगे ही है मान्यवर, उसका चाहे उस समय जवाब ले लें या इस समय भी अगर मा0 सदस्य चाहते हैं तो मैं बता दूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार के जवाब से दो प्रश्न मैं सरकार के सामने रखना चाहूंगा, आपके माध्यम से कि एक तो सरकार ने राजकीय और क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला की बात कही है। मैंने जो स्वयं इसके प्रमुख सचिव हैं उनको गोरखपुर के जन विश्लेषक प्रयोगशाला के बारे में फोन करके, यहां की समस्याओं के बारे में बताया, तो जब सरकार यह कह रही है कि हमने क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला की स्थापना की है तो पहला सवाल यह है कि गोरखपुर में जो आपकी क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला है वहां पर क्या सुविधाएं और क्या स्टाफ उपलब्ध है और अब तक कितनी जांच वहां पर आपने करवायी है और कितनी अधोमानक सामग्रियां मिलावट की पायी गई हैं ? दूसरा सवाल है कि आपने लिखा है कि भारतीय दण्ड निवारक अधिनियम और आई0पी0सी0 की 273, 274 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। हम लोगों के संज्ञान में तो यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक निर्देश दिया था कि जो मिलावट के केस होते हैं उनमें भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत नहीं हैं बल्कि वह भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है, उनके अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। यह अधिनियम भारत सरकार ने बनाया था और पूरे देश में लागू है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मा0 उच्च न्यायालय ने आई0पी0सी0 के स्थान पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सन्दर्भ में कोई आदेश दिया था नम्बर एक ? क्या भारत सरकार ने कोई खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम बनाया है नम्बर दो और आखिर क्यों उस अधिनियम के तहत किन कारणों से आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7/16 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है और उसकी संख्या भी मैंने बता दी है। मान्यवर, उस पर पूरी कार्यवाही की जा रही है और विशेष अभियान चला कर भी एफ0डी0ए0 आपके द्वार के अन्तर्गत भी हम जनता को जागरूक भी कर रहे हैं और उनके घरों पर भी जाकर नमूना लेकर इसकी जांच की जा रही है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बाबा-आदम के जमाने का जवाब दे रहे हैं, 1954 का अधिनियम बने हुए जमाना गुजर गया है। भारत सरकार ने महसूस किया कि यह

अधिनियम अब प्रभावी नहीं रह गया है, इसीलिए उन्होंने 19 जुलाई, 2009 को एक खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम बना दिया और पूरे भारत में प्राविधान किया कि जितने भी मिलावट के होंगें वह उसके अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किये जायेंगें। मैंने प्रश्न भी यही किया है, मा0 मंत्री जी इस प्रश्न को किनारे करके वह 1954 के अधिनियम की बात कर रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा अधिनियम बनाया था, क्या मा0 उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के अन्तर्गत ही कार्यवाही हो, ऐसा निर्देश दिया था और फिर किन कारणों से इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं हो रही है ? यह एक सवाल है, दूसरा सवाल मैंनें पूछा था, जन विश्लेषक प्रयोगशाला क्षेत्रीय गोरखपुर में क्या सुविधायें हैं, कितनी जांच हुई जिसके बारे में मा0 मंत्री जी ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जहां, तक खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है, अभी उसके रूल और रेग्युलेशन नहीं बने हैं, इसलिए मान्यवर, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम है और मैंनें पहले ही बताया कि उसमें पर्याप्त व्यवस्था है, जिसके अनुसार जुर्माना से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है और उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। जहां तक गोरखपुर की क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला की बात है, वह चालू है और उसमें टेस्ट हो रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है कि जिस अधिनियम का आपने उल्लेख किया है, अधिनियम, 2009 का, वह अभी बन नहीं पाया है, इसका व्यवहारिक स्वरूप बन नहीं पा रहा है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लें, सरकार ने मिलावट खोरी के विरुद्ध जांच के अभियान का जो दायित्व स्वास्थ्य विभाग का होता था, उससे अलग ले करके एक अलग विभाग बना दिया और विभाग बने हुए इतने दिन हो चुके हैं, भारत सरकार अधिनियम बना चुकी है और सरकार विभाग बनाने के बावजूद उस अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली नहीं बना सकी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वास्तव मे मिलावट खोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए समर्पित भाव से दृढ़संकल्पित है या सिर्फ कागजी कार्यवाही करता चाहती है और दूसरी चीज जो आपने कहा है कि गोरखपुर मे प्रयोगशाला चल रही है, अध्यक्ष महोदय मैं इसी सदन में जानना चाहूंगा कि गोरखपुर की प्रयोगशाला में आप एक ही कोई जांच बता दें जो पिछले पांच सालों में कोई एक जांच हुई हो अगर चल रही है तो आपको पता ही होगा, मेरी जानकारी में तो नहीं चल रही है। कोई एक जांच बताइये जो वहां पर हुई हो जिसके बारे में हम लोग समझ सकें कि वास्तव में वह प्रयोगशाला चल रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमारी सरकार विशेषकर माननीया मुख्य मंत्री जी इस खाद्य अपमिश्रण के मामलों को रोकने के लिए कृतसंकल्प हैं। इसलिए खाद्य औषधि विभाग का अलग से गठन किया गया है। और इसके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, इसी तरह से पैम्फलेट आदि छपाकर जनता को देने का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एफ0डी0ए0 की बेबसाइट पर इस सम्बन्ध में प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गयी है ताकि घर बैठे भी इसकी जांच की जा सकती है। जहां तक गोरखपुर की प्रयोगशाला का प्रश्न है, मान्यवर यह उसी का ही परिणाम है कि 416 लोगों को सजा दी गयी है और न्यायालय द्वारा भी कार्यवाही की गयी है। मान्यवर, गोरखपुर में वरिष्ठ विश्लेषक की नियुक्ति भी की गयी है और प्रयोगशाला में भी काम हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मिलावट की मात्रा कई गुना गति से बढ़ रही है। मान्यवर, शुद्ध देशी भी आज ढाई सौ रु0 और तीन सौ रु0 किलो के हिसाब से बिक रहा है। और जो मिलावटी है वह 25 रु0 और 30 रु0 में बन जा रहा है जिस कारण उसका आकर्षण ज्यादा है और जो लोग इस सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार हैं उनको भी ओब्लाईज करके कार्यवाही चल रही है। मान्यवर, जो चर्बी युक्त घी बन रहा है और जो यूरिया और केमिकल से दूध बन रहा है उसके बारे में पुलिस प्रशासन पूरी सक्रियता से कार्यवाही नहीं कर पा रहा है क्योंकि वह कानून व्यवस्था को संभालने में ही इतना व्यस्त है कि उसके पास समय नहीं है। और इसमें जो खाद्य विश्लेषक/निरीक्षक है, वह अकेले इस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते तो मेरा प्रश्न वह है कि जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये क्या कोई अलग से नयी एजेंसी गठित करने पर विचार करेंगे ताकि उसके अन्तर्गत पूरी तरह से मिलावटी कार्यों की रोकथाम करायी जा सके ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन का जो विभाग है, यह प्रभावी ढंग से कार्यवाही कर रहा है और इसका मैंने उदाहरण भी दिया है कि इसके कारण ही इतनी बड़ी कार्यवाही हुयी हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

मान्यवर, जो व्यापारी और उत्पादक ऐसा काम कर रहे हैं वह एक तो जनता के साथ अपने आर्थिक लाभ के कारण देशद्रोह का काम कर रहे हैं। मान्यवर, इस अपमिश्रण से सामान की गुणवत्ता तो प्रभावित होती ही है, जन स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मा0 मंत्री जी शायद सही कह रहे है कि उन्होंने छापे डाले हैं लेकिन मान्यवर जो जन विश्लेषक हैं और जो आपकी प्रयोगशालायें हैं, एक तो उनकी संख्या बहुत कम है दूसरे जो छापे पड़ रहे हैं उसमें प्रयोग शालाओं में स्टाफ की कमी के कारण उनके जांच परिणाम कालातीत होते जा रहे हैं। जिसका नतीजा यह निकल रहा है कि जो चालान होते हैं या अभियोग पंजीकृत होते हैं, वह अभियुक्त छूट जा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इतनी मात्रा में जो सैंपलिंग की जा रही है और जो छापे मारे जा रहे हैं उसके अनुपात में आपकी

लेबोरेट्रीज में स्टाफ की कमी के कारण त्वरित गति से जांच कार्य नहीं हो पा रहा है और उसके परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या इस सम्बन्ध में त्वरित गति से जांच कार्य को निष्पादित कराने के लिये कोई उपाय निकालने पर विचार करेंगे ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, 40 दिनों के अन्दर नमूनों की रिपोर्ट आ जा रही है और दूसरे मान्यवर, झांसी में एक नयी क्षेत्रीय प्रयोगशाला बनाने के कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित गन्ना किसानों को दिलाये जाने की मांग

**2-श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा डा0 अजय तोमर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान पेराई-सत्र देरी से शुरू होने के कारण गन्ना उत्पादक किसानों की काफी क्षति उठानी पड़ी है ? क्या यह सही है कि गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान एवं उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई कार्य योजना बनाने व उसे गन्ना उत्पादक किसानों के हित में लागू किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

जी नहीं।

पेराई सत्र 2009-10 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान वाली निजी क्षेत्र की 10 चीनी मिलों के विरुद्ध आर0 सी0 जारी की गयी है, जिसमें ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है। इसी क्रम मं 06 चीनी मिलों से रु0 13.11 करोड़ की धनराशि ब्याज के रूप में वसूल की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

(मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने के उपरान्त)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं थोड़ा शुद्ध कर दूं यह सात दो की स्थिति में जो मैंने इसमें पढ़ा है कि 13.11 है यह बढ़ करके 13.76 करोड़ हो गया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

अध्यक्ष महोदय, यह समस्या बहुत गम्भीर रहती है और सदन में बार-बार उठता भी है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि 9-10 के अवशेष का भुगतान है उसमें 13.76 करोड़ हो गया है और 6 के विरुद्ध आर0सी0 भी जारी की गयी है जिसकी राशि 13.11 करोड़ है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो 10 चीनी मिलों के विरुद्ध आर0सी0 जारी की गयी है वह कितनी धनराशि की है, उसमें ब्याज का धन कितना सम्मिलित है और उनका भुगतान हलांकि अब हो सकता है स्टे में चले गये हों, क्या स्थिति है मुझे नहीं पता तो कब तक सरकार उनका भुगतान सुनिश्चित करेगी ? तो मैंने पूछा है पहले वह बता दें उसके बाद अगला अनुपूरक करूंगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि ब्याज कितना शेष है तो मैं 9-10 का बता रहा हूं 150 लाख 19 हजार शेष है और जो इन्होंने पूछा है मैं अभी नहीं समझ पाया कि किस वर्ष का पूछ रहे हैं अगर यह स्पष्ट कर दें कि किस वर्ष का जानना चाह रहे हैं तो मैं उस वर्ष की स्थिति आपको बता दूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, आपने जो उत्तर दिया है 2009-10 के अवशेष गन्ना मूल्य उसी के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं कि जो आर0सी0 आपने जारी किया है वर्ष 2009-10 के अवशेष धनराशि के लिए तो वह राशि कितनी है और उसमें ब्याज कितना जुड़ा हुआ है और इसका भुगतान कब तक आप सुनिश्चित करा देंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

मान्यवर, 9-10 के लिए 278.20 लाख बकाया है। ब्याज के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और जो भुगतान का सवाल है जैसा कि आप भी जानते हैं और नहीं जानते है। तो मैं बता दूं कि मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, जो धनराशि आपने बताई उसमें ब्याज को कितनी धनराशि सम्मिलित है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इसमें 15 प्रतिशत ब्याज होता है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मेरे प्रश्न में यह था कि क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान गन्ना पेराई-सत्र देरी से शुरू होने के कारण गन्ना उत्पादक किसानों को काफी क्षति उठानी पड़ी है ? उत्तर आया जी नहीं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश वर्तमान में छोटी जोत का प्रदेश रह गया है किसानों के पास छोटी-छोटी जोत हैं। अगर समय पर पेराई सत्र शुरू होता है समय पर चीनी मिल शुरू होती है तो अकेले गन्ने का पेराई सत्र शुरू होने से गन्ने तक ही प्रोडक्शन के घटने बढ़ने का सवाल नहीं है। गेहूं की बुवाई समय पर होगी और जब बुवाई समय पर होगी तो प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सही प्राप्त होगा, अधिक उत्पादन जो किसान चाहेगा वह मिलेगा। मान्यवर, जवाब आया कि जी नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि देर से मिल चलने के कारण गेहूं की बुवाई लेट हुयी है जिसकी वजह से गन्ने का किसान, जिसे बाद में गेहूं बोना था, वह गेहूं नहीं बो पाया हैं, जिसके कारण उसे हानि हुयी है। तो इस प्रकार यह जवाब सच से परे है कि क्षति नहीं हुयी है, क्षति हुयी है। दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान में माननीय मंत्री जी ब्याज की बात कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यालायल के भी आदेश हैं कि 15 दिन से अधिक का ब्याज दिया जायेगा। मैं उदाहरण के रूप में अपने क्षेत्र की शुगर मिल का उदाहरण देना चाहूंगा। एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल, मलकपुर का उदाहरण देना चाहता हूं आज की तारीख में लगभग 40 करोड़ रुपये डेढ़ महीने से बकाया है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी को शायद संज्ञान होगा भी, कि 31 दिसम्बर तक का

पेमेंट मलकपुर चीनी मिल ने अब तक किसानों को किया है आज 15 फरवरी है इस प्रकार डेढ़ माह का बकाया है। यह रवैया जब से मिल लगी है, तब से चला आ रहा है। मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी 15 दिन के अन्दर भुगतान सुनिश्चित करायेगें और जो लगातार पेमेंट लेट हो रहा है और जो मिल वाला 1-2 छोटे बैंक को भुगतान भेजकर यह रिपोर्ट दे देता है कि मैंनें भुगतान भेज दिया, क्या इसको कन्ट्रोल करने का काम करेगें और क्या 15 दिन से अधिक समय का ब्याज भी भुगतान के साथ किसानों को दिलाने का काम करेगें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, 15 दिन नहीं है, 14 दिन है। यह एक दिन बढ़ा रहे हैं पता नहीं किसानों से क्या दुश्मनी है। हम 14 दिन में ब्याज दे रहे हैं और यह पहली सरकार है बहन कुमारी मायावती जी की, कि जिसने इतनी बड़ी धनराशि में किसानों का ब्याज सहित भुगतान कराया। मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं और सब महसूस कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी जो भी दिल में है वह मुंह पर आ ही नहीं रही है बात। वह आपके ऊपर है। मान्यवर, बिल्कुल जो भी चीनी मिल 14 दिन के बाद भुगतान करेगी, 14 दिन के बाद जो भी ब्याज देय होगा, उसको देना पड़ेगा। अब इन्होनें कहा कि भुगतान नहीं हो पा रहा है। चालू पेराई सत्र की मैं बात कर रहा हूं कि 14 दिन के हिसाब से 11-2-2011 तक की स्थिति मैं बता रहा हूं। मान्यवर, भुगतान होना चाहिये था 6718.46 करोड़ और भुगतान कितना हुआ 7035.82 करोड़ तो अधिक कितना हुआ 317.36 करोड़ अधिक भुगतान हुआ, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। मान्यवर, इस हिसाब से 104.72 प्रतिशत 14 दिन के हिसाब से अधिक भुगतान किया गया। अब इन्होनें मलकपुर के बारे में पूछा है। मलकपुर के बारे में 2009-10 की स्थिति बता रहा हूं। ब्याज के बारे में पूछा तो बताना चाहूंगा कि मलकपुर से 2009-10 में 380.61 लाख ब्याज की वसूली की जा चुकी है। मान्यवर, इसके अलावा मलकपुर के तीन गन्ना केन्द्र हमने दूसरे को दे दिया, इतना ही नहीं, और मिलों के भी दिये। तीन गन्ना केन्द्र जब दूसरों को दे दिये तो जिसके तहत यह प्रेशर में आये और इन्होनें भुगतान तेज करना शुरू किया। मैं पूरी चीनी मिलों की बात कर रहा हूं। मान्यवर, ऐसी कार्यवाही कभी नहीं हुयी। मैंने बार-बार कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि जो स्थिति आज गन्ना किसानों के भुगतान की है, ऐसी स्थिति में नहीं समझता कि कभी हमारे उधर बैठे लोगों के समय में रही होगी। मैं कम्परीजन नहीं करना चाहता इतना बढ़ा करके भुगतान कर रहे है। हमारी सरकार के लिए किसान किसान है चाहे वह गन्ना किसान हो चाहे वह कोई और किसान हो। किसानों का हित हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना का नाम पुकारे जाने पर)

डा0 अजय तोमर-

मा0 अध्यक्ष जी, एक छोटा सा अनुपूरक रह गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैंने मा0 खन्ना जी का नाम पुकार लिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह पेराई सत्र कब से शुरू होता है ? मुझे ज्यादातर अपने क्षेत्र का मालूम है। पुवायां चीनी मिल आज तक नहीं चल पाई और उसके सेंटर भी समय पर एलॉट नहीं हो हो पाये और प्रश्न का जो पहला पार्ट है कि क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि वर्तमान गन्ना पेराई सत्र देरी से शुरू होने के कारण गन्ना उत्पादक किसानों को काफी क्षति उठानी पड़ी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि पेराई सत्र कब से शुरू होता है और हमारे यहां की पुवायां चीनी मिल शुरू नहीं हो पायी, जब आधा समय बीत गया तो दूसरे को केन्द्र दे दिये गये। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का अब तक कितना निजी क्षेत्र की और कितना सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर बकाया है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

मान्यवर, मेरे पास अलग-अलग नहीं है और मैंने पहले ही वर्ष 2009-2010 का बता दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पेराई सत्र बता दीजिए कि कब से शुरू हो रहा है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जो आपने पूछा उसे मैं बताऊंगा लेकिन क्या पहले बताना है क्या बाद में बताना है यह क्रम मुझे निर्धारित कर लेने दीजिए कम से कम इतना अधिकार तो दे ही दीजिए। चलिये मैं पेराई सत्र पहले बता देता हूं मान्यवर, पेराई सत्र अक्टूबर के महीने से शुरू होता है और मैं बता दूं कि माह अक्टूबर में गत् वर्ष कोई चीनी मिल नहीं चली थी और इस वर्ष एक चीनी मिल चली थी। यही स्थिति नवम्बर की रही, नवम्बर के महीने में पिछले वर्ष 86 चीनी मिलें चली थी और इस वर्ष 92 चीनी मिलें चली हैं। जो आपने कहा कि बकाया कितना है वर्ष 2009-2010 का पहले भी बता चुका हूं मैं फिर से उसे दोहरा देता देता हूं 278.20 लाख रुपया बकाया है।

(चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पुवायां के बारे में मैंने स्पष्ट पूछा था कि जब समय बीत गया तब सेंटर दूसरे को दे दिये गये। प्रश्न का पहला पार्ट देरी के सम्बन्ध में है और देरी की वजह से किसान को जो क्षति उठानी पड़ी उसके बारे में आपका जवाब आया, नहीं और देरी के सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि अक्टूबर से पेराई सत्र चालू होता है और पेराई सत्र के समय मात्र एक चीनी मिल चालू हुई और देरी की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। आधा समय बीत जाने के बाद सेंटर दूसरों को एलॉट कर दिये गये इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस नुकसान का किसी के माध्यम से, किसी उच्चस्तरीय कमेटी या किसी उच्चस्तर के अधिकारी से परीक्षण कराकर जो चीनी मिलें नहीं चली हैं उन चीनी मिलों के क्षेत्र के किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कोई देरी नहीं हुई है। समय से ही जो गन्ना दूसरी मिलों को जाना था वह जाना शुरू हो गया। रह गई गेहूं की बुवाई की बात कि विलम्ब हो गया। मान्यवर, आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूं गेहूं की बुवाई दिसम्बर तक चलती है, साठा छोड़ दीजिए साठा तो जनवरी तक बोया जाता है। मैं सामान्य बुवाई की बात कर रहा हूं अक्टूबर में चीनी मिलें शुरू करने की हम बात कर रहे हैं और नवम्बर के महीने में कितनी चीनी मिलें चल गई यह भी मैंने बता दिया, दिसम्बर का तो अभी हमने नाम ही नहीं लिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, पुवायां चीनी मिल आज तक नहीं चली।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैं पुवायां चीनी मिल की बात नहीं कर रहा हूं, पुवायां का जो आप खुद ही बता रहे हैं और उसको मैं आपके कहने से मान ले रहा हूं। लेकिन कतई कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आधा सत्र बीत जाने के बाद पुवायां चीनी मिल को चालू किया गया।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अभी गन्ना मंत्री जी ने जवाब दिया उसी से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है, उस पर मेज भी थपथपायी गयी कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है और किसान हित में सरकार बहुत काम कर रही है। पिछले वर्ष मेरे प्रश्न के सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी ने हाऊस में वाहवाही लूटने का काम किया था कि हमारी सरकार किसान को 260 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव देने का काम कर रही है, यह माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था। पिछले साल गन्ना किसानों को 260 रुपये प्रति क्विंटल तक गन्ने का भाव मिला। इस वर्ष किसान को 205 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। जो किसान को 55 रुपये प्रति क्विंटल का लॉस इस वर्ष हो रहा है उसको पूरा करने का काम मा0 गन्ना मंत्री जी करेंगे और मेज थपथपायेंगे ? घोषणा कर दें और जो पिछले साल गन्ने का भाव मिल रहा था वही इस साल भी दिलवा दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मूल प्रश्न पढ़ लें, यह मूल्य निर्धारण वाला प्रश्न है ही नहीं, इसके लिए अलग से प्रश्न कर लें।

श्री अध्यक्ष-

260 रुपये गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछ लीजिएगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, एक छोटा सा अनुपूरक है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा उसको सत्य मान लेते हैं कि किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है और जो

पहले नहीं हुआ, वह अब हो रहा है। अच्छी बात है और इसी आशा और अपेक्षा को पूरा करने के लिए आप आये भी हैं। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इतना प्रोत्साहन और इतनी अच्छी रिकवरी और ब्याज का भुगतान करने के बाद क्या जो गन्ना बुवाई का क्षेत्रफल है उसमें कोई वृद्धि हुई है और यदि नहीं हुई है पहले की तुलना में, तो उसका क्या कारण है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मेरे पास यहां स्पेसिफिक सूचना नहीं है लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है, गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 21 प्रतिशत क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, यह सरकार गन्ना किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है और न ही गन्ना किसानों को उचित भाव दे रही है तथा न देने के लिए कोई स्पष्ट आश्वासन दे रही है। इसलिए इस सरकार के किसानों के प्रति उपेक्षाम्मक रवैये के कारण मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के माननीय सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, कृपया बैठिये, अब मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं केवल यह जानकारी चाहता हूं कि सरकार आगे क्या समय से पुवायां चीनी मिल को चलायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, केवल इतना बता दीजिए कि आगे से क्या पुवायां मिल को समय से चलाया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, एक चीनी मिल की अलग से कोई सूचना नहीं है। इसके लिए अलग से प्रश्न कर लें, मैं जवाब दे दूंगा कि क्या स्थिति है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में पब्लिक स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने को रोकने हेतु लागू नियमों को कड़ाई से लागू कराये जाने की मांग

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पब्लिक स्कूलों द्वारा मनमानी फीस और अन्य मद में भारी धनराशि की वसूली की जा रही है, जिससे अभिभावकों के समक्ष गम्भीर

आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों द्वारा वसूली जाने वाली फीस को नियंत्रित करने हेतु कोई नियम बनाने व लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक की अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

नियम पूर्व से लागू हैं।

शासनादेश संख्या-2926/15-6-95-18(20)/91 दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 में निम्नवत् व्यवस्था है :--

''ऐसे विद्यालय में छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर कुल उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों, एक लिपिक व एक चपरासी तथा एक आया (मेड सवेन्ट) के वेतन का भुगतान अध्यापक/कर्मचारी कल्याणकारी योजना में प्रबंधकीय अंशदान का व्ययभार वहन करने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय में 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई बढ़ोत्तरी तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। यदि उसके बढ़ोत्तरी की आवश्यकता होती है तब यह बढ़ोत्तरी दस (10 प्रतिशत) प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।''

शुल्क निम्नलिखित मदों के लिए लिया जा सकता है :--

(1) शिक्षण शुल्क

(2) मंहगाई शुल्क

(3) विकास शुल्क

(4) बिजली पानी आदि

(5) पुस्तकालय एवं वाचनालय

(6) विज्ञान शुल्क

(7) श्रव्य दृश्य

(8) क्रीड़ा

(9) परीक्षा/मूल्यांकन

(10) विद्यालय समारोह/उत्सव

(11) विशेष विषयों की शिक्षा-कम्प्यूटर, संगीत आदि।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा यह प्रश्न करने का आशय इतना था कि संविधान भी यह कहती है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो सबके बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिले। लेकिन

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी चर्चाएं आम हैं मंत्री जी कैसे अनभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं मेरी समझ मे नहीं आ रहा हैं यह जो पब्लिक स्कूल है वह अच्छी शिक्षा देते होंगे पढ़ाई वहां अच्छी होती होगी केयर वह बच्चों की ज्यादा करते होंगे इसलिए बहुत अधिक गैप है शुल्क में। मेरा आशय यह है कि संविधान की मंशा के अनुरूप और यह सरकार जो दलित शोषित, पीड़ित समाज की रक्षक है उसके दायित्व में यह आता है कि गरीब बच्चों को भी शिक्षा का समान अवसर मिले यह सुनिश्चित करना लेकिन आपने जो उत्तर दिया है उसमें आपने पूरी जिम्मेदारी पब्लिक स्कूलों पर छोड़ दी है। मेरा आशय यह है कि गरीब बच्चे आर्थिक रूप से विपन्न घरों के बच्चे भी उन पब्लिक स्कूलों मे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें इसलिए ऐसे स्कूल जो मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं आपने जो नियम बताएं हैं एक लिपिक आदि उसकी आड़ में जो कुछ वह ले रहे हैं उसका वहन करने में गरीब घर के बच्चे असमर्थ हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने इस ओर कोई ध्यान किया व ऐसा कोई नियम जैसे शुल्क फिक्स कर देना इस पर आप विचार करेंगे ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य चौधरी साहब ने जिस ओर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है कि कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क या कम खर्च पर उन्हें पढ़ाने की जो व्यवस्था है वह हमारी सरकार बहत अच्छी तरह से कर रही है। हमारे परिषदीय विद्यालय, प्राथमिक, उच्च विद्यालय खुले हुए हैं उनमें निशुल्क शिक्षा देने का कार्य सरकार भलीभांति कर रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बहुत सकारात्मक कार्य करने का कार्य किया है। इसमें कक्षा एक से इंग्लिश शुरू करना, पब्लिक स्कूलों के बराबर करना, उनमें विद्युतीकरण कराना, शौचालय उनमें उपलब्ध कराना, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना हम मध्यम वर्गीय या कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। दूसरी जिज्ञासा चौधरी साहब की है कि वह मनमाने तरीके से फीस वसूल कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रण में जो भी स्कूल हैं उनमें कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं है जो चौधरी साहब ने जिज्ञासा व्यक्त की है वह पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल यानी कि सी0बी0एस0सी0, आई0सी0एस0सी0 बोर्ड की शायद आप बात कर रहे हैं। वह केन्द्रीय बोर्ड हैं उनमें भी मैं अपनी तरफ से आपको बता देना चाहता हूं जिज्ञासा आपकी पूरी कर देन चाहता हूं कि उसमें उन बच्चों की सुविधा अनुसार एक स्कूल आपके बच्चों को घर से लेने व घर तक छोड़ने की व्यवस्था करता है तो जो स्कूल आपके बच्चों को घर से लेगा उसकी फीस तो ज्यादा होगी एक स्कूल में आप स्वयं अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने की व्यवस्था करते हैं उसमें फीस स्वाभाविक रूप से कम होगी। आप अप डाउन की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी जो जिज्ञासा भी वह मैंने बता दी।

डा0 अनिल चौधरी-

शिक्षण शुल्क भी सी0बी0एस0सी0 बोर्ड और आई0सी0एस0सी0 बोर्ड में इन स्कूलों से बहुत ज्यादा है।

श्री सुरेश्वर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से सीधे प्रश्न करना चाहता हूं यदि सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में इतनी बढ़िया शिक्षा उपलब्ध हो रही है तो सदन में बैठे हमारे सारे सदस्यों के बच्चे, जिलों में अधिकारियों के बच्चे या प्रदेश के किसी अधिकारी के बच्चे क्या प्राथमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के जो विद्यालय चल रहे हैं उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं क्या मंत्री जी के बच्चे उनमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ? यदि इतनी अच्छी शिक्षा चल रही है, इसका जवाब दिलवा दीजिये मंत्री जी से।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, मेरा बच्चा कक्षा 11 में पढ़ रहा है इसलिये वह प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ सकता। रही बात किसी अधिकारी और सदस्य के बच्चे की तो यह सूचना मंगानी पड़ेगी, लाकर दे देंगें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वह सी0बी0एस0ई0 और आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के हैं। मान्यवर, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो यू0पी0 बोर्ड के अन्तर्गत हैं। यह मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी जानकारी ठीक कर लीजिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी करना चाहता हूं कि जिन पब्लिक स्कूल के बारे में जानकारी की गई है। जहां एडमीशन के समय केपिटेशन फीस, जिसको घूस कहेंगें क्या कहेंगें, जो मर्जी हो कह लीजिये। क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि कुछ पब्लिक स्कूल केपिटेशन फीस के नाम पर एडमीशन के समय बहुत बड़ी धनराशि मांगते हैं, यदि यह आपकी जानकारी में है तो क्या आप उस पर रोक लगाने का काम करेंगें ? यह माननीय मंत्री जी बता दें।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि चूंकि प्रश्न माध्यमिक शिक्षा का है, लेकिन मैं आपको उत्तर देना चाहूंगा। मेरी भी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक और जो आप यू0पी0 बोर्ड की बात कर रहें हैं। यू0पी0 बोर्ड माध्यमिक में आ जायेगा उसमें एक आदेश किया था जिसमें सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी, सी0डी0ओ0, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, वरिष्ठ कोषाधिकारी और एक राजकीय इण्टर कालेज का प्रधानाचार्य, यह एक कमेटी होगी और यही उनकी फीस तय करेंगी क्योंकि उनकी जो अवस्थापना के अनुसार वह क्या सुविधा बच्चों को दे रहे हैं, उसके अनुसार फीस तय करेंगें जिसमें कैपिटेशन फीस और वह सब चीज उसमें सम्मिलित थी। उसमें निर्धारित करते थे लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग इसी बीच माननीय न्यायालय गये और उसके लिये वो स्टे ले आये। जिसमें एक मैं सहारनपुर के स्टे की एक कापी आपको उपलब्ध करा सकता हूं कि वहां इसमें स्टे आ गया और जो स्टे थी वह उससे सम्बद्ध कर दी गई।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 2011 में पूछे गये प्रश्न का जवाब देते हुए 14 दिसम्बर, 1995 के शासनादेश को कोट किया है, जिस जमाने में प्राथमिक विद्यालय में एक आया और एक चपरासी हुआ करते रहे होंगें। आज स्थितियां बदल चुकी है। यह प्रश्न बहुत बार सदन में आया है कि जो निजी प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं वहां शिक्षा पाठ्यक्रम का मानकीकरण किया जाय। शिक्षकों और शिक्षिकाओं को मिलने वाले वेतन का मानकीकरण किया जाय। बच्चों को क्या सुविधाएं ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में मिलनी चाहिए उसका स्टेन्र्डडाइजेशन किया जाय। खुले रिक्शों मे जिस तरीके से बच्चे धकेल कर ले जाये जा रहे हैं और कभी-कभी एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं उस पर नियंत्रण किया जाय। क्या सरकार निजी प्राथमिक विद्यालयों की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली पर एक मूल्यांकन करने के लिये किसी उच्चस्तरीय कमेटी को बना करके आज के परिप्रेक्ष्य में उन संस्तुतियों को लागू करने का प्रयास करेंगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उस क्षेत्र के ए0बी0एस0ए0 इन लोगों को अधिकृत किया है कि पहली बात तो यह कि अगर वह मानक पूरा नहीं कर रहे होंगें तो उन्हें मान्यता न दी जाय और उसके बाद कोई इस तरह की शिकायत उनकी आती है तो उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाय। अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं मान्यता की बात कर ही नहीं रहा हूं। जो बेसिक शिक्षा से मान्यता नहीं लेते हैं और अपने निजी प्राथमिक विद्यालय चलाते हैं उनमें जो शिक्षा का स्तर हैं, जो संसाधन हैं, बच्चों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं यहां तक कि पीने को पानी तक नहीं मिलता है। तो इन सब सुविधाओं का मानकीकरण करके उसके हिसाब से बच्चों से क्या फीस ली जाएगी इसके संदर्भ क्या आप सरकार के स्तर पर किसी कमेटी के गठन करने का निर्णय लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

इनका कहना है कि जो विद्यालय बेसिक शिक्षा से मान्यता नहीं लेते हैं और विद्यालय खुद चलाते हैं और कोई व्यवस्था अच्छी नहीं रखते हैं तो जो विद्यालय मान्यता की परिधि से बाहर के हैं उन विद्यालयों के लिए भी कोई मानक निर्धारण करने के लिए कमेटी का गठन करके इनको ठीक करेंगे।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, जिनको हमने मान्यता दी ही नहीं है और जो बगैर मान्यता के चला रहे हैं उनके खिलाफ स्वतः कार्यवाही कर रहे हैं।

(तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारा गया)

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, एक जानकारी करता चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया उसके सम्बन्ध में एक अनुपूरक करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जानकारी कर लें अनुपूरक नहीं, प्रश्न संख्या-2 पुकार लिया गया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, आपने बताया विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम भी अपनाया जा रहा है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की योजना है तो इसमें आपने टीचर्स की व्यवस्था की है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आपने अंग्रेजी पाठ्यक्रम शुरू किया वहां अंग्रेजी के टीचर्स की व्यवस्था आपने की है।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित सब विषयवार टीचर्स नियुक्त कर रहे हैं।

प्रदेश में मिड-डे-मील योजना में भोजन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये प्रभावी कार्य योजना

*2-श्री सतीश महाना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मिड-डे मील योजना में दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता की शिकायतों को देखते हुए सरकार द्वारा इसके समाधान हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निमित्त भोजन का साप्ताहिक मीनू निर्धारित किया गया है जिसमें भोजन पकाने में अच्छी गुणवत्ता के खाद्य अवयवों के प्रयोग हेतु सभी जनपदों को निर्देश दिये गये हैं। भोजन में आयोडाइज्ड नमक एवं एगमार्क मसालों का प्रयोग किया जाए तथा अच्छी ब्रान्ड का तेल/घी तथा अच्छी श्रेणी का सोयाबीन प्रयोग किया जाए। भोजन बनाने के पूर्व एवं वितरण के उपरान्त अच्छे प्रकार से बर्तनों की सफाई की जाए। खाद्यान्न की सफाई कराकर ही भोजन बनाने में प्रयोग किया जाए तथा ताजी सब्जियों को प्रयोग करने से पूर्व उसे कम से कम दो-तीन बार साफ पानी से धोया जाए एवं पके-पकाए भोजन को बच्चों को वितरण करने से पूर्व ग्राम प्रधान/प्रधानाध्यापक/मदर समूह द्वारा नियमित रूप से चखा जाए। मध्यान्ह भोजन के अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था के निमित्त जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है तथा ब्लाक स्तर पर उप जिलाधिकारी की

अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसके द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित न्यूनतम 05 विद्यालयों का निरीक्षण किये जाने का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को भी सप्ताह में 02 विद्यालय देखने के निर्देश दिये गये हैं। निरीक्षण के दौरान टास्क फोर्स के द्वारा मीनू के पालन की स्थित को भी देखा जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इसको बहुत विस्तार से पढ़ा है उससे लगता है कि बहुत आदर्श स्थिति है और मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत कभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित न्यूनतम 05 विद्यालयों का निरीक्षण किये जाने का प्राविधान किया गया है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं कि निरीक्षण हुए हैं और बहुत बार निरीक्षण हुए होंगे तो क्या कभी मंत्री जी को कोई गुणवत्ता से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त हुई है अगर हुई है तो उसमें क्या कार्यवाही हुई है। मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न है, भोजन बनाने की जो व्यवस्था है, आपने कहा है कि यह-यह चीज इस्तेमाल की जाती है, भोजन एक स्थान पर तो बनता नहीं है, अलग-अलग स्थानों पर बनता है तो भोजन बनाने के लिए क्या नीति निर्धारित है कि कौन लोग इसको बनायेंगे और यदि इसके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमें 10 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 6 निराधार पाई गई और 4 में कमियां पाई गईं और कमी के अनुसार उन लोगों को दण्डित किया गया है। मान्यवर, भोजन बनाने के लिए कुक रखे गये हैं, प्रत्येक विद्यालय में रसोइए रखे गये हैं, अगर मा0 सदस्य कहें तो मैं संख्या भी बता दूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, मैंने पिछले एक माह में करीब 35 स्कूलों में जाने का काम किया है।

(कुछ सदस्यों के हंसने पर)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

यह हंसने की बात नहीं है, यह जिम्मेदारी की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, एक सरदारनपुर गांव है, अकौता ब्लाक में, मैंने जाकर देखा, सड़े हुए चावल, मोटे-मोटे छिलके वाला आलू, साढ़े तेरह किलो बनना था, हमने तौल कराई, 10 किलो निकला। मान्यवर, साढ़े तीन किलो कम और बहुत घटिया किस्म का। एक हमारे क्षेत्र का गांव है, दौलताबाद, वहां पर एक लोटे में खिचड़ी लाए बनाकर और एक-एक चम्मच दे दिया कटोरी में। हमने जब जिलाधिकारी से कहा, जिलाधिकारी ने अधिकारी भेजा और बात सत्य निकली और कार्यवाई हुई। एक गांव हसनपुर है, वहां के अध्यापक खाना खाकर नहीं जाते और शाम को टिफिन में भरकर मध्यान्ह भोजन घर ले जाते हैं। इसी प्रकार से

मान्यवर, एक गांव रजवाना है, आपने अभी बताया कि यह योजना है, कुक रखे गये हैं, लेकिन उस विद्यालय की तीन बच्चियां गर्मी में आटा माड़ रही थी और पसीने से लथपथ थी और पूड़ी बनाकर बच्चों को खिला दिया। इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, चूंकि कहें कैसे, क्योंकि सरकार में बैठे हुए हैं। मैं अपने जनपद के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री रहे हैं। मंत्री जी, आप इनके उद्देश्य को समझ जायें। अब मा0 सदस्य बैठ जायें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है।

श्री शम्भू चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो रसोइया खाना बनाने के लिए रखा गया है, उसको कितना वेतन दिया जाता है ? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अन्य जनपदों में क्या होता है, लेकिन अपने जनपद में मैंने स्वयं जाकर निरीक्षण किया है, मीनू कुछ और होता है, पता चलता है कि वहां पूड़ी, सब्जी और खीर की व्यवस्था है लेकिन वहां पर बच्चों को खिचड़ी बनाकर खिलाई जाती है। मान्यवर, तमाम जगहों पर जाकर मैंने निरीक्षण किया है तो क्या मा0 मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करायेंगे कि वहां विधायकगण की टीम जाकर जांच करे ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक हजार रुपया कुक का मानदेय है। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने पूछा है, पूड़ी तो हमारे यहां बनती नहीं है, पूड़ी हमारे यहां प्रतिबन्धित है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं एक दृष्टान्त रखना चाहता हूं यदि एक हजार रुपया कुक को दे रहे हैं जो मिनिमम वेज से भी कम है वह क्या क्वालिटी देगा ? मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं। मान्यवर, एक विषय गोरखपुर की जाटेपुर धर्मशाला प्राथमिक विद्यालय का है। गोरखपुर में जाटेपुर धर्मशाला प्राथमिक विद्यालय के पार्षद के यहां शादी थी। अगले दिन वही खाना जो दूषित हो गया था, बच्चों को खिलाया गया था। इसकी जांच हुयी थी। इसकी जांच भी बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा की गयी थी। यदि आपको इसकी जानकारी हो कि इसकी जांच की गयी थी तो उस जांच में अगर कोई दोषी पाया गया था तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मा0 अध्यक्ष जी, सम्बन्धित संस्था को जो कि एक प्राइवेट संस्था थी, यह परिषदीय विद्यालय नहीं था, मा0 महाना जी जिसके बारे में कह रहे हैं। सम्बन्धित संस्था को नोटिस दिया गया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण में मीनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराये जाने की योजना

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्यान्ह भोजन के वितरण में मीनू के अनुसार बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था के निमित्त जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है तथा ब्लाक स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसके द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित न्यूनतम 05 विद्यालयों का निरीक्षण किये जाने का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपदीय स्तरीय अधिकारियों को भी सप्ताह में 02 विद्यालय देखने के निर्देश दिये गये हैं। निरीक्षण के दौरान टास्क फोर्स के द्वारा मीनू के पालन को स्थित को भी देखा जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो योजना है, यह केन्द्र सरकार द्वारा पोषित है और इसके पीछे की मंशा यह है कि जो बच्चे हैं गरीब घरों के, वे इस आकर्षण में विद्यालय जाएं और शिक्षित हों लेकिन मान्यवर, ये सर्वाविदित है। मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी यह स्वीकार करें, न करें, मा0 सदन के सभी सदस्यों को यह जानकारी है कि यह जिम्मेदारी एन0जी0ओ0 को दी गयी है और यह हमारे नैतिक पतन की पराकाष्ठा है कि जो भी एन0जी0ओ0 इसमें दायित्व लेते हैं, वे इसका अनाज कहीं और पहुंचा देते हैं और मीनू जो हैं उसका स्तरविहीन भोजन बच्चों को परोसा जाता है। यह खबर भी आयी है मा0 मंत्री जी कि इसमें दूषित भोजन के कारण, कई दिनों का बासी भोजन परोसे जाने के कारण बच्चे बीमार भी हुये हैं आदि, आदि। आपने व्यवस्था तो की है, मैं सिर्फ छोटा सा अनुपूरक यह करना चाहता हूं कि जो केन्द्र सरकार की मंशा है, आप उस मंशा से जुड़े हुये हैं, उसकी सुनिश्चित करने की जवाबदेही राज्य सरकार की है और विभागीय मंत्री होने के कारण आप पर भी है तो क्या इसका अनुपालन और जो शिकायतें आप अखबार में पढ़ते होंगे, संज्ञान लेते हों, न लेते हों यह अलग बात है लेकिन यह सर्वविदित है कि बहुत शिकायतें हैं तो क्या आप ये नोडल अधिकारी आपने बनाया है जिलाधिकारी को क्या आप बताने की स्थिति में है कि यह जो सप्ताह में दो दिन की जिम्मेदारी दी गयी है, नोडल अधिकारी को सुपरविजन का दिया गया है ? ये अपना दायित्व पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो क्या आपके पास ऐसी कोई सूचना है कि क्या ये वहां जाते हैं देखते हैं,

जिलाधिकारी इसकी बैठक करते हैं, इसकी कोई रिपोर्ट लेते हैं, वृत्त लेते हैं ? अगर आपके पास जानकारी हो तो बतायें अन्यथा आप तो सबसे इंकार ही करेंगे।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मा0 सदस्य ने जो एन0जी0ओ0 की बात कही है, मध्यान्ह भोजन हमारे यहां गांवों में ग्राम प्रधान द्वारा और नगर में सभासद द्वारा बनवाया जाता है। जहां-जहां, क्योंकि शहरी क्षेत्र में यह सप्लाई होती है, सभासद इस काम को कर नहीं पाते हैं तो वहां पर एन0जी0ओ0 को यह कार्य दिया जाता है और उसके बाद जैसा कि मा0 चौधरी साहब ने कहा है इसकी सही तरीके से प्रत्येक माह 7 या 9 तारीख में लखनऊ में इसका अनुश्रवण किया जाता है, जिलाधिकारी द्वारा भी जहां-जहां इस प्रकार की शिकायत आती है वहां इसका पूर्ण रूप से अनुश्रवण व जांच की जाती है।

प्रदेश में कक्षा-9 तथा 10 की पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कक्षा 9 तथा 10 की पुस्तकों की प्रदेश में कमी को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

शैक्षिक सत्र, 2010-11 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन हाईस्कूल स्तर (कक्षा-9 एवं 10) की हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, प्रा0 गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों की पाठ्य पुस्तकें प्रदेश के समस्त जनपदों एवं अंचलों में बिक्री हेतु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिन जनपदों से उक्त पाठ्य-पुस्तकों की आंशिक रूप से भी कमी की सूचना प्राप्त हुई, उन जनपदों में तत्काल पुस्तकें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज यह प्रश्न करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो सत्र जुलाई से शुरू होता है, उसमें कक्षा-9 और 10 की पुस्तकों का शाहजहांपुर जनपद में समय से अभाव रहा और काफी छात्र-छात्राएं परेशान रहे। इसीलिए यह प्रश्न करने की आवश्यकता पड़ी। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूं कि वर्तमान में तो ये किताबें उपलब्ध है और आगामी सत्र में आवश्यकता के अनुरूप समय से ये किताबें उपलब्ध रहेंगी ? यह मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से आश्वासन चाहता हूं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी जैसा कि अभी मा0 सदस्य ने कहा कि इस समय हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध है और आगे भी पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

आपने कहा कि पुस्तकों की उपलब्धता है, होगी प्रकाशक के स्तर पर होगी। जमीनी धरातल पर जहां पर बच्चे हैं और जहां उनके अभिभावक किताबें खरीदने जा रहे हैं, उन्हें किताबें नहीं मिल रही हैं उसका कारण है कि 100 रु0 की किताब में 1 या 2 रुपये का मार्जिन होती है इसलिए कोई प्रकाशक न तो छाप कर बेचना चाहता है और न ही कोई किताब की दुकान पर रखना चाहता है और साथ ही में एक चिट्ठी लगाता है कि अगर इस किताब के साथ में गाइड लोगे तब तो यह किताब मिलेगी अन्यथा बिना गाइड के यह किताब नहीं मिलेगी यही जमीनी धरातल की सच्चाई है। गाइड का दाम इस आपकी सरकारी किताब के दाम से कई गुना अधिक होता है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसके तहत यदि अभ्यर्थियों को गाइड के साथ इन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की पुस्तकों को लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है, यह रोका जा सके और जो पुस्तक विक्रेता है उनको एक-दो रु0 के बजाय अगर 5 प्रतिशत मार्जिन मिले तो वह किताबें रखकर बेचने के लिए तय करे, सरकार इसका भुगतान कर सकती है, क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि मा0 सदस्य ने कहा है पुस्तकें उपलब्ध है, जिलों में इसे मा0 खन्ना जी ने भी स्वीकार किया है कि पुस्तकें उपलब्ध है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक पुस्तकों के मूल्य का सवाल है मान्यवर, उसमें भी एक वरिष्ठ आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, वे पूरी तरह मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करके पुस्तकों का मूल्य निर्धारित करते हैं और उसमें 8 से 10 प्रतिशत प्रकाशकों के मार्जिन लाभ की उसमें व्यवस्था रहती है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

और विक्रेताओं के लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रकाशक को हम देते हैं और प्रकाशक उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हम पुस्तक बेचने वाले को भी लाभ दें यह तो देखिए ड्यूटी प्रकाशक की होती है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

वह बिकेगी ही नहीं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

8 से 10 प्रतिशत मार्जिन उसमें रखी जाती है इसीलिए कि प्रकाशक भी उसमें कुछ लाभ ले और कुछ दुकानदारों को जो बेचने वाले लोग हैं उनको भी वह लाभ दें। जहां तक सवाल है कि उसके साथ गाइड लगाने की बात है उसको हम दिखवायेंगे मान्यवर। यह कदापि उनको परमिट नहीं किया जायेगा, जिन प्रकाशकों ने यह शर्तें लगाई हैं। उनको ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।

प्रदेश में आक्सीटोसिन इन्जेक्शन का दुरुपयोग रोकने के लिये व्यापक प्राविधान

*3-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आक्सीटोसिन इन्जेक्शन का उपयोग किस कार्य में किया जाता है ? क्या इसके निर्माण एवं बिक्री हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लाइसेन्स जारी किये गये हैं ? क्या यह सही है कि आक्सीटोसिन इन्जेक्शन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

आक्सीटोसिन, औषधि एवं खाद्य प्रशासन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली 1945 के 'शिड्यूल-एच' श्रेणी की औषधि है, जिसका विक्रय उक्त नियमावली, 1945 के नियम 105 (v) के अनुसार एक विशेष पैकिंग 'ब्लिस्टर पैकिंग' में ही केवल चिकित्सक की सलाह पर गर्भवती महिलाओं के प्रसव प्रक्रिया के दौरान प्रयोग हेतु किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 08 आक्सीटोसिन इन्जेक्शन निर्माण इकाईयां कार्यरत हैं। आक्सीटोसिन के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945 के प्राविधानों तथा भारतीय दण्ड संहिता व पी0सी0ए0 ऐक्ट के अन्तर्गत सघन प्रवर्तन कार्यवाही कराते हुए दिनांक 01-4-10 से 31-01-2011 की अवधि में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत 86 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 76 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराते हुए 27,70,052 एम0एल0 आक्सीटोसिन इंजेक्शन लिक्विड जब्त किये गये तथा 03 आक्सीटोसिन इन्जेक्शन की अवैध निर्माण इकाईयां पकड़ी गई।

आक्सीटोसिन के अवैध निर्माण/बिक्री एवं दुरुपयोग की रोकथाम हेतु औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945 में पूर्व से ही व्यापक प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है उसके अन्तर्गत पूछना चाहता हूं, इन्होंने उनके खिलाफ कार्यवाही के बारे में लिखा है और मैंने योजना के बारे में पूछा है, मैंने पूछा है कि आक्सीटोसिन इंजेक्शन का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसे रोकने के लिये कार्य-योजना क्या है और आपने योजना के बारे में बता कर कार्यवाही के बारे में लिखा है ? दूसरी बात यह जो आपने लिखा है कि मेडिकल स्टोर वालों के खिलाफ कार्यवाही क्यों, जब इनको बेचने के लिये लाइसेंस बना हुआ है, तो इनके खिलाफ कार्यवाही का कोई क्या मतलब नहीं बनता है। मेरा कहना यह है कि जो लोग यह दवाई बेंच रहे हैं, बिना पर्चे के अगर पर्चा नहीं है डाक्टर का, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है, योजना क्या है आपकी ? कार्यवाही के बारे में तो आपने लिख दिया, लेकिन कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। आक्सीटोसिन इंजेक्शन जो इतना ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में सदन में प्रश्न उठाया जा रहा है, यह इंजेक्शन दूधवाली भैंसों को लगाया जा रहा है, महिलाओं को लगाया जा रहा है, लौकी सब्जी, फलों में लगाया जा रहा है तो क्या इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 अग्रवाल साहब किस चीज की योजना के बारे में जानकारी चाह रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, आक्सीटोसिन इंजेक्शन जो बनाया जा रहा है, उसको रोकने के लिये क्या कार्य योजना बनाई गई है। दूसरे जो मेडिकल स्टोर से आक्सीटोसिन इंजेक्शन बेंचे जा रहे हैं, वह लाइसेन्सशुदा मेडिकल स्टोर हैं, तो जो लोग बिना डाक्टर के पर्चे के आक्सीटोसिन के इंजेक्शन खरीद कर विभिन्न प्रकार के कार्यों में उनका दुरुपयोग कर रहे हैं जो बहुत ही हानिकारक है, इसको रोकने के लिये क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले से ही बताया कि यह केवल चिकित्सक की सलाह पर प्रयोग किया जा सकता है, इसलिये अगर बिना चिकित्सक की सलाह का जो लाईसेन्स वाला, दुकान वाला देगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। दूसरे कार्य योजना के बारे में मैंने बताया कि विशेष अभियान चलाया गया और अभियान चलाकर सघनरूप से यह कार्यवाही की गई जिसमें मैंने पहले ही बताया कि इनती इतनी कार्यवाहियां की गई हैं और आक्सीटोसिन के अवैध निर्माण/बिक्री एवं दुरुपयोग की रोकथाम हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945 में पूर्व से ही व्यापक प्राविधान है तो जब व्यापक प्राविधान है तो निश्चित रूप से उसके लिये अलग से कोई कार्य योजना बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, आक्सीटोसिन इंजेक्शन के दुरुपयोग का मामला कई बार इस सदन में आया है और सरकार ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि आक्सीटोसिन इंजेक्शन का दुरुपयोग भी होता है। मेरा सीधा प्रश्न है कि बहुत से ऐसे दुधारू जानवर हैं, दूध देने वाले जानवर हैं। मान्यवर, दूधारू पशुओं की दूध की क्षमता बढ़ाने के लिये आक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। फलों और सब्जियों में उनके आकार को बढ़ाने के लिये खुलेआम इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। मान्यवर, सरकार के संज्ञान में ऐसे कितने मामले आये हैं जिनमें दूध की मात्रा बढ़ाने के लिये इसका प्रयोग किया गया है और फलों और सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिये इसका उपयोग किया गया है। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें जो अभी तक एफ0आई0आर0 हुई है उसके अन्तर्गत आई0पी0सी0/ड्रग ऐक्ट के अन्तर्गत 59 और पी0सी0 ऐक्ट के अन्तर्गत 27 हुई है और इसमें गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 76 है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, इसमें हमने पिछले सत्र में आक्सीटोसिन इंजेक्शन की रसीदें भी दिखाई थीं कि कितने खुले आम वह बिक रही है। मान्यवर, वह इंजेक्शन के प्रयोग से दूध की मात्रा तो बढ़ रही है

और फलों तथा सब्जियों का आकार भी बढ़ रहा है लेकिन वह आदमियों के लिये जहर का काम कर रहा है। मैंने यह पूछा था कि ऐसे कितने मामले संज्ञान में आये हैं जिनमें इस इंजेक्शन का प्रयोग किया गया है और उनमें कितने मामलों में कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष-

अभी आपने पालिसी की बात पूछी थी वह उन्होंने बता दी है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि इतने मामलो में आक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने के मामले प्रकाश में आये हैं और कुल कितनी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है। मान्यवर, जो दूध का उत्पादन बढाने के लिये और फलों तथा सब्जियों का आकार बढ़ाने के लिये इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है, वह कितने मामले प्रकाश में आये हैं ?

श्री अध्यक्ष-

कोई ब्रेक-अप हो आपके पास तो बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने बताया कि आई0पी0सी0/ड्रग ऐक्ट के अन्तर्गत 59 एफ0आई0आर0 हुई है। और पी0सी0 ऐक्ट में 27 मामलों में एफ0आई0आर0 हुई है। और उसके अनुसार गिरफ्तारियां हुई हैं तथा मामले दर्ज कराये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्रीवास्तव जी, आपने बता दिया कि पी0सी0 ऐक्ट के अन्तर्गत इतनी एफ0आई0आर0 हुई है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, हमारा कहना यह है कि जो इस इंजेक्शन का प्रयोग हो रहा है दूध और फलों तथा सब्जियों में उसमें कितने मामले संज्ञान में आये हैं और जितनी एफ0आई0आर0 दर्ज हुई हैं उतने मुकदमें दर्ज हुए हैं। वह कितनी संख्या है। मान्यवर, इसके प्रयोग की संख्या इतनी ज्यादा है कि दूध की मात्रा बढ़ाने और फलों तथा सब्जियों का आकार बढ़ाने में इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वह बता दें कि कुल कितने ऐसे मामले संज्ञान में आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी कोई सूचना हो तो बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप कृपया मूल प्रश्न का उत्तर देख लें हमने विस्तृत उत्तर दिया है। इसमें स्पष्ट है कि ''आक्सीटोसिन, औषधि एवं खाद्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1945 के शिड्यूल-एच श्रेणी की औषधि है। जिसका विक्रय उक्त नियमावली 1945 के नियम 105 (5) के अनुसार एक विशेष पैकिंग 'ब्लिस्टर पैकिंग' में ही केवल चिकित्सक की सलाह पर गर्भवती महिलाओं के प्रसव प्रक्रिया के दौरान प्रयोग हेतु किया जाता है।''

मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि इसके अलावा कहीं भी इस तरह से इसका प्रयोग हो रहा है तो उसके लिये निरन्तर जांच कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा इसका निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाता है, मेडिकल स्टोरों की जांच की जाती है, इसमें सघन प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है और वेबसाइट पर भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। मान्यवर, कहीं से भी इसके दुरुपयोग की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

और मान्यवर, सबसे बड़ी उपलब्धि है मैंने बताया कि 27 लाख 70 हजार 552 एम0एल0 लिक्विड जब्त की गई यह एक बड़ी संख्या में जब्त की गई। 3 नकली कम्पनियां जो उत्पादन इकाइयां बना रही थीं, जिनका लाइसेंस नहीं था, गलत ढंग से बना रही थीं उनमें जिसमें जनपद मेरठ में 2 और वाराणसी में एक, इनके खिलाफ भी कार्यवाही की गई और इनको बन्द कराया गया।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, इन्होंने बताया कि 76 गिरफ्तार हुए इसमें कितने का प्रासीक्यूशन हुआ और कितने केस पेन्डिंग हैं अदालत में, यह बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 689 औषधि विक्रय के कारण लाइसेंस निरस्त तथा 554 औषधि विक्रय के कारण लाइसेंस निलम्बित किये गये। उक्त अवधि में 31 औषधि निर्माण इकाइयों का लाइसेंस निरस्त किया गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, प्रासीक्यूट हो गये।

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं नकली सामान की बिक्री रोकने की कार्य योजना का विवरण

*4-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट/नकली सामान की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी हां। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विशेष जांच दल/खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से सघन प्रवर्तन की कार्यवाही कराते हुए नमूने संग्रहीत कराकर नमूनों का विश्लेषण राजकीय/क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में कराया जाता है। अपमिश्रित पाये गये नमूनों के लिये उत्तरदायी निर्माता/विक्रेता के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 व तत्संबंधी नियमावली, 1955 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272/273 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर उक्त अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में वाद योजित कराये जाने की कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम की धारा-16 में आर्थिक दण्ड से आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है।

नोट :-नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

विभाग द्वारा प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट/नकली सामान की बिक्री के विरुद्ध विभागीय खाद्य निरीक्षकों/विशेष जांच दल के माध्यम से सघन प्रवर्तन की कार्यवाही कराते हुए दिनांक 01-4-2010 से 31-01-2011 की अवधि में अपमिश्रण के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272/273 के अन्तर्गत 526 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा 821 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाते हुए और 494 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया तथा रु0 4,64,74,126/-मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त/नष्ट कराये गये। अपमिश्रण के मामलों में अप्रैल, 2010 से दिसम्बर, 2010 की अवधि में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत मा0 न्यायालयों में 2475 वाद योजित कराये गये, जिसमें 416 व्यक्तियों को कारावास तथा रु0 4,15,850 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्याप्त मस्तिष्क ज्वर के उपचार की निःशुल्क व्यवस्था

*5-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्याप्त मस्तिष्क ज्वर पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो इस नीति के सापेक्ष अब तक क्या-क्या कार्य सम्पन्न हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

जी हां।

मस्तिष्क ज्वर पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रत्येक वर्ष जापानी इन्सेफ्लाइटिस नियंत्रण कार्य योजना बनाई जाती है उक्त कार्य योजना के अनुसार वाहक मच्छर पर नियंत्रण, जे0ई0 टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगियों का सर्वेक्षण एवं जांच की जाती है तथा सभी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालयों पर रोगियों के त्वरित उपचार की निःशुल्क व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था

*6-श्री सतीश महाना तथा डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2010 से लागू शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून में 6 से 11 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शिक्षा सत्र 2010-2011 में सभी बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियमय, 2009 दिनांक 1-4-2010 से लागू किया गया है, जिसमें 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का है।

6-14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में नियमावली प्रख्यापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता का आंकलन किया गया है जो निम्नवत् है :-

कार्यक्रम	संख्या
नवीन प्राथमिक विद्यालय	10,000
नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	5,000
अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	1,48,300
विद्यालयों में चाहरदीवारी का निर्माण	19,600
प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति	2,05,800
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति	28,000
100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति (कला-शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा हेतु एक-एक)	41,307
नवीन विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति	35,000
छात्र छात्राओं को यूनीफार्म	139 लाख

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कतिपय बीमारियों से हो रही मृत्यु एवं इसके बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिये कार्य योजना

*7-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डेंगू, चिकनगुनिया, इन्सेफेलाइटिस, मलेरिया जैसी गम्भीर बीमारियों से प्रतिदिन प्रदेश में सैकड़ों लोगों की मौतें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में वर्ष 2010 में डेंगू से 8 तथा इन्सेफ्लाइटिस से 498 मौतें हुई हैं। चिकनगुनियां एवं मलेरिया से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

*8-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[2सरे बुधवार के तारां0 प्रश्न सं0-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में मिलावटी दूध बनाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर छापे की कार्यवाही

*9-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2010 से सितम्बर, 2010 तक प्रदेश में मिलावटी दूध बनाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार समयबद्ध योजना के अधीन छापे डालकर मिलावट खोरों को पकड़ने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में जनवरी, 2010 से सितम्बर, 2010 की अवधि में विशेष जांच दल/खाद्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1955 के अन्तर्गत मिलावट के संदेह में दूध के 2103 नमूनें संग्रहीत किये गये। जांच के फलस्वरूप अपमिश्रित पाये गये 852 नमूनों के विक्रेताओं को दण्डित कराने के लिये सक्षम न्यायालयों में वाद दायर कराये गये। दूध में अन्य पदार्थों की मिलावट के संदेह में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272/273 के अन्तर्गत 87 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर 101 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत मा0 न्यायालयों द्वारा 89 व्यक्तियों को कारावास तथा रु0 1,01,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 व तत्संबंधी नियमावली, 1955 में व्यापक प्राविधान है। उक्त अधिनियम की धारा-16 में आर्थिक दण्ड से आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है। प्रदेश में खाद्य अपमिश्रण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय टास्कफोर्स/विशेष जांच दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाती है। आम जनता को खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति जागरूक करने हेतु विभाग द्वारा ''एफ0डी0ए0 आपके द्वार'' कार्यक्रम का संचालन किया गया है, जिसमें घर-घर जाकर दूध व अन्य पदार्थों की जांच की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाये जाने की कार्य योजना

*10-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिये सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां। प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत को बढ़ाने के लिये 154 वय वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने हेतु साक्षर भारत मिशन-2012 योजना भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है। उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के उन 66 जनपदों का चयन किया गया है, जिनमें वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 154 वय वर्ग की महिला साक्षरता प्रतिशत 50 से कम है। इन

66 जनपदों की 50,013 (पचास हजार तेरह) ग्राम पंचायतों में लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कर 154 वय वर्ग के कुल 182 लाख निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं व्यवसाय को बढ़ाने हेतु सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

*11-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत दो वर्षों में मत्स्य उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि हुई तथा उससे सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ? क्या सरकार राजस्व प्राप्ति एवं इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मछुआ समुदाय के लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य मंत्री (श्री धर्मराज निषाद)-

जी हां। विगत दो वर्षों में मत्स्य उत्पादन में 59000 मी0टन की वृद्धि हुई है। मत्स्य विभाग, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम एवं उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ के प्रबन्धान्तर्गत जलाशयों से विगत दो वर्षों में सरकार को कुल रु0 798.71 लाख की राजस्व प्राप्ति हुई है।

विभाग की राजस्व प्राप्ति एवं मत्स्य व्यवसाय में वृद्धि हेतु मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विवरण संलग्नक† में उल्लिखित है।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने हेतु कार्य योजना

*12-श्री दीप नारायण सिंह, दीपक यादव तथा श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी सहित प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद झांसी सहित प्रदेश के सभी जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रम संचालित है :-

- विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु विगत 03 वर्षों में लगभग 81000 अध्यापकों की तैनाती विद्यालयों में की जा चुकी है तथा शेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें सुदृढ़ की गई है। असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं तथा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्मित कराये गये हैं। विद्यालय भवनों के रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष विद्यालय रख-रखाव अनुदान दिया जाता है।

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 238-246 पर।

- राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1-8 तक का पाठ्यक्रम पुनरीक्षित किया जा चुका है तथा तद्नुसार पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण पूर्ण कर नवीन पाठ्य पुस्तकें लागू की जा चुकी है।
- कक्षा 1-8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 1-5 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित में अभ्यास के अवसर प्रदान करने के लिये निःशुल्क कार्य पुस्तिकायें उपलब्ध कराई जाती है।
- शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षक सन्दर्शिकाएं अध्यापकों के उपयोगार्थ विकसित की जा रही है।
- शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।
- वर्ष 2010-11 में अधिगम अभिवृद्धि कार्यक्रम (लर्निंग एनहैन्समेण्ट प्रोग्राम) के अन्तर्गत सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत कक्षा 1-2 के बच्चों में पठन कौशल एवं गणितीय दक्षता विकास हेतु कार्यक्रम संचालित किया गया है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 एवं 7 के बच्चों को प्रयोग एवं गतिविधि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने हेतु कार्यक्रम संचालित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*13-श्री मदन चौहान-

[एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून के अन्तर्गत बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था

*14-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 01-04-10 से लागू शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून के अन्तर्गत 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा सत्र 2010-2011 सुनिश्चित कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जनपद मुजफ्फरनगर में उपरोक्त व्यवस्था लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

6-14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में नियमावली प्रख्यापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता का आंकलन किया गया है जो निम्नवत् है :-

कार्यक्रम	संख्या
नवीन प्राथमिक विद्यालय	10,000
नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	5,000
अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण	1,48,300
विद्यालयों में चाहरदीवारी का निर्माण	19,600
प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति	2,05,800
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति	28,000
100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति (कला-शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा हेतु एक-एक)	41,307
नवीन विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति	35,000
छात्र छात्राओं को यूनीफार्म	139 लाख

उपर्युक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 3 वर्षों में रु0 30,158.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इनमें से अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनावर्तक मद में रु0 4,405.00 करोड़ का व्यय तथा वेतनादि हेतु आवर्तक मद में रु0 25,753.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार को सप्लीमेन्ट्री प्लान 2010-11 का प्रस्ताव भेजा गया था। भारत सरकार द्वारा रु0 1870.41 करोड़ का प्लान स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार से अभी तक इस हेतु धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार से उक्त संबंध में धनराशि प्राप्त होने पर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा सप्लीमेन्ट्री प्लान 2010-11 में निम्नलिखित भौतिक लक्ष्य स्वीकृत किये गये हैं :-

कार्यक्रम	भौतिक लक्ष्य
अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण (कला-शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा)	30,000
विद्यालयों में चाहरदीवारी का निर्माण	19,600
विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	881
नवीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	292
छात्र-छात्राओं को यूनीफार्म	139 लाख

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों के पद	80,000
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों के अतिरिक्त पद	17,000
100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों के पद (कला-शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा)	41,307

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये संचालित कार्यक्रम

*15-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सरकार ने कोई कार्य-योजना/नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रम संचालित है :-

- विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु विगत 03 वर्षों में लगभग 81000 अध्यापकों की तैनाती विद्यालयों में की जा चुकी है तथा शेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें सुदृढ़ की गई है। असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं तथा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्मित कराये गये हैं। विद्यालय भवनों के रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष विद्यालय रख-रखाव अनुदान दिया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1-8 तक का पाठ्यक्रम पुनरीक्षित किया जा चुका है तथा तद्नुसार पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण पूर्ण कर नवीन पाठ्य पुस्तकें लागू की जा चुकी है।
- कक्षा 1-8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 1-5 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित में अभ्यास के अवसर प्रदान करने के लिये निःशुल्क कार्य पुस्तिकायें उपलब्ध कराई जाती है।
- शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षक सन्दर्शिकाएं अध्यापकों के उपयोगार्थ विकसित की जा रही है।

- शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।
- वर्ष 2010-11 में अधिगम अभिवृद्धि कार्यक्रम (लर्निंग एनहैन्समेण्ट प्रोग्राम) के अन्तर्गत सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत कक्षा 1-2 के बच्चों में पठन कौशल एवं गणितीय दक्षता विकास हेतु कार्यक्रम संचालित किया गया है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 एवं 7 के बच्चों को प्रयोग एवं गतिविधि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने हेतु कार्यक्रम संचालित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव कराये जाने की मांग

*16-श्री राजेश यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आजमगढ़ में सूखे के कारण घटते जलस्तर को रोकने हेतु जल संचयन की व्यवस्था

1-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-आजमगढ़ में सूखे के कारण घटते जल स्तर को रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित तालाबों, पोखरों में जल संचयन की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लाखीराम नागर)-

ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन हेतु राजकीय नलकूपों/नहरों द्वारा तालाबों/पोखरों को भरने का कार्य किया जाता है। इस वर्ष जनपद-आजमगढ़ में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहरों के कमाण्ड में पड़ने वाले 691 तालाबों/पोखरों में नहरों से जल भरकर जल संचयन कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकलांग शिक्षकों को वाहन भत्ता दिये जाने की नीति

2-श्री रियाज अहमद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत विकलांग शिक्षकों को वाहन भत्ता दिये जाने से सम्बन्धित कार्यालय आयुक्त, विकलांग जन, उ0 प्र0 के पत्र सं0-1916-18, दिनांक 23-3-2009 तथा स्मरण-पत्र सं0-758-59 दिनांक 20-7-2009 जोकि

जिलाधिकारी/अपर आयुक्त, विकलांग जन, पीलीभीत को सम्बोधित तथा जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, पीलीभीत को पृष्ठांकित था, बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

बेसिक शिक्षा विभाग में विकलांग शिक्षकों को वाहन भत्ता दिये जाने के संबंध में कोई नीति निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा विभाग में विकलांग शिक्षकों को विकलांग कोटे में पदोन्नति किये जाने की जानकारी

3-श्री रियाज अहमद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक (बे0) उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-11738/2009-10, दिनांक 07 अगस्त, 2009 के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत को विकलांग शिक्षकों को विकलांग कोटे में पदोन्नति किये जाने विषयक दिये गये आदेश माह अगस्त, 2009 में काउन्सिलिंग कराकर वरीयता सूची बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इन शिक्षकों के पदोन्नति आदेश निर्गत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

बेसिक शिक्षा विभाग में विकलांग शिक्षकों को विकलांग कोटे में पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा विभाग में विकलांग अध्यापकों को पदोन्नति में आरक्षण की मांग

4-श्री रियाज अहमद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में विशिष्ट बी0टी0सी0, सामान्य बी0टी0सी0, उर्दू बी0टी0सी0 की सीधी भर्ती में विकलांग अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है किन्तु पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकलांग शिक्षकों को पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ अनुमन्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

बेसिक शिक्षा विभाग में विकलांग अध्यापकों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं है।

उक्तवत्।

जनपद चित्रकूट के श्री तुलसी इण्टर कालेज राजापुर में शासन की रोक के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

5-श्री उदयभान करवरिया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तुलसी इण्टर कालेज, राजापुर, जनपद-चित्रकूट में सन् 1995 में श्री संगम प्रसाद पाण्डेय की चतुर्थ श्रेणी में शासन की रोक के बावजूद फर्जी नियुक्ति की गयी थी ? क्या उपरोक्त नियुक्ति को शासन ने अवैध घोषित किया था ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, चित्रकूट द्वारा उक्त फर्जी नियुक्ति को वैध घोषित कर वेतन का भुगतान कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या दोषी जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जी हां।

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, चित्रकूट श्री कुंवर जी लाल एवं वित्त एवं लेखाधिकारी, श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी द्वारा वेतन भुगतान किया गया, परन्तु जून, 2010 से वेतन भुगतान अवरुद्ध है।

जांचोंपरान्त दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के ब्लाक बनीकोडर के सिल्हौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू करने संबंधी प्राप्त कथित पत्र पर कार्यवाही

6-श्री लल्लू सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिल्हौर, ब्लाक बनीकोडर, जनपद-बाराबंकी पूर्ण रूप से बनकर तैयार होने के बाद डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की तैनाती न होने के कारण अभी तक चालू नहीं हो सका है ? क्या इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-30/आ0स0/09, दिनांक 22-10-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बनीकोडर के सिल्हौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं अपितु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जो क्रियाशील हैं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के महाराणा प्रताप महाविद्यालय, सिकन्दरराऊ में कार्यरत प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

7-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राजकीय महाराणा प्रताप महाविद्यालय, सिकन्दरराऊ, जनपद-महामायानगर में कितने प्रवक्ता शासन की स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कार्यरत है ? क्या सरकार इनका समयबद्ध सीमा में स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

वर्तमान में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-1/3/96-का-4-2010, दिनांक 21-04-2010 द्वारा निर्गत की गई है, जिसके अनुसार स्थानान्तरण पर रोक है। राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण पर भी यही नीति लागू है।

शासन की स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कोई प्रवक्ता कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के चिकित्सालयों में मांग के अनुसार एन्टी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता

8-श्री सुखलाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत में अप्रैल, 2010 से एन्टी रैबीज वैक्सीन न होने के कारण जिले के रोगी बाजार से खरीद पर वैक्सीन लगवा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अस्पतालों में मांग के अनुसार एन्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जनपद के चिकित्सालयों में मांग के अनुसार एण्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध है।

प्रदेश के कई जनपदों में डिप्थीरिया (गला घोंटू) बुखार रोकने के उपाय

9-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तथा पश्चिमी उ0 प्र0 के कई जिलों में डिप्थीरिया (गला घोटूं) बुखार तेजी से फैल रहा है एवं मुरादाबाद जनपद के ग्रामों में इस बुखार के मरीज चिन्हित भी किये गये हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु क्या सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

वर्ष 2010 में मात्र जनपद मुरादाबाद के ग्राम भैसिया, विकास खण्ड, ताजपुर में डिप्थीरिया (गला घोंटू) बीमारी से दिनांक 25-08-2010 से 27-08-2010 तक की अवधि में कुल 05 बच्चों की मृत्यु हुई तथा माह सितम्बर, 2010 तक उक्त ग्राम में 35 रोगी ग्रसित हुए थे जो वर्तमान में पूर्णतया स्वस्थ हो गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

कारगिल में शहीद सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी

10-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को प्रदेश में भारत सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं के अतिरिक्त उ0 प्र0 सरकार द्वारा विशेष पैकेज देने की घोषणा के तहत शहीद सैनिकों के आश्रित परिवार को दस लाख नकद 3.25 एकड़ भूमि एवं उनके पिता या माता को पेंशन आदि की सभी सुविधाएं दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

कारगिल शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को रु0 10.00 लाख की दर से नगद भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा किया जा चुका है। शहीद सैनिक के आश्रित परिवार को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है। शहीद सैनिकों की पत्नियों को रु0 5000/-प्रतिमाह की दर से तथा माता-पिता को रु0 2500/-प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्या डा0 (श्रीमती) प्रभा बी0 सहाय द्वारा पूर्व सेवा में दिये गये दण्ड को छिपाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

11-चौ0 रवीन्द्र प्रताप तथा डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 (श्रीमती) प्रभा बी0 सहाय, प्राचार्या महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ ने अपने पूर्व सेवा में दिये गये दण्ड को छिपाकर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग द्वारा अपने को चयनित कराने के विरुद्ध श्री राजीव कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा का शिकायती-पत्र दिनांक 24-12-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

निदेशक, उच्च शिक्षा से आख्या मांगी गई, जिसके अनुक्रम में उनके पत्र दिनांक 20-01-2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि यद्यपि डा0 (श्रीमती) सुप्रभा बी0 सहाय द्वारा प्राचार्या स्नातक (महिला) महाविद्यालय हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र में पूर्व संस्था (दयालबाग शिक्षण संस्थान,

आगरा) द्वारा दिये गये दण्ड का कोई उल्लेख नहीं किया गया था किन्तु इसके उपरान्त भी डा0 (श्रीमती) सहाय तत्समय महाविद्यालय (स्नातक) के प्राचार्य पद हेतु निर्धारित अर्हता पूरी करती थीं और उक्त पद पर उनका किया गया चयन सही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संस्कृत भाषा के विकास एवं उनको अनुदान सूची में शामिल करने सम्बन्धी जानकारी

12-श्री उदयभान करवरिया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संस्कृत भाषा के विकास हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि संस्कृत भाषा के विद्यालयों को भी मदरसा विद्यालयों की भांति सरकार अनुदान देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश सं0-209 सं0/15-9-10-25 (3)/07, दिनांक 12 अगस्त, 10 द्वारा ऐसे 28 संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं, जो शासनादेश दिनांक 11 अक्टूबर, 08 द्वारा नियत किये गये समस्त मानकों को पूरा करते हों तथा जिन्हें दिसम्बर, 2000 के पूर्व से स्थाई मान्यता प्राप्त हो।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा मित्रों को दी जाने वाली सुविधाओं सम्बन्धी जानकारी

13-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने शिक्षा मित्र कार्यरत हैं ? क्या सरकार इनको भी नियमित शिक्षकों की भांति वेतन भत्ता तथा अन्य सुविधायें प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वर्तमान में प्रदेश में लगभग 1,77,475 शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं।

प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षकों की भांति वेतन भत्ता तथा अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने की अभी कोई नीति निर्धारित नहीं है।

उक्तवत्।

प्रदेश में मलेरिया की रोकथाम के उपाय

14-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मलेरिया का प्रकोप फैल रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

मलेरिया रोग की रोकथाम हेतु विभाग की विस्तृत कार्य योजना है, जिसके अनुसार नियमित कार्यवाही की जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों में रोग वाहक मच्छरों को नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप आवश्यकतानुसार कीटनाशकों का छिड़काव व लार्वा निरोधी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत नये कक्ष बनवाये जाने की मांग

15-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में वर्षवार व तहसील/विकास खण्डवार कितने प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय सर्वशिक्षा अभियान में निर्मित हुए एवं पूर्व में निर्मित विद्यालयों में कितने नये कक्ष बनाये गये ? क्या मंत्री जी उक्त की सम्पूर्ण सूची उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महामायानगर की आख्यानुसार जनपद महामायानगर में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-010 व 2010-011 में कुल 48 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 158 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए हैं, जिनका वर्षवार व तहसीलवार/विकासखण्डवार निर्मित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :-

तहसील/विकास खण्ड	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय	वर्ष			
		07-08	08-09	09-10	10-11
तहसील-सादाबाद					
वि0खं0 सादाबाद	प्रा0 विद्यालय	03	08	0	0
	उ0प्रा0 विद्यालय	10	16	01	0
वि0खं0 सहपऊ	प्रा0 विद्यालय	0	02	01	0
	उ0प्रा0 विद्यालय	17	05	0	0
तहसील-सिकन्दराराऊ					
वि0खं0 हसायन	प्रा0 विद्यालय	0	04	05	0
	उ0प्रा0 विद्यालय	07	06	0	01
वि0खं0 सिकन्दराराऊ	प्रा0 विद्यालय	03	0	04	0
	उ0प्रा0 विद्यालय	09	03	04	0

तहसील-हाथरस					
वि0खं0 मुरसान	प्रा0 विद्यालय	02	01	0	0
	उ0प्रा0 विद्यालय	22	08	0	0
वि0खं0 हाथरस	प्रा0 विद्यालय	02	03	02	0
	उ0प्रा0 विद्यालय	14	08	03	0
तहसील-सासनी					
वि0खं0 सासनी	प्रा0 विद्यालय	0	0	04	0
	उ0प्रा0 विद्यालय	17	02	0	0
तहसील-हाथरस					
न0क्षे0 हाथरस	प्रा0 विद्यालय	0	04	0	0
	उ0प्रा0 विद्यालय	03	02	0	0
योग :	**प्रा0 विद्यालय**	**10**	**22**	**16**	**0**
	उ0प्रा0 विद्यालय	**99**	**50**	**08**	**1**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक प्राथमिक विद्यालयों में 1577 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 159 कक्षा-कक्ष, इस प्रकार कुल 1736 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य कराया गया है।

जी हां, सूची संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानान्तरण/समायोजन बैक डेट से किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही

16-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानान्तरण/समायोजन के आदेश बैक डेट अर्थात् 31 जुलाई, 2010 में किया जाना दर्शाते हुए माह सितम्बर, 2010 में निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराते हुए शासन के निर्देशों के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रकरण में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अलीगढ़ को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

---

† छापी नहीं गई।

जांचोपरान्त जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर की स्व0 श्रीमती मंजूलता प्रधानाध्यापिका कन्या जूनियर हाई स्कूल सरसोहेडी जनपद सहारनपुर की ग्रेच्युटी के भुगतान की जानकारी

17-श्री राघव लखन पाल शर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 मंजूलता, प्रधानाध्यापिका कन्या जूनियर हाई स्कूल, सरसोहेडी (सरसांवा) तहसील नकुड़, जनपद-सहारनपुर की मरणोपरान्त ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

शासनादेश दिनांक 23 नवम्बर, 1994 में निहित प्राविधानों के आलोक में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मात्र विकल्प के आधार पर दो वर्ष पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उपरान्त ग्रेच्युटी की सुविधा अनुमन्य है, परन्तु मृत्यु होने की दशा में ग्रेच्युटी का लाभ अनुमन्य न होने के कारण स्व0 श्रीमती मंजूलता प्रधानाध्यापिका कन्या जूनियर हाईस्कूल सरसोहेडी को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को छठें वेतन आयोग का लाभ दिये जाने की मांग

18-श्री राघव लखन पाल शर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय सहायता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ प्रदान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को छठें वेतन आयोग का लाभ राजाज्ञा संख्या-684/79-5-2009-50/08, दिनांक 24 फरवरी, 2009 द्वारा दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मलेरिया रोग की रोकथाम हेतु डी0डी0टी0 का छिड़काव

19-श्री सुखलाल-

क्या सरकार को जानकारी है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है ? क्या यह भी सही है कि पिछले कई सालों से डी0डी0टी0 का छिड़काव न होने से मच्छरों की संख्या

पर रोक नहीं लग पा रही है ? यदि हां, तो सरकार मच्छरों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश स्तर पर डी0डी0टी0 का छिड़काव करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मलेरिया रोग की रोकथाम हेतु डी0डी0टी0 का छिड़काव कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के अशासकीय अनुदान प्राप्त कतिपय महिला इण्टर कालेजों में अध्यापिकाओं की भर्ती की मांग

20-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय अनुदान प्राप्त महिला इण्टर कालेजों में अध्यापिकाओं की कमी को पूरा करने हेतु कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो शाहजहांपुर के आर्य कन्या इण्टर कालेज, आर्य महिला इण्टर कालेज व हरकुमार पाठक कन्या इण्टर कालेज में अध्यापकों के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन की कार्यवाही की जाती है।

शाहजहांपुर के आर्य कन्या इण्टर कालेज, आर्य महिला इण्टर कालेज व हरकुमार पाठक कन्या इण्टर कालेज में अध्यापकों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को प्रेषित किया जा चुका है। चयन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति प्राप्त प्रधानाध्यापकों को उनके मूल पद पर वापस भेजे जाने की जानकारी

21-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा के आदेश संख्या-बे0शि0परि0/पदोन्नति/ 01-114/2007-08, दिनांक 03-11-2007 एवं आदेश सं0-6505 दिनांक 19-11-2007 द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पदों पर बैकलॉग पूर्ण करने हेतु कुल कितनी पदोन्नतियां की गई थीं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट सं0-60250/07, दिनांक 10-12-07 के निर्देशानुसार बैकलॉग कोटे से अधिक होने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश संख्या-340/2009-10 दिनांक 3-7-2009

द्वारा कितनी नियुक्तियां निरस्त की गयीं ? क्या पदोन्नति कर्मियों को उनके मूल पद पर भेज कर प्रोन्नत वेतन रोक दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जिला बेसिक शिक्षा आधिकारी एटा ने दिनांक 3-11-2007 द्वारा 104 प्र0अ0,पू0मा0वि0 तथा पत्र दिनांक 19-11-2007 द्वारा 161 प्र0अ0, प्रा0वि0/स0अ0, उच्च प्रा0वि0 के पद पर बैकलाग पूर्ण करने हेतु पदोन्नति की गई थी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा ने पत्र दिनांक 3-7-2009 द्वारा प्र0अ0पू0मा0वि0 के 100 पदों एवं प्र0अ0, प्रा0वि0/स0अ0 उच्च प्रा0वि0 के 57 पदों पर बैकलाग कोटे से अधिक होने के कारण पदोन्नति निरस्त करके उनको मूल पद पर भेज दिया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर के सरकारी अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शनों की उपलब्धता की जानकारी

22-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा एवं बलरामपुर में एण्टी रैबीज इंजेक्शन विगत एक वर्ष में बहुत कम मात्रा में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होने के कारण जनता को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी अस्पतालों पर एण्टी रैबीज इंजेक्शन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्र-

जी नहीं।

जनपद गोण्डा एवं बलरामपुर के सरकारी अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ एवं बागपत डायटों में प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता, एल0टी0 ग्रेड विशेषज्ञ क्लर्क एवं चपरासी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

23-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ एवं बागपत डायटों में प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता, एल0टी0 ग्रेड विशेषज्ञ, क्लर्क एवं चपरासी के स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण को सुचारु रूप से चलाने हेतु रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

डायट छोटा मवाना, मेरठ में स्टाफ का विवरण :-

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	02	04
प्रवक्ता	17	13	04
एल0टी0 ग्रेड	03	03	00
क्लर्क	09	04	05
चपरासी	05	04	01

डायट बागपत में स्टाफ का विवरण :-

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	00	06
प्रवक्ता	17	03	04
एल0टी0 ग्रेड	03	03	00
क्लर्क	09	04	05
चपरासी	05	00	05

संवर्ग में अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी की तैनाती उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये एवं स्थाई किये जाने की मांग

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने एवं इनकी सेवाओं को स्थायी किये जाने की शासन की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

शिक्षा मित्रों का मानदेय शासनादेश दिनांक 9-2-2009 द्वारा रु0 3000/-प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 3500/-प्रतिमाह किया जा चुका है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नियमित शिक्षकों के पदों पर नहीं की गई है अपितु शिक्षक छात्र-अनुपात को सुधारने हेतु ग्राम शिक्षा समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर 11 माह की संविदा पर की जाती है।

जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में रिक्त चिकित्सकों के पदों को भरे जाने की जानकारी

25-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों/विशेषज्ञों की कमी को पूर्ण करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि

नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार शाहजहांपुर जिला अस्पताल में रिक्त चिकित्सकों के पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

चिकित्सालयों में चिकित्सकों/विशेषज्ञों की कमी को पूर्ण करने हेतु लोक सेवा आयोग को समय-समय पर अधियाचन भेजा जाता है। वर्तमान में 3863 पदों हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। आयोग से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष तैनाती की जाती है तथा चिकित्सकों की कमी को पूर्ण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

चिकित्सकों की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2010 में लोक सेवा आयोग से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष तैनाती की जाती है तथा चिकित्सकों की कमी को पूर्ण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

चिकित्सकों की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2010 में लोक सेवा आयोग से प्राप्त संस्तुतियों पर प्रदेश में आवश्यकता के दृष्टिगत 2160 चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है तथा 3863 चिकित्सकों के चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की छात्राओं को ''सावित्री बाई फुले'' शिक्षा मदद योजना से लाभान्वित करने की मांग

26-डा0 अनिल चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, सादाबाद, जनपद-महामायानगर का जिलाधिकारी, महामायानगर को सम्बोधित छात्राओं कु0 निक्की, कु0 पूनम एवं कु0 नाजरीन को ''सावित्री बाई फुले'' शिक्षा मदद योजना से लाभान्वित करने विषयक पत्र सं0-905/सत्यापन/ 2009-2010 दिनांक 16-3-10 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

दिनांक 07-04-2010 को प्राप्त हुआ।

शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 01 फरवरी, 2011 के क्रम में पत्रांक 305/15-10-2011 दिनांक 02 फरवरी, 2011 द्वारा शिक्षा निदेशक (मा0) को प्रकरण में पात्र छात्राओं को धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

27-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव में जिला साक्षरता समिति के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय के भुगतान की मांग

28-श्री विवेक कुमार सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला साक्षरता समिति, उन्नाव के शासनादेश संख्या-1022/ 79-14-10-1(5)/2000 टी0सी0, दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के द्वारा संशोधित जिला लोक शिक्षा समिति, उन्नाव में मार्च/अप्रैल, 2002 से निरन्तर कार्यरत कर्मचारियों का माह अक्टूबर, 2009 से अब तक लम्बित मानदेय/वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त लम्बित मानदेय/वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं। पूर्व में जिला साक्षरता समिति के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे साक्षरता कार्यक्रम की योजना को भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2009 को बन्द कर दिया गया है। भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु दिनांक 30-9-2009 तक की समयवृद्धि प्रदान की गई थी। अतः जिला साक्षरता समिति के अन्तर्गत पूर्व योजनाओं में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को सितम्बर, 2009 तक के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। पूर्व योजना के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्यरत संविदा कर्मियों की संविदा स्वतः समाप्त हो जाने के कारण मानदेय देय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला अस्पतालों, पी0एच0सी0 सामुदायिक स्वा0 केन्द्रों तथा सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति की जानकारी

29-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला अस्पतालों, पी0एच0सी0, सामुदायिक स्वा0 केन्द्रों तथा सरकारी अस्पतालों में कुल कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार जनहित में उक्त रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश के जिला अस्पतालों, पी0एच0सी0, सामु0 स्वा0 केन्द्रों तथा सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के कुल 13790 पद सृजित हैं तथा कुल 3863 पद रिक्त हैं।

चिकित्सकों की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। उक्त के क्रम में लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 2010 में 2160 चिकित्सकों को उपलब्धता के सापेक्ष आवश्यकतानुसार नियुक्ति की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त चिकित्सकों के पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

30-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर स्थित सी0एच0सी0 महमूदाबाद, रामपुर मथुरा महिला चिकित्सालय, महमूदाबाद, पी0एच0सी0 सरैया, खुरवल, रामपुर मथुरा, बासुरा, पैतेपुर, मीरानगर में स्वीकृत पदों के सापेक्ष डाक्टर व अन्य स्टाफ उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो उनकी तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के कुल स्वीकृत 21 पदों के सापेक्ष 17 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा अन्य स्टाफ के कुल स्वीकृत 196 पदों के सापेक्ष 135 कर्मचारी कार्यरत हैं।

चिकित्सकों के रिक्त पदों का अधियान लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर प्रदेश में रिक्त पदों के सापेक्ष जनपद सीतापुर के रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। अन्य पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रचलित है। चयनोपरान्त रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कक्षा एक से आठ तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति फार्म भरने में लगने वाले फोटो पर व्यय धन की मांग

31-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति फार्म भरने में लगने वाले फोटो आदि के बनाने का पैसा भी विद्यालयों के माध्यम से दिया जाता है ? यदि हां, तो जनपद-रायबरेली में वर्तमान सत्र में विद्यालयों को उक्त कार्य हेतु भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति फार्म भरने में लगने वाले फोटो आदि के बनवाने के लिये न तो बेसिक शिक्षा विभाग के बजट में कोई प्राविधान है, और न ही इस कार्य हेतु कोई धनराशि स्वीकृति की जाती है।

प्रदेश में नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग

32-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डिग्री कालेजों की कमी को देखते हुए क्या सरकार नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां। ऐसे जनपद जहां कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं वहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की प्राथमिकता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ, महराजगंज, कन्नौज, कौशाम्बी, गाजियाबाद, मैनपुरी, बिजनौर एवं फर्रुखाबाद में एक-एक कुल 09 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2009-10 में कांशीराम नगर, कुशीनगर तथा मुफ्तीगंज जौनपुर में एक-एक कुल 03 राजकीय महाविद्यालयों तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में राजकीय महाविद्यालय शाहगंज, जौनपुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

जनपद गोण्डा एवं बहराइच में भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण अभी तक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों/कर्मचारियों की उपलब्धता

33-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं कर्मचारियों की उपलब्धता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुरूप चिकित्सकों/कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मानक के अनुरूप चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपलब्धता के दृष्टिगत वर्ष 2010 में लोक सेवा आयोग से प्राप्त संस्तुतियों पर कुल 2160 चिकित्सकों की नियुक्ति आवश्यकता के सापेक्ष की गई है। फार्मासिस्ट के रिक्त 766 पदों हेतु घोषित परीक्षाफल का प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के 542 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है, 119 पदों हेतु विज्ञापन कराया गया है। एक्स-रे टेक्नीशियन के 79 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा 13 पदों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। फिजियोथिरेपिस्ट तथा ई0सी0जी0 टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डेंगू के प्रभाव को रोकने की कार्य योजना

34-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 2010 से अब तक डेंगू के प्रकोप से कितने लोगों की जाने गईं ? क्या सरकार ने डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिये कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

अब तक कुल 08 लोगों की डेंगू से मृत्यु हुई है।

जी हां।

कार्य योजना की प्रति संलग्न* है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जन औषधि आउटलेट शुरू करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

35-डा0 अनिल चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ''जन औषधि आउटलेट्स'' शुरू करने विषयक श्री जयन्त चौधरी, सांसद, मथुरा का पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2010 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

श्री जयन्त चौधरी, मा0 सांसद के पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2010 में उल्लिखित योजना को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में विचार हुआ। शासनादेश संख्या-163/पांच-1-2002-17(4)/80, दिनांक 25-1-2002 द्वारा प्रदेश के चिकित्सालय परिसर में किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खोले जाने पर प्रतिबन्ध है। जन औषधि आउटलेट भी एक प्रकार का वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है। इसलिये उक्त शासनादेश में निहित प्रतिबन्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के चिकित्सालय परिसरों में जन औषधि आउटलेट खोलने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज में प्रवक्ता के एक पद के सापेक्ष दो का वेतन भुगतान में दोषियों से वसूली कराये जाने के आदेश

36-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-सिद्धार्थनगर के जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज नौगढ़ में हिन्दी प्रवक्ता के एक पद के सापेक्ष दो लोगों को प्रवक्ता पद के

---

* देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 239 पर।

वेतन के भुगतानित धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के माननीय मुख्य मंत्री को प्रेषित-पत्र संख्या 228388 दिनांक 24-7-2010 द्वारा प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

शिक्षा निदेशक, माध्यमिक के पत्र दिनांक 10-01-2011 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर को दोषियों से वसूली कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शिक्षा विभाग के कतिपय कार्यालयों में अध्यापकों से लिपिकीय कार्य कराये जाने का कथित प्रकरण

37-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, लेखाधिकारी कार्यालय एवं ए0बी0एस0ए0 कार्यालयों में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से लिपिकीय कार्य कराये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि अध्यापकों की कमी के कारण अनेकों विद्यालय बन्द रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यापकों से केवल अध्यापन का कार्य कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जी नहीं।

अध्यापकों से मात्र शिक्षण कार्य कराने की ही व्यवस्था है किन्तु शासनादेश संख्या-936/79-5-2005-385/2000, दिनांक 06 जनवरी, 2005 के अनुपालन में अन्य राष्ट्रीय कार्यों में भी सहयोग लिया जाता है।

उक्तवत्।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत लिपिकों के रिक्त पदों का विवरण एवं इसे भरे जाने की मांग

38-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत जनपदवार लिपिकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग (समूह 'ग') के सीधी भर्ती/पदोन्नति के कुल रिक्त पदों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	जनपद का नाम	रिक्त पद
1	झांसी	03
2	ललितपुर	02
3	उरई-जालौन	01
4	चित्रकूट	शून्य
5	महोबा	05
6	हमीरपुर	02
7	बांदा	01
8	गोरखपुर	05
9	महराजगंज	02
10	देवरिया	01
11	कुशीनगर	03
12	कानपुर नगर	01
13	रमाबाई नगर	02
14	इटावा	02
15	कन्नौज	05
16	फर्रुखाबाद	06
17	औरैया	04
18	आजमगढ़	शून्य
19	बलिया	01
20	मऊ	01
21	मुरादाबाद	02
22	बिजनौर	03
23	जे0पी0नगर	05
24	रामपुर	04
25	वाराणसी	03
26	चन्दौली	02
27	जौनपुर	02
28	गाजीपुर	01

क्र0सं0	जनपद का नाम	रिक्त पद
29	लखनऊ	शून्य
30	रायबरेली	01
31	उन्नाव	04
32	सीतापुर	01
33	हरदोई	02
34	लखीमपुर खीरी	05
35	इलाहाबाद	02
36	फतेहपुर	07
37	कौशाम्बी	06
38	प्रतापगढ़	10
39	मिर्जापुर	05
40	सोनभद्र	03
41	संतरविदासनगर (भदोही)	03
42	आगरा	03
43	मथुरा	04
44	मैनपुरी	04
45	फिरोजाबाद	02
46	अलीगढ़	09
47	एटा	04
48	महामायानगर/हाथरस	06
49	काशीरामनगर	शून्य
50	सहारनपुर	05
51	मुजफ्फरगनर	06
52	बस्ती	02
53	सिद्धार्थनगर	02
54	संतकबीरनगर	शून्य
55	फैजाबाद	04
56	अम्बेडकरनगर	05
57	सुल्तानपुर	03
58	बाराबंकी	04
59	छत्रपति साहूजी महराजनगर	शून्य

क्र0सं0	जनपद का नाम	रिक्त पद
60	मेरठ	05
61	बागपत	08
62	बुलन्दशहर	02
63	गाजियाबाद	05
64	गौतमबुद्धनगर	09
65	बरेली	03
66	बदायूं	02
67	पीलीभीत	01
68	शाहजहांपुर	01
69	गोण्डा	01
70	श्रावस्ती	01
71	बलरामपुर	01
72	बहराइच	शून्य

सर्वप्रथम सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर शासनादेश संख्या-20/1/91/का-2-2008, दिनांक 09 जून, 2009 द्वारा पहले सरप्लस स्टाफ से भरे जाने का निर्देश दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के लीलाशाह आदर्श सिन्धी इण्टर कालेज शाहगंज आगरा के प्रबन्धकीय विवाद में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संवैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग की जांच

39-डा0 अनिल चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लीलाशाह आदर्श सिन्धी इण्टर कालेज, शाहगंज, आगरा के प्रबन्धकीय विवाद में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संवैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग की जांच विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 242/रालोद सविस/010, दिनांक 14-7-2010 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा से जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

40-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 26,210 पद व सहायक अध्यापक के 61,938 पद रिक्त हैं। अतः कुल 88,148 पर प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त हैं।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

41-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णशीर्ण भवनों का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

42-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के कितने माध्यमिक विद्यालयों के भवन जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं ? क्या सरकार उक्त भवनों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में कार्यरत श्रीमती नीरजा भार्गव, प्रवक्ता की उनके द्वारा की गई सहायक अध्यापिका की सेवाओं को जोड़ने की मांग

43-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2010 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-56 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती नीरजा भार्गव द्वारा सहायक अध्यापिका के पद पर की गई सेवाओं को जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय ढ़िढुई में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की संचालित कक्षायें

44-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय, ढिढुयी में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना सहित सभी विषयों की शिक्षा दिये जाने हेतु सरकार स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय महाविद्यालय ढ़िढुई प्रतापगढ़ में स्नातक स्तर पर कला संकाय की कक्षायें संचालित हैं। महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की कक्षायें संचालित करने हेतु आधारभूत सुविधाओं यथा पृथक से भवन, प्रयोगशाला इत्यादि निर्मित नहीं हैं।

45-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[दिनांक 14 फरवरी, 2011 के अता0 प्रश्न सं0-184 द्वारा उत्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

46-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डिग्री कालेजों की कमी को देखते हुए क्या सरकार जनपद- प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम, आसपुर देवसरा में डिग्री कालेज स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

ऐसे जनपद जहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं हैं वहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित करना और असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से महाविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करना शासन की वर्तमान नीति है।

जनपद प्रतापगढ़ में 04 राजकीय महाविद्यालय, 07 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 34 अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय पूर्व से ही संचालित हैं।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर कतिपय सलाका की कक्षायें शुरू करने की योजना

47-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा विज्ञान संकाय की कक्षायें शुरू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं, यथा पृथक से भवन, प्रयोगशाला इत्यादि निर्मित नहीं हैं। जिसके कारण विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की कक्षायें प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में कक्षा 5 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन की जानकारी

48-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कक्षा-5 से कक्षा-8 तक की पुस्तकों का पाठ्यक्रम प्रति वर्ष बदल दिया जाता है ? क्या सरकार कक्षा-5 से कक्षा-8 तक के पाठ्यक्रम को स्थायी रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जी नहीं। बदलती हुई शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम एवं तद्नुसार पाठ्यपुस्तकों में संशोधन आवश्यक होता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के गोविन्द बल्लभ पन्त पी0जी0 कालेज प्रतापगंज में श्री विजय कुमार उपाध्याय की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

49-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित श्री आरिफ अनवर हाशमी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता0प्रश्न सं0-56 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रकरण में कब और क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

श्री विजय कुमार उपाध्याय, प्रवक्ता, सैन्य विज्ञान का विनियमितीकरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा वर्ष 1998 में कर दिया गया है। श्री विनोद कुमार उपाध्याय को आशुलिपिक पद पर गठित चयन समिति द्वारा किये गये चयन का अनुमोदन उप शिक्षा निदेशक (पंचम मण्डल), वाराणसी के पत्र दिनांक 22-1-1986 द्वारा कर दिया गया है। श्री विनय कुमार उपाध्याय, पुस्तकालय लिपिक की नियुक्ति का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोविन्द बल्लभ पन्त, पी0जी0 कालेज, प्रतापगंज जौनपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

50-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोविन्द बल्लभ पन्त, पी0जी0 कालेज, प्रतापगंज, जौनपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों/अनियमितताओं की जांच सम्बन्धी उच्च शिक्षा अनुभाग-6 की नोटिस संख्या 326/सत्तर-6-2004 दिनांक 13 फरवरी, 2004 पर उच्च शिक्षा निदेशक की आख्या संस्तुति प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त महाविद्यालय में

विधिक रूप से प्रबन्ध तंत्र कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में साधिकार नियंत्रक नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

रिट याचिका संख्या-10541/1990 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-3-2001 के अनुपालन में अध्यक्ष, संस्थापक मण्डल द्वारा प्रबन्धतंत्र का कार्य किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन/मानदेय का भुगतान कराये जाने की मांग

51-श्री चौधरी रविन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर सहित प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 वर्ष 2008 (विशेष चयन) के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कितने अध्यापक/अध्यापिकाएं अभी तक वेतन पाने से वंचित हैं एवं कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें प्रशिक्षण अवधि का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है ? क्या सरकार उनके समस्त देयकों का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विशिष्ट बी0टी0सी0 वर्ष 2008 विशेष चयन में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अभी तक कुल 404 अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसमें से 277 अध्यापक/अध्यापिकाओं का नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है। 127 अध्यापक/अध्यापिकाओं का वेतन का भुगतान उनके शैक्षिक/प्रशैक्षिक अंकपत्रों एवं प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अभाव में नहीं किया जा सका है। सत्यापन के उपरान्त उनका भी वेतन भुगतान कर दिया जायेगा। विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 विशेष चयन में चयनित 423 अभ्यर्थियों में से 401 अभ्यर्थियों को उनके प्रशिक्षण अवधि (6 माह) के मानदेय की धनराशि उनके बैंकों के खातों में स्थानान्तरित किया जा चुका है। 17 अभ्यर्थियों द्वारा खाता संख्या न उपलब्ध कराये जाने के कारण उनके मानदेय की धनराशि नहीं स्थानान्तरित की जा सकी। खाता संख्या प्राप्त होते ही की जा सकी। खाता संख्या प्राप्त होते ही मानदेय की धनराशि स्थानान्तरित कर दी जायेगी। 05 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं है।

प्रदेश में मिनरल वाटर के कारखानें एवं इसमें प्रदूषित पेयजल की आपूर्ति को रोकने सम्बन्धी जानकारी

52-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल हेतु बाजारों में विभिन्न कम्पनियों द्वारा मिनरल वाटर खुले आम बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो मिनरल वाटर बनाने हेतु सरकार द्वारा किन-किन कम्पनियों को मान्यता प्रदान की गई है और इन कम्पनियों की मिनरल वाटर बनाने की प्रयोगशाला/कारखाने कहां- कहां और किन-किन जिलों में है ? क्या यह सही है कि मिनरल वाटर के

नाम पर बोतलों में प्रदूषित पेयजल बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

राज्य सरकार द्वारा किसी को भी मिनरल वाटर बनाने हेतु मान्यता नहीं प्रदान की गई है, न ही प्रदेश में मिनरल वाटर बनाने की कोई इकाई स्थापित है। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर में अपमिश्रण की रोकथाम हेतु खाद्य निरीक्षकों/विशेष जांच दल के माध्यम से सघन प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए दिनांक 01-04-2010 से 31-12-2010 तक की अवधि में ही पैकेज्ड वाटर के 50 नमूने संग्रहीत किये गये। विश्लेषण के फलस्वरूप 09 नमूने अपमिश्रित तथा 18 नमूने मिथ्याछाप पाये गये। मौके पर दोषी पाये गये 06 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272/273 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 की धारा 7/16 के अन्तर्गत 17 वाद सक्षम न्यायालयों में योजित किये गये। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु भारतीय दण्ड संहिता एवं खाद अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 व तत्संबंधी नियमावली, 1955 में व्यापक प्राविधान पूर्व से ही है। उक्त अधिनियम की धारा 16 में आर्थिक दण्ड से आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है।

जनपद वाराणसी के माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यलय में विद्यालयों की मान्यता देने के विचाराधीन प्रकरणों की जानकारी

53-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के विद्यालयों में मान्यता देने के कुल कितने प्रकरण किन-किन जनपदों में विचाराधीन है ? सरकार द्वारा विचाराधीन प्रकरणों को कब तक मान्यता दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी के विभिन्न जनपदों के कुल 680 विचाराधीन प्रकरणों का विवरण निम्नवत् है :-

1-फैजाबाद	42
2-सुल्तानपुर	30
3-बाराबंकी	14
4-अम्बेडकरनगर	20
5-गोण्डा	38
6-बलरामपुर	15
7-बहराइच	15
8-श्रावस्ती	12

9-बस्ती	12
10-सिद्धार्थनगर	09
11-संतकबीरनगर	12
12-गोरखपुर	34
13-महराजगंज	21
14-देवरिया	35
15-कुशीनगर	21
16-आजमगढ़	50
17-मऊ	32
18-बलिया	63
19-वाराणसी	30
20-चन्दौली	16
21-गाजीपुर	60
22-जौनपुर	39
23-मीरजापुर	15
24-सोनभद्र	19
25-संत रविदासनगर	26

निस्तारण की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोले जाने की मांग

54-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोले जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में छठे वेतन के एरियर का भुगतान सेवानिवृत्त शिक्षकों को कराये जाने की मांग

55-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सेवानिवृत्त शिक्षकों को छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद-जौनपुर के सेवानिवृत्त शिक्षकों को विगत 5 माह से

पेंशन आदि का भुगतान भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो समस्त देयों का भुगतान उन्हें कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

आंशिक भुगतान किया गया है।

यथाशीघ्र।

जनपद जौनपुर में छठें वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात् पुनरीक्षित पेंशन निर्धारण कर माह-मार्च, 2010 से नियमित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

56-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

[1ले शुक्रवार के अता0प्रश्न संख्या-112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में संचालित हिन्दी माध्यम के कालेजों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की सुविधा

57-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 बोर्ड द्वारा संचालित हिन्दी माध्यम के कालेज में अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या इस हेतु अंग्रेजी माध्यम में दक्ष शिक्षकों की नियुक्ति अलग से की जायेगी तथा विद्यालयों में इसके लिये आवश्यक संसाधन और सुविधायें भी प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-8 में संशोधन कर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

जी नहीं। विद्यालयों के प्रबन्धतंत्रों द्वारा अपने स्रोतों से व्यवस्था की जायेगी।

उक्तवत्।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों की निजी शिक्षण संस्थाओं को भी बी0टी0सी0 व एन0टी0टी0 के पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय

58-श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं को भी बी0टी0सी0 व नर्सरी टीचर प्रशिक्षण (एन0टी0टी0) के पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के योजनान्तर्गत (एन0टी0टी0) नर्सरी टीचर प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को भी उक्त प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-6-2010 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

शासनादेश दिनांक 18-01-2010 द्वारा प्रदेश के निजी संस्थाओं को बी0टी0सी0/ एन0टी0टी0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

जी हां।

परिषदीय अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अनुसार यह प्रशिक्षण अर्हता नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय कन्या डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

59-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में छात्राओं की अधिक संख्या को देखते हुए क्या सरकार राजकीय कन्या डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

ऐसे जनपद जहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं हैं वहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित करना और असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से महाविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करना शासन की वर्तमान नीति है।

जनपद प्रतापगढ़ में 04 राजकीय महाविद्यालय, 07 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 34 अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय पूर्व से ही संचालित हैं, जिसमें से 07 महिला महाविद्यालय हैं।

जनपद गोण्डा के कतिपय विकास खण्डों में गत वर्षों में निःशुल्क बोरिंग हेतु घटिया किस्म की सामग्री आपूर्ति का कथित प्रकरण

60-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर, छपिया, वजीरगंज में निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में बोरिंग हेतु घटिया किस्म की सामग्री की आपूर्ति होने के कारण अधिकांशतः बोरिंग खराब हो रही हैं ? क्या यह सही है कि जो फर्म काली सूची में रही हैं उन्हीं फर्मों की सामग्री आपूर्ति कराई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवधि में आपूर्ति की गई सामग्री की तकनीकी जांच एवं इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं है कि विकास खण्ड-मनकापुर, छपिया एवं वजीरगंज में निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10, 2010-11 में बोरिंग हेतु घटिया किस्म के सामग्री होने के कारण अधिकांशतः बोरिंग खराब हो रही है।

जी नहीं। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10, 2010-11 में काली सूची में डाली गई फर्मों/डीलर से कोई आपूर्ति नहीं कराई गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में गत वर्षों में पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों द्वारा रक्तदान की जानकारी

61-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में प्रदेश के पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को रक्त दान हेतु प्रेरित करने के फलस्वरूप उक्त वर्षों में वाराणसी सहित अन्य जनपदों में ब्लड बैंकों में कितने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों द्वारा कितने यूनिट रक्तदान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश के पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को रक्तदान हेतु प्रेरित करने के फलस्वरूप वाराणसी सहित 54 जनपदों में स्थापित ब्लड बैंकों में वर्षवार किये गये रक्तदान की सूचना निम्नवत् है :-

वर्ष	**यूनिट**
2007-08	103
2008-09	143
2009-10	338
2010-11	102

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 तथा मण्डलीय अस्पतालों में मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति करने पर विचार

62-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 तथा मण्डलीय अस्पतालों में आवश्यकतानुसार चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी कमी है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि हजारों चिकित्सक तैनाती के बाद से ही गायब हैं और अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे चिकित्सकों को

चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सभी स्तरों पर मानक के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों को चिन्हित कर शासनादेश दिनांक 03-05-2010 द्वारा 1052 चिकित्साधिकारियों की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं तथा उक्त रिक्तियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। मानक के अनुसार पद सृजित हैं। नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है, जो एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत पट्टी में गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिये कार्य योजना

63-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत पट्टी में गिरते हुए भू-जल स्तर को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जनपद प्रतापगढ़ की नगर पंचायत पट्टी में 10 से0मी0 से 20 से0मी0 परिलक्षित हो रही है। यह गिरावट भू-जल के दोहन एवं विगत वर्षों में वर्षा में कमी के कारण उनके क्षेत्रीय वितरण में अनिश्चितता के कारण परिलक्षित हो रही है।

नगर पंचायत पट्टी में गिरते हुए भू-जल स्तर को रोकने के लिये विशेष रूप से कोई योजना नहीं बनाई गई है। अपितु प्रदेश में गिरते हुए भू-जल स्तर की रोकथाम के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भू-जल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

(अ) प्रदेश के 40 जनपदों के 138 संकटग्रस्त विकास खण्डों, जिनमें अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमीक्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत विकास खण्ड सम्मिलित हैं, में शासनादेश दिनांक 9-6-2009 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विकास खण्डों में गिरते भू-जल स्तर की समस्या के निदान व उन्हें सुरक्षित श्रेणी में लाने हेतु तीन से पांच वर्षीय वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ रिचार्ज की परियोजनायें क्रियान्वित की जानी प्रारम्भ की गई है।

(ब) सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गई हैं :-

1-नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भूगर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनमें अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण संबंधी एवं चेकडेम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी, इनसीतू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(10) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडेम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(11) उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण किया जा रहा है।

(12) भूगर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भूगर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में मान्यता/लम्बित प्रकरण

64-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता के लिये कितने आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालयों में या प्रदेश स्तर पर डी0आई0ओ0एस0 से संस्तुत/अग्रसारित होकर पिछड़े डेढ़ वर्ष से लम्बित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जो विद्यालय सरकारी जमीन पर 99 साल या तीस साल के पट्टे पर जमीन लेकर बनाये गये हैं, उनको मान्यता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

कुल 1231 प्रकरण लम्बित है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् विनियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध कार्य का विवरण

65-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्ष 2009-2010 तथा 2010-11 में पूर्ण हुए शोध कार्यों तथा शेष जारी शोध कार्यों का विवरण क्या है ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्ष 2009-2010 में पूर्ण हुए शोध कार्य 118 व शेष जारी शोध कार्य 174 हैं तथा वर्ष 2010-11 में पूर्ण हुए शोध कार्य 116 व शेष जारी शोध कार्य 94 हैं।

प्रदेश के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के बैठने हेतु विद्यालय विकास अनुदान का प्राविधान

66-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में शिक्षारत छात्र/छात्रायें जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को कुर्सी, डेस्क उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं। प्रत्येक वर्ष प्राथमिक विद्यालय हेतु रु0 5000/-की धनराशि तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु रु0 7000/-की धनराशि विद्यालय विकास अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाती है, जिसमें बच्चों के बैठने के लिये प्लास्टिक की चटाइयां क्रय किये जाने का प्रावधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विद्यालय विकास अनुदान की धनराशि दी जाती है जिससे बच्चों के बैठने के लिये प्लास्टिक की चटाइयां क्रय करने के निर्देश हैं। बच्चों को कुर्सी, डेस्क आदि उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में बजट स्वीकृत नहीं है।

जनपद गोरखपुर में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

67-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्यालय कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

उक्त कार्यालय हेतु न्यूनतम आवश्यकतानुसार पदों का सृजन सन्निरीक्षा भवन सहित अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति

68-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक व अन्य स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जनपद बागपत में 71 पदों के सापेक्ष 70 चिकित्सक कार्यरत हैं। फार्मासिस्ट के रिक्त-766 पदों हेतु घोषित परीक्षाफल का प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। प्रयोगशाला प्राविधिक के 542 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है, 119 पदों हेतु विज्ञापन कराया गया है। एक्सरे टेक्नीशियन के 79 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा 13 पदों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। फिजियोथिरेपिस्ट तथा ई0सी0जी0 टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत स्थित दाहा के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में शिक्षकों की संख्या एवं रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

69-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत स्थित दाहा के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में शिक्षकों के कुल कितने पद सृजित हैं ? उनके सापेक्ष कितने शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनपद बागपत स्थित दाहा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज में सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनक्रम के 16 पद तथा प्रवक्ता वेतनक्रम के 06 पद सृजित हैं। इस प्रकार कुल 22 पद सृजित हैं।

वर्तमान में उक्त विद्यालय में एल0टी0 वेतनक्रम में 12 शिक्षिकाएं तथा 04 प्रवक्ता कार्यरत है।

जी हां।

एल0टी0 ग्रेड के रिक्त 04 पदों को भरे जाने हेतु सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ द्वारा विज्ञापन किया जा चुका है, जिसे शीघ्र ही भर दिया जायेगा।

प्रवक्ता वेतनक्रम के रिक्त 02 पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो रहे हैं, जिन्हें नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही निदेशालय स्तर से की जा रही है। शीघ्र ही इन रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तम्बाकू, गुटखा पान मसाला से होने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु उपाय

70-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला से होने वाली घातक बीमारियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार प्रदेश में इनकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

तम्बाकू, गुटखा पान मसाला का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होने की स्थिति में उनकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम-1954 की धारा-23 (1ए) (एफ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के शक्तिनगर पैराडाइज पब्लिक स्कूल को मान्यता दिलाये जाने का कथित प्रकरण

71-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैराडाइज पब्लिक स्कूल 628/एस-57, शक्तिनगर, लखनऊ को मानक के अनुसार भवन, फील्ड व अन्य सामग्री न होने के बावजूद भी यू0पी0 बोर्ड द्वारा हाई स्कूल की मान्यता दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर के विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत एवं अध्यापकों को नियुक्ति किये जाने की मांग

72-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में कुल कितने प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल हैं तथा इनमें से कितने विद्यालयों के भवन जर्जर हो गये हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक तैनात नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण/मरम्मत एवं मानक के अनुसार अध्यापक तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बलरामपुर में 1275 प्राथमिक विद्यालयों एवं 643 उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं। 93 प्राथमिक विद्यालयों एवं 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर हालत में थे, जिनके स्थान पर अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण कराकर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है।

जी हां।

जर्जर भवनों में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराकर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। वर्तमान में 208 अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही जनपद स्तर पर गतिमान है। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर 165 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति भी प्रशिक्षणोपरान्त नियमानुसार कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला मुख्यालय अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों को दूसरे क्षेत्रों में भेजने का प्राविधान

73-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुख्यालय अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों को जिला अस्पताल में वर्किंग-डे पर दूसरे क्षेत्रों में भेजने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी नहीं।

जनहित को दृष्टिगत रखते हुए।

जनपद बुलन्दशहर के राजकीय महिला अस्पताल में बेड़ों को बढ़ाये जाने की मांग

74-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर के राजकीय महिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के सापेक्ष बेडों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जिला महिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में कुल 60 शैय्या स्वीकृत/क्रियाशील है। भर्ती मरीजों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप प्रश्नगत चिकित्सालय में 30 अतिरिक्त शैय्याएं बढ़ा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में रक्त के मूल्य का निर्धारण

75-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में एक बोतल रक्त का मूल्य 50 रु0 से बढ़ाकर 850/-रु0 कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सोसाइटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश सं0-438/पांच-1-08, दिनांक 18-4-2008 के द्वारा उक्त मूल्य निर्धारित किया गया है।

जनपद लखीमपुर के सभी डिग्री कालेजों को लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने की मांग

76-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से मण्डल के सभी जिलों के महाविद्यालय सम्बद्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनपद-लखीमपुर के सभी डिग्री कालेजों को लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों के वर्तमान क्षेत्राधिकार में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में सिन्थेटिक दूध एवं दूसरे निर्मित उत्पादों की रोक थाम के लिये बनाई गई कार्ययोजना

77-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिन्थेटिक दूध व इससे निर्मित अन्य उत्पाद जैसे मिठाई, पनीर, खोया, मावा आदि बाजार में खुले आम बेचे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विशेष जांच दल/खाद्य निरीक्षक के माध्यम से सघन प्रवर्तन की कार्यवाही कराते हुए संदेह के आधार पर मौके पर निर्माता/विक्रेता के

विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272/273 के अधीन प्रथम सूचना रिपार्ट दर्ज कराई जाती है तथा नमूने संग्रहीत कराकर नमूनों का विश्लेषण राजकीय/क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में कराया जाता है अपमिश्रित पाये गये नमूनों के लिये खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7/16 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद योजित कराये जाने की कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम की धारा 16 में आर्थिक दण्ड से आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है।

दिनांक 01-04-2010 से 31-01-2011 की अवधि में रु0 96,34,560/-मूल्य के दुग्ध एवं दुग्ध से निर्मित पदार्थों/मिठाई में अपमिश्रण के मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272/273 के अन्तर्गत 161 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें 261 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाते हुए 201 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया। आम जनता को खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति जागरूक करने हेतु विभाग द्वारा ''एफ0डी0ए0 आपके द्वार'' कार्यक्रम का संचालन किया गया है, जिसमें घर-घर जाकर दूध व अन्य पदार्थो की जांच की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति

78-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में स्वीकृत पदों के अनुरुप अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्ति के सापेक्ष शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण स्वीकृत पदों के अनुरूप अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

जनपद मुजफ्फरनगर जौली रोड स्थित ग्रामों में नेत्र परीक्षण कराये जाने विषयक पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराये जाने की मांग

79-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 101/रालोद/वि0म0द0/वि0स0/2010, दिनांक 01-02-10 जो भोपा रोड, मुजफ्फरनगर एवं जौली रोड, मुजफ्फरनगर के आस पास स्थित ग्रामों में नेत्र रोग से पीड़ित लोगों के नेत्र परीक्षण कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-101/रालोद/वि0म0द0/वि0स0/2010, दिनांक 01-02-10 उनको प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु दिनांक 01-02-10 से अब तक जनपद-मुजफ्फरनगर में अन्य ग्रामों के साथ-साथ भोपा रोड, मुजफ्फरनगर एवं जौभी रोड मुजफ्फरनगर के आस-पास स्थित 27 ग्रामों में समय-समय पर कैम्प का आयोजन कर नेत्र रोग से पीड़ित 375 लोगों का नेत्र परीक्षण कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों पर कथित मशीनें उपलब्ध कराये जाने की मांग

80-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मोरना के स्वास्थ्य केन्द्रों पर वेण्टीलेटर, मोबाईल वेन्टीलेटर, कैट स्कैन, एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर उक्त उपकरण/मशीनें स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपकरणों की उपलब्धता से सम्बन्धित मानकों में वेन्टीलेटर, मोबाईल वेन्टीलेटर, सी0 टी0 स्केन तथा एम0 आर0 आई0 सम्मिलित नहीं है इस कारण इन उपकरणों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी में यू0 पी0 हेल्थ प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत व्यय की धनराशि एवं कार्यों का विवरण

81-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 हेल्थ प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी में कितना धन विगत पांच वर्षों में व्यय किया गया है तथा उससे कौन-कौन से कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

विगत पांच वर्षों (2004-05 से 2008-09) में जनपद लखीमपुर खीरी में यू0 पी0 हेल्थ प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत रु0 735.35 लाख का व्यय किया गया है।

इस धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण निमनलिखित हैं :-

1-सिविल निर्माण/अनुरक्षण का कार्य-

- जिला चिकित्सालय (पुरुष) लखीमपुर खीरी के सुधार एवं विस्तार का कार्य वर्ष 2005 में पूर्ण हुआ, जिस पर रु0 154.45 लाख व्यय हुआ।
- जिला चिकित्सालय (महिला) के सुधार एवं विस्तार का कार्य कराया गया जिस पर रु0 131.61 लाख का व्यय हुआ।
- ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पसगवां में सुधार एवं विस्तार का कार्य कराया गया, जिस पर रु0 19.79 लाख का व्यय हुआ।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलियाकला के सुधार एवं विस्तार का कार्य कराया गया जिस पर रु0 65.25 लाख का व्यय हुआ।
- जिला चिकित्सालय (पुरुष) में बरामदा निर्माण का कार्य कराया गया, जिस पर रु0 8.29 लाख का व्यय हुआ।
- जिला चिकित्सालय पुरुष/महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पलिया कलां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंसगवा के चिकित्सालयों में भवन अनुरक्षण में रु0 13.07 लाख का व्यय हुआ।
- एम्बुलेन्स गैराज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोला, मोहम्मदी, पलिया, निघासन में पूर्ण कराया गया, जिस पर रु0 5.80 लाख का व्यय हुआ।
- जिला चिकित्सालय पुरुष/महिला, मोहम्मदी/गोला/निघासन/पलिया/पंसगवा में वेस्ट स्टोरेज रूम का निर्माण कराया गया, जिस पर 9.97 लाख का व्यय हुआ।

2-उपकरण/फर्नीचर उपार्जन-

- जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु चिकित्सीय उपकरण के उपार्जन में कुल रु0 82.93 लाख का व्यय हुआ।
- जिला चिकित्सालयों हेतु फर्नीचर के उपार्जन में कुल रु0 10.02 लाख का व्यय हुआ।

3-सुरक्षा व्यवस्था-

- जिला चिकित्सालयों हेतु सुरक्षा व्यवस्था पर कुल रु0 5.13 लाख व्यय किया गया।

4-औषधि उपार्जन-

* जनपद लखीमपुर हेतु 15.10 लाख जिला स्तर से तथा रु0 33.40 लाख भारत सरकार के उपक्रम एच0एस0सी0सी0 के माध्यम से कुल रु0 48.50 लाख की औषधियां क्रय की गयी।

5-प्रशिक्षण-

* परियोजना के अन्तर्गत इकाईयों में कार्यरत चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिलाया गया, जिस पर रु0 2.46 लाख का व्यय हुआ।

6-स्वयं सेवी संस्थायें (एन0जी0ओ0)-

* अभिनव प्रयोग के अन्तर्गत सुदूर-दुर्गम एवं सेवा विहीन क्षेत्रों में सीमित उपचारात्मक एवं रोग नियंत्रक सेवायें प्रदान करने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग हेल्थ पोस्ट के माध्यम से लिया गया, जिस पर रु0 132.77 लाख का व्यय हुआ।

7-चिकित्सीय उपकरण/फर्नीचर मरम्मत-

* जनपद में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलिया में चिकित्सीय उपकरणों तथा फर्नीचर मरम्मत का कार्य कराया गया, जिस पर रु0 12.11 लाख का व्यय हुआ।
* चार एम्बुलेंस की मरम्मत कार्य में रु0 0.24 लाख का व्यय हुआ।

8-कार्यालय संचालन व्यय-

* आपरेशनल व्यय मद में कुल धनराशि रु0 32.96 लाख का व्यय हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में जामियां मिलिया द्वारा संचालित उर्दू मोअल्लिम की डिग्री को बी0टी0सी0 उर्दू के समकक्ष मान्यता दिये जाने की मांग

82-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जामियां मिलिया अलीगढ़ द्वारा संचालित उर्दू मोअल्लिम की डिग्री जो बी0टी0सी0 उर्दू के समकक्ष है, को मान्यता प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जी नहीं।

यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके कारण शासनादेश दिनांक 11-8-1997 द्वारा इसकी समकक्षता समाप्त कर दी गयी है।

प्रदेश में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदानित कराये जाने की मांग

83-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त 1000 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदानित कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

प्रदेश में असेवित विकास खण्डों में अनुदान देकर स्थापित कराये गये इण्टर कालेजों को अनुदान सूची में लिये जाने की मांग

84-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में असेवित विकास खण्डों में सरकार द्वारा अनुदान देकर स्थापित कराये गये इण्टर कालेजों को अनुदान सूची में लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

असेवित योजना के वर्ष 1994 से लागू होने व इस प्रकृति के विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा-7(क) के अन्तर्गत वित्तविहीन मान्यता प्राप्त होने के फलस्वरूप ऐसे विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने की नीति नहीं है।

प्रदेश में दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण की प्रवेश परीक्षा कराये जाने की मांग

85-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण की प्रवेश परीक्षा कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रकरण में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उ0 प्र0 वक्फ विकास निगम में कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

86-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 वक्फ विकास निगम में कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सेवा नियमावली बनी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये पृथक से सेवा नियमावली बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

उ0 प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सेवा नियमावली अभी नहीं बनी है।

निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सेवा नियमावली बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0 एड0 महाविद्यालय के संचालन हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित भवन के मानकों का निर्धारण

87-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0एड0 महाविद्यालय खोलने के लिये शासन में भवन के क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? क्या बी0एड0 महाविद्यालय के भवन के मानक जो एन0सी0टी0ई0 द्वारा तय किये गये हैं उनमें एवं शासन द्वारा तय किये गये मानकों में भारी असमानता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एन0सी0टी0ई0 के द्वारा तय मानकों के समान ही मानक निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

बी0एड0 महाविद्यालय के संचालन हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित भवन के मानकों का ही शासन/विश्वविद्यालयों द्वारा पालन किया जाता है। मानक की प्रति संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 247-248 पर।)

प्रदेश में महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराये जाने का विचाराधीन प्रकरण

88-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा सत्र 2010-11 में महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

89-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद लखीमपुर खीरी के सुश्री मायावती कन्या इन्टर कालेज दाउदपुर को अनुदान सूची में लिये जाने की मांग

90-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असेवित विकास खण्डों में कन्या हाई स्कूल की स्थापना योजनान्तर्गत स्वीकृत सुश्री मायावती कन्या इण्टर कालेज, दाउदपुर, न्याय पंचायत अषाढ़ी वि0खं0 बिजुआ जिला लखीमपुर खीरी को सरकार द्वारा अभी तक अनुदान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को कब तक अनुदान दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 उच्चन्यायालय में इस आशय का पूरक शपथ पत्र भी प्रस्तुत है कि शासन प्रश्नगत प्रस्ताव में विद्यमान कमियों की पूर्ति कराकर विद्यालय स्थापना हेतु योजनान्तर्गत अनुदान स्वीकृति पर विचार करने के लिये सहमत है। अतः मा0 उच्च न्यायालय से आदेश/अनुमति प्राप्त होने पर एवं प्रश्नगत प्रस्ताव में विद्यमान कमियों की पूर्ति होने पर प्रश्नगत विद्यालय की स्थापना हेतु योजनान्तर्गत अनुदान स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के शक्तिनगर स्थित पैराडाइज पब्लिक स्कूल को मान्यता प्रदान किये जाने सम्बन्धी जानकारी

91-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैराडाइज पब्लिक स्कूल आवास सं0-628/एस-57 शक्तिनगर, लखनऊ में प्राइमरी से लेकर इण्टरमीडिएट तक चल रहा है ? यदि हां, तो इस स्कूल को जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल की मान्यता कब-कब दी गयी ? क्या मान्यता की सारी शर्तें उक्त विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा पूर्ण की गयी हैं ? यदि नहीं, तो एक ही भवन में जू0 हा0 स्कूल व हाई स्कूल की मान्यता दिया जाना न्याय संगत है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रश्नगत विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही विद्यालय संचालित होने की सूचना माध्यमिक शिक्षा परिषद् के संज्ञान में है।

प्रश्नगत विद्यालय को परिषद् द्वारा हाईस्कूल की मान्यता नहीं दी गई है। जूनियर हाईस्कूल की मान्यता का विषय बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में खोले जाने की मांग

92-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में खोले जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंग नाथ मिश्र-

गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय संचालित हो जाने के बाद लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। सम्प्रति गोरखपुर में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों/कम्पाउण्डरों की नियमित उपस्थित हेतु व्यवस्था कराये जाने की मांग

93-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर/कम्पाउण्डर समय से नहीं आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इनकी नियमित उपस्थिति हेतु कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर/कम्पाण्डर को समय से उपस्थित होने की व्यवस्था पूर्व से ही है। फिर भी अनुपस्थित होने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। माह अप्रैल से दिसम्बर, 2010 तक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये 22 चिकित्सकों का स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनका वेतन काटा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैबीज इन्जेक्शन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था

94-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अधिकतर प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों में कुत्ता काटने एवं जहरीले जानवरों के काटने के उपचार हेतु रैबीज/इन्जेक्शन उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद लखीमपुर खीरी के अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुत्ता एवं जहरीले जानवरों के काटने के उपचार हेतु रैबीज इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी के सरकारी अस्पतालों में दवाओं पर व्यय धनराशि एवं क्रय की गई दवाओं की जानकारी

95-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सरकारी अस्पतालों पर जुलाई, 2009 से अब तक कितना धन दवाइयों की खरीद पर

खर्च किया गया एवं क्रय की गयी दवाओं में से कितनी दवाइयां जेनरिक नाम से तथा कितनी ब्राण्ड नाम से खरीदी गई हैं ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सरकारी अस्पतालों पर जुलाई, 2009 से 31-01-2011 तक रु0 38,72,928.81 (अड़तीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ अट्ठाइस रुपये इक्कायासी पैसे मात्र) की धनराशि दवाइयों की खरीद पर खर्च किया गया। क्रय की गई दवाओं में से 149 दवाइयां जेनरिक नाम से खरीदी गयी, ब्राण्ड नाम से कोई दवा नहीं खरीदी गयी।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी राजकीय महिला चिकित्सालय में चिकित्सक व अन्य स्टाफ की तैनाती की जानकारी

96-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी राजकीय महिला चिकित्सालय में चिकित्सक/अन्य स्टाफ की तैनाती मानक के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं, क्योंकि शासनादेश संख्या-3080/पांच-6-98-एस0एन0डी0-5/1998, दिनांक 05 सितम्बर, 1998 के अनुसार राजकीय महिला चिकित्सालय, पट्टी, प्रतापगढ़ के पद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पट्टी में समायोजित हो गये हैं।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित सेवाश्रम डिग्री कालेज, ढिढुयी, पट्टी की प्रबन्ध समिति में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को नियुक्त किये जाने की जानकारी

97-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ स्थित सेवाश्रम डिग्री कालेज, ढिढुयी, पट्टी की प्रबन्ध समिति के वर्तमान में प्रबन्धक/अध्यक्ष/सचिव एवं अन्य पदधारक कौन-कौन हैं ? क्या यह सही है कि लगभग एक वर्ष से विधि विरुद्ध प्रबन्ध समिति के बाहर के व्यक्ति उप जिला मजिस्ट्रेट पट्टी को उक्त समिति का सचिव बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रबन्ध समिति के किसी निर्वाचित सदस्य को सचिव पद पर नामित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी-

महाविद्यालय में व्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं के कारण प्रबन्ध समिति को अपवर्जित कर जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया है, जो अद्यतन कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय में व्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं का निराकरण न होने के कारण।

प्रदेश में बी0एड0 एवं अन्य स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु एन0 आर0 आई0 के कोटे के सम्बन्ध में जानकारी

98-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0एड0 एवं अन्य स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु एन0 आर0 आई0 का कोटा कितने प्रतिशत निर्धारित है? वर्तमान सत्र 2010-11 में बी0 एड0 में एन0 आर0 आई0 कोटा में प्रवेश के सापेक्ष सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ? प्रवेश दिये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है ? उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

प्रदेश में बी0एड0 एवं स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु एन0 आर0 आई0 का कोटा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के नेशनल इण्टर कालेज मौदहा के भूतपूर्व प्रधानाचार्य की पेन्शन से सम्बन्धित सभापति स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा की जांच सम्बन्धी समिति का कथित पत्र पर की गई कार्यवाही

99-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रेम नारायण सचान, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, नेशनल इण्टर कालेज मौदहा, हमीरपुर की पेन्शन स्वीकृत करने विषयक सभापति स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा, प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति का पत्र सं0-1502/विस0/स0स0/06-10 दिनांक 08-04-2010 सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

कार्यवाही विचाराधीन है।

उक्तवत्।

जनपद गोण्डा में वर्षवार दवा एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

100-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में दवा एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा करायी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में दवा एवं अन्य सामग्रियों का क्रय नियमानुसार दर अनुबन्ध पर होने के कारण स्थानीय स्तर पर निविदा की आवश्यकता नहीं थी।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

101-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी एवं तहसील पट्टी के किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी एवं तहसील पट्टी के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एलोपैथिक चिकित्सकों का कोई पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वेक्टर (मक्खी-मच्छर) जनित प्रदूषण से फैलने वाले रोगों की रोकथाम के लिये बनायी गई विशेष कार्य योजना की जानकारी

102-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वेक्टर (मक्खी-मच्छर) जनित प्रदूषण से फैलने वाले रोगों की रोकथाम के लिये क्या सरकार द्वारा विशेष कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। कार्य योजना बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया तथा मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

103-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों की चयन प्रक्रिया कब से शुरू की जायेगी ? क्या सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2009 के माध्यम से प्रवक्ता के 723, प्रशिक्षित स्नातक के 5142 पदों का विज्ञापन कर चयन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा पैनल सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे जा चुके है। पुनः विज्ञापन संख्या-01/2010 एवं 02/2010 द्वारा क्रमशः 4038 एवं 802 प्रवक्ता के पदों का विज्ञापन किया जा चुका है। 13 एवं 20 फरवरी, 2011 को एल0टी0 की लिखित परीक्षा सुनिश्चित है, प्रवक्ता की परीक्षा तिथि शीघ्र निश्चित कर दी जायेगी।

उपरोक्त के प्रकाश में जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना का मानक

104-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक एक कि0मी0 पर 300 की आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की शासन की योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद फतेहपुर में उक्त योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद फतेहपुर में मानक के अनुसार 89 ग्राम असेवित हैं, जिनमें नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव वार्षिक कार्य योजना 2011-12 में सम्मिलित किया जा रहा है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम एवं आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग

105-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम एवं आसपुर देवसरा में राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी स्वीकृति पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी हां।

जी नहीं।

ऐसे जनपद जहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं हैं, वहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित करना और असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तन्त्रों के माध्यम से महाविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना शासन की वर्तमान नीति है।

जनपद प्रतापगढ़ में 04 राजकीय महाविद्यालय, 07 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 34 अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय पूर्व से ही संचालित हैं।

जनपद प्रतापगढ़ के सरकारी अस्पतालों में रक्त प्लेटलेट्स करने की मशीन ब्लड सेपरेटर उपलब्ध कराने की मांग

106-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के सरकारी अस्पतालों में रक्त प्लेटलेट्स करने की मशीन ब्लड सेपरेटर उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रथम चरण में प्रदेश के 22 मण्डलीय/जिला चिकित्सालयों में ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिट की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-2610/सेक-5-पांच-10-335/10, दिनांक 10-11-2010 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ में सूखे के कारण घट रहे भू-गर्भ जल स्तर को बढ़ाने हेतु भू-गर्भ जल रिचार्ज की परियोजना

107-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सूखे के कारण भू-गर्भ जल स्तर लगातार गिर रहा है ? क्या घट रहे जल स्तर को बढ़ाने की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-गौरा, कालाकांकर, लक्ष्मणपुर, रामपुर खास, मगरौरा, सडवाचन्द्रिका में 01 से0मी0 से 10 से0मी0 प्रतिवर्ष, विकास-खण्ड-बाबागंज, मन्धाता, सदर पट्टी में 10 से0मी0 से 20 से0मी0 प्रतिवर्ष, विकास खण्ड-आसपुर देवसरा में 20 से0मी0 से 30 से0मी0 प्रतिवर्ष की दर से भू-जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हो रही है। यह गिरावट भू-जल के दोहन एवं विगत वर्षों में वर्षा में कमी के कारण परिलक्षित हो रही है।

प्रदेश में गिरते हुए भू-जल स्तर की रोकथाम के उद्देश्य से सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भू-जल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं।

(अ) प्रदेश के 40 जनपदों के 138 संकटग्रस्त विकास खण्डों, जिनमें अतिदोहित, क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत विकास खण्ड सम्मिलित है, में शासनादेश दिनांक 9-6-2009 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त विकास खण्डों में गिरते भू-जल स्तर की समस्या के निदान व उन्हें सुरक्षित श्रेणी में लाने हेतु तीन से पांच वर्षीय वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज की परियोजनायें क्रियान्वित की जानी प्रारम्भ की गयी है।

(ब) सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है।

(5) पूर्व में निर्मित शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है। भू-गर्भ जल विभाग द्वारा उक्त पद्धति की स्थापना माडल के रूप में की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोज जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण, बंधी एवं चेकडेम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर रिचार्जिंग कार्यों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है।

(10) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी, इनसीतू (आन फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(11) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडेम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(12) उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण किया जा रहा है।

(13) भूगर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भू-गर्भ जल दिवस' शासकीय दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूर्णकालिक अधीक्षकों की तैनाती

108-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अधीक्षक के पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर वरिष्ठ चिकित्सकों को कार्यवाहक अधीक्षक बनाया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अधीक्षक के रिक्त पदों पर पूर्णकालिक तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जी नहीं।

पूर्णकालिक अधीक्षकों की तैनाती कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय डिग्री कालेज मंगरौरा में प्राचार्य सहित अन्य विषय के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

109-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय डिग्री कालेज मंगरौरा में स्थायी प्राचार्य एवं अन्य कतिपय शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राचार्य सहित अन्य विषय के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा प्रतापगढ़ में प्राचार्य का पद दिनांक 11-08-2007 से भरा हुआ है। सांख्यिकी, शिक्षा शास्त्र, भू-गर्भ विज्ञान व शारीरिक शिक्षा विषयों में प्रवक्ता के एक-एक पद रिक्त हैं।

जी हां।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित सेन्ट जोजफ इण्टर कालेज राजाजीपुरम् में सार्वजनिक अवकाश में स्कूल खोले जाने की जांच एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही

110-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित सेन्ट जोजफ इण्टर कालेज, (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) राजाजीपुरम् में राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश में भी स्कूल खोला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कलेंडर वर्ष 2010 में सार्वजनिक अवकाशों में स्कूल खुले रहने की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए भविष्य में अवकाश किये जाने के निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मात्र दो दिन (शबे-बारात दिनांक 27-7-2010 एवं पितृ विसर्जन दिनांक 7-10-2010) त्रुटिवश विद्याालय खोला गया है।

भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न करने के लिये प्रधानाचार्य, सेंट जोजफ इ0 का0 लखनऊ को चेतावनी निर्गत करते हुये प्रेषित अवकाश तालिका के अनुसार ही विद्यालय में अवकाश किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला डाटक्र एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों की मानक के अनुरूप तैनाती की जानकारी

111-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पट्टी प्रतापगढ़ के किन-किन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला डाक्टर एवं अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों की मानक के अनुरूप तैनाती नहीं है ? क्या सरकार मानक के अनुसार तैनाती करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

तहसील पट्टी, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरगढ़, कोहडौर, ढिढुई, मानापुर, पृथ्वीगंज, नरायनपुर एवं मन्दाह पर महिला चिकित्सक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अमरगढ़, कोहडौर, ढिढुई, मानापुर, पृथ्वीगंज, नरायनपुर, मन्दाह एवं पट्टी में पैरा-मेडिकल स्टाफ की तैनाती मानक के अनुरूप नहीं है।

जी हां। महिला चिकित्सकों के 510 रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है। आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर उपलब्ध चिकित्सकों में से आवश्यकतानुसार तैनाती की जायेगी।

फार्मासिस्ट के रिक्त 766 पदों हेतु घोषित परीक्षाफल का प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रयोगशाला प्राविधिक के 542 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा 119 पदों हेतु विज्ञापन कराया गया है।

एक्स-रे टेक्नीशियन के 79 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा 13 पदों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

फिजियोथिरेपिस्ट तथा ई0 सी0 जी0 टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 प्रधान मंत्री के आगमन पर उनके भोजन के नमूने की जांच

112-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 03 जुलाई, 2010 को माननीय प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन पर उनके भोजन के नमूने की जांच की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 03-07-2010 को मा0 प्रधानमंत्री जी का आगमन लखनऊ नहीं बल्कि आई0आई0टी0, कानपुर हुआ था। मा0 प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत किये गये खाद्य पदार्थ विशुद्ध एवं मानक के अनुरूप थे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में ब्लड बैंक में मानक के अनुसार समस्त सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

113-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में ब्लड बैंक के 24 घंटे संचालन हेतु ब्लड बैंक में मानक के अनुसार सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुसार सभी सुविधाओं को उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के अन्तर्गत जनपद गोण्डा की सभी विश्लेषित रिपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी

114-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ से नमूनों की रिपोर्ट 40 दिनों के अन्दर जिलों को प्राप्त कराये जाने का प्राविधान है ? क्या जनपद गोण्डा की वर्ष 2008-09 की रिपोर्ट वर्ष 2010 तक नहीं भेजी गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम-7(3) में नमूनों की रिपोर्ट 40 दिनों में प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।

जनपद गोण्डा की वर्ष 2008-09 की सभी विश्लेषित रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के शाहाबाद कस्बा में राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज में मानक के अनुसार शिक्षिकाओं की तैनाती की मांग

115-श्री काशीराम-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के शाहबाद कस्बा में राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज में छात्र संख्या अनुपात में मानक के अनुसार शिक्षिकाएं तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कालेज में मानक के अनुसार शिक्षिकायें तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनपद रामपुर के शाहाबाद कस्बा में स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में छात्र संख्या अनुपात में मानक के अनुसार शिक्षिकायें तैनात नहीं हैं।

जी हां।

एल0टी0 वेतनक्रम के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद द्वारा विज्ञापन किया जा चुका है। अग्रेतर कार्यवाही गतिमान है।

प्रवक्ता वेतनक्रम के शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद से सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो रहे हैं जिन्हें नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही निदेशालय स्तर पर गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर के ग्राम इन्देमऊ में स्थित प्राइमरी पाठशाला की भूमि पर बाउन्ड्रीवाल बनवाये जाने की मांग

116-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम इन्देमऊ, विकास खण्ड-बीघापुर स्थित प्राथमिक पाठशाला की कुल कितनी चौहद्दी है तथा कितनी भूमि पर अवैध रूप

से कब्जा किया गया है ? क्या सरकार अवैध रूप से काबिज भूमि को मुक्त कराते हुए विद्यालय के चारों तरफ बाउन्ड्री वाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

गाटा संख्या-740 पर स्थातिप प्राथमिक विद्यालय इन्देमऊ विकास खण्ड बीघापुर की चौहद्दी 08 बिस्वा (0.101 हेक्टेयर) है। विद्यालय हेतु सुरक्षित भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है।

भूमि मुक्त कराने का प्रश्न नहीं उठता। विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का आगणन तैयार कर लिया गया है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में अंग्रेजी एवं हिन्दी के कतिपय स्कूलों द्वारा वर्दी एवं स्टेशनरी खरीदने को बाध्य किये जाने की जांच

117-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम से चलाये जा रहे कतिपय स्कूलों द्वारा अपने ही कैम्पस में वर्दी (ड्रेस) एवं स्टेशनरी की दुकान लगवाकर अभिभावकों को खरीदने पर बाध्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे स्कूलों की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

लखनऊ जनपद में माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के विद्यालयों में परिसर में ड्रेस एवं स्टेशनरी की दुकान लगाकर अभिभावकों को खरीदने पर बाध्य किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के जिला चिकित्सालय के विभागों में विशेषज्ञों की नियुक्ति कराये जाने की मांग

118-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद के जिला चिकित्सालय में कौन-कौन से विभाग (यूनिट) कार्यरत हैं ? क्या उन विभागों में उनके विशेषज्ञों की नियुक्ति है ? यदि नहीं, तो किन-किन विभागों में विशेषज्ञ तैनात नहीं हैं ? क्या सरकार इन विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

रायबरेली जनपद के जिला चिकित्सालय में कार्डियोलाजी, आर्थोपेडिक्स, ई0एन0टी0, नेत्र, पैथालाजी, रेडियोलाजी, सर्जरी, आपातकालीन, टेली-मेडिसिन, मेडिसिन, बालरोग, एस0टी0डी0, एवं दन्त रोग इकाई विभाग (यूनिट) क्रियाशील है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय उच्चतर माध्यमिक एवं इण्टर कालेजों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती

119-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय उच्चतर माध्यमिक एवं इण्टर कालेजों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि रायबरेली जनपद में कुल कितने राजकीय इण्टर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं ? क्या इन विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जनपद के राजकीय उच्चतर माध्यमिक एवं इण्टर कालेजों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। प्रवक्ता पुरुष एवं महिला संवर्ग में रिक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है। एल0टी0 महिला संवर्ग में सहायक अध्यापिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन किया जा चुका है तथा नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। एल0 टी0 वेतनक्रम पुरुष शाखा के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेशों के कारण अवरुद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली में राजकीय इण्टर कालेज (पुरुष) की संख्या-05, राजकीय बालिका इण्टर कालेज की संख्या-08 तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (बालक एवं बालिका) की संख्या-4 है।

जी नहीं।

प्रवक्ता पुरुष एवं महिला संवर्ग में रिक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है। एल0टी0 महिला संवर्ग में सहायक अध्यापिकओं के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन किया जा चुका है तथा नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। एल0टी0 वेतनक्रम पुरुष शाखा के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेशों के कारण अवरुद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मृतक आश्रित के पदों पर समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ का पत्र

120-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ का पत्र सं0-4फ/ए/20/2010 दिनांक 02-08-2010 जो श्री अभिषेक कुमार झा का पुत्र स्व0 मधुसूदन झा फार्मासिस्ट प्रा0 स्वा0 केन्द्र सकेयू, जनपद-खीरी को मृतक आश्रित के पद पर समायोजित किए जाने के सम्बन्ध में था, निदेशक, पैरामेडिकल चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएं उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त की नियुक्ति मृतक आश्रित के पद पर कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। निदेशक (पैरामेडिकल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

121-श्री प्रदीप माथुर-

[3सरे मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में थाना माधोंटांडा ग्राम में राजकीय कृषि इण्टर कालेज की स्थापना हेतु दान में दी गई जमीन का कथित प्रकरण

122-श्री सुखलाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के थाना माधोटांडा ग्राम में वर्ष 1966 में चकबन्दी के दौरान क्षेत्रीय लोगों ने कृषि इण्टर कालेज खोलने के लिए लगभग 30 एकड़ जमीन दान में दी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर राजकीय कृषि इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत की आख्यानुसार उनके कार्यालय में ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि ऐसी जमीन कभी माध्यमिक शिक्षा विभाग को राजकीय कृषि विद्यालय खोलने हेतु कोई भूमि दी गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

123-श्री राम बिशुन आजाद-

[दिनांक 9-2-2011 के अता0 प्रश्न सं0-137 द्वारा उत्तरित]

जनपद पीलीभीत पशु चिकित्सालय के नजदीक भू-माफियाओं द्वारा संजय रायल पार्क नाम से कालोनी बनाकर कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा किये जाने का कथित प्रकरण

124-श्री रियाज अहमद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-पीलीभीत, पशु चिकित्सालय के नजदीक भू-माफियाओं द्वारा संजय रायल पार्क नाम से कालोनी बनाकर वक्फ (कब्रिस्तान) की भूमि गाटा सं0-45 पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कब्रिस्तान की जमीन को मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

भूमि गाटा संख्या-45 वक्फ अभिलेखों में दर्ज नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कन्नौज में प्राइमरी विद्यालय में एन0जी0ओ0 द्वारा दिये जाने वाले मिड-डे मील भोजन/सामग्री की गुणवत्ता खराब होने की जांच

125-श्री अरविन्द सिंह यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कन्नौज में प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को एन0जी0ओ0 द्वारा दिये जाने वाले मिड-डे मील भोजन/सामग्री की गुणवत्ता खराब होने के कारण बीमारियां फैलती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषियों के खिलाफ जांच कराकर कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित अल्पसंख्यक संस्था के सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन-पत्र

126-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज, पड़रिया तुला खीरी, रफी अहमद उस्मानी कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कफारा, खीरी को प्रदेश में सूचीबद्ध करने हेतु माह नवम्बर, 2010 एवं दि0 8-9-10 को आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं। प्रकरण खलीक अहमद उस्मानी कन्या इण्टर कालेज, पड़रिया तुला खीरी, रफी अहमद उस्मानी कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कफारा, खीरी को उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध करने हेतु दिनांक 23-09-2010 एवं दि0 24-09-10 तथा 26-08-2010 के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

मा0 शिक्षा विभाग उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1929/79-6-2010 दिनांक 01-12-2010 द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा घोषित अल्पसंख्यक संस्था को अल्पसंख्यक संस्था की तरह ट्रीट किये जाने तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर कार्यरत स्टाफ का विवरण एवं महिला चिकित्सक के सम्बन्ध में जानकारी

127-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र मल्लावां, हरदोई में कितने चिकित्सक, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, वार्ड ब्वाय कार्यरत हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई महिला चिकित्सक कार्यरत है ? यदि नहीं, तो केवल स्टाफ नर्स के सहारे अस्पताल के बरामदे में महिलाओं के प्रसव कार्य कराने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार उक्त अस्पताल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद हरदोई के प्रा0 स्वा0 केन्द्र मल्लावां में 02 पुरुष एवं 01 महिला चिकित्सक (संविदा), 01 फार्मासिस्ट, 02 स्टाफ नर्स व 01 वार्ड ब्वाय कार्यरत हैं।

जी हां। 01 महिला चिकित्सक कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-हरदोई के महिला चिकित्सालय, मल्लावां में महिलाओं के प्रसव कार्य पर पाबन्दी

128-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई के महिला चिकित्सालय, मल्लावां में महिला चिकित्साधिकारी होते हुए भी महिलाओं के प्रसव कार्य पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पाबन्दी लगा दी गई है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा अवगत कराया गया है कि महिला चिकित्सालय, मल्लावां के भवन व वार्ड जीर्ण-शीर्ण होने के कारण वहां के प्रसव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां, हरदोई में

कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त आदेश को उनके द्वारा दिनांक 04-10-10 को निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां, हरदोई को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्लावां के साथ-साथ महिला चिकित्सालय, भगवन्तनगर, मल्लावां में भी महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती होने तक सम्पादित होने वाले प्रसव की देख-रेख हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कन्नौज के बाढ़ग्रस्त इलाकों में भयंकर बीमारी फैलने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

129-श्री अरविन्द सिंह यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र, छिबरामऊ जनपद-कन्नौज के बाढ़ग्रस्त इलाकों में भयंकर बीमारी फैलने के कारण कई लोगों की मौतें हुई हैं परन्तु प्रश्नकर्ता द्वारा सी0एम0ओ0, कन्नौज को उक्त स्थिति से अनेकों बार अवगत कराने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी मौके पर निरीक्षण हेतु नहीं गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च्य स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

विधान सभा क्षेत्र, छिबरामऊ जनपद-कन्नौज बाढ़ ग्रस्त नहीं था तथा उक्त क्षेत्र में संक्रामक रोगों से कोई मृत्यु नहीं हुई है।

जनपद के अनेक क्षेत्रों में संक्रामक रोगों की रोकाम हेतु की जा रही कार्यवाही का पर्यवेक्षण/भ्रमण मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज द्वारा दिनांक 17-08-10, 03-09-10, 10-09-10, 02-10-10 एवं 16-10-10 को किया गया है। उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त के साथ भी मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज द्वारा समय-समय पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का सघन भ्रमण करते हुए संक्रामक रोग से बचाव हेतु प्रभावी कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

130-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

[1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के आलमबाग चन्दर नगर में बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

131-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय (सिविल अस्पताल), लखनऊ द्वारा आलमबाग के चन्दरनगर में संचालित शाखा में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में आकस्मिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण लोगों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय (सिविल अस्पताल), लखनऊ द्वारा आलमबाग के चन्दरनगर में कोई शाखा संचालित नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के अधीन आलमबाग के चन्दरनगर में बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह चन्दरनगर संचालित है, जिसमें सामान्य प्रसव/सीजेरियन, नियमित टीकाकरण एवं पल्स पोलियों कार्यक्रम आदि संचालित किये जाते हैं।

जी नहीं। उक्त चिकित्सालय में 24 घण्टे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ में निर्माणाधीन पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर डाक्टरों की तैनाती की जानकारी

132-श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ में नवनिर्मित पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर डाक्टरों की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक तैनाती कर दी जायेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जनपद-आजमगढ़ में नवनिर्मित पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 का भवन निर्माणाधीन है और अभी हस्तगत नहीं हुआ है और न ही स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त कार्यवही पूर्ण होने पर चिकित्सकों की तैनाती कर दी जायेगी।

जनपद-झांसी के विकास खण्ड, गरौठा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण की जानकारी

133-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विकास खण्ड, गरौठा में वर्ष 2007 से दि0 31-10-2010 तक कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य कराया गया एवं कितने प्रस्तावित हैं ? प्रस्तावित स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

गरौठा तहसील स्तरीय स्थान है, जिसमें बामौर एवं गुरसराय विकासखण्ड आते हैं। प्रश्नगत अवधि में उक्त प्रत्येक विकासखण्ड में दो-दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कराया गया है तथा एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण नहीं कराया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के विकास खण्ड गरौठा में प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवाये जाने की मांग

134-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विकास खण्ड गरौठा में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प न होने के कारण विद्यार्थियों को पानी पीने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्ड के सभी प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में स्थित सभी प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प स्थापित है। अतः छात्रों के पानी पीने में कोई असुविधा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के गांवों में मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

135-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त जनपद में मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद-झांसी में मानक के अनुसार 39 ग्राम/मजरे असेवित हैं, जिनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2011-12 में प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु रखा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के प्राथमिक विद्यालय धमनौड़ ब्लाक बामौर में बच्चों के आने-जाने की सुविधा हेतु रास्ता बनवाये जाने की मांग

136-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय धमनौड़ ब्लाक बामौर, जनपद-झांसी में बरसात के मौसम में स्कूल के चारों तरफ पानी भर जाने के कारण बच्चों को आने-जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बच्चों के आने-जाने की सुविधा हेतु रास्ता बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उर्दू मोल्लिम डिग्री धारकों को उर्दू अध्यापक के पद पर नियुक्ति की जानकारी

137-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्दू मोल्लिम डिग्री धारकों को पूर्व की भांति बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में उर्दू अध्यापक के पद पर नियुक्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्धाता प्राप्त नहीं है। शासनादेश दिनांक 11-8-1997 द्वारा इसकी समकक्षता समाप्त कर दी गई है।

जनपद-शाहजहांपुर में पं0 राम प्रसाद बिस्मिल संयुक्त जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन व एम0आर0आई0 मशीन लगवाने की मांग

138-श्री राजेश यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में पं0 राम प्रसाद बिस्मिल संयुक्त जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन व एम0आर0आई0 मशीन न होने के कारण मरीजों को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिला चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन व एम0आर0आई0 मशीनें लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

यह उपकरण/मशीनें अति विषिष्ट श्रेणी में आती हैं, इसलिए जिला अस्पताल के मानकों में सम्प्रति सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड में साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने की कार्य योजना

139-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत वर्तमान में क्या है ? क्या बुन्देलखण्ड में साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के लिये सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत सम्मिलित जनपदों का वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर साक्षरता प्रतिशत निम्नवत है:-जालौन-64.50, झांसी-65.50, ललितपुर-49.50, हमीरपुर-57.40, महोबा-53.30, बांदा-54.40 एवं चित्रकूट-65.00 प्रतिशत।

प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के लिए 154 वय वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से साक्षर भारत मिशन-2012 की कार्य योजना तैयार की गयी है, जिसमें बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों को सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जानकारी

140-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत कितने प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय संचालित हैं ? क्या उक्त विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद-झांसी की विधान सभा गरौठा के अन्तर्गत कुल 323 प्राथमिक एवं 163 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत की मांग

141-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के कितने प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर हालत में हैं ? क्या सरकार जर्जर भवनों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में कुल 11 विद्यालय भवन जर्जर हालत में हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सकों के स्वीकृत पद

142-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं ? क्या सरकार

द्वारा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष में महिला चिकित्सक की तैनाती कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

विधान सभा क्षेत्र गरौठा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोठ एवं गुरसराय स्थापित है तथा इन केन्द्रों पर एक-एक महिला चिकित्सक के पद स्वीकृत है।

जी नहीं।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में महिला चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है। रिक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है।

मा0 आयोग की संस्तुति प्राप्त होने पर समानुपातिक रूप से उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है। यह एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं स्टाफ की नियुक्ति की मांग

143-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी के कारण अस्पतालों का कार्य प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों/स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं। प्रदेश में यद्यपि चिकित्सकों एवं स्टाफ की कमी है परन्तु उपलब्ध चिकित्सकों/स्टाफ से जनपद झासी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के चिकित्सकों का कार्य संचालित किया जा रहा है।

चिकित्सकों की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है तद्नुसार सेवानिवृत्त आदि कारणों से रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजकर प्राप्त संस्तुतियों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है। वर्ष 2010 में आयोग से प्राप्त संस्तुतियों पर कुल 2160 चिकित्सकों की नियुक्ति आवश्यकता के सापेक्ष उपलब्धता के आधार पर की गई है।

फार्मासिस्टों के रिक्त 766 पदों हेतु घोषित परीक्षाफल का प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। प्रयोगशाला प्राविधिक के 542 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। 119 पदों हेतु विज्ञापन कराया गया है। एक्सरे टेक्नीशियन के 79 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है तथा 13 पदों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। फिजियोथिरेपिस्ट तथा ई0सी0जी0 टेक्नीशियन के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग द्वारा एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति फील्ड में किये जाने की मांग

144-श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद हेतु विशेष चयन के अन्तर्गत चयनित 29 पदों जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 पद व अनुसूचित जाति के 2 पदों की चयन सूची शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति फील्ड में की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त नर्सिंग, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग

145-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से नर्सिंग, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन की शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरी दिये जाने हेतु नियुक्ति का प्राविधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों द्वारा अत्यधिक शुल्क वृद्धि पर अंकुश लगाने की मांग

146-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों द्वारा अत्यधिक शुल्क वृद्धि की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर अंकुश लगाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद झांसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों और स्टाफ की तैनाती की मांग

147-श्री दीप नारायण सिंह दीपक यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोंठ, गुरसराय, समथर, सरच एवं गरौठा में कुल कितने पद डाक्टरों व स्टाफ के स्वीकृत हैं और स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने डाक्टर एवं स्टाफ तैनात हैं ? क्या सरकार स्वीकृत पदों के सापेक्ष उक्त केन्द्रों पर डाक्टरों एवं स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद झांसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मोठ एवं गुरसराय में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समथर, गरौठा एवं सरच में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों पर स्थिति निम्नवत् है :-

सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्र का नाम	चिकित्सक		अन्य स्टाफ	
	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
मोठ	09	03	16	14
गुरसराय	09	03	09	06
समथर	04	02	08	08
गरौठा	03	01	04	03
सरच	02	02	03	03

जी हां। चिकित्सकों के रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर प्रदेश में रिक्त पदों के सापेक्ष जनपद झांसी के रिक्त पदों पर तैनाती कर दी जायेगी। अन्य पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रचलित है। चयनोपरान्त रिक्त पदों पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर-खीरी के पलिया चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की तैनाती की मांग

148-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर-खीरी के पलिया चिकित्सालय में वर्तमान में महिला चिकित्सक तैनात नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद लखीमपुर-खीरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलिया चिकित्सालय में डा0 आशा गुप्ता, वरिष्ठ परामर्शदाता वर्तमान समय में तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक एवं हाई स्कूलों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों एवं उन पर भर्ती की कार्यवाही

149-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के किन-किन सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक एवं हाई स्कूलों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनपद प्रतापगढ़ के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 29, प्रधानाध्यापक के 19, प्रवक्ता के 43 एवं सहायक अध्यापक (एल0टी0) के 73 कुल 164 पद रिक्त हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद से चयन की कार्यवाही की जा रही है। यथाशीघ्र नियुक्ति की कार्यवाही कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी मुख्यालय पर स्थित बन्द महिला अस्पताल को संचालित करने की मांग

150-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के पट्टी मुख्यालय पर स्थित बन्द महिला अस्पताल को संचालित करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित/क्रियाशील किया जा चुका है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अंग्रेजी माध्यम की मान्यता वाले विद्यालयों को 650 स्क्वायर मीटर जमीन पर निर्माण करने की जानकारी

151-श्री उदयभान करवरिया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अंग्रेजी माध्यम की मान्यता वाले विद्यालयों के लिए मात्र 650 स्क्वायर मीटर जमीन का मानक रखा गया है ? क्या यह सही है कि इतनी ही जमीन पर कक्षों के निर्माण हेतु नक्शा पास करने का कोई शासनादेश पारित किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा ऐसे विद्यालयों के निर्माण के नक्शे के मानक में कोई छूट दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां, नगर क्षेत्र हेतु 650 वर्ग मीटर जमीन का मानक रखा गया है।

जी नहीं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था के साथ भवन निर्माण कराये जाने की व्यवस्था विनियम में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत गलत बी0पी0एल0 कार्डधारक छात्राओं की धांधली को रोकने हेतु कार्य योजना

152-श्री उदयभान करवरिया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद जनपद के वि0 खण्ड कोरांव की तरह अन्य जनपदों में भी गलत बी0पी0एल0 कार्ड धारक छात्राओं को इस योजना के लिए सत्यापित करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? क्या सरकार इस प्रकार की धांधली को रोकने हेतु कोई कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों के साथ संलग्न बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्डों को जिलाधिकारी द्वारा जनपद के खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसील को भेज कर सत्यापन कराया जाता है। खण्ड विकास अधिकारी/तहसील से प्राप्त आख्या के आधार पर पात्र छात्राओं का चयन करते हुए उन्हें लाभान्वित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को मानक के अनुसार भवन निर्मित किये जाने की व्यवस्था

153-श्री उदयभान करवरिया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल तथा इण्टर मीडिएट के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को मान्यता देना प्रारम्भ किया है ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालय हेतु कितनी जमीन की आवश्यकता होगी ? क्या नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा मानक के अनुसार कक्ष निर्माण हेतु नक्शा पास किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

नगर क्षेत्र हेतु 650 वर्गमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 2000 वर्ग मीटर भूमि आवश्यक है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के सुरक्षा मानकों एवं अग्निशमन सुरक्षा मानक के साथ भवन निर्मित किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद में राजकीय इण्टर कालेज रामपुर मथुरा, बासुरा, राजकीय कन्या इण्टर कालेज महमूदाबाद में रिक्ति के सापेक्ष नियुक्ति की मांग

154-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद जनपद-सीतापुर में राजकीय इण्टर कालेज रामपुर मथुरा, बासुरा, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, महमूदाबाद में शिक्षकों के अलग-अलग कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों को उक्त विद्यालयों में स्थानान्तरित कर सुचारू रूप से शिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के राजकीय इण्टर कालेज, रामपुर, मथुरा में प्रवक्ता के 06 पद, राजकीय इण्टर कालेज, बासुरा में प्रवक्ता के 03 पद, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, महमूदाबाद में प्रवक्ता के 06 पद तथा एल0टी0 वेतनक्रम के 06 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रवक्ता पुरुष एवं महिला संवर्ग में रिक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है। एल0टी0 वेतनक्रम महिला संवर्ग में सहायक अध्यापिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन किया जा चुका है तथा नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर शीघ्र रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। एल0टी0 वेतनक्रम पुरुष शाखा के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेशों के कारण अवरुद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के सी0एच0सी0 महमूदाबाद व महिला चिकित्सालय, महमूदाबाद में रिक्त पदों पर डाक्टरों एवं अन्य कर्मियों की भर्ती की जानकारी

155-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर के सी0एच0सी0 महमूदाबाद व महिला चिकित्सालय, महमूदाबाद में स्वीकृत डाक्टरों के पद व अन्य कर्मियों के पदों के सापेक्ष तैनाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष डाक्टरों व कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जी हां।

चिकित्सकों के रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर प्रदेश में रिक्त पदों के सापेक्ष जनपद सीतापुर के रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। अन्य पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रचलित है। चयनोपरान्त रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन प्राथमिक जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग

156-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में प्राथमिक व जूनियर स्तर के स्कूलों में कितने शिक्षकों की कमी है ? क्या सरकार शिक्षकों की कमी को देखते हुए वैकल्पिक नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में 201 प्राथमिक विद्यालयों में 325 शिक्षक व 322 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी नहीं है। 81 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 68 शिक्षक कार्यरत हैं, इनमें मानक अनुसार 175 शिक्षक कम हैं। विद्यालयों में निकट के विद्यालयों से शिक्षकों की व्यवस्था कर शिक्षण कराया जा रहा है।

परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की वैकल्पिक नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पदोन्नति से भरे जा सकते हैं। पदोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी ब्लाक मंगरौरा के ग्राम पंचायत पूरब पट्टी के प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त कक्षों के निर्माण में की गई धांधलियों की जांच

157-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी, ब्लाक मंगरौरा की ग्राम पंचायत पूरब पट्टी के प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त कक्षों भूकंप अवरोधी कक्ष, भोजनालय निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग में की गयी अनियमितता व मानक के अनुरूप निर्माण कार्य न कराकर लाखों रुपये का गबन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रश्नगत प्रकरण की तकनीकी जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

03 सदस्यीय समिति से निर्माण कार्य की जांच कराई गई, जिसमें निम्न विवरण के अनुसार धनराशि का दुरुपयोग पाया गया :-

श्री रामसमुझ चतुर्वेदी सहा0 अ0, प्रा0वि0 शाहपुर	रु0 35,340/-

श्री विजय नारायण तिवारी, सहा0अ0, पू0मा0वि0 सरायशंकर	रु0 8,870/-
श्री किरन तिवारी, सहा0अ0प्रा0वि0 सरायशंकर	रु0 18,660/-
श्री रामकिशोर वर्मा, प्रधानाध्यापक, प्रा0वि0 डुहिया	रु0 8,130/-
योग :	**रु0 71,000/-**

जांच के उपरान्त 03 अध्यापकों श्री रामसमुझ चतुर्वेदी, श्री किरन तिवारी तथा श्री राम किशोर वर्मा को निलम्बित किया गया। श्री विजय नारायन तिवारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री किरन तिवारी द्वारा रिकवरी की धनराशि रु0 1860/- दिनांक 07-01-2011 को शासकीय खाते में जमा कर दी गई है। शेष तीनों अध्यापकों से रिकवरी की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

158-श्री मदन चौहान-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम-अहरो की जनता को चिकित्सीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग

159-श्री संजय कपूर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रामपुर की तहसील बिलासपुर के ग्राम अहरो की सी0एच0सी0 से दूरी लगभग 20 कि0मी0 होने के कारण जनता को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम अहरो में पी0एच0सी0 का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अहरो से निकटतम प्राथ0 स्वा0 केन्द्र बेगमाबाद 08 कि0मी0 की दूरी पर है जहां से ग्राम अहरो की जनता का स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है।

प्रदेश के निजी कालेजों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं की बढ़ती फीस को नियंत्रित करने की नीति की जानकारी

160-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी कालेजों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में फीस तय करने का आधार क्या है ? क्या फीस नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध/सहयुक्त अनानुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण का आधार मा0 उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-317/1993, टी0एम0ए0 पाई फाउण्डेशन एवं अन्य बनाम स्टेट आफ कर्नाटक व अन्य में दिनांक 31-10-2002 एवं याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में दिनांक 14-08-2003 को पारित निर्णय में दिये गये व्यापक दिशा-निर्देश पर आधारित है।

जी हां।

मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरिसंदर्भित आदेश के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-2851/ सत्तर-2-2003-16(92)/2003, दिनांक 02 जुलाई, 2003 द्वारा शासन द्वारा निर्गत सभी पूर्वादेशों को अवक्रमित करते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेशित सभी छात्रों को समान रूप से एक शुल्क लिये जाने के आदेश पारित किये गये तथा बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2008-09 हेतु शासनादेश संख्या-3536/ सत्तर-2-2008-16(70)/2005 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 तथा सत्र 2010-11 हेतु शासनादेश संख्या-770/ सत्तर-2-2010-16(70)/2005 टी0सी0 दिनांक 20 अप्रैल, 2010 द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में फीस निर्धारित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की कैंसर/हृदय रोग/किडनी रोगों की निःशुल्क चिकित्सा की मांग

161-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन व्यक्तियों के कैंसर/हृदय रोग/किडनी आदि गम्भीर रोगों के निःशुल्क इलाज करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में राज्य आरोग्य निधि (मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) की स्थापना कार्यालय ज्ञाप संख्या-846/पांच-1-2008-4(51)/06, दिनांक 03-04-2008 द्वारा की जा चुकी है, जिसके द्वारा प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निर्धन व्यक्तियों को गंभीर रोगों कैंसर/हृदय रोग/किडनी आदि के उपचार हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

162-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[1ले शुक्रवार के अता0प्रश्न सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के समस्त पोस्टमार्टम गृहों में चिकित्सकों के ड्यूटी समय को बढ़ाने की मांग

163-श्री सुनील शर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी पोस्टमार्टम गृहों में पोस्टमार्टम के लिए डाक्टर दो बजे अपराह्न के उपरान्त आते हैं, जिससे परिजनों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार डाक्टरों के आने तथा पोस्टमार्टम करने का समय दो बजे अपराह्न के स्थान पर आठ बजे पूर्वाह्न सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्राविधानों के अन्तर्गत पोस्टमार्टम प्राकृतिक प्रकाश में करने का प्राविधान है, जिसका समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्धारित है। चिकित्सकों की ड्यूटी प्रातः 8.00 बजे से अगले दिन 8.00 बजे तक लगाई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी मर्च्युरी को वातानुकूलित करने की मांग

164-श्री सुनील शर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार शवों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने हेतु प्रदेश के सभी मर्च्युरी को वातानुकूलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश के 40 शव विच्छेदन गृहों में शवों को सुरक्षित रखने हेतु रेफ्रिजरेटेड बाक्स स्थापित कर दिये गये हैं। अवशेष शव विच्छेदन गृहों में रेफ्रिजरेटेड बाक्स की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अस्पतालों में रक्त एक्सचेंज का निर्धारित मूल्य

165-श्री सुनील शर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, स्वास्थ्य विभाग के शासनादेश के अनुसार प्रदेश के अस्पतालों में एक यूनिट खून का एक्सचेंज मूल्य रु0 48/-के स्थान पर रु0 850 कर देने से गरीब मरीजों को अपना इलाज करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक्सचेंज मूल्य पूर्व की भांति 48/-रुपये किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

जी नहीं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सोसाइटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश सं0 438/पांच-1-08, दिनांक 18-04-2008 के द्वारा उक्त मूल्य निर्धारित किया गया है।

श्री प्रेम नारायण सचान, पूर्व प्रधानाचार्य नेशनल इण्टर कालेज, मौदहा, हमीरपुर की पेंशन स्वीकृत किये जाने विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

166-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रेम नारायण सचान, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, नेशनल इण्टर कालेज, मौदहा, हमीरपुर की पेंशन स्वीकृत करने विषयक सभापति स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा, प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति का पत्र सं0-1502/वि0स0/स0स0/06-10, दिनांक 8-4-2010 सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

कार्यवाही विचाराधीन है।

उक्तवत्।

बच्चों में रक्त अल्पता रोग को नियंत्रण करने हेतु नीति की मांग

167-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बच्चों में रक्त अल्पता की बढ़ती हुयी बीमारी पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

बच्चों में रक्त अल्पता की बीमारी पर नियंत्रण हेतु स्कूल हेल्थ प्रोग्राम संचालित है, जिसके अन्तर्गत बच्चों में होने वाली बीमारियों तथा रक्ताल्पता आदि का भी निदान किया जाता है, तथा वर्मीसाइडल एवं आयरन की गोलियां उपलब्ध कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विशिष्ट बी0टी0सी0 विशेष/सामान्य चयन, 2008 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को दिये जाने वाले मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

168-श्री सुखलाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में विशिष्ट बी0टी0सी0 विशेष/सामान्य चयन 2008 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि का मानदेय दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि उक्त धनराशि डायट को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद हरदोई में विशिष्ट बी0टी0सी0 विशेष/सामान्य चयन, 2008 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कुल 939 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 704 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि का मानदेय दे दिया गया है। शेष 235 अभ्यर्थियों के मानदेय के भुगतान हेतु स्वीकृति वित्त नियंत्रण, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा हरदोई को दि0 25-1-2011 को प्रदान कर दी गई है।

जी नहीं।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 विशेष/सामान्य चयन के अभ्यर्थियों के मानदेय की धनराशि वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद के माध्यम से संबंधित जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को आवंटित की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में आलू की अधिक पैदावार के दृष्टिगत उद्योग लगाने की मांग

169-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में आलू की अधिकतम पैदावार को देखते हुए क्या सरकार आलू पर आधारित चिप्स, पापड़ व आलू पाउडर आदि के उद्योग प्रतापगढ़ में लगाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

सार्वजनिक क्षेत्र में इकाई/उद्योग लगाने की सरकार की कोई नीति प्रचलित नहीं है।

जनपद लखीमपुर में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 तथा ए0बी0आर0सी0 के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

170-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत एन0पी0आर0सी0, बी0आर0सी0 तथा ए0बी0आर0सी0 के पदधारकों को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त पदधारकों को हटाने के बाद सर्वशिक्षा अभियान कैसे संचालित हो रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

बी0आर0सी0 समन्वयकों/सह-समन्वयकों तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को हटाने के बाद सर्व शिक्षा अभियान के समस्त कार्यक्रम सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से नामित अध्यापकों द्वारा संचालित किये गये।

बी0आर0सी0 समन्वयकों/सह-समन्वयकों के पदों को दिनांक 6 जनवरी, 2011 को भर दिया गया है। एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के पदों को भरने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती भारती सिंह पुत्री श्री सोहन लाल, स0अ0प्रा0वि0 चीमनपुर के स्थानान्तरण सम्बन्धी कथित पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

171-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती भारती सिंह पुत्री श्री सोहनलाल स0अ0प्रा0वि0 चीमनपुर, ब्लाक चण्डौस, जनपद अलीगढ़ का अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-284/रालोद/विमदल/विस/10, दिनांक 9-8-10 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1/3/96-का-4-2010, दिनांक 21-4-2010 द्वारा वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में समस्त संवर्ग के समस्त श्रेणी के अधिकारियों/कार्मिकों के स्थानान्तरण पर रोक है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्लामियां इण्टर कालेज, मुजफ्फरनगर को उच्चीकृत कर मान्यता दिये जाने की मांग

172-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस्लामियां इण्टर कालेज, मुजफ्फरनगर को उच्चीकृत कर स्नातक की मान्यता प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

इण्टर कालेज को उच्चीकृत कर स्नातक की मान्यता प्रदान करने का कोई प्राविधान नहीं है।

शासनादेश संख्या-1563/सत्तर-2-2010-2(79)/2004, दिनांक 30 अगस्त, 2010 द्वारा स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत इस्लामियां डिग्री कालेज, मुजफ्फरनगर को स्नातक स्तर पर बी0काम0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01-07-2010 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

173-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र जिस पर मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-सी0 10228265, दिनांक 8-4-10 द्वारा प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां। प्रदेश में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित-पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय की कम्प्यूटर संख्या-सी 10228265 दिनांक 8-4-10 नहीं अपितु कम्प्यूटर संख्या-सी-10220265 दिनांक 8-4-10 प्राप्त हुआ है।

उक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतनक्रम एवं प्रवक्ता वेतनक्रम में उर्दू विषय के लिये सृजित पदों के सापेक्ष ही नियुक्तियां की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के राजकीय शिक्षकों को त्रिस्तरीय पंचायतों के उप चुनाव 2008 एवं मतगणना अवधि में अर्जित अवकाश की मांग

174-श्री शब्बीर अहमद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के राजकीय शिक्षकों को त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के उप निर्वाचन (2008) में ड्यूटी एवं मतगणना हेतु रोके गये सभी शिक्षकों को प्रश्नगत अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो शेष को कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

निर्वाचन कार्य के लिये यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद के सेवानिवृत्त शिक्षक के सी0डी0एस0 भुगतान सम्बन्धी कथित पत्र पर कार्यवाही की मांग

175-श्री शब्बीर अहमद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद का सेवानिवृत्त शिक्षक शिवकुमार के सी0डी0एस0 भुगतान सम्बन्धी पत्र सं0-विविध/सी0डी0एस0/1709-13/09-10, दिनांक 19-6-10 प्राचार्य, डायट मंझनपुर, कौशाम्बी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

श्री शिव कुमार से सम्बन्धित भुगतान के विवरण प्राप्त किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में राजकीय इण्टर कालेजों में मानक के अनुरूप कतिपय सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

176-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ में राजकीय इण्टर कालेजों में मानक के अनुरूप शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों, भवन, उपकरणों तथा पुस्तकालयों की सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनपद प्रतापगढ़ के 04 राजकीय इण्टर कालेज संचालित हैं, जिसमें शिक्षक मानक/स्वीकृत पदों के अनुरूप नहीं है। दो राजकीय विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मियों, भवन, उपकरण एवं पुस्तकालय की सुविधा मानक के अनुरूप उपलब्ध है। शेष 02 विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारी मानक के अनुरूप हैं तथा भवन, उपकरण एवं पुस्तकालय हाई स्कूल स्तर तक हैं, जो मानक के अनुरूप नहीं है।

प्रवक्ता संवर्ग में रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। एल0टी0 संवर्ग में नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। भवन, उपकरण एवं पुस्तकालय के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथासमय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के राजकीय इण्टर कालेज में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को भरने की मांग

177-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में प्रवक्ता अध्यापक (एल0टी0ग्रेड) लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग-अलग कितने-कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनपद प्रतापगढ़ में पट्टी तहसील के अन्तर्गत राम अजोर चौरसिया, राजकीय इण्टर कालेज, पट्टी प्रतापगढ़ तथा चन्द्रभूषण साहू जी महराज राजकीय कन्या इण्टर कालेज, आसपुर, देवसरा,

प्रतापगढ़ संचालित है। इन दोनों राजकीय कन्या इण्टर कालेजों में निम्नानुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :-

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, पट्टी प्रतापगढ़

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
प्रवक्ता	09	07	02
एल0टी0	10	03	07
लिपिक	02	02	--
परिचारक	06	06	--
दफ्तरी	01	01	--

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़

पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
प्रवक्ता	09	04	05
एल0टी0	07	04	03
लिपिक	02	01	01
परिचारक	04	04	--

जी हां।

एल0टी0 वेतनक्रम के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु संबंधित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद द्वारा विज्ञापन किया जा चुका है। अग्रेतर कार्यवाही गतिमान है।

प्रवक्ता वेतनक्रम के शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो रहे हैं। जिन्हें नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही निदेशालय में गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक में कतिपय गांवों में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

178-श्री जावेद अंसारी एडवोकेट-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-7-2008 को जिला बेसिक शिक्षा समिति, जौनपुर की बैठक में प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र के असेवित ग्राम हरिहरपुर तथा ग्राम नरौली (निषाद बस्ती) वि0खं0 करंजा कला में चयनित प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विशेषज्ञ बेसिक शिक्षाधिकारी, जौनपुर के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 12-7-2008 को नहीं हुई थी, अपितु यह बैठक वर्ष 2009-10 में दिनांक 12-7-2009 को हुई थी। दिनांक 12-7-2009 को हुई बैठक में ग्राम-नरौली (निषाद बस्ती) तथा ग्राम हरिहरपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। ग्राम नरौली (निषाद बस्ती) में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। ग्राम हरिहरपुर में ई0जी0एस0 केन्द्र संचालित नहीं था, जबकि भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2009-10 में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति ई0जी0एस0 अपग्रेडेशन के रूप में प्राप्त हुई थी। अतः ग्राम हरिहरपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना नहीं कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फार्मासिस्टों के पदों की संख्या एवं प्रशिक्षित फार्मासिस्टों की नियुक्ति की मांग

179-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फार्मासिस्टों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर प्रशिक्षित फार्मासिस्टों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वर्तमान में प्रदेश में कुल 955 फार्मेसिस्ट के पद रिक्त हैं।

फार्मेसिस्ट के 766 पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2010 को चयन सूची प्रकाशित की जा चुकी है, किन्तु इस चयन सूची पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित किय जाने के कारण प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विवादित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित संस्कृत महाविद्यालयों का विवरण

180-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2002 से कितने और कहां-कहां संस्कृत महाविद्यालय संचालित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिये जाने हेतु कौन सी योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

107 (सूची संलग्न*) है।

वर्तमान में कोई नवीन योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

---

* देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 249-253 पर।

उ0प्र0 वक्फ विकास निगम में पंचम वेतन आयोग की सुविधाओं को लागू किये जाने की मांग

181-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 वक्फ विकास निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सुविधा अभी तक लागू नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त सुविधा कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

निगम का आडिटेड एकाउन्ट का विवरण प्राप्त होने पर जो स्थिति सामने आयेगी उस पर विचार करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में नेडा द्वारा लाइट एवं पावर जनरेटर स्थापित किये जाने का विवरण

182-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में नेडा द्वारा वर्ष 2009-10 में सोलर लाइट एवं पावर जनरेटर स्थापित किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त जनपद में किस-किस विकास खण्ड में कहां-कहां पर स्थापित हैं ?

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (अकबर हुसैन)-

वित्तीय वर्ष 2009-10 में जनपद लखीमपुर खीरी में 07 विकास खण्डों यथा-पलिया, ईसानगर, बांकेगंज, बिजुआ, धौरहरा, मितौली एवं लखीमपुर के 70 ग्रामों/स्थलों पर 141 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कराई गई है। ग्रामों/स्थलों की सूची संलग्न† है।

परन्तु वित्तीय वर्ष 2009-10 में लखीमपुर खीरी जनपद में पावर जनरेटर संयंत्रों की स्थापना नहीं कराई गई है।

दिनांक 8 फरवरी, 2011 को विधायक निधि से सम्बन्धित विषय पर लोकायुक्त सम्बन्धी प्रस्ताव केवल मौखिक सूचना के आधार पर तत्काल सदन द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं पारित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मेरी दृष्टि में एक गम्भीर प्रश्न है जो इस सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है जिस पर आपका निर्णय विचारोपरान्त बहुत जरूरी है। मान्यवर, 8 तारीख को यहां पर एक प्रस्ताव पास हुआ, माननीय सदन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ। यह पहली बार हुआ है कि न शोक प्रस्ताव है वह, न बधाई प्रस्ताव है लेकिन यकायक पेश हुआ और पास भी उसी दिन हो गया। उसका

---

† देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 254-256 पर।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न विधिक परीक्षण हुआ, न एजेण्डा पर आया। जबकि परम्परा यह है कि दो तरह के प्रस्ताव तुरन्त पेश होते हैं और पास होते हैं या तो शोक के प्रस्ताव हो या कोई उल्लेखनीय कार्य के प्रस्ताव हों। मान्यवर, प्रस्ताव लोकायुक्त के निर्देश के सम्बन्ध में हैं। मैं उस प्रस्ताव को पुनः नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उस दिन चर्चा हुई थी। अधिकारियों ने मौखिक सूचना दिया था। जहां तक मेरी जानकारी है सम्भवतः कार्य-मंत्रणा समिति में कि हमें इस तरह का निर्देश दिया गया था। अब उन्होंने मौखिक निर्देश पर पत्रावली भी चला दी कोई आन रिकार्ड लिखित आदेश लोकायुक्त से नहीं है। वह जब अखबारों में प्रकाशित हुआ तो मान्यवर, लोकायुक्त महोदय ने आपको पत्र लिखा। अखबारों में प्रकाशित हुआ उसकी फोटोकापी भी मुझे प्राप्त हो गई उन्होंने यह साफ लिखा कि मैं यह वास्तविक तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं आपके संज्ञान में, आपको पत्र लिखा कि मैंने अब तक विधायक निधि के गाइडलाइन में संशोधन करने का कोई सुझाव ग्राम्य विकास विभाग को नहीं भेजा है। चूंकि परिवाद संख्या 1696/2010 डैस-डैस-डैस में नाम नहीं पढ़ रहा हूं। एक विधायक के विरुद्ध अपनी शिक्षण संस्थाओं को विधायक निधि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त हुई है इसलिये मात्र प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग से दिनांक 28-01-2011 को उस पत्रावली के साथ साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के लिये संलग्न पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था जिसमें ग्राम्य विकास अनुभाग-3 द्वारा विधायक निधि के मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये। उन्होंने केवल साक्ष्य देखने के लिये मांगा था। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग ने दिनांक 28-1-2011 को न तो कोई साक्ष्य दिया और न ही कोई पत्रावली प्रस्तुत की उसके बाद विशेष सचिव के माध्यम से दो अन्य तिथियों को भी पत्रावली प्रस्तुत करने के लिये समय मांगा गया। ऐसी परिस्थिति में अब तक किसी भी स्थिति में विधायक निधि की गाइडलाइन में संशोधन करने की न तो कोई संस्तुति की है और न ही कोई सुझाव प्रेषित किया है। मान्यवर, एक ऐसा तथ्य जो मौखिक प्रस्तुत किया गया था जिसका तथ्यात्मक परीक्षण नहीं किया गया उस पर प्रस्ताव आया पास हो गया और अब यह लिखित आपको आया है कि इस तरह का निर्देश कोई नहीं दिया गया।

एक तो मान्यवर, यह विशेषाधिकार का मामला बनता है क्योंकि अधिकारियों ने इस सदन को गुमराह किया। दूसरा मान्यवर, जो प्रस्ताव है उससे संदेश यह जा रहा है कि यह सदन विधायक निधि से संबंधित भ्रष्टाचार का कोई मामला अगर लोकायुक्त के सामने जाता है तो उस पर जांच करने से पूरी तरह से रोक लगा दे रहे हैं लोकायुक्त को। जबकि लोकायुक्त के बारे में मांग की जा रही है कि अब प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री को भी लोकायुक्त की परिधि में लाया जाये और यह सदन कह रहा है कि विधायक निधि से सम्बन्धित विषयों पर भी लोकायुक्त कार्यवाही न करें यह सदन पास कर रहा है, इससे सदन आक्षेपित होगा। भ्रष्टाचार रोकने पर यह सदन एकमत से कार्यवाही कर रहा है, खासकर विधायकों के। कल ओम प्रकाश सिंह के बारे में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत वहां करें तो लोकायुक्त उसकी जांच नहीं कर सकता। समाज कह रहा है, देश कह रहा है, जनता कह रही है कि लोकायुक्त की परिधि में मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री को लाया जाये। भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ गई है कि जनता ऊबन महसूस कर रही है, यह मांग हो रही है और लोकायुक्त को हम मात्र साक्ष्य देखने से भी मना कर रहे हैं और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आज एक अधिकारी मौखिक सूचना दे और यह सदन प्रस्ताव पास कर दे। उस दिन भी मैंने कहा था कि इस पर सभी दलों के नेताओं से

बात कर लें, विधिक पहलुओं पर परीक्षण कर लें क्योंकि हमें थोड़ा सी जानकारी थी। दूसरा मान्यवर, यह जो मार्गदर्शी सिद्धान्त है, यह किसी भी रूप में सदन द्वारा नहीं बनाये गये हैं क्योंकि मैं जब मंत्रि-मण्डल में था तब मिट्टी में बड़ा दुरुपयोग होता था तब कैबिनेट में यह तय हुआ था कि 10 प्रतिशत से ज्यादा मिट्टी में पैसा न दिया जाय। तो यह सारे का सारा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी है सदन के द्वारा यह प्रस्ताव भी नहीं पास है, मार्गदर्शी सिद्धान्त स्वीकृत भी नहीं हुआ, इसलिये मान्यवर, एक प्रश्न तो यह है कि क्या मौखिक सूचना के आधार पर कोई प्रस्ताव तत्काल पास कर दिया जाये जिन अधिकारियों ने मौखिक सूचना देकर इस प्रस्ताव को बनवाया है, उसका क्या होगा। दूसरा मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं और क्या यह परम्परा पड़ेगी कि शोक और बधाई के अलावा कोई भी प्रस्ताव बिना सदस्यों के विस्तृत जानकारी में लाये, उसके सभी पक्षों को जाने बिना, बिना सभी को विश्वास में लिये और बिना आपके सचिवालय द्वारा परीक्षण किये एकाएक यहां लाकर पास करने की परम्परा डाली जाये। मान्यवर, मैं इस पर तत्काल आपकी व्यवस्था नहीं चाहता क्योंकि यह प्रश्न ऐसे हैं जिन पर गम्भीर चिन्तन का प्रश्न उठता है इस सदन की गरिमा का प्रश्न उठता है, इस सदन की कार्यवाही पर लांछन न लगे, इससे जुड़ा प्रश्न है। इसका दूरगामी परिणाम होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर आप चिन्तन करके और विभिन्न पहलुओं पर परीक्षण करके तब आप निर्णय दें यह मेरा आपसे आग्रह है। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी के उठाये गये बिन्दु पर आप निर्णय दें, उसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ तथ्यों से अवगत करा दूं। मुख्य रूप से तीन बातें श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने कही हैं कि सिवा शोक संदेश के या बधाई संदेश के और किसी संदेश या प्रस्ताव पर यहां चर्चा नहीं हो सकती।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

किसी भी प्रस्ताव का पहले परीक्षण होता है, जानकारी में लाया जाता है तब यह कदम उठाया जाता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं उसमें विधिक स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, सदन में सार्वभौमिकता को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। **"हाउस इज दि मास्टर आफ ओन बिजनेस"** यह एक सिद्धान्त है जो प्रतिपादित होता रहा है, प्रचलित है और स्थापित सिद्धान्त है। अगर सदन चाहे तो किसी भी समय एक निर्णय ले सकता है कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए, हम इस समय इस प्रस्ताव को लेंगे और अगर उसके बाद सर्वसम्मति से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है और उस पर अगर उंगली उठाई जा सकती है तो मैं समझता हूं कि यह सदन की अवमानना होगी, सदन के अधिकारों की कटौती होगी। सदन के विशेषाधिकार को चुनौती देना मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा के प्रतिकूल होगा। इसलिये आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी की बात से सहमत न होते हुए मैं अपनी असहमति

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यक्त कराता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस सदन की सार्वभौमिकता के खिलाफ है। **हाउस इज दि मास्टर आफ ओन बिजनेस**, हम कभी चाहें, किसी भी समय चाहें तो अपने नियमों को शिथिल करके कोई प्रस्ताव पारित कर सकते हैं हम नियमावली के विपरीत नहीं जा रहे हैं। दूसरा ओम प्रकाश जी ने एक बात कही कि क्या हम किसी अधिकारी की मौखिक सूचना को आधार बना लें। सूचना का आधार क्या होता है मान्यवर, लिखित, मौखिक यही तो आधार होते हैं। जब एक बैठक होती है जिसमें एजेण्डा नोट किया जाता है या एजेण्डे के अनुसार होती है, कार्य-मंत्रणा समिति में अगर कोई प्रस्ताव आता है तो एक-एक शब्द अंकित होते हैं और जिन्हें अंकित नहीं कराना होता है तो अध्यक्ष के रूप में आप कहते हैं कि इसे कार्यवाही का हिस्सा न बनाया जाये। एक प्रश्न उठाया था मैंने उस प्रश्न पर जब संबंधित विभाग को बुलाया गया, सम्बन्धित विभाग के एक अधिकारी ने, स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के एक अधिकारी ने अवगत कराया इस समिति को कि सच्चाई यह है कि मा0 लोकायुक्त महोदय ने सुझाव दिया कि क्यों नहीं तुम लोक सभा की तर्ज पर यह बना लेते, तो उस समय मुझे लगा कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह सदन को दिशा निर्देश दे, सदन के बनाये हुए नियमों पर या सदन की समितियों को दिशा-निर्देश दें यह अधिकार नहीं है।

मैंने जो प्रश्न उठाया था वह सदन की गरिमा की रक्षा के लिये उठाया था और मैंने यह प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव के बाद आप नेता हैं एक दल के आपकी अनुपस्थिति में आप तो चले गये थे, आपके पूरे दल ने इसके पक्ष में मतदान किया है। नेता होने के बावजूद भी आपकी बात से आपका दल सहमत नहीं है उसके बाद भी आप यह प्रस्ताव यहां पर उठा रहे हैं मान्यवर, एक प्रस्ताव पारित हो गया है आप दिखवा लें कार्यवाही में उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया बल्कि यह लिखा होगा कि सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो आपके विचार से सारे सदस्य सहमत नहीं थे। मान्यवर, तीसरी बात मैं इसे गम्भीरतापूर्वक कहना चाहता हूं मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि सदन में कहीं भी, कोई भी प्रस्ताव सदन की सहमति से लाया जा सकता है। दूसरा मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मौखिक आदेश, मौखिक सूचना अगर कार्यक्रम में बैठक में होती है तो उसका एजेण्डा बाध्यकारी है और उस एजेण्डा का हम संज्ञान ले सकते हैं उसे साक्ष्य के रूप में मान सकते हैं और तीसरी बात कि जब सर्वसम्मति से जब कोई प्रस्ताव पारित हो गया हो तो क्या यह अधिकार किसी को रह गया है कि वह सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर अपने व्यवस्था का प्रश्न उठाकर उस प्रस्ताव को चुनौती दे। वह चुनौती इस प्रस्ताव को नहीं है वह चुनौती इस पूरे सदन को है कि तुमने तो पारित कर लिया है लेकिन हम व्यवस्था का प्रश्न उठाकर उस पर फिर से टिप्पणी करते हैं और चौथा एक व्यावहारिक प्रश्न उठाता हूं कि मा0 विधायकों की विधायक निधि का तो भ्रष्टाचार दिख रहा है। पहली बात तो मैं इस पर आपत्ति करता हूं कि ''विधायक निधि'' नाम का तो कोई शब्द नहीं है, यह शब्द है ''विधान सभा क्षेत्र विकास निधि'' तो मा0 ओम प्रकाश जी ने विधायक निधि शब्द का जो प्रयोग किया है वह अनुचित है गलत है, उसे कार्यवाही से निकाल दें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र विकास निधि में यह संकेत क्यों दिया जा रहा है कि विधायक ही इसका मालिक है हमसे तो सिर्फ प्रस्ताव मांगा जा रहा है, हम एक समय-सीमा के अन्दर उस प्रस्ताव को दे देते हैं कौन निर्माण इकाई है, कौन कार्यदायी संस्था है, अगर उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार होता है तो

निर्माण इकाई पर उंगली उठनी चाहिये किसी विधायक पर नहीं उठनी चाहिये, अगर उठायी जा रही है तो यह सदन का अपमान है और विधायकों की गरिमा का अपमान है। हमने सुझाव दिया कि यह कार्य कराओ और कार्य इकाई करा रही है अगर कहीं उसमें भ्रष्टाचार होता है तो उसमें विधायक का क्या दोष है।

मैं एक चीज बहुत आदरपूर्वक ओम प्रकाश जी से कहना चाहता हूं कि जब हम खड़े हों जब हम अपनी बात कहें तो कम से कम उनकी रक्षा करें जिनके पास अधिकार तो है लेकिन उनके अधिकारों का हनन हो रहा है उनकी रक्षा न करें जो और अधिकारों की बात कर रहे हैं। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं और इस पर चर्चा लगा लो मैं इस पर घण्टों बात करने को तैयार हूं कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय को भी यह अधिकार नहीं है कि वह सदन को इंगित करे, सदन को निर्देश दे कि आप अपना कानून इस तरह से बना लीजिये और मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने, मा0 उच्च न्यायालय ने इसका पालन किया है। आप लोकायुक्त महोदय बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ही उच्च संस्था है मैं उनका आदर करता हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सबकी अपनी अधिकार सीमा है, उनके अधिकार सीमा में, उनके पास विषय गया है उस विषय को लें, उसकी जांच करें और जांचकर अपनी रिपोर्ट दें लेकिन जांच को करने के लिये नियमों में परिवर्तन के लिये एक विभाग के विशेष सचिव को कहना मान्यवर, हमको संज्ञान लेना चाहिये और जो संज्ञान लिया गया है उचित है इसलिये मैं ओम प्रकाश जी की बात का कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहना चाहता हूं कि नियमों के विपरीत है, संविधान के विपरीत है। मैं नहीं जानता कि क्या बात थी जब कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हो रही थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व बहुत ही वरिष्ठ सदस्य श्यामदेव राय चौधरी जी कर रहे थे बहुत ही वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह जी कर रहे थे। इनकी सबकी उपस्थिति में हुआ था। जब सबकी उपस्थिति में हुआ था, सम्पूर्ण सदन ने पारित किया है तो गरिमापूर्वक उसको स्वीकार किया जाना चाहिये, उस पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहिये। मैं पहला और आखिरी व्यक्ति हूंगा अगर सदन की गरिमा के खिलाफ सदन के सदस्यों की गरिमा के खिलाफ सवाल उठेगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा और मुझे गर्व है कि मैंने इस आवाज को उठाया है और मैं उस पर दृढ़ता से कायम हूं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ चुकी है, एक बार व्यवस्था का सवाल उठा दिया अब बार-बार उस पर क्या कहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुए हैं, उनकी बात आ जाने दीजिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मेरी बात आ जाने दीजिये। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं लेकिन प्रमोद तिवारी जी ने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया है। मैंने सदन की गरिमा के खिलाफ कुछ नहीं कहा है हमने यह कहा है अधिकारियों ने मौखिक कहा है, लिखित उत्तर आ गया तो क्या उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है, इस पर आप विचार कर लें। विभिन्न प्रश्नों को हमने उठाया है कि आप विचार करके व्यवस्था दे दें। यह तो नहीं कहा कि यह सदन की गरिमा के विपरीत है, सदन

की कार्यवाही को मैं नहीं मानता। पहला शब्द मेरा था कि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ है और जब सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ तो उसमें मैं भी उसमें सम्मिलित हूं, मेरा दल भी उसमें सम्मिलित है। यह न मानने का सवाल नहीं है, सवाल है अगर लोकायुक्त महोदय लिखित पत्र आपके पास न भेजते, अखबारों में प्रकाशित न होता तो यह प्रश्न उठाने का मतलब ही नहीं था। प्रश्न यह है कि लोकायुक्त की संस्था भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये है, किसी विधायक के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया, लेकिन सदन के कानून के द्वारा बनाये गये कानून का उल्लंघन होता है, उसका दुरुपयोग होता है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मेरी भी सुन लीजिये। फिर वही बातें आ रही हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, उस भ्रष्टाचार की जांच होगी या नहीं होगी इसलिये मूल विषयों को उठाया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 है। इसमें नियम 314 है-''अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी।'' मान्यवर, आपने विनिश्चय किया, आपके विनिश्चय से प्रस्ताव आया और सर्वसम्मति से पास हो गया। आज उस विनिश्चय पर आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जब मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं तो आपत्ति की बात कहां से आती है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बीच में बोलना व खड़े होना ठीक नहीं है। दूसरा बार-बार जो सदन में शब्द लाया जा रहा है, मा0 प्रमोद तिवारी जी की बात से मैं सहमत हूं कि विधान सभा क्षेत्र विकास निधि। उसमें विधायक को कोई बहुत अधिकार नहीं है, उसको कोई एक्जीक्यूट नहीं करना है। विधायक प्रस्ताव देगा कि उसके क्षेत्र में अमुक-अमुक कार्य स्वीकृत करके उसके लिये धन आवंटित किया जाए। अगर वह नियमों में है हमने जो प्रस्ताव दिया है, वह नियमानुकूल है तो उसमें मुख्य विकास अधिकारी को अधिकार दिया गया है। उसमें जो गाइड लाइन है उसके अनुसार अधिकार दिया गया है कि विधायक के प्रस्ताव प्राप्त करने के 45 दिनों के अन्दर अगर नियमानुसार है तो उसके लिये इस्टीमेट प्राप्त करके धन स्वीकृत करने का काम किया जाए। कार्यदायी संस्था भी तय करने का अधिकार भी उन्हीं को दिया गया है। कार्यदायी संस्थान क्या-क्या हो सकती है ? मा0 ओम प्रकाश सिंह जी उस समय मंत्री थे, इन्हीं की कैबिनेट ने इस बात को शामिल भी करने का काम किया कि कार्यदायी संस्थान विद्यालय भी हो सकता है और उसके अनुसार अगर मुख्य विकास अधिकारी ने दिया तो इसमें विधायक का दोष कहां से हो गया ? विधायक के ऊपर प्रश्न चिन्ह कहां से लग सकता है ? अगर नियमों के अनुसार है और अधिकारी नियमों के अनुसार ही देने के लिये बाध्य है, विधायक के लिखने मात्र से बाध्य नहीं है। इसलिये बार-बार इस तरह से प्रश्न उठाकर विधायकों की जो छवि को धूमिल करने का प्रयास किया

जाता है वह उचित नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आपने इस पर विनिश्चय कर दिया है और विनिश्चय हो गया है उस पर पुनः आपत्ति नहीं उठायी जा सकती है। यह आपको पूरा आधिकार है, सदन को पूरा अधिकार है। उसके अनुसार आपने एक विनिश्चय करने का काम किया है। मान्यवर, इसलिये चाहता हूं कि जो व्यवस्था का प्रश्न है उसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा-

आपके विनिश्चय पर हमने प्रश्न उठाया क्या ? जब हमने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, इसका मतलब कि निर्णय आपके ऊपर छोड़ा। तो फिर आपके विनिश्चय पर आक्षेप कहां हुआ ? हमने कहां कहा कि कौन विधायक गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है। मार्गदर्शक सिद्धान्त सही है या गलत इसकी चर्चा हमने क्या किया हमने इतना कहा कि मार्गदर्शक सिद्धान्त ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बनाये गये हैं इस सदन द्वारा पारित नहीं किये गये हैं किसी ने यह आक्षेप तो लगाया ही नहीं कि विधायक उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोकायुक्त के सामने एक बात गई है और लोकायुक्त भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये ही संस्था बनाई गई है। समाज इतना उसको पावरफुल करना चाहता है कि वह मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री को भी बुला सके। उन्होंने चूंकि लिखित दे दिया इसलिये यह प्रश्न उठाना जरूरी हो गया। एक संवैधानिक संस्था जिस तरह से अधिकारियों ने मौखिक आधार पर इस सदन को भी इन्वाल्व कर लिया वह लिखित उत्तर आया कि हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है इसलिये मैंने आपके ऊपर छोड़ा कि आप इस पर विचार करके इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद अपना निर्णय दें कल आप निर्णय दे देंगे कि इस तरह का प्रस्ताव जो पास हो गया वह ठीक है तो वह आपका निर्णय अन्तिम होगा इतनी सारी बातें माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कही कि मैं आक्षेपित कर रहा हूं तो मैं जब व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और सारा विनिश्चय आपके ऊपर छोड़ रहा हूं तो फिर उस पर व्यवस्था का प्रश्न कहां है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है। अब काफी समय हो गया है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्णय पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है यही मेरा कहना है नियम 314 के अनुसार आपका एक निर्णय हो चुका है जब आपका निर्णय हो गया है तो फिर उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाकर और ऐसे सीनियर द्वारा आपके निर्णय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना आपकी अवमानना है यही मेरा कहना है।

अध्यक्ष के निर्णय पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। यह मेरा कहना है। एक गलत परम्परा पड़ रही है कि आपके निर्णय पर व्यवस्था का प्रश्न उठायें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रस्ताव सर्वसम्मति से सदन ने पास किया है उस प्रस्ताव पर मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

श्री लालजी वर्मा-

किसी भी नियम में आपके निर्णय पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

यहां पर यह कहा गया कि दो तरह के प्रस्ताव किये जा सकते हैं। आप कृपया अपनी नियमावली देख लें नियम 110 देख लें चूंकि एक एकैडिमिक चर्चा चल रही है इसलिये कुछ स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिये और जो संवैधानिक चर्चा चल रही है इसलिये कुछ स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिये और जो संवैधानिक स्थिति है वह सदन की कार्यवाही में आनी चाहिये आप नियम 110 देख लें बिना सूचना के प्रस्ताव यही तो है मेरा बिना सूचना का प्रस्ताव था निम्नलिखित प्रस्ताव यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें बिना सूचना के किये जा सकेंगे। आपने मुझे अनुमति दी यदि आपने अनुज्ञा दी तो कोई भी प्रस्ताव अगर सम्पूर्ण सदन भी मान्यवर, उस पर सहमत न हो लेकिन आपकी अनुमति देने के बाद प्रस्ताव लाया जा सकता है। मान्यवर, देखें क्या है संवेदना या बधाई प्रस्ताव, उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव, अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव, समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव, किसी विधेयक या संकल्प का प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव, किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव, वाद-विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव, किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव, किसी उपवेशन की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव। मैं आपको तमाम वैरायटी बता रहा हूं कि कितने प्रस्ताव आ सकते हैं यह सूचना गलत है कि सिर्फ दो प्रस्ताव लिये जा सकते हैं मैंने यही कहा था कि नियमों को निलम्बित करते हुए मेरा प्रस्ताव ले लें मेरा प्रस्ताव क्या था सदन की गरिमा की रक्षा के लिये एक सुझाव मात्र था उसमें किसी की आलोचना नहीं है उसमें किसी की कटुता नहीं है मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस बात को बढ़ाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। कहा क्या जा रहा है कि एक तरफ लोकपाल को मुख्य मंत्री को भी उसमें सीमा में लाने की बात प्रधान मंत्री को भी सीमा में लाने की बात हो रही है और मान्यवर, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन पर लोकपाल ने लिखकर दे दिया मुख्य मंत्री के खिलाफ तो लोकपाल की सुनी भी नहीं जा रही है। मैं कर्नाटक का जिक्र नहीं कर रहा हूं।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री सुक्खन सिंह के निधन पर शोकोद्‌गार

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अब निधन के निर्देश ले लीजिये। मान्यवर, पहला आइटम निधन के निर्देश होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

निधन के निर्देश ले रहा हूं उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाइयेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुक्खन सिंह का 10 फरवरी, 2011 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे श्री सुक्खन सिंह का जन्म 21 मई, 1921 को ग्राम हसनपुर, जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री सुक्खन सिंह वर्ष 1974 में कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1985 में कांग्रेस (आई0) के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद (अ0जा0), जिला-बिजनौर से विधान सभा, सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री सुक्खन सिंह ने वर्ष 1942 के स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे दो वर्षों तक बिजनौर जेल में रहे थे। वे वर्ष 1978 में जेल भरो आन्दोलन में डी0आई0आर0 व धारा 144 के अन्तर्गत दो बार बिजनौर जेल में बन्दी रहे थे। वे आर्य समाज के प्रधान, मण्डल कांग्रेस समिति के मंत्री तथा जिला रैदास सभा के अध्यक्ष रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा भ्रमण उन्हें प्रिय था। श्री सुक्खन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

माननीय श्री सुक्खन सिंह, पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सदन में दो मिनट का मौन रखा गया)

दिनांक 8 फरवरी, 2011 को विधायक निधि से सम्बन्धित विषय पर लोकायुक्त सम्बन्धी प्रस्ताव केवल मौखिक सूचना के आधार पर तत्काल सदन द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं पारित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यहां एक शब्द ऐसा आ गया है कार्यवाही में कि जुर्म करे कोई सजा भुगते कोई। माननीय प्रमोद जी की चर्चा में आया है कि निर्माण इकाई को पनिश किया जाय। मान्यवर, निर्माण इकाई यहां दोषी नहीं है। यहां दोषी है जो स्वीकृत करती है वह इकाई। सी0डी0ओ0 से लेकर वहां तक। निर्देशिका के अनुरूप निर्माण इकाई जो कह रहे थे उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय यदि आप सहमत हों तो।

श्री प्रमोद तिवारी-

संस्था को कार्यदायी संस्था कहते हैं। कार्यदायी संस्था कराती है। न वह असंसदीय है, न वह आपकी अनुमति के बगैर है निकाला जो जा सकता है वह सिर्फ चार कारणों से असंसदीय होना चाहिये, बिना आपकी अनुमति के होना चाहिये। दोनों मौजूद हैं इसलिये उसे न निकालें। हां दिमाग में अगर कुछ हो तो उसे निकाल दें।

श्री कुबेर सिंह-

यह असंसदीय है इसको कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायं।

पिछले उपवेशन में 8 फरवरी, 2010 को मेरे संज्ञान में एक प्रस्ताव लाया गया जिसका प्रस्ताव माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने प्रस्तुत किया कि लोकायुक्त महोदय ने हमारी क्षेत्र विधायक निधि की जो गाइड लाइन बनी है उसमें कुछ संशोधन करने के लिये ग्राम्य विकास को मौखिक या लिखित तौर पर कोई निर्देश दिये हैं। इस संदर्भ में मेरे समक्ष भी यह विषय आया था जब कार्य-मंत्रणा

समिति की बैठक हो रही थी उस समय वहां विशेष सचिव, ग्राम्य विकास थे उन्होंने भी कहा कि उनके निर्देशों पर कार्यवाही चल रही है और पत्रावली वित्त विभाग में लम्बित है और उस पर विचार हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए श्री प्रमोद तिवारी सदन में प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव की जो भाषा थी कि लोकायुक्त महोदय अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करें, लेकिन मंत्रि-परिषद् द्वारा या सदन द्वारा जो हमारे कार्य हैं, उसमें हस्तक्षेप न करें। अभी माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने एक व्यवस्था का सवाल उठाया कि मौखिक तौर पर काल्पनिक तौर पर लोकायुक्त ने एक पत्र भी दे दिया कि मैंने कोई इस तरह का सुझाव नहीं दिया, न लिखकर दिया है न मौखिक कहा है और इस तरह के पत्र में उन्होंने अवगत भी कराया आपके भी संज्ञान में है लोकायुक्त महोदय द्वारा आया है ग्राम्य विकास और अखबारों के माध्यम से भी आया है। जहां तक प्रस्ताव पारित होने का सवाल है मैंने प्रश्न रखा जरूर था सदन में, और कई सम्मानित नेताओं के विचार भी आए थे और मैंने उस प्रश्न को पारित करने के लिये रखा था कि प्रस्ताव पारित हो या न हो जब सदन ने हमको पूरा मत दिया पूरा बहुमत दिया और सर्वसम्मति से दिया मैंने उसको पारित कर दिया। उस प्रस्ताव को जहां तक मैंने देखा है लोकायुक्त के अधिकारों का कहीं भी हनन नहीं हुआ है। लोकायुक्त अपनी जांच करें अपने क्षेत्राधिकार के आधार पर जांच करें उनको पूरा अधिकार है लेकिन जो सदन में आपत्ति हुई जैसा माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने भी कहा, सदन में हम लोग भी एक बार लाए थे मिट्टी कार्यों में जो इसका प्रतिशत है उसको घटा दिया जाए, विधायक निधि का, उसका दुरुपयोग हो जाता है, जिसको स्वयं उन्होंने स्वीकार किया कि सदन में इस तरह का विषय हम लोग लाए थे उसके आधार पर गाइड लाइन में संशोधन हुआ था इसलिये हमने संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना, प्रमोद तिवारी जी को सुना सदन की भावनाओं की भी हमें कहीं न कहीं अनुभूति थी, एक प्रस्ताव सदन में आया, सदन में प्रश्न रखा उस प्रश्न के उत्तर में मुझको सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने का एक हर्षध्वनि से पारित करने का संकेत हुआ उस आधार पर सदन में मैंने उस प्रस्ताव को पारित किया है इसलिये इस पर व्यवस्था का सवाल नहीं उठाया जा सकता है। मैं ओम प्रकाश जी के व्यवस्था के सवाल को निरस्त करता हूं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2011 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना डा0 अनिल चौधरी की जनपद-महामायानगर (हाथरस) एवं जनपद मथुरा के दो मुख्य मार्ग सादाबाद-राया एवं मई-बल्देव के दोनों मुख्य मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासन से धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राम सागर अकेला की बलरामपुर विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड बलरामपुर में फुलवरिया बाई पास के निकट रेलवे लाइन पर रेलवे सम्पार फाटक लगाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री बाला प्रसाद अवस्थी की जनपद लखीमपुर के रायपुर ग्राम सभा में टूटी विद्युत लाइन एवं ट्रांसफार्मर बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की प्रदेश में लेखपालों द्वारा तहसील दिवस एवं थाना दिवस के

बहिष्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री सत्य नारायण जैसल की जनपद सोनभद्र के ग्राम पनौरा विकास खण्ड नंगवा में एक विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर अनुपस्थित हैं, सातवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर में आवास विकास परिषद् की आवास विकास कालोनी, विकास नगर की अत्यन्त जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की जे0एन0आर0वाई0एम0 योजना के अन्तर्गत लखनऊ के कैण्ट क्षेत्र में सीवर लाइन का कार्य न प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में है नवीं सूचना श्री माधो पासवान की विधान सभा मुण्डेरा बाजार, चौरी-चौरा शहीद स्थली गोरखपुर में राजकीय अतिथि गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक बघरा के अन्तर्गत ग्राम ढिढावली में 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने तथा मकानों के ऊपर से गयी विद्युत लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की जनपद गोण्डा में बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 से निकले हुये मलवे के प्रदूषण से भयानक बीमारियों एवं जल प्रदूषण के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की अधिवक्ता कल्याण निधि के अन्तर्गत वकीलों को मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी तथा बिहार प्रदेश सरकार की तर्ज पर पेंशन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर नगर के ध्वस्त मार्गों का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र मोरना में कतिपय ग्रामों में जल निकासी हेतु नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों का अनुपालन मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :-

1-श्री विनोद चतुर्वेदी 2-श्री निर्मल वर्मा, 3-चौ0 सत्यपाल सिंह, 4-श्री विश्वनाथ, 5-श्री विनोद सरोज, 6-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, 7-श्री अनूप कुमार गुप्ता, 8-श्री राजा राम त्यागी, 9-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, 10-श्री शम्भू चौधरी और 11-श्री मदन चौहान।

चूंकि प्रदीप माथुर जी उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उनके स्थान पर श्री विनोद चतुर्वेदी की सूचना को ले रहे हैं।

(सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद महामायानगर (हाथरस) एवं जनपद मथुरा के दो मुख्य मार्ग सादाबाद-राया एवं मई-बल्देव के दोनों मुख्य मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासन से धन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल चौधरी-

[जनपद महामायानगर (हाथरस) एवं जनपद-मथुरा के सम्मिलित दो मुख्य मार्ग सादाबाद-राया एवं मई-बल्देव दोनों अन्य जिला मार्ग की श्रेणी के मार्ग हैं। जिनका उपयोग बड़ी संख्या में किसान एवं धार्मिक पर्यटक करते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त दोनों मार्गों के जनपद-मथुरा के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्व में ही हो चुका है। तहसील-सादाबाद, जनपद-महामायानगर के उक्त दोनों मार्गों के भागों के क्षतिग्रस्त एवं कम चौड़ाई में निर्मित होने से इन मार्गों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है।

मेरे द्वारा इन मार्गों के शेष भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की बार-बार मांग किये जाने पर कार्यालय प्रमुख अभियन्ता उ0 प्र0 लो0 नि0 वि0 लखनऊ (नियोजन वर्ग) द्वारा इस कार्य को मा0 मंत्री जी से अनुमोदन होने वाली अपरिहार्य कार्यों की सूची में सम्मिलित होना [सन्दर्भ मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0 लखनऊ का मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 आगरा को सम्बोधित पत्र सं0-3460 मि/102-01 नि/2010, दिनांक 20-10-2010] स्वीकार किया गया है।

अतः इन बहुउपयोगी मार्गों हेतु शासन से धन स्वीकृत कराने की मांग करता हूं।]

बलरामपुर विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड बलरामपुर में फुलवरिया बाईपास के निकट रेलवे लाइन पर रेलवे सम्पार फाटक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर अकेला-

[महोदय,

बलरामपुर विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड-बलरामपुर में फुलवरिया बाई पास के निकट रेलवे लाइन पर मानव रहित क्रासिंग होने के कारण ग्राम सिरसिया सहित सैकड़ों ग्रामवासियों को दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और कई दुर्घटनाएं हो भी चुकी हैं। फुलवरिया बाई पास रेलवे लाइन पर रेलवे सम्पार फाटक बनाने की मांग काफी समय से जनता द्वारा किया जा रहा है इसके लिए जन आन्दोलन भी चलाया गया है किन्तु अभी तक रेलवे लाइन पर सम्पार फाटक का निर्माण नहीं हो सका है जिसके कारण लोगों में जन आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अस्तु इस लोक महत्व के विषय पर सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

जनपद लखीमपुर के रायपुर ग्राम सभा में टूटी विद्युत लाइन एवं ट्रान्सफार्मर बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[महोदय,

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे पैत्रिक गांव रायपुर में टूटी विद्युत लाइन व खराब ट्रान्सफार्मर हेतु शासन से स्वीकृत नई विद्युत लाइन व दो-दो ट्रान्सफार्मर शीघ्र लगाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में लेखपालों द्वारा तहसील दिवस एवं थाना दिवस के बहिष्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[दिनांक 01 फरवरी, 2011 से सम्पूर्ण प्रदेश में 27,234 लेखपालगण तहसील दिवस तथा थाना दिवस का बहिष्कार कर रहे हैं। दिनांक 25-26 जनवरी, 2011 को मोहनलालगंज, तहसील जनपद लखनऊ के लेखपाल श्री बाबूराम मौर्या ने उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार, तहसील मोहनलालगंज के शोषण, उत्पीड़न एवं भ्रष्टाचार से ऊबकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लिया। स्व0 बाबूराम मौर्या ने आत्महत्या के पूर्व एक सुसाइड नोट लिखकर उपरोक्त अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न एवं शोषण को आत्महत्या का कारण बताया है। इस घटना से प्रदेश के लेखपालों का बड़े अधिकारियों द्वारा नाजायज ढंग से अतिथि गृहों में अतिथियों के स्वागत आदि की अवांछित व्यवस्था कराने आदि तथा विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों का मामला प्रकाश में आया है। लेखपालों के कार्य बहिष्कार से तहसील दिवस तथा थाना दिवस में आने वाले हजारों समस्याग्रस्त नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, इससे नागरिकों में असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सुसाइड नोट में उल्लिखित लोगों के विरुद्ध तत्काल अपराधिक कार्यवाही कराने, जनपदों में जनसंख्या के अनुसार लेखपालों की नियुक्ति करने, मृतक लेखपाल श्री बाबूराम मौर्या के परिवार को रु0 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) प्रदान करने एवं आश्रित पुत्र को लेखपाल के अतिरिक्त योग्यतानुसार नियुक्ति प्रदान कराने और लेखपाल को अधिकारियों के शोषण से मुक्त कराने की मांग करता हूं।]

जनपद सोनभद्र के ग्राम पनौरा विकास खण्ड नगवां में एक विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य नारायण जैसल-

[महोदय,

सादर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र रार्बटसगंज के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों (जो जंगल और पहाड़ों के गांव हैं) में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ग्राम-पनौरा (वि0खं0 नगवां) जो क्षेत्र का केन्द्र जैसा है वहां पर एक <u>विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कर</u> विद्युत आपूर्ति से संतृप्त किया जा सकेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस (<u>विद्युत उपकेन्द्र स्थापना</u>) कार्य को कराने की कृपा करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर में आवास विकास परिषद् की आवास विकास कालोनी, विकास नगर की अत्यन्त जर्जर स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[गोरखपुर में आवास विकास परिषद् द्वारा विकासनगर में नकहा रेलवे स्टेशन के पास आवास विकास कालोनी, विकास नगर बनवाई गई थी, जिसमें वर्तमान में हजारों नागरिक निवास करते हैं।

आवास विकास परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कालोनी के नागरिकों का जीवन पूरी तरह नारकीय हो चुका है। करीब 10 वर्ष पूर्व निर्मित हुयी कालोनी का न तो आवास विकास परिषद् ने अनुरक्षण ही किया और न ही यह कालोनी नगर निगम को हैण्डओवर ही की गयी। नगर निगम ने भी वहां कोई विकास कार्य नहीं कराये।

करीब 2½ माह पूर्व हमने कालोनी का घूमकर निरीक्षण किया है। पूरी की पूरी कालोनी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। महानगर के अन्दर शायद ही कोई ऐसी कालोनी हो, जिसकी हालत इतनी घटिया स्तर की हो चुकी है। पूरी कालोनी की सड़कें और नालियां पूरी तरह टूट-फूट चुकी हैं और अब सड़कों पर सिर्फ टूटे-फूटे ईंटों एवं गिट्‌टियों का मलबा जमा है। जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने से चारों ओर भीषण जल-जमाव है। पूरे कालोनी में सफाई की सन्तोषजनक व्यवस्था न होने से चारों ओर झाड़-झखाड़ के जंगल फैल चुके हैं।

आवास विकास परिषद् वर्तमान में एक लाभ पर चलने वाली संस्था है और अपना लैण्ड बैंक बढ़ाकर प्रदेश में नई कालोनियां स्थापित करने की योजना बना रही है। लेकिन अपना पांव चारों ओर फैलाने की जगह पर इसका पहला दायित्व अपनी पुरानी कालोनियों का या तो रख-रखाव करना है या नियमानुसार विकास मानक के अनुरूप विकास कराकर इसे नगर निगम को स्थानान्तरित करना है।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय पर कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत सरकार को जवाब देने के लिए है।]

जे0 एल0 आर0 वाई0 एम0 योजना के अन्तर्गत लखनऊ के कैन्ट क्षेत्र में सीवर लाइन का कार्य न प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जे0एल0आर0वाई0एम0 योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण लखनऊ में सीवर डालने का काम चल रहा है जिसमें कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के आलमबाग क्षेत्र एवं कृष्णानगर क्षेत्र में आज तक सीवर का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काम नहीं प्रारम्भ हुआ है जिस कारण से आजाद नगर, प्रेमनगर, विशेश्वरनगर, कैलाशपुरी, छोटा बरहा, गीता पल्ली में जल भराव के कारण महामारी प्रतिवर्ष फैलती है। इस प्रकार से सरकार की दोहरी नीति के कारण जल भराव की समस्या को मार झेल रहे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीवर लाइन से वंचित हो रहे हैं। इससे जनमानस में असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त क्षेत्रों में सीवर डालने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा मुन्डेरा बाजार चौरी चौरा शहीद स्थली गोरखपुर में राजकीय अतिथि गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माधव पासवान-

[महोदय,

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा मुन्डेरा बाजार, चौरा शहीद स्थली, गोरखपुर में राजकीय अतिथि गृह बनाये जाने पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

चौरी-चौरा विश्व प्रसिद्ध शहीद स्थली हैं जहां पर हर समय राज्यपाल से लेकर मुख्य मंत्री, सांसद, विधायक, केन्द्रीय मंत्री तथा बाहर से आने वाले आगन्तुक तथा विदेशी पर्यटक का आना-जाना बराबर लगा रहता है। परन्तु उन लोगों के ठहरने तथा विश्राम आदि के निमित्त कोई गेस्ट हाउस नहीं बना है जिससे आने-जाने वाले लोगों को अनेकों असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जनपद गोरखपुर से जनपद देवरिया तक के बीच की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है जहां से आने-जाने में बाहरी लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। 15 अगस्त तथा 16 जनवरी के समय तो वी0आई0पी0 लोगों को तथा पर्यटकों का तथा स्थली के बारे में जानकारी लेने का तातां लगा रहता है मगर उनके लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा आज तक नहीं बन सकी है। आने-जाने हेतु सड़कों की हालत खराब है। अनेकों बार कहने पर भी कुछ कार्यवाही नहीं हो पाई है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक बथरा के अन्तर्गत ग्राम ढिढावली में 25 के0 वी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने तथा मकानों के ऊपर से गई विद्युत लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंकज कुमार मलिक-

[जनपद-मुजफ्फरनगर के ब्लाक बघरा के ग्राम ढिंढावली में वर्तमान में 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगना है, तार खम्भे मिल गये हैं, किन्तु तमाम कोशिशों के बावजूद उक्त ग्राम में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर नहीं लगाया जा रहा है। क्षेत्र में जगह-जगह ट्रान्सफार्मर जल गये हैं, उन्हें बदला ही नहीं जा रहा है और क्षेत्रीय किसानों को नये ट्रान्सफार्मर भी नहीं दिये जा रहे हैं, जिससे किसानों की खेती पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, खेती ही किसानों की जीविका का एक मात्र साधन है। गऊशाला नदी रोड पर श्री धर्मपाल जी का आवास है, उसके घर के ऊपर से विद्युत लाइन गयी हुयी है, उस विद्युत लाइन को हटाने के लिए सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया था, किन्तु आज तक उक्त विद्युत लाइन नहीं हटायी गयी है। उक्त विद्युत लाइन से कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। क्षेत्र में बिजली की विकराल समस्या के कारण पूरा जन-जीवन अस्त-व्यस्त है, दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित है तथा क्षेत्रीय नागरिकों में घोर असन्तोष एवं कुण्ठा व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा में बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 से निकले हुये मलवे के प्रदूषण से भयानक बीमारियों एवं जल प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद गोण्डा के बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 कुदरखी गोण्डा में 15000 टी0सी0डी0 क्षमता का शुगर मिल स्थापित है। उक्त चीनी मिल से निकलने वाले मलबा, खगास, चमदई नदी में गिरने से एक मोटी सिल्ट जम गयी है। अब इस नदी में पानी नहीं रह गया है, वह नदी टेढ़ी नदी की सहायक नदी है और नवाबगंज होते हुए अयोध्या में सरयू नदी में जाकर मिलती है। लगभग 100 किलोमीटर की लम्बी स्वरूप गुरूलाल में नाले के रूप में है उसके बाद यह नदी का रूप धारण करती है। इस नदी के अगल-बगल सैकड़ों गांव हैं एवं टिकरी रामगढ़ जंगल को छूती हुई बहती है। महोबा, हड़हवा ग्राम के निकट शुगर मिल से निकलने वाला कचड़ा एवं बगास पूर्व रूप से भर गया है। मिल के कचड़े से नदी में सिल्ट जम गयी है, मेरे द्वारा कई बार प्रश्नों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा धरातल पर न जाकर घर बैठकर कागजी कार्यवाही से इतिश्री कर दी। जबकि गांव में मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया जैसी भयानक बीमारियां फैल रही हैं और लोगों को प्रदूषित जल पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। जल संरक्षण के लिए चलाये जा रहे अभियान को इस नदी के पटने से धक्का लगा है। जनपद की आधा दर्जन सहायक नदियों का अस्तित्व खतरे में है। क्षेत्रीय जनता में भारी रोष व्याप्त है, यह लोक महत्व अविलम्बनीय विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिवक्ता कल्याण निधि के अन्तर्गत वकीलों को मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी तथा बिहार प्रदेश सरकार की तर्ज पर पेंशन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[महोदय,

उ0 प्र0 के लगभग 2 लाख 40 हजार वकीलों के लिए भी बिहार प्रदेश में लागू पेंशन योजना के तर्ज पर प्रदेश के वकीलों को भी उक्त योजना से लाभान्वित किया जाना तथा वर्तमान में राज्य के वकीलों को अधिवक्ता कल्याण निधि योजना से आच्छादित वकीलों को मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी किया जाना न्यायसंगत होगा। सूच्य है कि उक्त के सम्बन्ध में वाराणसी के दोनों बार एसोसियेशन द्वारा इस सम्बन्ध में प्रारूप बनाकर प्रदेश बार काउन्सिल को प्रेषित किया गया है और इस पर बार कौन्सिल आफ इण्डिया द्वारा भी मंजूरी दे दी गयी है जिसके अनुसार युवा वकीलों को 3 हजार और सीनियर वकीलों को साढ़े सात हजार रुपये देकर रजिस्ट्रेशन कराने वालों को 70 साल की आयु में 20 साल की प्रेक्टिस के बाद रिटायरमेंट लेने वाले वकीलों को अगले 20 साल तक हर माह 5 हजार रुपये की पेंशन, बीमारी या एक्सीडेन्ट होने पर दोबारा प्रैक्टिस न कर पाने की दशा में भी पांच हजार रुपये पेंशन हर महीने दिये जायेंगे। वकील के न रहने पर योजना की सुविधा पत्नी व उनके बच्चों को भी मिलेगी। सूच्य है कि जनता को न्याय दिलाने में वकीलों को कई बार अपराधी तत्वों का कोपभाजन भी बनना पड़ता है और उनकी हत्या भी हो जाती है, वाराणसी में कचहरी के अन्दर बम विस्फोट की घटना में गम्भीर रूप से घायल वकील को चिकित्सा कराने में घोर कठिनाई का सामना करना पड़ा। उक्त परिस्थितियों में प्रदेश के वकील समुदाय को अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत मिलने वाली नगण्य राशि में बढ़ोत्तरी किया जाना तथा बिहार प्रदेश की तर्ज पर पेंशन योजना लागू करने में लोक कल्याणकारी सरकार द्वारा पहल करने की मांग करता हूं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर के ध्वस्त मार्गों का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सतीश महाना-

[महोदय,

विगत दिनों कानपुर महानगर में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजनान्तर्गत पड़ रही सीवर एवं पाइप के लाइनों से अधिकांशतः सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। इसके साथ विगत बारिस में भी बहुत बड़ी मात्रा में सड़कें खराब हुई। इनमें से कानपुर महानगर के अधिकांशतः मुख्य मार्ग भी सम्मिलित हैं। बारिश के मौसम के पश्चात सितम्बर माह 2010 से सड़कों का निर्माण प्रारम्भ हो जाना चाहिए था। इस हेतु जल निगम द्वारा नगर निगम, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग को निर्धारित धनराशि भी दी जा चुकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है परन्तु सड़कों का निर्माण प्रारम्भ अभी तक नहीं हुआ। ऐसी परिस्थतियों में जब महानगर जैसे मुख्य शहर पर चलना मुश्किल हो रहा तो इससे जनता के मानसिक प्रताड़ना के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत कानपुर महानगर की सड़कों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र मोरना में कतिपय ग्रामों में जल निकासी हेतु नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मिथिलेश पाल-

1-[ग्राम वाजिदपुर क्वाली	तालाब से लेकर श्री दलेल सिंह के मकान तक लगभग 300 मीटर नाला निर्माण।
2-ग्राम-बेहड़ा सादात	रविदास मन्दिर पर 150 मीटर नाला निर्माण।
3-ग्राम-खोखनीं मजरा बेहड़ा सादात	1-प्राइमरी स्कूल से ग्राम-बेहड़ा सादात की ओर राजबहे तक पूरब की ओर लगभग 300 मीटर नाला निर्माण।
	2-प्राइमरी स्कूल से पश्चिम की ओर राजवाहे तक लगभग 300 मीटर नाला निर्माण।

उक्त ग्रामों की जल निकासी न होने के कारण ग्रामवासियों को अत्यन्त परेशानी है। जल भराव के कारण ग्राम में बार-बार बीमारी फैल जाती है। उक्त कार्य न कराये जाने के कारण ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है।

अतः जनहित में उक्त ग्रामों में जल की निकासी हेतु नाला निर्माण अविलम्ब कराये जाने की मांग करती हूं।]

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों का अनुपालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[महोदय,

मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं कि इनके अधीन कार्यरत नवल किशोर मिश्रा पर्यवेक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र असोथर, जिला-फतेहपुर में कार्यरत हैं। इनके बकाया वेतन भुगतान मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर द्वारा विगत कई वर्षों से नहीं किया गया जिस पर मजबूर होकर श्री नवल किशोर मिश्रा, पर्यवेक्षक ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-45518/2010 को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दाखिल की जिस पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 4-8-2010 को मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर को बकाया भुगतान करने के आदेश दिये लेकिन उसके पश्चात भी मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अभी तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना इस अधिकारी द्वारा की जा रही है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है। अधिकारी बेलगाम हो गये हैं, सम्बन्धित कर्मी व उसका परिवार भुखमरी के कगार पर है व उसके बच्चों की शिक्षा भी पैसे के अभाव में प्रभावित हो रही है इस मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर के विरुद्ध सरकार तत्काल कार्यवाही कर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने में उसे निलम्बित करने का सरकार को काम करना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री नवल किशोर मिश्रा, पर्यवेक्षक का बकाया वेतन भुगतान करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद जालौन के उरई में करमेर रोड एवं स्टेशन रोड के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विनोद चतुर्वेदी-

[मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद-जालौन के मुख्यालय उरई के दो अति महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त मार्गों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मुख्यालय उरई में (1) करमेर रोड से सरस्वती शिशु मन्दिर होते हुए कानपुर बाई पास एवं (2) स्टेशन रोड से शहर की तरफ वाला मार्ग अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान में उक्त दोनों मार्गों पूरी तरह से जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गये हैं। आवागमन पूर्णरूपेण बाधित है। दो पहिया, चार पहिया वाहन, पैदल यात्री आदि का चलना कठिन हो रहा है। जगह-जगह सड़क उखड़ गयी है, बड़े-बड़े मलबे हो गये हैं। व्यापारी वर्ग, छात्र वर्ग एवं यात्रीगण रोजाना इन मार्गों से आते-जाते हैं। उक्त मार्ग जर्जर होने के कारण व्यक्ति समय से अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाता है। जनहित में दोनों मार्गों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। क्षेत्रीय नागरिकों में उक्त मार्गों को लेकर काफी असन्तोष एवं रोष व्याप्त है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2011 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 09 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश के मंत्रियों के अधिकारों में कटौती किये जाने तथा उनसे स्थानान्तरण जैसे मामलों में नियंत्रण ले लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है और दूसरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बांकेगंज के ग्राम-अलीगंज में स्वीकृत पावर स्टेशन का निर्माण कार्य समय से पूरा न होने से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है। यह दोनों सूचनाएं सुनी जायेंगी। तीसरी सूचना श्री अशोक कंसल की, चौथी सूचना श्री राधेश्याम गुप्ता की, पांचवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की, छठवीं सूचना श्री अरविन्द सिंह यादव की, सातवीं सूचना श्री लालजी यादव की, आठवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की और नौवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है, यह सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी।

प्रदेश के मंत्रियों के अधिकारों में कटौती किये जाने तथा उनसे स्थानान्तरण जैसे मामलों में नियंत्रण ले लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अब श्री प्रमोद तिवारी जी।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपको बहुत विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद-164 (2) का उल्लेख यहां करना चाहता हूं और 164 (1) का, जिसका कहीं न कहीं उल्लंघन यहां हो रहा है। मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद-168 (1) के अन्तर्गत विधान सभा का गठन होता है, यह निर्विवाद रूप से है। मान्यवर, 164 (1) के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री जी की सलाह पर महामहिम राज्यपाल अपने प्रसाद पर्यन्त मंत्री की नियुक्ति करते हैं। मान्यवर, 164 (2) जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसके अनुसार मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मान्यवर, यही मेरी व्यवस्था का प्रश्न है, यही मेरा औचित्य का प्रश्न है। मान्यवर, मंत्रि-परिषद् को सुगम रूप से चलाने के लिए विभागों का बंटवारा होता है, हर मंत्री के पास एक या एक से अधिक विभाग होते हैं और मंत्री ही इस सदन में आकर विभाग की प्रगति, उस विभाग की अगर कोई जवाबदेही है तो मंत्री ही सदन के प्रति उत्तरदायी होते हुए उसकी जवाबदेही होती है। मान्यवर, यह संभव तभी है जब सम्बन्धित मंत्री का, सम्बन्धित विभाग पर पूरा नियंत्रण हो। मान्यवर, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि दो वर्षों से लगातार जीरो ट्रांसफर इयर के रूप में लिया जा रहा है। नतीजे के तौर पर क्या होता है। मान्यवर, मंत्री कैप्टन होता है, उसकी एक टीम होती है, नीचे से ऊपर तक काम करने के लिए। मंत्री को मालूम है कि यह अधिकारी यहां हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है और दूसरे स्थान पर दूसरा अधिकारी। कहीं पर वह किसी विशेष को भेजना चाहता है, लेकिन आज मंत्री से यह अधिकार ले लिया गया है और मा0 मंत्री जी चाहें या कोई विधायक संस्तुति करें कि यह अधिकारी यहां ज्यादा विभाग के लिए उपयुक्त हो सकता है तो उस समय मा0 मंत्री जी चाहें भी तो अपने विभाग में किसी भी अधिकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए उन्हें मा0 मुख्य मंत्री जी की अनुमति की जरूरत होती है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का मतलब ही पूरा मंत्रि-मण्डल होता है। लेकिन मान्यवर, होता क्या है कि यहां से मा0 मंत्री जी से सम्बन्धित विधायकगण कहते हैं, मा0 मंत्री जी स्वयं महसूस करते हैं, वो भेजते हैं, वहां जाकर मान्यवर मंत्री की जगह पर कुछ अधिकारी निर्णय लेते हैं और

अधिकारी का निर्णय यह हुआ कि मंत्री जी सलाह उचित हैं तो मान ली जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मंत्री जी सलाह उचित है तो मान ली जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मंत्री जी की सलाह उचित होते हुए भी और हम लोगों से कहा जाता है कि हमने तो प्रस्ताव भेज दिया, स्वीकृत नहीं हुआ। तो मान्यवर, विधान सभा के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व हैं, उस सिद्धान्त के निर्वाहन में कठिनाई हो रही है। मेरा एक मात्र 164 (2) का उल्लेख करते हुए विनम्रतापूर्वक एक ही आग्रह है कि मान्यवर, मा0 मंत्री जी अधीन जो मंत्रालय है उसके प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार पूरी तरह मंत्री को होना चाहिए, मंत्री के ऊपर किसी अधिकारी का नहीं होना चाहिए। इससे मान्यवर, सम्बन्धित विधायकों को भी अपने क्षेत्र में अगर वह किसी अधिकारी को हटाना चाहते हैं या वो समझते हैं कि इस स्थान पर यह अधिकारी उपयुक्त है, मंत्री जी सहमत भी हों तो जब तक अधिकारी सहमत नहीं होता तब तक यह नहीं हो पाता है मान्यवर। इस तरह मान्यवर, यह मंत्रियों के अधिकारों का भी हनन है। मंत्री अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और जब टीम का कैप्टन ही मान्यवर, पूरी ताकत से काम न कर सकें तो उस टीम का क्या हश्र हो सकता है, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है मान्यवर। तो मेरा मात्र एक औचित्य का प्रश्न है कि 164 (2) के सिद्धान्तों का उल्लंघन हो रहा है। मंत्री के नियंत्रण में मान्यवर, पूरा विभाग नहीं है। मंत्री के ऊपर अधिकारी बैठा हुआ है।

मैं जानता हूं कि आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब यही होगा कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। चल ही रहा है ठीक-ठाक इसमें कोई बेठीक तो नहीं कहा जा रहा है। यह भी कह दिया कि नहीं-नहीं वो जाता है और उचित ढंग से होता है। मान्यवर, सदन में यही कहना चाहिए और वह कहेंगे भी। लेकिन सदन के बाहर बहुत से लोग आपको नहीं कहते, बहुत से लोग क्या कहते हैं। उसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए मान्यवर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मंत्री को अपने विभाग का पूरा नियंत्रण है जिससे वह अपने सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाहन करते हुए सदन को सही सूचना दे सके, वरना आजकल बहुत से मंत्रियों की बहुत से अधिकारी सुन नहीं रहे हैं।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 तिवारी जी कई बार इस विषय को ला चुके हैं। मान्यवर, इन्होंने स्वयं पढ़ा कि सदन के प्रति मा0 मंत्रि-परिषद् जवाबदेह है और मंत्रि-परिषद् ने ही यह निर्णय लिया कि स्थानान्तरण सत्र शून्य घोषित किया गया था और इसी के साथ उसमें यह प्राविधान किया गया कि प्रशासनिक औचित्य तथा शासकीय कार्यहित में यदि स्थानान्तरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है तो विभागीय मंत्री के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके ही स्थानान्तरण किया जायेगा। इसमें मान्यवर, कौन सा अनुचित है और कहां अधिकार की कटौती हुयी है। तो इसलिये मान्यवर, मैं चाहूंगा कि यह नियम-300 की कहीं से विषय वस्तु नहीं है इसलिये इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 के नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 का संचालित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा†

श्री अध्यक्ष-

आगे मद संख्या-4 है।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ के वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश के वन निगम के वार्षिक लेखों (वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07)†

वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वन निगम के वार्षिक लेखों (वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07) को उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा-23 की उपधारा (5) (ए) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-63, दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :-

वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद ने अपने टेलेक्स सन्देश दिनांक 10 फरवरी, 2011 जो इस सचिवालय में दिनांक 14 फरवरी, 2011 को प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि विचाराधीन कैदी श्री विजय कुमार मिश्रा, सदस्य, विधान सभा को थाना कोतवाली, इलाहाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 237/2010 भा0द0वि0 की धारा 302/307/427/429/120बी, 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट तथा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10 फरवरी, 2011 के द्वारा जेल में दाखिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति का (2010-2011) का पंचम प्रतिवेदन †

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2010-2011) का पंचम प्रतिवेदन, जो ऊर्जा विभाग के प्राक्कलनों के परीक्षण से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति (2007-2008) के द्वितीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2010-2011) का षष्टम् प्रतिवेदन†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2010-2011) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्राक्कलनों के परीक्षण से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति (2008-2009) के तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

मद सं0-10

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 फरवरी, 2011 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 15 फरवरी, 2011 से 01 मार्च, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 15 फरवरी, 2011 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय।

2-दिनांक 18 फरवरी, 2011 को सदन का उपवेशन न हो।

3-दिनांक 15 फरवरी, 2011 से दिनांक 01 मार्च, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2011

15 मंगलवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना, 2-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
16 बुधवार	(ईद-ए-मिलाद का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
17 गुरुवार	1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :- (1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (2) गलगोटियाज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (3) शिवनादर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (4) उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011
18 शुक्रवार 19 शनिवार 20 रविवार	(संत रविदास जयन्ती का अवकाश) बैठक नहीं होगी। बैठक नहीं होगी।

21 सोमवार 1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2011

(2) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

(3) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

<u>फरवरी, 2011</u>

22 मंगलवार
23 बुधवार
24 गुरुवार } वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

25 शुक्रवार 1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-असरकारी दिवस।

26 शनिवार
27 रविवार } बैठक नहीं होगी।

28 सोमवार 1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-विधायी कार्य।

<u>मार्च, 2011</u>

01 मंगलवार 1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2011 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011†

नगर विकास, पर्यावरण शहरी समग्र विकास कर एवं निबन्धन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2011 को नियम-311 में प्राप्त 4 सूचनाओं को नियम-56 में अन्तर्गत 28 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

इसमें पहली सूचना है श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री लल्लू सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री सतीश महाना की प्रदेश के किसानों के धान विक्रय करने में बिचौलियों का हाथ होने तथा खाद एवं बिजली की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी में काशी विद्यापीठ ब्लाक में ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर की जा रही भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना (नियम-311 में प्राप्त) श्री कौकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर, श्री पूरन प्रकाश, श्रीमती मिथिलेश पाल, श्रीमती बिमलेश सिंह की आगरा, मेरठ, सहारनपुर मण्डल में दलित जाति कोरी को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ शहर की जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुए सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण एवं फ्लाईओवरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री मदन चौहान

† दिनांक 08 मार्च, 2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

की गाजियाबाद स्थित सिम्भावली शुगर मिल द्वारा गन्ने की घटतौली करने व गन्ने की तस्करी रोकने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री सिबगतुल्ला अंसारी की गाजीपुर के ग्राम मिर्जावाद निवासी व्यापारी नेसार के साथ लूट-पाट करने एवं हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के परीक्षा केन्द्र 25 किलोमीटर दूर किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री अरविन्द गिरी की मानव जनित बाढ़ आपदा से जनपद लखीमपुर खीरी के 70 प्रतिशत से अधिक जनमानस को बचाने के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना (नियम-311 में प्राप्त) श्री लालजी यादव की उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत स्वर्गीय प्रेमचन्द्र अनुसेवक की मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित कोटे में उनके पुत्र को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में है।

इसमें मैंने ध्यानाकर्षण कर दिया है।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश के एक हजार जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की मुजफ्फरनगर स्थित जैन कन्या पाठशाला इण्टर कालेज में अनियमित रूप से की गई अध्यापिकाओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ में किडनी रैकेट से सम्बन्धित की जा रही जांच को थाना इचौली से स्थानान्तरित कर पुलिस के किसी अन्य विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई अथवा अस्वीकृत हुईं :-

1-(नियम-311 में प्राप्त) डा0 आर0 ए0 उस्मानी (थारू जाति के सम्बन्ध में सूचना थीं, जिस पर कल दिनांक 14-2-11 को सुना जा चुका है)

2-(नियम-311 में प्राप्त) श्री अरविन्द सिंह यादव

3-श्री जावेद अंसारी,

4-श्री विनोद सरोज,

5-श्री अनूप गुप्ता,

6-श्री राम बिशुन आजाद,

7-डा0 आर0 ए0 उस्मानी,

8-डा0 राधेश्याम गुप्ता,

9-श्री विद्यासागर गुप्ता,

10-श्री पंकज मलिक,

11-श्री लालजी यादव,

12-श्री अरविन्द सिंह यादव,

13-श्री राजाराम त्यागी,

14-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,

15-श्री रियाज अहमद तथा

16-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी।

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी हम लोगों की सूचनाओं पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करा दें, आज हम सिर्फ दो-तीन लोग ही हैं और इसीलिए हम लोग आज इस सदन में रुके भी रहे हैं और बड़ी उम्मीद से रुके हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप हाउस में उम्मीद से रुकते हैं।

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, हमारे कहने का मतलब यह नहीं है, हम तो सिर्फ आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करा दें।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा बैठिये, हम देखेंगे।

(श्री ओम प्रकाश सिंह का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं पाये गये।)

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कल भी किसानों की समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख हुआ था और यह भी कहा जा सकता है कि बजट सत्र चल रहा है, अनुदानों पर बहस होगी, तब भी इन बातों का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन जब स्थिति असामान्य हो तो मैं कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से इस समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं मान्यवर, तीन भागों में यह समस्या है। भाग नम्बर, एक में तो यह कि जो सरकार का अपना दायित्व है, उस दायित्व में सरकार कामयाब नहीं हो पा रही है, उस दायित्व को निभा नहीं पा रही है मान्यवर, फसल के टाईम पर बुवाई के टाईम पर रासायनिक खाद उपलब्ध हो, डी0ए0पी0 उपलब्ध हो और अगर उपलब्ध नहीं होगी तो निश्चित रूप से खेती की उपज पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, जब भी फसल की बुवाई हुई रबी की, जब गेहूं बोया गया, चना बोया गया, मटर बोया गया जौ और जई बोई गई, यह दुर्भाग्य की बात है मान्यवर कि डी0ए0पी0 उपलब्ध नहीं था और डी0ए0पी0 उपलब्ध नहीं था तो निश्चित रूप से किसान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है कि किसान की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को सरकार क्यों नहीं निभा पाती है। मान्यवर, कहां जायेगा किसान, मान्यवर, पहली जो सिंचाई होती है गेहूं की और दूसरी सिंचाई होती है उस पर जो रासायनिक खाद यूरिया है जिसमें नाईट्रोजन होती है मान्यवर, उस नाइट्रोजन के खाद की अत्यन्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकता होती है और पहली सिंचाई के ऊपर अगर उसको नाइट्रोजन नहीं मिलेगी प्रचुर मात्रा में तो वह फसल कमजोर रहेगी और फिर प्रभाव पड़ेगा किसान की आर्थिक स्थिति के ऊपर। क्या इससे कोई इन्कार कर सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जायं, किसी भी जिले में चले जायं। कहीं पर यूरिया उपलब्ध नहीं है। आखिर क्यों नही उपलब्ध है। हरियाणा से ब्लैक में यूरिया कैसे उपलब्ध हो जाती है, किसान लाता है वहां से लादकर के और यही नहीं आपको तो खुश होना चाहिए था कि बाहर से किसान यूरिया ला रहा है, जब शहर से किसान यूरिया ला रहे थे तो उनको पुलिस चेक पोस्ट पर पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, उनका कार्ड जब्त किया गया। बगैर इसके कि उनको प्रोत्साहन देते कि चलो यहां नहीं मिल रही है तो बाहर से जा करके ले आइये, आज सरकार जिम्मेदारी का परिचय दे और यह बताये कि उन्होंने समय रहते यूरिया की व्यवस्था क्यों नहीं की। मान्यवर, अगर आपने व्यवस्था नहीं की और किसानों का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपायी के लिए आपके द्वारा क्या इंतजाम किये गये हैं। मान्यवर, इसी के साथ-साथ इसी तरह से यह कहना चाहता हूं कि फसल तैयार हुई बाजार में आई, दो फसलों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। गेहूं की फसल आती है तो आपके द्वारा क्रय केन्द्र खुले जाते हैं इसी तरह से धान की फसल आती है तो क्रय केन्द्र खोले जाते हैं। आपकी तरफ से इसकी बाबत घोषणा हो गयी क्रय केन्द्रों को खोलने की और अधिकारियों की तैनाती की बात भी हो गयी कि फलां अधिकारी वहां पर्यवेक्षण करेंगे। लेकिन आप देख लें कि कितने ऐसे क्रय केन्द्र खोले गये हैं। धान के क्रय के लिये कितने खोले गये हैं। वह नहीं खोले गये। उसका परिणाम यह है कि किसान निर्धारित सरकारी दर पर उसे बेच नहीं पाया। जो उसको उसकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया। बिचौलिये बाजार में सक्रिय हो गये और उनके हाथों किसानों को कम दाम पर अपनी फसलें बेचनी पड़ी हैं। इसी तरह से आपके चावल मिल मालिक किसानों से सीधे धान खरीद रहे हैं। उन्हें किसान मजबूरी में कम दाम पर बेच रहे हैं। मान्यवर, सरकार का इन्टरवेंशन क्यों होता है वह इसलिए होता है ताकि किसानों को उसकी उपज का वाजिब मूल्य मिल सके। लेकिन जब आपकी कोई व्यवस्था ही नहीं है सारी व्यवस्था चौपट है, बिचौलिये बीच में आ जाते हैं और किसानों से सस्ते दामों में उनकी उपज खरीद लेते हैं तो फिर क्या होगा। इसके बारे में आप सोचें।

मान्यवर, एक और विकट समस्या है हालांकि लगभग छः माह के बाद हम लोग यहां पर बैठ रहे हैं हमें उम्मीद थी कि इस बीच में सरकार ने उसके वैकल्पिक उपायों के बारे में कोई नीति बना ली होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, इस बार उत्तर प्रदेश में बाढ़ आयी। सभी नदियां जलमग्न हो गयी। पश्चिम में गंगा नदी और यमुना नदी पूरे-पूरे उफान पर थीं। उसके चलते किसानों की वहां पर गन्ने की और धान की फसल बर्बाद हुई है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से वहां पर देखा है कि लोगों की छतों तक पानी आ गया था। मुझे उम्मीद थी सरकार इस बारे में कोई निर्णय लेगी। लेकिन जब ऐसा मैंने कुछ सरकार की ओर से नहीं देखा है तभी विवश होकर मुझे यहां पर इस विषय को उठाना पड़ रहा है। मान्यवर, उस भीषण बाढ़ के कारण वहां के हजारों हजार किसानों की भूमि नदी में चली गयी और वह नदी की हिस्सा बन गयी है जलमग्न हो गयी है और वह अभी भी नदी का हिस्सा बनी हुई है। मान्यवर, इस विकट समस्या के चलते हजारों किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन हो चुके

हैं वह किसान आज मजदूर की श्रेणी में आ गये हैं। वह आज किसान नहीं रहे हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो मैं जानकारी दे रहा हूं उसको आधार मानकर के आप जनपदों से इस बात की जानकारी करेंगे कि कितने किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन सब जलमग्न हो गयी है वह भूमिहीन हो गये हैं। उनके लिए आप कोई व्यवस्था करेंगे।

मान्यवर, इस पर चिन्ता इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से चिन्ता होनी चाहिए। हमारे अन्दर इसके प्रति थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता होनी चाहिए। इस पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। मान्यवर, इसमें हजारों किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन हो गये हैं। कहने को वह किसान हैं खतौनी में उनका नाम है लेकिन उनकी सारी जमीन जलमग्न हो गयी है और वह नदियों का हिस्सा बन गयी है। कहां जायेंगे वह लोग। नौकरी उनके पास है नहीं। सरकार की तो योजना होनी चाहिए थी इस बारे में और मुझको तो संतोष होता इस बात का कि छः महीने के अन्दर इस पर कोई कार्यवाही हो गयी होती और एक विशेष उल्लेख यहां पर हो गया होता। सरकार का वक्तव्य इस पर आ गया होता कि नहीं हम लोगों ने किसानों की चिन्ता की है और उनके लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की है। यहां तो कोई बात आयी नहीं। मजबूर होकर मान्यवर हम उनकी समस्या यहां पर उठा रहे हैं तो अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरी बात में और बल मिल जायेगा कि जितने जनपद बाढ़ग्रस्त हुए हैं उन जिलों के अधिकारियों से पूरी आख्या मंगा ली जायेगी कि कितने किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन हो चुके हैं। मान्यवर, सारी की सारी अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर निर्भर है। मुख्य रूप से और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की तो खेती पर निर्भर है ही। उद्योग तो आंशिक है यहां पर है। व्यवसाय थोड़ा बहुत योगदान देता है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है और अगर कृषि का यह हाल होगा कि समय के अन्दर आप खाद्य उपलब्ध न करा सकें, समय के अन्दर आप बाजार की व्यवस्था न करा सके, क्रय केन्द्रों की व्यवस्था न करा सकें और प्राकृतिक प्रकोप के कारण किसान बेघर हो जायें, किसान भूमिहीन हो जायें उनकी व्यवस्था न करा सकें तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में उन हजारों भूमिहीन परिवारों के पालन-पोषण की व्यवस्था क्या होगी। केवल कार्य-स्थगन, कार्य-स्थगन के रूप में नहीं उठाया गया है। एक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए एक समस्या की अभिव्यक्ति के लिए मैंने इस प्रश्न को यहां पर रखा है और उसी गम्भीरता से उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको लेगी और इन तीन बिन्दुओं पर आप कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय हुकुम सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत इस कार्यस्थगन प्रस्ताव के ऊपर अपने विचार रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है और प्रदेश की बहुसंख्यक जनता की आय का मुख्य साधन कृषि है। अगर हम पिछले दो तीन वर्षों के आंकड़े देखें 2007 में चावल और 2007 में गेहूं, 2007-08, 2008-09 का उत्पादन देखें तो यह 2008-09 में अंतिम रूप से घटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2007-08 में गेहूं तकरीबन 263 लाख मीट्रिक टन था जो 2008-09 में बढ़कर 289 हुआ था और 2009-10 में पुनः घटकर 275 लाख मीट्रिक टन हो गया। एक ओर कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है दूसरी ओर हमारे जो साहित्य होते हैं जो बजट के आय-व्ययक अनुदान होते हैं उसमें हम बार-बार

इस बात का दावा करते हैं सदन के अन्दर इस बात का कि किसानों की आय दूनी की जायेगी सदन के बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही बयान होते हैं कि हम किसानों की आय इस वर्ष जो उनकी थी उसके दूनी कर देंगे। जो बिन्दु यहां पर लिये गये हैं क्रय केन्द्रों का न चलना और अगर धान का सीजन अगर बीता है तो धान के किसानों को क्रय केन्द्र के द्वारा किये गये भुगतान का। मूल समस्या हमारी क्या है हम यह दावा तो करते हैं कि हम एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा भुगतान करेंगे। एकाउन्टपेयी चेक हमने दिये भी हैं और एकाउन्टपेयी चेक जा करके उन्हीं समितियों में जमा भी हो जाते हैं। एकाउन्टपेयी चेक के एकाउन्ट से अगर देखा जाय तो हम यह कहेंगे कि हमने किसानों के धान का सारा मूल्य भुगतान कर दिया जब कि सच्चाई क्या है अगर मैं गोरखपुर मंडल की ही बात करूं महाजगंज में 12 करोड़ 9 लाख, देवरिया में 8 करोड़ 2 लाख, कुशीनगर में 6 करोड़ 73 लाख, और गोरखपुर में 7 करोड़ 92 लाख का बकाया है और यह बकाया मैंने जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव हैं उनके द्वारा डाटा प्राप्त करने के बाद इस सदन में रखने का काम किया है। यह बकाया इसलिए है कि कागज पर हमारी व्यवस्था कुछ और है और व्यावहारिक में हमारी व्यवस्था कुछ और है। किसान क्रय केन्द्र में आता है अपना धान देता है एजेंसी उसको मिलर को देती है मिलर उसको कूटता है, कूटने के बाद वह एफ0सी0आई0 को देता है, एफ0सी0आई0 एकनालेजमेन्ट देती है उस एकनालेजमेन्ट के अंगेस्ट में जब क्रय एजेन्सी अपना बिल प्रस्तुत करती है तो एफ0सी0आई0 उसका भुगतान करती है उसके बाद वह भुगतान एजेंसियों के द्वारा क्रय केन्द्र में भेजा जाता है और तब किसानों के एकाउन्ट में वह चढ़ता है। सरकार इसकी जगह पर यह व्यवस्था भी कर सकती है कि हमने जिसका धान लिया है हम उसका मूल्य उसे सीधे अदा करेंगे और जो कुछ धान मिलर के पास गया है उसका कुछ मूल्य हमें लेना है वह हम मिलर से लेंगे। लेकिन यह जो व्यवस्था बनाई गयी है जिसमें हम दावा एकाउन्टपेयी चेक का करते हैं वास्तव में उनको मिलता तब है जब यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाय तो स्वाभाविक रूप से यह बकाया सामने आता है। अब स्थिति यह है कि जिसने नवम्बर या दिसम्बर में अपना धान बेचा होगा आज फरवरी में 15 फरवरी तक उसका अगर भुगतान नहीं हुआ है। हमने देखा है कि जाड़े की बरसात इस बार नहीं हुई कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो जो विन्टर रेन हुआ करती थी वह नहीं के बराबर हुई है स्वाभाविक रूप से जिन्होंने गेहूं की बुआई की होगी उन्हें सिंचाई के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाने होंगे। अब उसके लिए धान का जो पैसा मिलना चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। गेहूं की जब उन्हें अतिरिक्त बुआई करनी होगी...

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह विषय से हटकर है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह विषय से हटने को विषय नहीं है, सारा मामला उसी का है खाद का विषय है क्योंकि अगर उसे सिंचाई के बाद खाद डालना है तो वह खाद के लिए पैसा कहां से लायेगा ? समितियां तो उसे खाद दे नहीं रही हैं, बाजार में खाद उपलब्ध है। यूरिया आपने कह दिया 278 रुपये मिल रहा है 50 रुपया ब्लैक पर और सिर्फ इतना नहीं यूरिया के साथ-साथ जिन्क भी लेना पड़ेगा 50 रुपया बोरी वह अतिरिक्त 50 रुपये देना पड़ेगा। माननीय हुकुम सिंह ने चर्चा की डी0ए0पी0 की

उपलब्धता नहीं है समितियों के पास लेकिन अगर हम बाजार में जायें तो 150 रुपया ब्लैक दे करके सारी उपलब्धता है और इसलिए नहीं है क्योंकि सिद्धार्थनगर में बैठा हुआ कृषि विकास अधिकारी पत्र लिखता है, जिला कृषि अधिकारी पत्र लिखते हैं डी0डी0को0 और कहते हैं कि गोरखपुर के खाद थोक विक्रेता गोरखपुर की खाद को नेपाल भेजने के लिये सिद्धार्थनगर के बार्डर का उपयोग कर रहे हैं। यह वह लिखित पत्र लिखते हैं और और लिखित पत्र लिखने के बाद भी और सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी इसकी जांच नहीं होती है और वह खाद के थोक विक्रेता, जो इस खाद को तस्करी के द्वारा नेपाल भेजने का काम कर रहे हैं, सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। स्थिति यह है कि भटनी की जो समिति है वहां लाठी चलाई गयी और 70-75 साल के बूढ़े को पुलिस ने लाठियों से मारा। महाराजगंज में इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करना पड़ा, चौरी-चौरा में जब इसी प्रकार से जाम लगा तो पुलिस ने लाठियां चलाकर इनको तोड़ने का काम किया। आज गोरखपुर की स्थिति यह है कि सारे पद खाली पड़े हुये हैं। अब यह विषय से हटना नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जी आप यह आदेश निकाल सकते हैं कि सारे अधिकारी खेतों में जाकर समस्याओं का समाधान करें। लेकिन खेतों में जाने के लिये अधिकारी भी तो होने चाहिये। गोरखपुर की स्थिति यह है कि वहां एक डिप्टी डायरेक्टर है, जिनके पास जिला कृषि अधिकारी का भी पद है, जिनके पास जिला कृषि रक्षा का भी पद है और जिनके पास उप निदेशक कृषि रक्षा का भी पद है। एक अधिकारी के पास चार दायित्व मंडल स्तर के और जिला स्तर के हैं और इतने से संतोष नहीं हुआ तो जो तहसील स्तर पर हमारे पद होने चाहिये थे, चूंकि वह खाली हैं इसलिये तहसील का दायित्व भी उसी को देखना है। जो सहायक निदेशक है उसके पास 11 दायित्व हैं। अब एक व्यक्ति और 11 दायित्व तो आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था में जहां सहायक विकास अधिकारियों के 19 पद हैं उसमें से 12 पद खाली पड़े हों तो सरकार किन अधिकारियों के माध्यम से इन चीजों की देखरेख करने वाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना किसानों को यंत्र देने की चलाई थी स्थिति यह आ गयी है कि जो यंत्र एक कृषि अधिकारी को लाभदायक लगते हैं, उसी की उपलब्धता कराई जाती है। मैपसेट मिलेगा अगर रोटावेटर मांग रहे हैं और मिलेगा भी एक पर्टीकुलर दुकान से। आप जो अनुदान देते हैं उस अनुदान की छूट देकर के किसानों को आप यह अधिकार क्यों नहीं दे सकते कि वह आई0एस0आई0 मार्क का कोई भी यंत्र खरीद सके और दाम को घटवाकर जितना भी मूल्य घटवा सके उस मूल्य को घटाकर उसका लाभ ले सके। लेकिन सरकार यह व्यवस्था नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यही वह सारे बिन्दु हैं जिसके आधार पर यह जो सरकार का दावा है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे वस्तुतः बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि धीरे-धीरे किसान गरीब से गरीब होता जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 के तहत आपने बोलने की अनुमति दी मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। उत्तर प्रदेश में जहां 74 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती हो। वहां खाद के बारे में बार-बार

हर वर्ष यही समस्या आती है। मूल समस्या है क्या ? समय पर लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते और लक्ष्य के अनुरूप खाद मिलता नहीं। इस साल की घटना हो या पिछले साल की घटना हो, 2007 से जब से यह सरकार आई है हर बार यही दिक्कतें आई हैं। प्रश्नों के माध्यम से स्थगन के माध्यम से बार-बार किसानों को खाद नहीं मिल रही, यह समस्या उठाई जाती है। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। इस बार भी यह कहा गया बजट में और उससे पहले भी कहा गया कि हम उत्तर प्रदेश में बफरस्टाक कर रहे हैं, वह बफरस्टाक कहां गया किसानों को कहीं भी किसी भी सोसाइटी में यूरिया उपलब्ध नहीं है, जब फसल बोनी थी तब डी0ए0पी0 उपलब्ध नहीं थी लेकिन वहीं खाद बाजार में जाकर कैसे मिल जाती है। यूरिया के कट्टे पर 100 से लेकर 150 रुपये तक ब्लैक। बाजार में खाद की कमी नहीं और सोसाइटी में खाद मिलती नहीं है। यही डी0ए0पी0 का हाल रहा। पिछले वर्ष तो और भी हालत खराब थी। जब थाने की पुलिस किसानों को खाद बंटवायेगी किसान अपनी बुग्गी लेकर सोसाइटी पर जायेगा और रात-रात भर खड़ा रहेगा और उसको खाद मिलेगी नहीं। पुलिस के माध्यम से बंटवारा होगा 24-24 घण्टे किसान खड़ा रहता है। आखिर किसान की गलती क्या है। गलती यह है कि किसान सबको खाना खिलाता है, सबका पेट भरता है। किसानों की एक और दिक्कत है, जमीन के आकार छोटे होते चले जा रहे हैं। पैदावार घटती चली जा रही है, आबादी बढ़ती चली जा रही है। जब किसानों को ठीक समय से खाद नहीं मिलेगी तो कृषि का क्या होगा। अभी आप जवाब देंगे तो कहेंगे कि सब कुछ ठीक है। आप हर बार कहते हैं कि हम कृषि की विकास दर 5 परसेन्ट से ऊपर लाने का प्रयास करेंगे आप अपने उत्तर में बता दीजिएगा कि जब खाद नहीं मिल रही है तो कृषि विकास दर कैसे बढ़ेगी। कृषि विकास दर आप 102 परसेन्ट प्राप्त कर रहे हैं। यदि आस-पास के प्रदेशों को आप देख लें तो गुजरात में 9 परसेन्ट कृषि विकास दर मिलती है। 24 घण्टे किसान को बिजली मिलती है। आप खाद देंगे नहीं, बिजली तीन-चार घण्टे देंगे, नहरों की सफाई होगी नहीं, रजबहों की सफाई होगी नहीं तो कृषि विकास दर कैसे बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सिरोही जी, कृपया समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, आखिर किसान की गलती क्या है ? अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कहेंगे कि यह नियमों में नहीं आता। मान्यवर, मैं नियमों की बात नहीं कर रहा। समस्याओं का समाधान कैसे हो, बेचारे गांव के गरीब किसान की हालत कैसे सुधरे, खाद समय पर कैसे मिले, बिजली कैसे मिले, नहरों में पानी कैसे मिले, किसान का धान कैसे खरीदा जाये, गेहूं कैसे खरीदा जाये, गरीबों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस पर विचार करें। सत्तापक्ष में भी किसान परिवारों के लोग हैं और विपक्ष में भी किसान परिवारों के लोग बैठे हुए हैं। नियमों आता है या नहीं इसका सवाल नहीं है, मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि किसान को समय पर खाद मिले, समय पर बिजली मिले और किसानों की समस्याओं का समाधान हो।

आबकारी, लो0नि0, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, इस वर्ष निरन्तर प्रयास से जो उर्वरक व्यवस्था रही है पहले मैं उसके सम्बन्ध में मा0 सदस्यों को अवगत करा देना चाहता हूं। मान्यवर, रवि 2010-11 में जनवरी, 2011 तक 40.98 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 44.2 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता कराते हुए मान्यवर, 37.52 लाख मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 40.10 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता कराते हुए 34.81 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया था। मान्यवर, यह व्यवस्था है और जहां तक फास्फेटिक उर्वरकों की प्री-पोजीशनिंग का सवाल है तो रवि 2010-11 के लिए 6.8 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरकों की प्री-पोजीशनिंग पी0सी0एफ0 के माध्यम से सुनिश्चित करायी गयी। वर्ष 2011-12 में 10 लाख मीट्रिक टन प्री-पोजीशनिंग तथा माह सितम्बर, 2011 से सहकारी समितियों पर स्टाक रखने से फास्फेटिक उर्वरकों की भरपूर उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है और सुनिश्चित कराने का पूरा प्रयास भी है। मान्यवर, जो मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं मा0 सदस्य कह सकते हैं कि आंकड़े फर्जी हैं लेकिन भारत सरकार से निरन्तर सम्पर्क में रहकर प्रयास करने के बाद यह उपलब्धता हो सकी है। यह बात मैं मानता हूं कि कभी-कभी ऐसा होता है और आप भी गांव के हैं, किसान के बेटे हैं, आप भी जानते हैं और मा0 सदस्य भी महसूस करते हैं लेकिन कुछ न कुछ कहना है तो ठीक है, वह उनका अधिकार है। स्थिति यह बनती है कि खाद जिसका वितरण होना चाहिए 8-10 या 12 दिन में जो 8-10 दिन का काम है वह एक ही दिन में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो थोड़ा अफरा-तफरी का माहौल हो जाता है, लाइन लगाकर मिल रही है। लेकिन मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार कोई एक किसान ऐसा नहीं है जिसको आवश्यकतानुसार या आवश्यकता से कम खाद मिली हो, चाहे डी0ए0पी0 हो, यूरिया हो या जो भी हो। आपके माध्यम से मैं मा0 सदस्यों से कहता हूं कि अगर अभी भी अवगत करायेंगे के फलां ब्लाक के फलॉ गांव में या फलॉ जिले में खाद नहीं मिल रही है तो मैं जितनी आवश्यकता होगी उसको उपलब्ध कराने की हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हम उपलब्ध करायेंगे। इस तरीके की बात कह देने से काम थोड़े ही चलेगा कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कहां हो रहा है ?

(डा0 अनिल चौधरी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि 03 जनवरी तक हाथरस जनपद में खाद उपलब्ध नहीं थी।)

हमारी भी पूरी बात सुन लीजिए उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से जो कहना हो कह लीजियेगा। मान्यवर, अभी मा0 अग्रवाल साहब ने कृषि आय दोगुनी करने की बात कही। कृषि आय दोगुनी करने से सम्बन्धित कुछ बिन्दु सदन में रखना चाहता हूं। हमारी सरकार ने प्रथम बार उन्नतिशील बीज उत्पादन हेतु इस वर्ष रबी में कृषि विश्वविद्यालयों पर केवल बीडर बीज, राजकीय प्रेक्षेत्रों पर फाउण्डेशन बीज एवं बीज उत्पादन कृषकों के यहां प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए नई पहल के अन्तर्गत इस वर्ष समस्त राजकीय प्रेक्षेत्रों पर प्रथम बार बीड़र सीड़ का उपयोग करते हुए 3816 हेक्टेयर में फाउण्डेशन बीज का उत्पादन कार्यक्रम चलाया गया है। मान्यवर, यह पहली बार हुआ है। इसके अलावा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फसली ऋण के बारे में बता दूं। रबी 2010-11 के

लिए रु0 14,122.44 करोड़ की फसली ऋण के वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष जनवरी, 2011 तक मान्यवर, 9812.06 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में रु0 6673.06 करोड़ का फसली ऋण का वितरण किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दूं। इसमें भी हम लीड कर रहे हैं, बीज व्यवस्था में भी लीड कर रहे हैं, कृषि रक्षा रसायन में भी लीड कर रहे हैं। मान्यवर, एक नई पहल और शुरू की है। 2010-11 में जिस विभाग द्वारा यह नई पहल की गयी है फसली ऋण और क्रेडिट कार्ड के सम्बन्ध में, 2010-11 में फसली ऋण वितरण का कुल लक्ष्य 23,818.36 करोड़ के सापेक्ष जनवरी, 2011 तक 18,113.76 करोड़ रुपये का वितरण कर लिया गया और वर्ष 2011-12 में 34,000 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरण किया जाना प्रस्तावित है। इसी तरीके से भूमि सुधार के सम्बन्ध में पहली बार शत-प्रतिशत जो हमें कामयाबी मिली। कटरी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में 10,507 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि सुधार कराकर प्रथम बार शत-प्रतिशत क्षेत्र को फलोत्पादन के अन्तर्गत लाया गया। इसके अलावा प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर सहकारी, अर्द्ध सहकारी संस्थाओं द्वारा भी उर्वरकों की बिक्री केन्द्र की स्थापना की गयी। तकनीकी प्रसार किया गया जिसके तहत 'नाबार्ड' से स्थापित फार्मर क्लब को गोद लेना इसके अलावा कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ-साथ वैज्ञानिक कृषक तथा कृषि अधिकारी की बैठक आयोजित की गई और एक जो पहले चला करता था कि लाइन से बुआई होती थी उससे फसल अच्छी होती थी लाइन से बुआई के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दलहन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी दलहन के बारे में आया कि दलहन की काफी कमी पड़ रही है अब मान्यवर जैसे गन्ना है गन्ना तैयार होता है बाद में तो गन्ने के बीच में दलहन की फसल लगाने का कार्यक्रम हमारी सरकार ने शुरू किया है। मान्यवर, इसी तरह से मौसम आधारित जो फसल बीमा है इस तरह से सारा पढ़ूंगा तो समय लगेगा दलहन विकास कार्यक्रम है शंकर बीजों के उपभोग को बढ़ावा, मान्यवर, इस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस सरकार ने जो शुरू किया लागू किया उससे पहले की जो सरकारें रहीं कभी इस ओर सोचा भी नहीं। अरे भाई धन्यवाद मत दीजिए लेकिन कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे प्रोत्साहित करिए। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कृषि मंत्री जी ने कहा कि इनको कुछ न कुछ बोलना है हमें कुछ न कुछ नहीं बोलना है जो समस्याएं हैं उसका विवरण दे रहे हैं उसी का उल्लेख कर रहे हैं कुछ न कुछ यहां बोला भी नहीं जाता। यहां विषय के ऊपर बोला जाता है। अगर सब कुछ योजनाएं अच्छी चल रही हैं तो फिर कृषि विकास की दर क्यों नहीं बढ़ रही है। कृषि विकास की दर घटकर 3.5 से घटकर एक प्रतिशत रह गई यह क्यों घट गई जब सब योजनाएं आपकी अच्छी चल रही हैं। मैं आपका ध्यान चाहता हूं कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं आपने बताया कि रसायनिक खाद पहले की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थी तो आपकी चिन्ता यह क्यों नहीं गई कि यह गया कहां आपके जो सेन्टर बने हुए हैं सहकारी समिति बनी हुई है जहां पर उसका वितरण होता है वहां पर क्यों नहीं उपलब्ध था। स्वाभाविक है कि दो जगह गया आपके अधिकारियों ने किसान का हित न सोचकर व्यापारी का हित सोचा चूंकि यह अनुदानित है सरकार का बहुत सा पैसा इसमें लगता है। अनुदानित होने की

वजह से बजार में भेजा और बाजार वालों ने फायदा कमाया किसानों को ब्लैक में दिया बाहर भी गया विदेशों में नैपाल की कहानी सबको पता है समाचार-पत्रों में भी निकला इसको आप रोक नहीं सके अधिक मात्रा आपने उपलब्ध तो कराई लेकिन अधिक मात्रा किसानों तक नहीं पहुंच सकी। अगर आप पूछना चाहते हैं कि कहां-कहां नहीं है तो मैं आपको तीन नाम भी बता देता हूं यह तीनों कृषि सहकारी समितियां हैं जिनके पास 20 से लेकर 50 गांवों की जिम्मेदारी है सहकारी समिति ऊंचागांव मुजफ्फरनगर, सहकारी समिति भूरा गांव जो मुजफ्फरनगर में है सहकारी समिति खुड़गान जो मुजफ्फरनगर में है इन तीनों समिति में लाइन लगी मैंने अपनी आंखों से देखी ऐसा लगता था जैसे कोई नई पिक्चर आई है नई पिक्चर को देखने के लिए टिकट खरीदने जा रहे हों यह कभी हालत मैंने नहीं देखी किसान को खाद के ऊपर उमड़ते हुए, उमड़ रहा था कि यूरिया आ गया, यूरिया आ गया एक कट्टा दो कट्टा यूरिया के लिए लाइन लगी हुई थी यह स्थिति थी धक्का-मुक्की हो रही है मैं आगे चला जाऊं यह स्थिति मैंने नहीं देखी यह स्थिति इसलिए आई कि कहीं न कहीं ढिलाई रही है यह उन लोगों की करतूत है मैं आप लोगों को दोष नहीं दे रहा हूं मैं कृषि मंत्री को दोष नहीं देता मैं कह सकता हूं क्योंकि आपके ऊपर इसका भार है इसको संभाल सकते हैं और संभालने के लिए ऐसे अधिकारी जिनके कारण यह नौबत आई उन अधिकारियों को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बहुत मोटा-मोटा पैसा कमा रहे हैं। स्मगलिंग करा रहे हैं ब्लैक में व्यापारियों को दे रहे हैं और किसानों को मजबूर कर रहे हैं कि यहां नहीं मिलेगी वहां जायं मान्यवर, एक बिन्दु मैंने उठाया था शायद तब आप थे नहीं और वह ज्यादा महत्वपूर्ण बिन्दु था थोड़ा इससे हटकर है लेकिन संवेदनशील है। बाढ़ के कारण बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी पूरी की पूरी जमीन दरिया में चली गई यमुना में चली गई गंगा में चली गई आज वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में है मैं चाहता था कि आप जिलों से वह रिपोर्ट प्राप्त कर लें संख्या प्राप्त कर लें कि ऐसे किसानों की संख्या क्या है ताकि और जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के अन्तर्गत उन किसानों को आच्छादित किया जा सके उनका लाभ मिल सके। उनको भी जीने का एक प्रयोजन हो जाय लेकिन कहां जायं वह छोड़ करके ? किसी की 50 बीघा थी, सारी की सारी यमुना में है, गंगा जी में है। वह उसको मिलने वाली नहीं है, उनकी भी व्यवस्था हो जायेगी। आप जिले से रिपोर्ट मंगा लेंगे तो कुछ न कुछ सरकारी स्तर पर उनको मदद हो जायेगी। मैं चाहता था माननीय मंत्री जी, थोड़ा सा एक्टेविटी की तरफ चलते। खाली आलोचना की बात नहीं। उस आलोचना का क्या होगा। ब्रीडर सीड की बात आपने कही कि आपने शुरूआत की है, मुझे भी थोड़ा दिन इसको देखने का अवसर मिला है। मान्यवर, विश्वविद्यालयों के आधार पर इस ब्रीडर सीड को आप विकसित नहीं कर पायेंगे। आपके अपने साधन हैं, आपके पास में कृषि फार्म है। कृषि फार्म की उपयोगिता आप लाभ और हानि के आधार पर मत लें। सीधा निर्देश दें कि आपको फाउन्डेशन सीड, ब्रीडर सीड यह आपको विकसित करना है और किसानों को उपलब्ध कराना है। बहुत बड़ी संख्या आपके पास में है। इसी काम में आप लग जायेंगे और आप उनकी समीक्षा करेंगे कि पूरे वर्ष में आपने कितना सीड उपलब्ध कराया, किसानों को वितरित कराया तो शायद उनको फायदा हो जायेगा। इसी के साथ में यह भी जोड़ दें कि यह बीज के उत्पादन की प्राथमिकता किसानों को दी जाय। आपके प्रोसेसिंग सेन्टर लगे हैं जिलों में वहां पर प्रोसेसिंग हो सकती है और अगर उनको थोड़ा

सा ज्यादा पैसा मिलेगा किसानों को तो वह बीज उत्पन्न करेंगे। आपको जानकारी होगी कि लगभग 27 हजार करोड़ का बिजनेस है मान्यवर, सिर्फ बीज-बीज का और सारा फायदा कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र यह 4 राज्य ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, अगर यहां पर इस कार्यक्रम को आप चला दें तो किसानों का बहुत बड़ा हित हो जायेगा। यह चलाया गया था, लेकिन बाद में बन्द कर दिया गया। आपने नहीं किया, जिन्होंने किया था आज वह यहां पर हैं नहीं। बन्द कर दिया गया था अगर इसको दोबारा चला दिया जायेगा तो बहुत कुछ लाभ किसानों को हो जायेगा। यह सुझाव मेरे हैं, अगर आप मेरे सुझाव मान लें तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिये हैं, हम रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, उसके बाद जो भी सम्भव हो सकता है उसको देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। अभी जो एक बात बड़े भाई हुकुम सिंह जी ने स्वीकार कर ही ली कि लाइन लगाकर के खाद का वितरण किया गया। जो मैं कह रहा था कि 10 दिन का काम आप चाहते हैं कि एक घण्टे में हो जाय, तो वह कैसे हो सकता है। उसको आपने स्वीकार कर लिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अरे धन्यवाद दे रहा हूं। अब आप वह भी नहीं लेना चाहते।

श्री हुकुम सिंह-

आपको होना ही यहां चाहिए था। जो बात पकड़ने की आदत है वह यहां ज्यादा काम आती आपके। मान्यवर, मैं इनको पकड़ नहीं रहा हूं। इनका धन्यवाद अदा कर रहा हूं। मैं इनको पकड़कर जाऊंगा कहां ? मैं कहां जाऊंगा इनको पकड़ करके। जहां यह हैं, वहां मैं जा नहीं सकता। इसलिये मैं जहां हूं, जहां था वहीं हूं और वहीं रहूंगा। मैं इनको नहीं पकडूंगा। मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद दे रहा था और एक बात कहना चाहता हूं कि अभी आप कह रहे थे कि जिन्होंने किया, वह यहां हैं नहीं। कहां नहीं हैं ? बैठे तो हैं यहां। अब आप उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं, वह आपका अपना मामला है। मान्यवर, यह जो कृषि विकास दर के मामले में सिरोही जी ने कहा कि गुजरात में 9 परसेन्ट, इतने परसेन्ट। मान्यवर, अब वह सूचना तो नहीं है मेरे पास लेकिन एक बार मैंने देखा था कई दिन हो गये, मुझे जहां तक स्मरण है, यह सही बात है कि जो हमारी कृषि विकास दर है वह बाढ़ के कारण और कुछ अन्य कारणों से थोड़ी घटी है। वह लगभग एक दशमलव कुछ ऐसे है लेकिन सम्पूर्ण भारत वर्ष के सभी स्टेट्स का एवरेज यदि लेते हैं तो मान्यवर, जहां तक मुझे याद है 1.8 के आस-पास आती है और सिरोही जी कह रहे थे कि 9 परसेन्ट। मान्यवर, मुझे जहां तक याद है लगभग 2 दर्जन स्टेट हमसे पीछे है। शायद ही एक आध स्टेट आगे हो, मैं कह नहीं सकता क्योंकि बीच में स्थितियां कुछ ऐसी आ गई थीं। अभी रबी वर्ष चल रहा है। हमको पूरी उम्मीद है कि इस रबी वर्ष में हम पिछला रिकार्ड तोड़ेंगे।

श्री विश्वनाथ-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम दो दर्जन से पीछे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप आधे दर्जन प्रदेश बता दीजिये जो कृषि में हमसे पीछे हैं लेकिन कृषि प्रधान प्रदेश हो। लेकिन कृषि प्रधान प्रदेश है बता दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय हुकुम सिंह जी को सुना, माननीय राधामोहन दास अग्रवाल को सुना, वीरेन्द्र सिंह सिरोही जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसको मैं अग्राह्य करता हूं।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। इसलिए मैं आभार प्रकट कर रही हूं। वाराणसी में काशी विद्या पीठ ब्लाक में चार गांव हैं यह चारों गांव की जमीन विकास प्राधिकरण अधिग्रहीत कर रहा है सरायमोहन, बैरावन, मिल्कीचट, कन्नाडारी इन चारों गांव की 214 एकड़ जमीन पर 17 अप्रैल, 2003 को किसानों का नाम काटकर विकास प्राधिकरण के नाम चढ़ा दी गई है और इनका मुआवजा रेट काटकर 1998 के हिसाब से तय हुआ। कुल 1292 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान अधिग्रहण कानून, ब्रिटिश टाइम का है। (इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधामोहन दास पीठसीन हुए।) 1894 का है, और इसका प्रयोग गुलाम भारत में गुलाम किसानों को रौंदने के लिये किया गया था, कुछ संशोधित रूप में आज भी यह लागू है। उस समय ब्रिटिश सरकार जिसकी चाहे जमीन ले लेती थी और किसान दर-दर की ठोकरें खाता था। दुर्भाग्य है हमारा भूमि अधिग्रहण कानून उसी पर आधारित है और आज किसानों का हित साधन करने के बजाये उसे भिखारी बनाया जा रहा है। किसान आज उस विकास प्राधिकरण को विनाश प्राधिकरण के नाम से पुकार रहा है। यह जमीन आज उससे लेकर उसको मुआवजा भी नाम मात्र दिया जा रहा है। एक बिस्वे का तीन हजार, सात हजार, नौ लाख प्रति बिस्वा दिया जा रहा है। जबकि इस समय वहां का बाजार रेट दो हजार प्रति बिस्वा है। यह किसान बहुत दुखी हैं 30 जनवरी से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें आस-पास के गांव के सारे लोग शामिल हो रहे हैं। सारी पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं यह बहुत ही विचारणीय विषय है और इस पर तत्काल विचार करना चाहिए। यह किसान बहुत छोटे-छोटे रकवे के हैं पांच बिस्वा, दस बिस्वा से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं है। संयुक्त परिवार में भी दस बिस्वा से ज्यादा जमीन नहीं है। यहां की काफी जमीन पहले ही बाईपास, और रेलवे के लिए छीनी जा चुकी है। आज भी 60 परसेन्ट किसान भूमिहीन हैं और जब यह जमीन छिन जाएगी तो 90 प्रतिशत किसान भूमिहीन हो जाएगा। इनके पास दूसरा कोई धन्धा नहीं है। मुआवजे की धनराशि इतनी कम है कि यह दूसरा धन्धा शुरू ही नहीं कर सकते हैं। आखिरकार यह भूखे मरेंगे। आज किसान की मनःस्थिति यह हो गई है कि जब भूखे ही मरना है तो फिर क्यों न लड़भिड़कर जमीन बचाने का प्रयत्न किया जाए। इसमें भी मरेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। किसान अपने जमीन देने को तैयार नहीं है। 1292 में से केवल 25 किसान मुआवजा लिए हैं और वह भी लौटाने को तैयार है। यह विचारणीय बिन्दु है, इसलिए किसानों की जमीन को न लिया जाए यह छोटे-छोटे किसान भूमिहीन होकर भुखमरी का शिकार हो जायेंगे परिवार इनका छिन्न-भिन्न हो जाएगा इसलिए सरकार इस पर दुबारा विचार करें। कृषियुक्त जमीन को नहीं लेना चाहिए यह सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है। यह जमीनें बाईपास जमीन के पचास मीटर अन्दर की जमीन है ग्रीन बेल्ट के अन्दर की जमीन है। इसलिए भी सरकार को इसे नहीं छूना चाहिए विकास प्राधिकरण के ही एक पूर्व अधिकारी ने शासन

को पत्र लिखा था और वह पत्र अखबारों में प्रकाशित हुआ था कि सरकार इस जमीन को न ले। मेरा सरकार से पुनः-पुनः आग्रह है कि सरकार इस उपजाऊ कृषि योग्य भूमि को न ले। भारत में ऐसे ही कृषि उपज घटता जा रहा है। अभी चर्चा हो रही थी इस उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता दर 1.02 परसेन्ट है जो राष्ट्रीय स्तर का एक तिहाई है। हमारा किसान गहरी खेती नहीं करता है। उसे खाद पानी नहीं मिलता है। खाद सरकारी संस्थाओं में जहां आज जाता है। वहां लाइन जरूर लगती है लेकिन किसान को खाद नहीं मिलता है। दो-चार किसानों को खाद मिलने के बाद घोषित हो जाता है कि खाद खत्म बाकी को बदले में लाठी मिलती है। इसलिए न तो किसान गहरी खेती कर पा रहा है। हमारी विस्तृत खेती बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में कुछ समय बाद खाद्य का संकट भी उपस्थित हो जायेगा। इसलिए बहुज जरूरी है कि सरकार उस जमीन को न ले, यदि उसको ट्रान्सपोर्ट टाउन बनाना ही है तो वह आगे बढ़ जाये और आगे चलकर मोहन सराय के पास जो बंजर और ऊसर जमीन है, सरकार उस पर ट्रान्सपोर्ट नगर बनाये और इस कृषि प्रधान जमीन को, जहां का किसान केवल किसान है, वहां के किसान गरीब किसान है, उनकी जमीनों को छोड़ दिया जाए। शासन ने जो सर्वजन हिताय, अपना उद्देश्य घोषित किया है, वह उसी उद्देश्य के अनुरूप होगा। इसलिए किसान के हित को ध्यान में रखकर ट्रान्सपोर्ट नगर को आगे खसका दिया जाय और किसानों को इससे ऋण दिया जाए।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्या जी ने जो बात रखी है कि जो सर्किल रेट है, उससे कम रेट दिये जा रहे हैं, हम इसको दिखवा लेंगे, अगर वह नियमतः नहीं है तो नियम विरुद्ध जिस अधिकारी/कर्मचारी ने काम किया होगा, उसके विरुद्ध हम कार्यवाही करायेंगे। जमीन की जरूरत है ही, अगर हमें मकान बनाने हैं, डेवलपमेन्ट करना है तो जमीन में ही होगा। इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस सूचना पर डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव जी को सुना, मा0 मंत्री जी ने अपनी बातें कहीं, यह नियम-56 में नहीं आता, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

तीसरी सूचना श्री कौकब हमीद खां की है।

डा0 अनिल चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस विषय को सदन में उठाने की आवश्यकता इसलिये महसूस हुई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर मण्डलों में दलित जाति, कोरी जिसे हिन्दू जुलाहा के नाम से भी जाना जाता है, कपड़ा बुनने का काम करते हैं। आज तक अनुसूचित जाति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे थे लेकिन 18 जनवरी, 2011 के शासनादेश जो हैं, उसको मैं थोड़ा पढ़ भी दूं, शासनादेश सं0-296/26-3-2011-3(19)/78, दिनांक 18 जनवरी, 2011 और इसमें विषय दिया है कि पूरी हिन्दू जुलाहा जाति को जाति-प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0-107/वी0आई0पी0/26-3-97-3(19)/78, दिनांक 07-11-97, संख्या-117/26-3-

98-3(19)/79टी0सी0, दिनांक 7-4-1998 और इसी तरह से 21 जनवरी, 2008 का जो शासनादेश था, उन सबको निरस्त करते हुए कोरी जाति की उपजाति हिन्दू जुलाहा को अनुसूचित जाति को मिलने वाले अधिकारों से वंचित किया गया। मान्यवर, एक पुरानी कहावत है और इस शासन के क्रिया-कलाप देखकर ऐसा लगता है, बड़ी मशहूर सी उक्ति है, ''अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर घरकन देय'', इस सरकार का शायद एक ही उद्देश्य रह गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए दलित जातियों के लिए जितनी अनुमन्य सुविधाएं हैं, उनको चन्द परिवारों तक या एक जाति तक सीमित कर दिया जाए। मान्यवर, इससे पहले भी भुइयां जाति, अनुसूचित जाति की यह लिस्ट है, इसमें 21वें स्थान पर भुइयां जाति आती है। शासनादेश इसी तरह का एक जारी किया, तब इस जाति के जाति प्रमाण-पत्र बनना बन्द हो गए। मान्यवर, इससे भी पहले मथुरा के कलेक्ट्रेट में हमने लाठियां खाई थीं, धनगरों के लिए। मान्यवर, संविधान में लिखा हुआ है, अनुसूचित जातियों की सूची में 27वें क्रमांक पर धनगर जाति है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश की महान सरकार ने एक शासनादेश जारी कर दिया और धनगरों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र मिलना बन्द हो गया। इसके कारण वह पूरी जाति, अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभों से वंचित हो गई। आज यही कुचक्र कोरी जाति के साथ किया गया है। एक शासनादेश जारी हो जाता है। मान्यवर, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इसको केवल कार्य-स्थगन न समझा जाय, केवल विषय को उठाने के उद्देश्य के अलावा यह भी है कि संविधान की मूल भावना को हम शासनादेशों से समाप्त करके एक बड़े दलित तबके को और यह सरकार तो कहती भी यही है कि यह दलितों की सरकार है, दलितों के लिये है, हम दलितों के लिये फलां काम कर रहे हैं, हम दलितों के लिये बजट में बड़े भारी प्राविधान कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह सरकार दलितों के लिये असली दलितों के लिये कोई काम नहीं कर रही है, उनका विनाश करने पर तुली हुयी है। यह दलित समुदायों के अन्दर कुछ रजवाड़े पैदा करना चाहती है। कुछ सामंतवादी शक्तियां पैदा करना चाहती है और सारी सुविधाएं उन्हीं तक पहुंचाना चाहती है। मान्यवर, मैं यही निवेदन करूंगा कि सिर्फ इस विषय पर चुप्पी लगा करके कि यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः इसको अग्राह्य कर दिया जाय। इसके बजाय इस कोरी जाति को जो दलित है, बहुत गरीब स्थिति में रहती है, उसका यह शासनादेश सरकार वापस ले और ये अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जायें और इससे पहले जो धनगर जाति के शासनादेश से प्रमाण-पत्र बन रहे हैं, उनको भी अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र दिलाये जायें और भुइयां जाति को भी यही न्याय दिलाने का काम किया जाय। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, ग्राह्यता पर बल देता हूं और चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

*श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, जो मेरे साथी ने अभी सवाल उठाया है, वह यकीनी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर से इस सरकार के लिये जो दावे करती है, मेज थपथपाती है, भाषण बहुत लम्बे-लम्बे करती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम गरीबों के लिये यहां बैठे हैं। मान्यवर, 18 जनवरी, 2011

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को शासन का एक आदेश हो जाता है और जिस गरीब तबके को कोरी समाज को आप सुविधा दे रहे थे, वह सुविधा आप बन्द कर देते हैं या तो ये समझायें हमें आप कि क्या वजह है, क्यों अचानक वह समाज पैसे वाला हो गया या उसकी जाति बदलकर कुछ और हो गयी, वह अब गरीब नहीं रहा या वो अनुसूचित जाति के अन्दर नहीं रहा। ये रातों रात क्या हुआ मान्यवर। समझाना पड़ेगा। मान्यवर, कोई तमाशा तो है नहीं कि जिसे दिल चाहा उसे हटा दिया, जिसे दिल नहीं चाहा नहीं हटा दिया। जो आप चाहोगे तो वह गरीब होगा, जो आप चाहोगे तो अनुसूचित जाति में होगा, जो आप नहीं चाहोगे तो वह अमीर हो जायेगा, उसे आप वंचित कर दोगे। तो क्या ये कोई नादिरशाह के जमाने के कानून चल रहे हैं या इस जमाने में 2011-2012 के अन्दर जो समाज चल रहा है उसके कानून चलेंगे। मान्यवर, यह सरकार को बताना पड़ेगा, यह मेरा आरोप है सरकार पर कि ये एक नयी व्यवस्था बनाना चाहते हैं और वह व्यवस्था यह कहलाये कि 2011 में या उससे दो, चार साल पहले की जो सरकार थी, उसने ये आदेश दिया था, उसकी ये मोहर लगी थी और आने वाले समाज समझे कि इन्होंने जिनको चाहा उन्हें पैसे वाला बताया, जिन्हें नहीं चाहा उन्हें गरीब से हटा दिया और जिसे चाहा गरीब बना दिया मान्यवर। मेरा यह आरोप भी है मान्यवर, कि यह गरीब बनाते हैं। मान्यवर, जो लोग अच्छी तरह, आपके पास कई कार्यक्रम हैं सरकार के, सरकार कार्यक्रम चलाती है अनुसूचित जाति के लिये, गरीबों के लिये। आप उससे वंचित कर देते हैं, एक रात में कहते हैं कि नहीं ये नहीं होने का। अब तुम वंचित हो गये उससे। तो आप गरीब बनाते हो, आप कहां गरीबों के मसीहा हो, आप गरीबों पर आतंक हो आतंक। मैं चाहता हूं मान्यवर कि इसको करके फिर चर्चा की जाय मान्यवर।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से अनुसूचित जाति को हक मिला है मान्यवर और अनुसूची में शामिल जातियों को अनुसूचित जाति माना गया। कदाचित आगे चलते हुये मान्यवर, हमारा जो उद्देश्य है जो अनुसूचित जाति की सुविधायें हैं, वह अनुसूचित जाति को ही मिले। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति में कौन-कौन सी जातियां शामिल हैं, उसका विवरण है मान्यवर और उसमें कोई परिवर्तन करने का किसी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। इसलिए किसी जाति को या कोरी जाति को अनुसूचित जाति से निकाल देने का तो प्रश्न कहीं से आता ही नहीं हां यह बात जरूर हो सकती है मान्यवर, कि कई-कई रीजनों में नये लोग उस सुविधा का शोषण करने के लिए अपनी जातियों को अलग ढंग से लिखने का काम शुरू कर देते हैं मान्यवर, जैसे तमाम क्षेत्र हैं, आप स्वयं भी भिज्ञ होंगे। कई क्षेत्रों में कई जातियां हैं जो पहले उस जाति के नाम से जानी जाने लगी और बाद में दूसरी जाति के नाम से अपने को लिखकर अनुसूचित जाति की सुविधा लेने लगी। निश्चित रूप से अगर कहीं पर इस तरह का जो अनुसूचित जाति की सुविधा है, जहां अनुसूचित जाति में न होते हुए, गलत ढंग से लेने का अगर प्रयास किया जा रहा होगा तो वह सुविधा अनुसूचित जाति को मिले इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है और सूची में कोई परिवर्तन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्रों चाहे वह फैजाबाद हो, सुल्तानपुर हो या पूरा श्रावस्ती जिला देवीपाटन मण्डल हो वहां पर कोरी समाज अनुसूचित जाति में हैं और आज भी उसको वह सुविधाएं सारी मिल रही हैं और किसी तरह की किसी तरह का कोरी समाज को सुविधा से वंचित

करने का काम नहीं किया गया। कोरी समाज के नाम पर जो दूसरे लोग जो कोरी समाज में न रहे हों अगर कोरी बनकर उनके द्वारा अगर सुविधा को हड़पने का प्रयास किया गया होगा तो निश्चित रूप से हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं कि अनुसूचित जाति की जो सुविधाएं हैं उसको कोई दूसरा न लेने पाये। इसलिए मान्यवर, ऐसा हमारा प्रयास है और चूंकि जाति में परिवर्तन करने का अधिकार राजकीय सूची में आता ही नहीं है कि हम उसको अनुसूचित जाति की सूची से हटा दें या बढ़ा दें। इसलिए यह प्रश्न यहां आता ही नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सूचना को अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने डा0 अनिल चौधरी, श्री कौकब हमीद को सुना, मा0 मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की है कि यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता इसलिए मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री कौकब हमीद खां ने अपने दल के सदस्यों के साथ नारे लगाते हुए सदन का त्याग किया।

चौथी सूचना मा0 सुरेश कुमार श्रीवास्तव और मा0 सुरेश चन्द्र तिवारी की है। मा0 अध्यक्ष जी ने इसे ध्यान आकृष्ट करने के लिए लिया है लेकिन मैं मा0 सुरेश जी आपसे आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बातें रख लें।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, आपने आज ग्राह्यता पर बोलने का जो अवसर दिया...

श्री अधिष्ठाता-

मैं ग्राह्यता के लिए आपको नहीं सुन रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है, इसमें ध्यान आकृष्ट करने के लिए दी है, इसलिए आप दो मिनट में अपनी बातें रखें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

सुन लें महोदय, यह समस्या बहुत ज्यादा गम्भीर है अधिष्ठाता महोदय आज लखनऊ की सबसे बड़ी समस्या पूरे शहर में जाम लगने की है। लखनऊ की भौगोलिक सीमा लगातार बढ़ती चली जा रही है कभी 600 वर्ग किलोमीटर में यह शहर सीमित था। इसमें 173 गांव शामिल थे लेकिन अब इसके अन्दर 325 गांव शामिल हो गये। 2001 में लखनऊ की जनसंख्या 22.35 लाख थी और बढ़कर अब वह 32.26 लाख हो गई है और सरकारी तौर पर यह कहा जाता है कि वर्ष 2021 तक इसके 35 लाख हो जाने का अनुमान है, जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है और यह शहर लखनऊ राजधानी होने के कारण यहां पर विधान सभा स्थित है, अनेक केन्द्रीय कार्यालय स्थित हैं। यहां पर कई स्टेट कार्यालय स्थित हैं, उच्च स्तरीय विद्यालय स्थित हैं और यहां पर एक ही रोड के ऊपर तमाम अस्पताल हैं। जब जाम में लोग फंस जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। पूरे शहर में हवाई अड्डे से लेकर के इन्दिरानगर तक,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेडिकल कालेज पर, तुलसीदास मार्ग पर, आलमबाग में चारों तरफ जाम-ही-जाम दिखायी पड़ता है। इसका अनुभव यहां पर बैठे हुए मा0 सभी सदस्यगण करते होंगे।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं इस जाम की समस्या का निराकरण करने के लिए सरकार मुख्य मार्गों पर फ्लाई ओवर बनाये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें। मैंने ग्राह्यता पर सुन लिया, अब अपनी बातें समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

यह सरकार जाम की समस्या से निजात पाने के लिए यहां के मुख्य मार्गों पर फ्लाई ओवर बनाने और फ्लाई ओवर बना करके जाम की समस्या का निदान करे, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सुरेश तिवारी जी, सिर्फ दो मिनट में आप अपनी बात रख दें।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद लोक महत्व के प्रश्न पर आपने बोलने का मौका दिया। मान्यवर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजधानी में विधान सभा स्थित है और मैं दावे के साथ छाती ठोंककर कह सकता हूं विधान सभा के सामने आप स्टेशन तीन किलोमीटर है, डेढ़ घण्टे से पहले नहीं पहुंच सकते। आप हजरतगंज चौराहे पर पहुंचिये तीन तरफ से चौड़ी-चौड़ी सड़कें गई हैं और सामने की तरफ जाने के लिए संकरी सड़क हो गई है, जाम तो मान्यवर, लगेगा ही। चौराहों का चौड़ीकरण जब तक लखनऊ में नहीं होगा, तब तक लखनऊ की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। मान्यवर, लखनऊ में पी0जी0आई0, ट्रामा सेन्टर यह दो ऐसे चिकित्सालय हैं, मान्यवर, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, बंगाल और साथ में पड़ोसी देश नेपाल के भी मरीज लखनऊ के अन्दर अपने रोगियों को लेकर आते हैं। मान्यवर, चारों तरफ यातायात अव्यवस्थित है, दुर्घटनाएं होती हैं, रोड जाम, एक मोहल्ले के एक चौराहे पर एक दुर्घटना हुई एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, पूरे चौराहे पर क्षेत्रीय लोगों ने जाम लगा दिया और एक रोड पर जाम लगाया गया मान्यवर आपको बताना चाहता हूं, पूरा लखनऊ शहर अव्यवस्थित हो जाता है। मान्यवर, लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था में जितने इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर और कान्स्टेबिल होने चाहिए उसके आधे भी नहीं हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से किसी बात का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं केवल लखनऊ की यातायात व्यवस्था का सुधार हो मैं यह कहना चाहता हूं। मान्यवर, इसके बगल में आगे बर्लिंगटन चौराहा है, बर्लिंगटन चौराहे पर कैण्ट रोड पर आने वाला और सामने जाने वाला एक पुल कई वर्षों से प्रस्तावित है। मान्यवर, अगर यह पुल बन जाये तो इस रोड की यातायात व्यवस्था का समाधान हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 तिवारी जी अब आप समाप्त करें। मैंने मा0 सुरेश कुमार श्रीवास्तव और मा0 सुरेश चन्द्र तिवारी जी को सुना, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पांचवीं सूचना मा0 मदन चौहान जी की है, मा0 चौहान जी सिर्फ दो मिनट में आप अपनी बाते रख दें।

*श्री मदन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गाजियाबाद में सिम्भावली शुगर मिल के द्वारा गन्ने की घटतौली और गन्ने की तस्करी दो पहलू बड़े लार्ज स्केल पर चल रहे हैं। मान्यवर, इस बड़े महत्वपूर्ण विषय पर मैंने इसलिए ज्यादा बल दिया है क्योंकि इसमें जब तस्करी होती है तो गवर्नमेन्ट के जो टैक्स हैं चाहे वह एक्साइज का टैक्स हो या प्रवेश कर हो और समिति का शुल्क हो और तमाम इतने लार्ज स्केल पर चीनी बनाई जाती है, बगैर रिपोर्ट के रखी जाती है उसका वाणिज्यिक कर भी गुप्त यानी कि छिपाया जाता है तो मान्यवर, नवम्बर में मिल की पिराई शुरू हुई और जो निश्चित क्षेत्र था मिल था उससे आगे का जिस तरह से बुलन्दशहर से, जिस तरह जे0पी0 नगर से मेरठ क्षेत्र से और बहुत बड़े षड़यंत्र के तहत और बहुत बड़ा घोटाला यह करोड़ों रुपये का घोटाला है, सैकड़ों करोड़ों का घोटाला है मान्यवर, 250 रुपये रेट पर गन्ना खरीदा जा रहा है और चूंकि सभी किसानों का, एक व्यवस्था है कि समिति के माध्यम से, बैंक के माध्यम से एकाउण्ट में पेमेन्ट जाता है लेकिन यह नगद पेमेन्ट देते हैं 250 रुपये प्रति कुन्तल तो यह एक बहुत बड़ी हानि जो सरकार को भी हो रही है और वहां के किसानों को भी हो रही है अगर इस पर सरकार का ध्यान न जाय तो यह एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इसमें दूसरा सबसे बड़ा पहलू यह है कि 30 दिसम्बर को 3/7 में तस्करी को लेकर के एफ0आई0आर0 हुई, एक एफ0आई0आर0 फिर हुई लेकिन आज भी कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दिनांक 11-2-2011 को मान्यवर वहां के तहसीलदार और गन्ना कर्मचारियों की देख-रेख में घटतौली पकड़ी गयी किसानों ने घटतौली पकड़ी जो 10 किलो 14 किलो प्रति कुन्तल थी। मान्यवर, एक तरफ गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है और सरकार को राजस्व की बहुत बड़ी हानि हो रही है। मान्यवर, दूसरी ओर जो 250 रु0 गन्ना मूल्य मिलना चाहिए था गन्ना किसानों को वह 205 रु0 मिल रहा है। यह महत्वपूर्ण सूचना है। मैं चाहता हूं कि इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस पर श्री मदन चौहान जी को सुना। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं महामाया नगर, हाथरस जिले से आता हूं। मान्यवर, वहां पर पिछले 15 दिनों से छात्र-छात्रायें आन्दोलनरत हैं। मान्यवर, मैं पिछले दिन वहां पर था वहां पर लगभग 200 छात्र-छात्राओं ने मेरा घेराव किया। मान्यवर, यह वे छात्र-छात्रायें हैं जो हाई स्कूल और इण्टर की परीक्षायें देने जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे हैं और जिनके परीक्षा केन्द्र उनके घरों से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर बनाये गये हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की रोडवेज की जो व्यवस्थायें हैं वह सब आप लोग जानते हैं कि कैसी स्थिति है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र के रूटों पर तो बहुत सी बसें चलती भी नहीं हैं। मान्यवर, वे छात्र-छात्रायें पहली पारी में अपने घरों से 25 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा देंगे। हमें तो यह भी आशंका है कि इसमें से अधिकांश छात्र-छात्रायें इस व्यवस्था के चलते परीक्षा देने से वंचित भी हो जायेंगे। मान्यवर, यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। मान्यवर, मैं पांच शिक्षण संस्थाओं का उल्लेख करना चाहूंगा जिनके परीक्षा केन्द्र बहुत दूरी पर बनाये गये हैं। यह है श्री रामसरन दास इण्टर कालेज सादाबाद इसका परीक्षा केन्द्र पी0सी0 बागला हाथरस में बनाया गया है, जिसकी दूरी 21 किलोमीटर है। इसी तरह से श्रीकृष्णा इण्टर कालेज, सादाबाद इसका परीक्षा केन्द्र रामबाग इण्टर कालेज हाथरस बनाया गया है इसकी दूरी 21 किलोमीटर है। इसी प्रकार से मोहन लाल आदर्श इण्टर कालेज सादाबाद है, इसका परीक्षा केन्द्र सुरजोबाई बालिका इण्टर कालेज हाथरस बनाया गया है जिसकी दूरी 20 किलोमीटर है। इसी तरह से श्रीमती श्रृंगारी देवी इण्टर कालेज नानऊ है इसका परीक्षा केन्द्र कुरसण्डा इण्टर कालेज बनाया गया है जिसकी दूरी 15 किलोमीटर है। इसी प्रकार से सेठ भोला नाथ हरिशरण बंसल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जो नगला मदारी बिसावर में है इसका परीक्षा केन्द्र सादाबाद इण्टर कालेज बनाया गया है जिसकी दूरी 15 किलोमीटर है। इसके बाद लीलाधर इण्टर कालेज कंचना है इसका परीक्षा केन्द्र महात्मा गांधी इण्टर कालेज पीसी बागला हाथरस बनाया गया है जिसकी दूरी 12 किलोमीटर है।

मान्यवर, हमारे पास यह अखबारों की कतरने हैं जिनमें इन सब विसंगतियों का पूरा-पूरा उल्लेख मिलता है। मान्यवर, इसी तरह से श्रीकृष्ण इण्टर कालेज, सादाबाद (महामाया नगर) के प्रधानाचार्य का पत्र हमारे पास है जिन्होंने भी इस सम्बन्ध में विनम्र अनुरोध किया है। यह पत्र मैं आपके पास भेजे दे रहा हूं। मान्यवर, इस विसंगतियों को लेकर अध्यापक छात्र अभिभावक सभी परेशान हैं और एक गम्भीर स्थिति वहां पर उत्पन्न है। मान्यवर, वहां के डी0आई0ओ0एस0 ने जो नीति निर्धारित है, उसका गम्भीर रूप से उल्लंघन किया है और यह परीक्षा केन्द्र बना दिये हैं और इस तरह से वहां के छात्र-छात्राओं का भविष्य नष्ट कर रहे हैं। मान्यवर, यहां पर माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। मान्यवर, मैं किसी एक विशेष स्कूल के बारे में नहीं कह रहा हूं।

मान्यवर, पिछली बार अधिकतम 8 कि0मी0 की दूरी निर्धारित की गयी है उसका पैमाना बनाया गया था लेकिन इस बार इसके उलट कार्यवाही की गयी है। मान्यवर, जो नीति निर्धारित हुई है इस बार वह नियमावली भी मेरे पास है इसमें भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मान्यवर, यह एक तरह से तुगलकी आदेश है जिसका खामियाजा वहां के हजारों छात्र-छात्रायें भुगत रहे हैं और इसके लिए आन्दोलनरत हैं। मान्यवर, मैं वहां के भ्रष्टाचार की बात कहूंगा तो माननीय मंत्री जी नाराज हो जायेंगे। मान्यवर, जो वित्त पोषित विद्यालय हैं उनमें एक हजार बच्चों का सेन्टर बनाने की बात है जो वित्त विहीन है उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। वित्त पोषित विद्यालय के उस एक हजार बच्चों के सेन्टर के टारगेट को पूरा करने के लिए यह किया गया है। मान्यवर, इस व्यवस्था से यह आशंका लग रही है कि 20-25 फीसदी बच्चे परीक्षा देने से वंचित हो जायेंगे। मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी खड़े

होकर यह कह देंगे कि हम इसे दिखवा लेंगे। यह हजारों बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया इस विसंगति को दूर कराने का कष्ट करें।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अनिल चौधरी जी ने जो प्रकरण उठाया है इसमें दो राय नहीं कि पहले सेल्फ सेन्टर होते थे और हमारी सरकार ने नकल रोकने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश रखने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई और उसी नीति के तहत सेन्टर निर्धारित हो रहे हैं। मान्यवर, जैसा इन्होंने कहा कि डी0एम0 ने डी0आई0ओ0एस0 से कहा कि बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें, मैं नहीं समझता डी0एम0 ने ऐसा कैसे कह दिया क्योंकि शासनादेश जो जारी हुआ है उसमें डी0एम0 को ही अध्यक्ष बनाया गया है केन्द्र निर्धारण समिति का और जितने भी सेन्टर बने हुए हैं वह डी0एम0 की अध्यक्षता में बने हैं। अगर कोई आपत्ति थी तो इसीलिए एक अवसर देने के लिए कमिश्नर की अध्यक्षता में मण्डलीय समिति बनाई गयी। वहां पर आपत्ति करने पर अगर कोई समस्या है तो उसका निस्तारण होता है। मान्यवर, सरकार ने यह कोशिश की जैसा कि आपने कहा कि तुगलकी आदेश है कि एक हजार बच्चों को सेन्टर एडेड कालेज किया गया।

मान्यवर, अभी पिछले सदन में भी और उच्च सदन विधान परिषद् में भी यह बात आती रही कि वित्तविहीन विद्यालय जो हैं वही नकल माफिया हैं उन्हीं के यहां यह सब गड़बड़ियां होती है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक पारदर्शी नीति बनाई कि अनुदानित कालेज और गवर्नमेन्ट कालेज जो हैं वह सीधे सरकार से वित्त पोषित हैं उनके प्रिंसिपल और इन सबको सरकार से सैलरी दी जाती है और निश्चित रूप से वह सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे और यही कारण है कि उनको एक हजार बच्चे आवंटित करने के निर्देश दिये गये और मैक्सिमम 500 वित्तविहीन पर सेन्टर बच्चों का निर्धारित किया गया है। इसमें हो सकता है कि उस 8 कि0मी0 के दायरे का कहीं उल्लंघन हुआ हो हालांकि होना नहीं चाहिए था जिलाधिकारी और कमिश्नर को पूरी तरह से अधिकार दिया गया है और अगर वहां से कोई दिक्कत होती थी तो शासन में 9/4 के अधीन सेन्टर बनाने का अधिकार है लेकिन इस अधिकार का प्रयोग पिछली सरकारों ने खूब किया है हमारी सरकार ने इस 9/4 के अधिकार का कतई उपयोग नहीं किया और सिर्फ इसलिए नहीं किया कि एक सन्देश जाना चाहिए नीचे विद्यालयों में कि सरकार नकल के प्रति इसको रोकने के लिए सख्त है, किसी भी दशा में इसको बढ़ावा नहीं देगी हमारी सरकार इसलिए 9/4 के अन्तर्गत हमने एक भी सेन्टर पिछले 4 वर्षों में नहीं बनाया अगर कहीं भी कि0मी0 में दूरी है तो निश्चित रूप से उसको सुधारना चाहिए था इसको हम दिखवा लेंगे क्या स्थिति है। यह अग्राह्य करने योग्य है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने डा0 अनिल चौधरी और माननीय मंत्री जी को सुना यह नियम-56 में नहीं आता है मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।

(श्री अरविन्द गिरि का नाम पुकारे जाने और उनके उपस्थित न रहने पर)

(श्री लालजी यादव का नाम पुकरे जाने और उनके उपस्थित न रहने पर)

अब विशेष उल्लेख में 3 सूचनायें हैं बहुत कम शब्दों में मैं आग्रह करूंगा। श्री सुरेश खन्ना जी से कि बहुत छोटे में अपनी बातें रख लें विशेष उल्लेख में है। एक हजार जूनियर स्कूलों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि नियम-56 में विशेष उल्लेख के तहत कार्य-स्थगन में मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, प्रदेश में हजारों जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जो अनुदान की बाट जोह रहे हैं और उनको अनुदान सूची में नहीं लिया गया है। मान्यवर, पिछली सरकार में उक शासनादेश हुआ था। 7-9-2006 को उसमें एक हजार विद्यालय अनुदान सूची में लिये गये थे और जिनकी बात मैं आज कर रहा हूं इन विद्यालयों को अनुदान सूची में केवल इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उनमें कक्षा एक से पांच तक का प्राविजन था या फिर कक्षा 9 से 12 तक में वे उच्चीकृत कर दिये गये थे। मान्यवर, सुप्रीमकोर्ट ने एक आदेश दिया 2-12-2009 को और उस आदेश के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय ने बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था यह याचिका संख्या है 4630/2008 यह 2009 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि इस बात को कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उस जूनियर हाई स्कूल के साथ कक्षा 1 से 5 तक का प्राविजन है या नहीं है या वह विद्यालय उच्चीकृत कर दिये गये हैं। अर्थात् कक्षा 9 से 12 तक का उनमें प्राविजन हो गया। तो इन विद्यालयों को भी उच्चीकृत किया जाना चाहिये और इनको भी अनुदान सूची में लिया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं इसी निमित्त यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव लेकर आपके समक्ष आया हूं। यह प्रदेश के सैकड़ों अध्यापकों से, सैकड़ों छात्रों और अभिभावकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो विद्यालय अनुदान प्राप्त नहीं है उनके अभिभावकों के ऊपर इससे अतिरिक्त बोझ पड़ता है, विद्यालयों की फीस ज्यादा होती है और स्टाफ को सेलरी कम मिलती है मान्यवर, इसलिये अगर इन विद्यालयों को अनुदान सूची में ले लिया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे प्रदेश के बहुत से छात्रों का भी कल्याण होगा, अभिभावकों का भी होगा और स्टाफ का भी होगा। माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर दें तो इस सम्बन्ध में जरूर कोई आश्वासन दें।

(श्रीमती मिथिलेश पाल का नाम पुकारे जाने पर)

(श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा उत्तर दिलवाये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं विशेष उल्लेख में माननीय मंत्री जी को इसके लिये कोई निर्देश नहीं दे सकता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उत्तर तो दिलवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

यह उनकी मर्जी पर होगा, हम इसके लिये निर्देश नहीं दे सकते।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से उत्तर तो दिलवा दें, वह उत्तर देना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

शासन की ओर से इसका कोई जवाब नहीं है। माननीय सुरेश जी अगर शासन इसका कोई जवाब देना चाहे तो दे दें, मुझे बड़ी खुशी होगी लेकिन मैं विशेष उल्लेख के मामले में माननीय मंत्री जी को कोई निर्देश नहीं दे सकता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह नियमावली में कहां है कि आप निर्देश नहीं दे सकते। मंत्री जी तो उत्तर देना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

यह शासन की मर्जी पर है कि वह कुछ कहना चाहते हैं या नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह हमारे अधिकारों का हनन है।

श्री अधिष्ठाता-

आप निश्चिन्त रहिये इस पीठ से यह काम नहीं होने वाला है। लेकिन उनके भी अपने अधिकार हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 28 लोग/टीचर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के बैठें हैं। क्या हम अपनी बात का एक लाइन का उत्तर नहीं सुन सकते हैं। यह कहां का औचित्य है। हम बाकायदा तैयारी के साथ आयें। पूरे प्रदेश में सैकड़ों स्कूलों के अनुदान प्राप्त करने का मामला है। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय खन्ना जी, नियम-56 में आपके विषय पर ग्राह्यता पर विचार नहीं हुआ है। इसे विशेष उल्लेख में सुना गया है। जिसमें जवाब देना सरकार की ओर से बाध्यकारी नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नियमावली में यह कहां लिखा है कि बाध्यकारी नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मिथिलेश पाल, कृपया आप अपनी बातें शुरु करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

या तो वह उत्तर देने से मना कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठ जायें,आपकी बातें आ गयीं। मैं विशेष उल्लेख के विषय में मंत्री जी को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह जवाब दे ही। माननीय मंत्री जी क्या आप जवाब दे रहे हैं ?

(कोई उत्तर न आने पर एवं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा उत्तर दिलाये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बातें आ गयीं और माननीय मंत्री जी ने सुन ली। अब हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय मंत्री जी या तो मना ही कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इनको मना करने के लिये भी नहीं कह सकता। यह हमारी मजबूरी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो मा0 अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्देश है उसमें है कि प्रथम दो सूचनाओं पर ग्राह्यता पर मा0 अध्यक्ष जी सुनेंगे और उस पर चाहें तो मा0 मंत्री जी से उत्तर दिलवा सकते हैं और मान्यवर, अन्य पर ग्राह्यता पर सुनना ही नहीं था, आनने सुन लिया कृपा कर दिया। आपने जब श्रीमती मिथिलेश पाल को बुला लिया उसके बाद वह न बोलने पायें, इसलिये यह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, उनका उद्देश्य था कि मा0 मंत्री जी यदि चाहें तो जवाब दे सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी ने यह भी तो कहा था कि शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

हां, किया जा रहा है, मैंने श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को सुना, इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। यह विषय है जनपद मुजफ्फरनगर स्थित जैन कन्या पाठशाला इण्टर कालेज का जो कि प्रेमपुरी में पड़ता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, सारी अनियमिततायें पार करके 9 अध्यापिकाओं की नियुक्ति से सम्बन्धित मामला है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में सभी नियमों को ताक पर रखकर सांठ-गांठ करके जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रबन्धक दोनों ने मिलकर इन 09 अध्यापिकाओं की नियुक्ति अवैध ढंग से कर दी हैं जिसमें

मुजफ्फरनगर में पी0टी0आई0 का पद सृजित भी नहीं था तब भी नियुक्ति की गई है। यहां यह भी उल्लेख है कि जिन माध्यमिक विद्यालयों में प्राइमरी प्रभाग भी चलता हो, उसमें नियुक्ति हेतु शासनादेश सं0-2168/7966-2008, दिनांक 10-09-2008 के अनुसार शासन की पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है। उक्त नियुक्तियों के विरुद्ध की गयी शिकायत पर श्री विश्राम सिंह, अनु सचिव, उ0 प्र0 शासन शिक्षा अनुभाग-12, लखनऊ द्वारा संज्ञान लिया गया तथा पत्र संख्या 1371/15-12-10-1600(218)/10, दिनांक 28-07-10 द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर को जांच करने के आदेश दिये गये। लेकिन मा0 अधिष्ठाता महोदय, संयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर ने पत्रांक मा0/मु0 नगर/जांच/3726-29/2010-11 दिनांक 27-10-2010 द्वारा प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी नियुक्तियों को अनियमित मानते हुये नियुक्ति निरस्त करने, अध्यापिकाओं को किये गये भुगतान की वसूली, विद्यालय की प्रबन्ध समिति को निरस्त कर प्रशासक नियुक्त किये जाने तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का भलीभांति अवलोकन न कर शिक्षिकाओं का चयन/नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान करने के कारण इनके विरुद्ध शासन स्तर से कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। इसी प्रकार जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर के सम्बन्धित पटल सहायक के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है। किन्तु शासन स्तर से उक्त अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में किसी के भी विरुद्ध किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है बल्कि नियुक्त अध्यापिकाओं को नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा है। इन अनियमित रूप से की गयी नियुक्तियों में बहुत बढ़ी धनराशि का लेनदेन है जिसके कारण शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों एवं मुजफ्फरनगर की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के सभी नियमों को शिथिल कर सदन की कार्यवाही रोककर सदन में चर्चा कराये जाने की मैं मांग करती हूं। मा0 अधिष्ठाता जी एक चीज मैं और बताना चाहती हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्रीमती मिथिलेश पाल जी को सुना, यह विषय नियम-56 में नहीं आता मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, जवाब तो दिलवा दें।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

मान्यवर, मेरे पास कुछ प्रमाण हैं जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 सदस्या, आपकी सूचना अग्राह्य घोषित की जा चुकी है, अब आप कृपया बैठ जायें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मा0 अधिष्ठाता जी, मेरठ जनपद एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किडनी (गुर्दा) एवं मानव अंगों की बिक्री का धंधा अत्यन्त तेजी से फलफूल रहा है। जिसके कारण गरीब व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। चमनलाल निवासी एल-742, गंगा नगर, मेरठ जाति हरिजन मकान बनाने की मजदूरी करता था अत्यधिक गरीब व्यक्ति होने के कारण एक डाक्टर ने बहला-फुसला कर उसकी किडनी को बेचने का सौदा करवा दिया। उसकी किडनी सिल्वर ओक हास्पिटल, मोहाली, चण्डीगढ़ में निकलवायी गयी। सिल्वर ओक हास्पिटल में चमनलाल 29-03-09 को भर्ती हुआ तथा 04-04-09 को डिस्चार्ज हुआ। अस्पताल के कागजात में चमनलाल की जाति गुप्ता लिखी गयी जबकि वह जाति से हरिजन था। मा0 अधिष्ठाता जी, किडनी निकालने वाले डाक्टर एवं बीच के दलालों ने चमनलाल को 01 लाख रुपये नगद दिया बाकी पैसे नहीं दिये। पैसे का दबाव बनाने पर दिनांक 18-12-2010 को चमनलाल को अगवा कर लिया गया। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना इंचौली, जनपद मेरठ में दर्ज है। लगभग 01 सप्ताह बाद उसकी लाश जनपद मुजफ्फरनगर से प्राप्त हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चमनलाल की बाईं किडनी अनुपस्थित है। किडनी रैकेट का सरगना डाक्टर दिल्ली राज्य में किसी मुकदमें में पुलिस के सामने समर्पण कर जेल चला गया। इंचौली थाना इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है। लेकिन उसके पास पर्याप्त संसाधन न होने के कारण किसी अन्य राज्य में जाकर कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। इसकी जांच चण्डीगढ़, दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों में जाकर करनी पड़ सकती है। उसके लिये थाना इंचौली से जांच स्थानान्तरित करा पुलिस के किसी अन्य विभाग को दी जानी चाहिये जिसके पास पूर्ण रूप से संसाधन हों तथा दोषियों को सजा मिल सके। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के प्रयास भी सरकार द्वारा किये जाने चाहिये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन की समस्त कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल को विशेष उल्लेख में सुना, यह नियम-56 में नहीं आता है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दीजिये।

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा[†]

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, किसी भी प्रदेश को, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए उसका वित्तीय नियोजन करना बहुत आवश्यक होता है और उसी आवश्यकता के अनुरूप इस सदन में वित्तीय वर्ष 2011-2012 का बजट प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, इस सरकार का अधिकार है, होना भी चाहिए लेकिन सरकार का अधिकार यह भी है कि जो वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता होती है उसका भी पालन करे। सरकार का यह भी अधिकार है कि जो वित्तीय व्यवस्था है, आम आदमी की जरूरत है वह पूरी होनी चाहिए, जिस आम आदमी का वह अधिकार है। मान्यवर, इसके लिए क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, हर प्रकार के संतुलन की भी आवश्यकता है। बजट अपने आप में जिस समय मदवार चर्चा आयेगी विस्तार से उस पर चर्चा भी होगी। श्रीमन्, कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था के लिए पृष्ठ-44 के ऊपर कानून-व्यवस्था की बात कही गयी है। प्रदेश में अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, मान्यवर, गलती से मुक्त छप गया है होना चाहिए युक्त। आप अपने आप पर विचार करिये, बहुत सारी चीजें जीवन में किसी दूसरे के कहे हुए हम नहीं मान लेते हैं। अगर हमें अपनी समीक्षा करनी है, विवेचना करनी है तो अपनी आत्मा के द्वारा कही हुई बात को हमें मानना चाहिए। क्या सरकार में बैठे हुए सारे के सारे लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि अपराध अंकुश में है ? कानून-व्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रही है। किसी को दिखाने के लिए किसी के दबाव में अपनी मजबूरी पूरी करने के लिए हो सकता है इस बात को कह दी जाए लेकिन सदन का प्रत्येक सम्मानित सदस्य इस बात को मानने के लिए तैयार है कि कानून-व्यवस्था के ऊपर अंकुश नहीं है। सरकार की मंशा अवश्य हो सकती है लेकिन निचले स्तर पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा चिंता व्यक्त की गयी कि थाने बिकते हैं और यह सही है। थानेदार कभी-कभी जिले का जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है उससे भी अपने आपको ज्यादा ताकतवर समझते हैं कभी-कभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करो तो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है मैं एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता मैं उसके पास किसी को लेकर गया था उसने कहा कि मुझे पता है कि जो आप कह रहे हैं वह सही है लेकिन मैं मजबूर हूं फिर आदमी को न्याय कहां मिलेगा अगर अधिकारी मजबूर होंगे तो वह न्याय नहीं दे सकते हैं। महिलाओं के उत्थान की बात कही गई है एक बाढ़ सी आ गई है महिलाओं के ऊपर अत्याचार की, दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटी-छोटी बच्चियों के साथ दुराचार की बाढ़ आ गई है। उसमें हम औपचारिक बयान दे देते हैं। जो अपराध करने वाले हैं उनको बचाने का कार्य करने वाले जो अधिकारी लोग हैं

[†] दिनांक 14 फरवरी, 2011 की कार्यवाही से।

वह लोग लिखकर दे देते हैं और सरकार सदन में पढ़ देती है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब तब गलत विवेचना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायेगी उनको दंडित नहीं किया जायेगा तब तक आप सुधार की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मैं कुछ बिन्दुओं के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ऊर्जा के बारे में ऊर्जा मंत्री जो बैठे हुए थे मैं सोच रहा था कि उनसे अपनी बात कहूंगा उनके द्वारा जो बिजली में सुधार की बात कही जाती है किसी हद तक हम उसमें अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। आज बिजली की उतनी ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है लेकिन फिर भी शहरों को बिजली नहीं मिल रही है। कल ही मेरी बिजली विभाग के एक अधिकारी से बात हुई जिन्होंने एक निर्दोश झोपड़ी में रहने वाले को उठाकर बन्द कर दिया उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी मैंने कहा कि वह क्यों किया तो उन्होंने कहा कि सरकार का निर्देश है कि सख्ती करो मैंने कहा कि सरकार का क्या यह भी आदेश है कि पैसा लिया जाय। यह तो कोई आदेश होंगे नहीं भ्रष्टाचार करने के लिए तो कोई आदेश होंगे नहीं। लेकिन आम आदमी को तंग करने के लिए जरूर उनके पास आदेश है। इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ मेरा निवेदन है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय ट्रांसफार्मर जल जाता है एक महीने में बनता नहीं है बिजली की यह हाल है नगर विकास मंत्री जी की बात मैं पहले कर लेता हूं मान्यवर, नगरीय क्षेत्रों में कानपुर के माननीय मंत्री जी उठकर चले गए मैं जब बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो वह चले जाते हैं वह मेरी बात से सहमत होते हैं और आपकी बात का प्रतिकार नहीं कर सकते हैं इसलिए उठकर चले जाते हैं। नगर का विकास उत्तर प्रदेश में केवल एक लखनऊ शहर है क्या शहरी अवस्थापना का बजट उठाकर देख लें कानपुर का कहीं नाम नहीं लिखा कि आपने उसको क्या दिया आपको जानकारी न हो तो आप बजट भाषण में देख लें लखनऊ महत्वपूर्ण हो सकता है राजधानी की वजह से लेकिन कानपुर नगर महत्वपूर्ण है और अधिक महत्वपूर्ण है राजस्व के मामले में। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो चलने के लायक हो सारी की सारी टूटी हुई हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने आपको पैसा दिया है और आप दो सालों से उस पैसे का अपव्यय करने में लगे हुए हैं मैंने इस बात को विधान सभा में भी कहा था लिखकर भी दिया था समाचार-पत्रों में भी बोला था आज फिर उसे मंत्री जी के सामने दोहराना चाहता हूं मैंने जो शिकायतें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के कार्यों की हैं उनकी जांच करवा लें अपनी और हमारी दोनों लोगों की संयुक्त रूप से उपस्थिति में अगर मैं गलत हूंगा तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। आप जानकारी होने के बाद भी कार्यवाही

नहीं करेंगे। लिखकर देने के बाद भी कार्यवाही नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि कौन-कौन लोग इसमें इन्वाल्व हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही करने में आप सक्षम नहीं हैं। जिस पद पर आप बैठे हुए हैं उन पद के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं क्या कहूं। केवल लखनऊ से प्रदेश का विकास नही हो सकता है मैं आपको बता दूं कि आपने पूरा का पूरा पैसा आप सीवरेज के लिये पूरे प्रदेश को 29 करोड़ रुपया देते हैं और लखनऊ के विकास के लिये एक हजार करोड़ रुपया देते हैं। आप मान्यवर, लोकतंत्र में उन सारे मान्य बिन्दुओं को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। जनता के बीच में से जो महत्वपूर्ण लोग चुनकर आते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बिजली के बारे में, शहर के बारे में, उद्योगों के विकास के बारे में कहना है। हमारा इन्डस्ट्रियल स्टेट है मान्यवर। इन्डस्ट्री के बारे में आपने बहुत कुछ अच्छा यहां पर लिख दिया। इन्डस्ट्री के बारे में भी मैं कुछ यहां पर बता दूं। पेज नम्बर 41 के ऊपर इन्डस्ट्री के बारे में लिखा।

श्री अधिष्ठाता-

महाना जी, 10 मिनट से अधिक हो गया है।

श्री सतीश महाना-

पेज नम्बर 41 पर इन्डस्ट्रीज के बारे में लिखा, औद्योगिक विकास के बारे में लिखा। मान्यवर, आप बताओ कि कौन से बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं जो आपके यहां उद्योग लगाना चाहेंगे ? किसी का नाम नहीं लोगे केवल दो लोग जो आपके पेट हैं। उन लोगों के अलावा आप किसी का नाम लेने की स्थिति में नहीं हो। क्यों नहीं कोई इन्डस्ट्री लगा रहा है यहां आपके उत्तर प्रदेश में ? क्यों नहीं है आप इकबाल ? आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं है उनको। कौन उद्योग लगाना चाहेगा यहां उत्तर प्रदेश में। जिन लोगों के ऊपर विश्वास उठ जाता है, जिस सरकार के ऊपर विश्वास उठ जाता है वहां कोई जल्दी नहीं आता। आपको अपने उस विश्वास को फिर से कायम करना होगा। आप जो कहते हैं उसको करके दिखाना होगा।

श्री अधिष्ठाता-

त्यागी जी, आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री राजा राम त्यागी-

महोदय, आपने मुझे साधारण बजट की चर्चा पर, माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपके निर्देशों का पालन करते हुए मैं अपनी बात को अधूरी छोड़ता हूं फिर इसको आगे कान्टीन्यू करने का मौका आप देंगें इस आश्वासन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राजा राम त्यागी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मान्यवर, इस बजट पर सरकार की ओर से बहुत लम्बी-लम्बी चर्चाएं की गई हैं कि हम यह करेंगें, वह करेंगें, सरकार की तरफ से यह प्रोत्साहन दे रहे हैं। मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो यह बजट पेश किया है, यह सरकार पशुओं की नहीं है तो आम गरीब जनता की क्या होगी। मैं यह कहना चाहता हूं मान्यवर कि उत्तर प्रदेश में पशुओं की संख्या 16.61 करोड़ है और यह 2002 की तुलना के असार है और पशुधन विकास पर 15 हजार पशु पर एक चिकित्सालय की स्थापना का लक्ष्य इस सरकार ने रखा है। मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस बजट में 37 पशु चिकित्सालय खोलने का लक्ष्य बनाया है। आप खुद देख सकते हैं मान्यवर, कि इन पशुओं के बारे में, उनकी चिकित्सालय की सुविधा नहीं हो सकती है। जब यह नहीं कर सकते और आगे क्या कर सकते हैं। मान्यवर, आगे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने की या उस पर अंकुश लगाने की बात कही गई है। उस पर यह कहना चाहता हूं कि 3,964 राशन की दुकानों को निलंम्बित करने की बात कही है जो सरकारी सस्ते गल्ले की है और उसमें 1095 लाख प्रतिभूति उनकी जब्त करने की बात कही गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राशन की दुकानों को निलंम्बित किया और 1095 लाख प्रतिभूति आपने जब्त भी की। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि न आपके बजट में, न आपके मंशा में ऐसी बात है। न तो सप्लाई इन्स्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की, न आपकी ऐसी मंशा है। न ही डी0एस0ओ0 के खिलाफ ऐसी मंशा जाहिर की है क्योंकि यह सब मिलकर यह काम करवाते हैं। इधर आपने राशन की दुकान को निलंम्बित किया और उधर 15 दिन में आप लोग जिलाधिकारी के साथ मिलकर सांठ-गांठ करके उसको बहाल करने का काम करते हो। कहां भ्रष्टाचार रोकने की बात आप करते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, एक मुख्य बिन्दु और कहना चाहता हूं यह सरकार नये जिला घोषित करने के लिये बहुत आगे आती है और नया नया जिला घोषित करने का काम करती है। रायबरेली जनपद के दो विधान सभाओं तिलोही और सलोन को काट करके छत्रपति शाहू जी नगर एक जिला बनाया। मैं धन्यवाद देता हूं कि चलिये आपने एक जिला बनाया। लोगों की सुविधाओं के लिये आपने जिला बनाया लेकिन मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि इन जिलों के माध्यम से इतनी दिक्कत हो रही है वहां मान्यवर कि पुलिस अधीक्षक हमारे विधान सभा के अन्तर्गत सिरोतनगंज थाना पड़ता है माननीय अधिष्ठाता जी और उसकी 6 ग्राम सभाएं

रायबरेली जनपद में हैं लेकिन उसके थाने छत्रपति शाहूजी नगर में आते हैं। जब कोई चरित्र प्रमाण-पत्र लेने जाता है तो उसकी पुलिस की रिपोर्ट छत्रपति शाहू जी नगर से मंगाई जाती है और जब वहां का कप्तान देखता है कि यह तो रायबरेली के जिलाधिकारी ने मांगी है तो वह रिपोर्ट नहीं देता है। फिर वह भाग कर के आता है। और जब वहां का पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट देता हैं तो छत्रपति शाहू जी नगर के जिलाधिकारी से रायबरेली का जिलाधिकारी उसको मानने के लिये तैयार नहीं होता है।

श्री अधिष्ठाता-

त्यागी जी आपने अपनी बात समझा दी है।

श्री राजाराम त्यागी-

बसन्तपुर और अनेक गांव शामिल है जिनका थाना वहां लगता है।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात समाप्त करें।

(श्री कौकब हमीद खां का नाम पुकारा गया)

श्री राजाराम त्यागी-

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने कहा कि सड़कों हेतु सी0आर0एफ0 प्रस्ताव भेजो यह सरकार रायबरेली का कोई प्रस्ताव नहीं भेज रही है जबकि केन्द्र सरकार पैसा देना चाहती है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें, अब आपकी कोई बात लिखी नहीं जाएगी अब आपके बोलने का फायदा क्या है। कौकब हमीद जी आप बोलें।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, इनको बैठायें तब तो बोलें।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, किसी भी सरकार का बजट, बजट पर दी हुई तकरीर बजट पर दिया हुआ भाषण और बजट में दिए हुए आंकड़े इस बात का सबूत हुआ करते हैं कि वह सरकार अच्छी चल रही है, खराब चल रही है या चल रही है या नहीं चल रही है। मान्यवर, कोशिश इस सरकार ने भी की है 51 पृष्ठ का बजट भाषण दिया है। मंत्री जी चले गए बहुत देर से बैठे थे। मैं कोशिश यह करूंगा की कि आपने सिर्फ आंकड़े ही गलत नहीं दिये बल्कि जो बात कही है उसका भी कोई मान्य नहीं है। मान्यवर, कोई सरकार जब चलेगी और आप उसे अच्छी

बढ़िया सरकार कहेंगे, शक्तिशाली और मजबूत सरकार कहेंगें और प्रदेश में अच्छी चलती बड़ी सरकार कहेंगे तो आपको यह बताना पड़ेगा कि पर व्यक्ति आय कितनी है उस प्रदेश के अन्दर, और यह बताना पड़ेगा कि औद्योगिक विकास दर क्या है। अगर आप यह नहीं बताते हैं तो आप स्वयं यह साबित कर रहे हैं कि आपकी सरकार चल चला नहीं रही है आपने आंकड़े दिये हैं मान्यवर, इन्होंने कहा है कि पर व्यक्ति आय जो है वह 23,132 रुपये है अफसोस, यह आंकड़े जो मैं आपको देने जा रहा हूं यह मैंने स्वयं नहीं बनाए हैं। जो इन्फार्मेशन यू0पी0 सरकार देती है उसके आंकड़े हैं और जो भारत सरकार है और जो एनालेसिज आती है इन आंकड़ों की, उनके आंकड़े हैं। मान्यवर, थोड़ा बता दूं मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश में है 35,860, असम में है 21,462, बिहार के अन्दर 11,135, गुजरात में है 45,7751, कर्नाटक में 36,226, मध्य प्रदेश में 18,251, उड़ीसा में 23,403, राजस्थान में 30,930 और तमिलनाडू में 40,775 है और मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर 13,436 रुपये। तो जो ईमानदारी की बात है, यदि हमें ही बता दो तो दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है ? जहां हो, वहीं तो रहोगे। अगर आप अपने आप से कहोगे कि हमारी आय बढ़कर 60 हजार रुपये हो गयी है तो इससे क्या मसला हल होने वाला है ? क्या आपके भाषण देने से प्रदेश की गरीबी खत्म हो जायेगी और जहां तक उद्योगों के विकास का मसला है, मुझे अफसोस है, बात 2-3 साल पुरानी है, अगर वह बजट भी दिखा दो, 12 फीसदी, हिन्दुस्तान की 9 फीसदी हमारी 12 फीसदी पुरानी बात हो गई। मान्यवर, आपकी 7.4 थी और अब 7 है। आप उद्योग का नाम नहीं बता सकते, मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। हो सकता है कि 4-5 दिन के अन्दर सरकार के किसी मंत्री ने, सरकार के किसी मुहाफिज ने यह बात तय कर ली हो, पता लगा लिया हो, सरकार अगर किसी 4 कम्पनियों के नाम बता दे जो बड़ी कम्पनियां हैं, जिनका टर्नओवर तकरीबन 1 हजार करोड़ से ऊपर का है, इतने बड़े प्रदेश में जिसकी 18 करोड़ आबादी है और वह सबसे शक्तिशाली प्रदेश कहलाता हो, उसमें आप चार बड़ी कम्पनियां के नाम नहीं बता सकते।

मान्यवर, पूरी सरकार बैठी है, बता दे कि यह चार कम्पनियां हमारे यहां हैं। मान्यवर, आपने नोयडा बनाया, जब कभी बना, तिवारी जी के जमाने में बना, बहुत पहले बना कि वहां उद्योग लगेंगे, स्पोर्ट जोन था, एक जमाने में और बड़ी कम्पनियों के आने की भी संभावना हो गयी। आज मान्यवर, सिर्फ एक इण्डस्ट्री है, रियल स्टेट इण्डस्ट्री, जिसमें जमीनें खत्म हो गयीं, दोबारा बिक्री शुरू हो गयी। जो कम्पनियां वहां बनी थी, चली थी, वह बन्द हो गयी हैं। आज स्पोर्ट जोन नाम की कोई चीज वहां हैं नहीं और यदि हो तो बता दें। एयरपोर्ट चाहे अलीगढ़ में बनवाओ या कहीं और बनवाओ, आपके पास कौन आयेगा। आपने जो जमीन तय की थी, टूरिज्म के लिए तय किया था, जो जमीन आप इन्डस्ट्री को देते हो, उस पर मुकदमें चल गए, पता नहीं क्यों मुकदमें चल गए। ऐसे में कौन आपके यहां आयेगा। मान्यवर, यह सारी चीजें हैं।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने मा0 मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा, कहा स्वास्थ्य व बुनियादी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। यह वक्तव्य न मेरा है और न किसी और का है, हिन्दुस्तान में हम सभी रहते हैं, उत्तर प्रदेश कोई अलग मुल्क तो नहीं हैं, प्रदेश है भारतवर्ष का। पत्र जो उपाध्यक्ष ने लिखा है, मा0 मुख्य मंत्री जी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बच्चे 3 और 5 क्लास में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में, वह मुश्किल से पहली कक्षा की किताबें पढ़ पाते हैं। यानी स्तर है, जो हम पढ़ा रहे हैं। मान्यवर, जो भूमि अधिग्रहण आपने किया है, मंत्री जी वह खौफनाक है, खतरनाक है, गलत है, बेबुनियाद है, धोखा किया है धोखा। उस दौर में जिस जमाने में दुनिया में हर जगह उसी दुनिया के हम भी रहने वाले हैं, हम चांद पर तो रहते नहीं। हम उसी दुनिया के रहने वाले हैं और आज डिबेट इस बात पर है कि फूड शार्टेज हो गयी। हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री, योजना आयोग का सेक्रेट्री इस बारे में बाकायदा डिबेट और मीटिंग्स करवा रहे हैं कि फूड की सिक्योरिटी का क्या होगा। आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, क्या होगा यह तो पता नहीं मान्यवर, लेकिन यह आंकड़े बड़े अजीब से हैं, दे देता हूं। मान्यवर, जो आंकड़े हैं, उसके अन्दर आपने अपने भाषण में कहा है कि जो करार होगा हमारा, जमीन जो हम लेंगे, उसका जो करार होगा, वह 33 साल के लिये होगा। तब तक तो वह बेचारा मर जायेगा जो जमीन देगा, वह मर चुका होगा, उसकी औलाद के लिये सब होगा और 20 हजार रुपये उसके हर साल बढ़ेंगे।

मान्यवर, कोई वजह बतायेंगे कि अपने प्रदेश के रहने वाले लोगों को भूखा मारकर और आपकी जानकारी में होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, पावर्टी से नीचे जो लोग हैं, वो जो पावर्टी की रेखा है, जहां सफेद राशन कार्ड मिल जाता है, एक किताब मिल जाती है, उस रेखा में 40 फीसदी आपके यहां के हैं, आप उनको मारने का काम कर रहे हों। एक लाख सोलह हजार पांच सौ अस्सी गांव हैं इस प्रदेश के अन्दर, आप 23680 गांव ले लो क्योंकि आपको किसी ने यह बता दिया कि इससे अच्छा मौका नहीं है। आठ एक्सप्रेस हाई-वे बनवा दो, आठ एक्सप्रेस हाई-वे तो बनवा रहे हों, कभी इसका हिसाब लगाया कि 7.2 गांव निकल जाते हैं, खतम हो जाते हैं, उनका वजूद खतम हो जाता है जब एक कि0मी0 एक्सप्रेस हाई-वे बनता है। कुछ आंकड़े हैं, कोई बुक है आपके पास है कोई सवाल इसके बाद आपके पास। इसके बाद फिर आपका विकास दर होना चाहिए 8 परसेन्ट, 9 परसेन्ट। हम किस बारे में जिक्र करें। चीफ सेक्रेट्री उत्तर प्रदेश कहते हैं 8 टू 9 परसेन्ट विल बी द विकास दर, 9 परसेन्ट होगी विकास दर उत्तर प्रदेश की। जो 6 से 9 पर जाने वाला है, वह 7 पर आ गया है और 7 भी फैब्रीकेटेड है, 7 भी जुड़ा है, डाक्ट्रेट किया हुआ है, 7 भी है नहीं और होगा कैसे। मान्यवर, आपका चीफ सेक्रेट्री ऐसी-ऐसी बातें करता है। ये न्यूज है, इसकी हैडिंग बता देता हूं मान्यवर, उत्तर प्रदेश डिप्रेशन्ड सुसाइड एमंग्सट द वीवर्स बिकाज आफ द इकोनामिक क्राइसिस। उत्तर प्रदेश प्रदेश के अन्दर वाराणसी के जो लोग ये सिल्क की साड़ियां बनाते हैं, उनके अन्दर अब

खुदकशी की नौबत भी आ गयी है क्योंकि उनकी साड़ियां, उनकी चीजें अब नहीं बिक रही हैं तो विकास दर कहां से बढ़ेगा। अगर विकास दर नहीं बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी और जब प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी तो फिर आप अपने आपको शक्तिशाली प्रदेश कैसे कहलवाओगे भाई। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले से डिफरेंस आया है। अरे क्या डिफरेंस उत्तर प्रदेश में है, कौन सा डिफरेंस है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो फिर डिफरेंस कहां से आ गया मान्यवर। मान्यवर, अफसोस की बात है, आपने अपने पूरे बजट के भाषण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं किया। आपने बुन्देलखण्ड का किया, बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगा। आपने पूरब का किया, बहुत अच्छा लगा, सेन्टर की जो थोड़ी बहुत जगह है उसका भी आपने किया, बहुत अच्छा लगा कि कानपुर में इन्डस्ट्री लगा रहे हैं। क्योंकि हम बहुत खुश है और हमारी खुशी आपको पसन्द नहीं आती। हमारी होर्डिंग देखी है कभी जाके, लगाइये आंखें। जापान के बाद मान्यवर अगर कोई मुल्क या मुल्क का एक हिस्सा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश इतनी कम जमींदारी हमारे पास रह गयी है। एकड़ वाले तो खत्म हो गये बीघों में हम मेहनत करते हैं और इस जगह पर आज खड़े हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जिक्र नहीं किया जायेगा आपको न यूनिवर्सिटी दी जायेगी और न कुछ दिया जायेगा। एक काम करते हैं हम बैठे हैं, आप पसन्द नहीं करते हैं तो हटा दें। इस प्रदेश का विभाजन करिए आप भी खुश हम भी खुश। इस बात को आप मान चुके हैं और आप मानते भी हैं और अब तो और भी मान रहे हैं एक आदमी छोड़कर चले गये। तो सब मानते हैं तो एक प्रस्ताव भेजिए भारत सरकार को और यह कहना छोड़िये कि वह मांगेंगे तो हम देंगे। वह नहीं मांगेंगे उन्हें अपना ही पता नहीं कि उन्हें क्या करना है। वह खुद परेशान है तो आप मानते हैं तो आप ही देंगे प्रस्ताव वह नहीं मानेंगे तो वह भी देखेंगे। तो आप एक काम करिए। वो भी मानेंगे, सब मानते हैं और उसके साथ-साथ एक प्रस्ताव और भेजिए क्योंकि आप यह मानते हैं कि गरीब आदमी को परेशान आदमी को सही समय पर न्याय मिल जाना चाहिए और सस्ता न्याय मिल जाना चाहिए। सहारनपुर से चलने वाला आदमी इलाहाबाद पहुंचेगा 700-750 किलोमीटर तो न्याय तो मंहगा तो वैसे ही हो गया और मान्यवर, उतरेगा तो 5-10 रु0 देगा रिक्शेवाले को तो मंहगा हो गया तो एक बेंच छोड़ देनी चाहिए मान्यवर, जब तक आप प्रस्ताव यह ने भेजें कि वहां विभाजन होना चाहिए तब तक हाईकोर्ट की एक बेंच आ जानी चाहिए यदि वह नहीं आयेगी वह वही रह जायेगी और प्रदेश बन ही जायेगा तो मान्यवर, ये सारी चीजें हैं।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं यह एक और आंकड़ा है जिस पर मैं बताना चाह रहा हूं वह है चाइल्ड डेथ। मान्यवर, मंत्री वह भी नहीं रह गये सभी चले गये। स्वास्थ्य मंत्री रहते तो उनसे कह देते चलिए आप ही उत्तर दे दीजिएगा। चिन्ड्रेन डेथ यानि बच्चों की मौत आपके यहां पर यह एक कम्प्रेटिव पार्ट आया है मान्यवर कि 67 परसेन्ट है

और यह बताने की आवश्यकता नहीं कि 67 परसेन्ट यह इसलिए है कि आप उन गरीब बच्चों को, बच्चों की माओं को जिस वक्त वह उस हालत में होती हैं, आप उनकी सही देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आपके अस्पताल यह काम नहीं कर पा रहे हैं। यह कम्प्रेटिव चार्ट बता रहा हूं कि आल इण्डिया का तो है 53 प्रतिशत और आप का 67 प्रतिशत है। मान्यवर, शिक्षा में हिन्दुस्तान का प्रतिशत 60.54 प्रतिशत पढ़े-लिखे हैं और आपके यहां 55 फीसदी है। वह तो उपाध्यक्ष ही कह रहा है कि 3-4 में पढ़ने वाला पहली की किताब पढ़ता है यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारत वर्ष का उपाध्यक्ष कह रहा है। अब या तो उसके खिलाफ प्रस्ताव दो कि वह झूठ बोल रहा है और अगर नहीं है तो मानिए। यह एक बेहतर बजट है मान्यवर, यह कहने से कब शक्तिशाली है। एक गुजारिश और है जो मैं बैठने से पहले कह रहा हूं कि दुनिया, आप और हम सब दो नदियों को मानते हैं, गंगा को और जमुना को। जमुना जो हैं उसे लोग पूजनीय भी कहते हैं और लोग जलाने जाते हैं और कुछ के पते इसलिए होते हैं कि साहब हम कहां रहते हैं, हम जमुना के पास रहते हैं उस जमुना को चलाओ, बहावो पानी बहाओ। 150 किलोमीटर जमुना पिछले एक साल में नहीं रही है, जो सहारनपुर से लेकर बागपत तक जाती है अब चल रही है और फिर जून-जुलाई में खत्म हो जायेगी। धन्यवाद जय हिन्द।

श्री सत्य नारायण जैसल-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष (2011-12) के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट निःसंदेह उत्तर प्रदेश की आम आवाम, अनुसूचित जाति-जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सर्वजन समाज के साथ-साथ कर्मचारी अधिकारी बिजनेस मैन कारोबारी आदि सभी के लिए हितकारी है। प्रतिपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा यह बात रखी गई कि केवल दलित एवं अन्य पिछड़े समाज में जन्में सन्तो, गुरुओं, महापुरुषों का नाम अंकित हुआ है, जबकि देश की आजादी के तमाम महान नेताओं में से किसी का नाम नहीं आया है। हम उनको बताना चाहेंगे कि 1848 में यदि महात्मा ज्योतिबाफुले साहब ने स्कूलों का दरवाजा शूद्रों एवं सम्पूर्ण महिलाओं के लिए कानून के द्वारा न खुलवाये होते तो बाबा साहब डा0 अम्बेडकर जैसा मसीहा बहुजन समाज को न मिला होता तो आज ऐसे लोगों की हालत को सुधारने का काम कौन करता। कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महराज जब अपने राज्य में 26 जुलाई, 1902 को सछूत और अछूत को 90 फीसदी व 50 फीसदी का आरक्षण शासन और नौकरी में घोषित किया तो पण्डित बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कुर्मी राजा तो पागल हो गया है, तब महाराजा ने कहा था कि पागल घोषित करना किसी डाक्टर का काम है। जिन सन्तों, महापुरुषों को हमारी पार्टी आदर्श मानती है, वे महापुरुष तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के विपरीत संघर्ष कर मानवता को जिन्दा करने का ही कार्य नहीं किये बल्कि स्थाई व्यवस्था दिये जिससे दबे कुचले समाज में स्वाभिमान जगा कि हम भी इन्सान हैं।

मान्यवर, हमारी सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सर्व समाज के सभी वर्गों के उत्थान तथा प्रदेश के समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास का काम कर रही है। सीमित संसाधनों से क्षेत्रीय असंतुलन और आर्थिक असमानता को दूर करने तथा प्रदेश में तेजी से विकास करने का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदम है। ''मेरे हौसले को सराहो, मेरे हम राह चलो, मैंने एक शमा जलाई है हवा के खिलाफ'' ऐसा सन्तो महापुरुषों ने किया है तो प्रतिपक्ष में बैठे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। मान्यवर, इस वर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना में पिछले वर्ष की तुलना में 15.8 प्रतिशत अधिक का बजट व्यवस्था किया गया है। उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थी परिवार को प्रतिमाह रुपया 300 से 400 रुपया प्रतिमाह कर दिया गया है, विकलांग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, बुनकर कल्याण तथा अवस्थापना सुविधाओं में बिजली, सेतु, सड़क, सिंचाई, शहरी आदि मदों में पिछले वर्ष से ज्यादा बजट का प्राविधान किया गया है। अन्त में माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 मंत्री वित्त द्वारा प्रस्तुत बजट पर बल देते हुए रजा चाहूंगा, धन्यवाद, जय भीम।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 2011-2012 बजट चर्चा पर बोलने की अनुमति दी मैं उसका आभारी हूं। बजट के पेज नं0-4 पर जो शुरू किया है इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, इसमें पैरा-2 में देखेंगे, ''भ्रष्टाचार की जड़ पर सख्त प्रहार, छोटे किसानों की खेती की जमीन का उद्योगों के लिये सरकार द्वारा अधिग्रहण न करना, छोटे किसानों की जमीन पर बैंकों द्वारा नीलामी पर प्रतिबन्ध लगाना'', मान्यवर, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है और जमीन अधिग्रहण करने की बात इस सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में राज्य चीनी निगम की 11 शुगर फैक्ट्रियों को बेंच दिया गया और यह 11 शुगर फैक्ट्रियां जो बेंची गई हैं, इनका यदि सरकार मूल्य भूमिदान स्टाक का देखा जाय, 469.01 करोड़ और स्टाक चीनी वगैरह मिला कर सारा का सारा बैठता है 614.68 करोड़, यह लागत सरकारी मूल्य निर्धारित पर आती है, जो आपने सरकारी कीमत आंकी है। 11 शुगर फैक्ट्रियों की, इन मिलों में बुलन्दशहर, अमरोहा, चांदपुर बिजनौर, सहारनपुर, जरवल रोड खड्डा रोहाना कला सकोती टाडा, सिसवा बाजार मोहिउद्दीनपुर और इन सबको बेच दिया 470.75 करोड़ में सरकारी मूल्य से भी 143.93 करोड़ कम में। यदि इनकी बाजार की कीमत लगाई जाय, केवल इनकी जमीन-जमीन की कीमत लगाई जाय तो कम से कम आती है, दो हजार करोड़ रुपया है। सर्किल रेट पर भूमि का मूल्य 1026.3 करोड़। मान्यवर, दो हजार करोड़ लगभग बाजारी कीमत रु0 इसमें इन्वाल्व है। मान्यवर, जो निर्धारित मूल्य का पैसा है वह है 614.68 करोड़ रु0 और निविदा से प्राप्त मूल्य उच्चतम जो है वह है 470.75 करोड़ रु0। मान्यवर, इस तरह से इसमें करीब दो

हजार करोड़ रु0 का घोटाला है अब इसमें कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है यह जांच का विषय है। एम तरफ यह दो हजार करोड़ रु0 का घोटाला है और दूसरी तरफ आप भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की बात कह रहे हैं। मैं यह मांग करता हूं कि इस पर मंत्री जी सी0बी0आई0 से जांच कराने का काम करें। मान्यवर, अब लगभग 15 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिनको कोड़ियों के दाम बेचने की कार्यवाही की जा रही है। इसमें बैतालपुर, बरेली, भटनी, बुढ़वल, देवरिया, घुघली, शाहगंज, छाता, रामपुर, बाराबंकी, लक्ष्मीगंज, रामकोला, हरदोई, छितौनी, नवाबगंज की चीनी मिलें शामिल हैं। इसमें छितौनी को तो तीन करोड़ रु0 में बेचने की बात चल रही है। क्या हो रहा है इस प्रदेश में। आप भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बात करते हैं। इसी प्रकार से मान्यवर भूमि अधिग्रहण के बारे में बार-बार कहा जा रहा है। हम कह रहे हैं बजट भाषण में कि ''भ्रष्टाचार की जड़ पर सख्त प्रहार, छोटे किसानों की खेती की जमीन का उद्योगों के लिये सरकार द्वारा अधिग्रहण न करना, छोटे किसानों की जमीन पर बैंकों द्वारा नीलामी पर प्रतिबन्ध लगाना, सरकारी निर्माण कार्यों में रु0 25 लाख तक के ठेकों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की सुविधा देना, जैसे अनेक जनोपयोगी कार्य किये गये हैं।''

(इस समय 3 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आप इसमें यह कह रहे हैं कि हम छोटे किसानों की भूमि अधिग्रहीत नहीं करेंगे। मान्यवर, 17 जनवरी से हमारे यहां भट्टा गांव में कई हजार किसान धरने पर बैठे हुए हैं जिसमें महिलायें और बच्चे भी शामिल हैं उनकी मांग केवल यही है कि हमारी जमीनों का अधिग्रहण जबरदस्ती मत करो। वे आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं। लेकिन इतने दिन हो गये सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे मिलने, बात करने के लिए नहीं गया है। मान्यवर, इसी तरह से, 1-02-2011 को वहां किसानों ने आंदोलन किया ककोड थाने में 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया जिसमें 259 किसानों को गिरफ्तार किया गया और जिसमें 59 महिलायें हैं। मान्यवर, बजट किसानों का, किसान के हित की यह सरकार इन किसानों के बारे में चिन्ता कर लेते जो अच्छा होता। वह आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं आप उन्हें कुछ दे नहीं रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारी जमीन जो हमारी मां होती है उस जमीन को हमसे मत छीनो। लेकिन नहीं छिनेंगे और छीनकर किसको देंगे कुद उद्योगपतियों को देंगे। वह जमीन आप लेंगे 570 रु0 प्रति वर्ग गज के हिसाब से और उसको बेच रहे हैं 14 हजार और 18 हजार के भाव पर। जबकि अभी वहां पर कुछ निर्माण नहीं हुआ है कोई विकास नहीं हुआ है तब यह भाव है।

मान्यवर, हम कृषि की बात कर लें। कृषि का आकार आज छोटा होता जा रहा है। खाद्यान्न की समस्या आज पैदा हो रही है। कृषि विकास दर आपकी बढ़ नहीं रही है। कृषि मंत्री जी यहां पर आ गये हैं। कृषि की विकास दर का लक्ष्य जो आप 5.1 रखते हैं वह 1.02 रह गयी है। विकास दर बढ़ेगी नहीं जमीन का आकार छोटा हो गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 1.18 करोड़ छोटे किसान हैं जिनके पास आधा एकड़ से भी कम भूमि है। अगर एक परिवार में पांच व्यक्ति भी मान जायें तो

लगभग 5 करोड़ 90 लाख ऐसे किसान होंगे। जो कृषि पर आधारित हैं। जिनकी आमदनी प्रति व्यक्ति लगभग 15 रु0 प्रति व्यक्ति बैठती है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि बीपीएल सूची को संशोधित कराया जाय और उसमें इन 5 करोड़ 90 लाख लोगों को शामिल कराया जाय। मान्यवर, आपने प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बात कही है आज प्रति व्यक्ति आय जो लोग कृषि पर आधारित हैं उनकी घट रही है। कृषि का आकार आज घट रहा है। मान्यवर, आज मंहगाई कितनी बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़ गये हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज टैक्स बहुत ज्यादा हैं। उससे भी महंगाई बढ़ी है। मान्यवर, बजट में जो धनराशि दी गयी हैं प्रत्येक विभाग को। लेकिन आपने यह कहा है कि इतना प्रतिशत हम विभागों का बढ़ा रहे हैं। हम कृषि विकास दर इतनी बढ़ायेंगे लेकिन महंगाई कितनी बढ़ेगी यह नहीं बताया। मान्यवर, जिस तरह से आप कृषि की उपज को बढ़ाने की बात करते हैं आज दाल 80 रु0 किलो के भाव से बिक रही है। मान्यवर, भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं हम जब भी बुलन्दशहर जाते हैं तो हमारा घेराव होता है। 28 जून से 500-600 वकील बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन के हड़ताल पर बैठे हुए हैं हम भी उसके सदस्य रहे हैं उनका कुछ कहना नहीं है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं वह हमसे कहते हैं कि इसको विधान सभा में कहिये, हमें कल मौका नहीं मिला। हम कहते हैं सरकार उनसे बात तो करती, सरकार का कोई भी अधिकारी जाकर यह जानने की कोशिश करता कि आपकी समस्या क्या है, आपका दर्द क्या है। जहां 500-600 वकील हड़ताल पर बैठे हैं वहां उस प्रदेश का क्या होने वाला है। सरकार का कोई व्यक्ति उनसे बात करने को तैयार नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि आप निर्देश दें कि उन वकीलों से जाकर कोई भी उनसे वार्ता करके उनकी समस्या का समाधान करे। कोई अधिकारी जाय जो वकीलों से जाकर उनकी समस्या को पूछे और उनका समाधान करे। भ्रष्टाचार के बारे में वह कर रहे हैं। ऐसी समस्या हो उस प्रदेश में जहां वहां कानून व्यवस्था की बात करते हों, विकास की बात करते हों, क्या होने वाला है वहां, क्या होने वाला है इस प्रदेश में। गांव का गरीब मजदूर किसान की क्या स्थिति है अभी पहले बहुत चर्चा हुई थी नहरों में पानी नहीं है कैसे किसान का भला होगा, खाद समय पर नहीं मिल रही है उसका कैसे भला होगा, बिजली उसको मिल नहीं रही है कैसे किसान का भला होगा, जहां आबादी तेजी से बढ़ रही हो और जमीन का आकार कम हो रहा हो और कृषि विकास दर कम हो रही है तो इस प्रदेश का आदमी कैसे अपना जीवन यापन करेगा। वह भूखा नहीं मरेगा तो क्या करेगा ? खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया इस प्रदेश में। इस प्रकार से मेरा एक अनुरोध भी है माननीय अध्यक्ष जी, आपसे एक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 है जिसके बारे में सब सहमत होते हैं कभी-कभी जब तक भारत सरकार इस नियम में संशोधन न कर दे उत्तर प्रदेश सरकार को यह करना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश में किसानों की जमीन का अधिग्रहण जबरदस्ती नहीं करेंगे। करार नियमावली सहमति के आधार पर करियेगा कोई मना नहीं करेगा। किसान की जमीन को छीनने का काम न करे तो उनकी हाय पड़ेगी उसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है। पूरे प्रदेश में आज किसान आन्दोलनरत हैं और यह जो महागांव से आगरा तक किसान आन्दोलनरत हैं बड़े-बड़े आन्दोलन हो रहे हैं अभी 12 फरवरी की तारीख में वहां पर रेले रुकी, सड़कें जाम हुई बहुत सारे दंगे हुए, किसानों का उत्पीड़न

किया गया, किसानों को मारा गया, पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, महिलाओं को बन्द किया गया, आप किसान की बात करते हो, किसान ऐसे ठीक होगा, गांव ऐसे ठीक होंगे, आप करते हो बजट में किसान की बात मान्यवर, यह ऐसे विषय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पशु चिकित्सालय की बात, मैं हर बार हर विधान सभा में हर सत्र में माननीय अध्यक्ष जी बता रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में 5 पशु चिकित्सालय हैं जिनको 4-5 वर्ष बने हुए हो गये उनकी खिड़की टूट गयी, दीवार टूट गयी उनमें आज तक डाक्टर स्टाफ एक भी नहीं है जवाब आता है हर साल कि हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। नियुक्ति करते जा रहे हैं यहां से फिर तो हम भी कर लेंगे 5 साल बाद आप नियुक्तियां क्या करेंगे। बिजली की समस्या के बारे में हमेशा कहा जाता है कि हम बहुत बिजली घर लगा रहे हैं हम तो कहते हैं कि 2014 में आपने कहा है बजट में कि 2014 में हम उत्तर प्रदेश को बिजली में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बना देंगे, बिजली सभी किसानों को मिलनी शुरू हो जायेगी लेकिन 2012 तक बताओ कि कर क्या रहे हों 5 साल होने जा रहे आपके अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, सिंचाई की सुविधा नहीं, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि 2010-2011 के बजट पर आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, 16 साल के इतिहास में यह पहली सरकार है जो पूर्ण बहुमत के साथ शासन में आई और सरकार का यह सौभाग्य था कि जब यह सरकार आई तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना आई। इस सरकार को यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य थे वह इसी सरकार ने सदन के सामने रखे थे और सिर्फ लक्ष्य ही नहीं रखे थे, हम लोगों ने कोई मांग नहीं की थी, स्वयं सरकार ने इन लक्ष्यों को पूरा करने के वह तौर-तरीके भी बताये थे जिससे हम यह तय कर सकते थे कि सरकार ने लक्ष्यों की प्राप्ति की या नहीं की। जिसको सरकार ने मानीटरेबिल टारगेट्स कहा। यानि वह तरीके जिससे हम पता कर सकें कि 5 साल बाद इस प्रदेश में क्या-क्या परिवर्तन हो जायेगा। हम देखेंगे कि वह हुआ कि नहीं हुआ।

अब यह अन्तिम बजट है और जो लक्ष्य सरकार ने रखे हैं और सरकार का अपना साहित्य बता रहा है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में वह कहां तक सफल हुयी। सफल तो कम कहां तक असफल हुयी है, मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। सरकार ने 2007 में हम लोगों के सामने लक्ष्य रखा था इनफैन्ट मोर्टेलिटी अर्थात् 1000 नवजात शिशुओं पर पैदा होने के दौरान मरने वालों की संख्या। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो यह संख्या 72 थी और सरकार ने लक्ष्य दिया था कि हम इस संख्या को घटाकर 35 कर देंगे। यह सरकार के अपने लक्ष्य थे हम लोग के द्वारा निर्धारित नही किये थे। आज की स्थिति यह है कि हम 72 से घटाकर सिर्फ 67 तक करने की स्थिति में पहुंचे हैं। सब्जबाग हमने दिखाये थे 35 के। मैटर्नल मोर्टलिटी जो गर्भवती महिलायें होती हैं, जिनकी गर्भ के दौरान मृत्यु होती है, एक लाख ऐसी गर्भवती महिलाओं में कितने की मौत होती है। जिस समय यह सरकार आई थी तो सरकार ने कहा कि अभी 515 महिलाओं की मौत होती है। सरकार ने चुनौती दिया कि हम 5 साल के कार्यकाल में इस मौत को 515 से घटाकर 100 कर देंगे। यह सरकार के दिये हुए लक्ष्य थे जो योजना आयोग ने सरकार के कहने पर प्रकाशित भी किये हैं। अर्थात् उत्तर प्रदेश

सरकार के लक्ष्य पूरा देश जानता है। इस लक्ष्य में 515 से घटकर के सिर्फ 440 पर पहुंचे यानि पूरे देश में सर्वाधिक। फर्टिलिटी रेट यानि एक महिला अपनी पूरी एज के दौरान कितने बच्चे पैदा करती है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो सरकार ने स्वयं बताया था कि वह रेट 4.4 है, यानि एक औरत औसतन 4.4 बच्चे पैदा करती है, सरकार ने यह चुनौती दी थी कि हम परिवार नियोजन कार्यक्रमों का इतना बेहतर उपयोग करेंगे कि यह संख्या घटकर 2.8 पर आ जायेगी। सरकार ने अब अपने साहित्य के माध्यम से इस सदन को बताया है कि सरकार इस लक्ष्य को भी पाने में असफल रही है और 4.4 से घटकर सिर्फ 3.8 हुआ है इसी प्रकार से कुपोषण का मामला है। 3 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें कुपोषण की दर इस सरकार ने वर्ष 2007 में बताया था कि 51.7 है और सरकार ने चुनौती के साथ कहा था कि हम इसे घटाकर 23.5 कर देंगे। सरकार की अपनी घोषणा है यह सरकार की अपनी कार्यवाही का हिस्सा है और आज अब सरकार बता रही है कि हम 23.5 के स्थान पर घटकर हम सिर्फ 47 प्रतिशत ही कर पाये हैं।

इसी प्रकार से जो गर्भस्थ महिलायें हैं, उनमें खून की कमी में 48 प्रतिशत महिलाओं को खून की कमी है यह सरकार ने 2007 में बताया था और यह चुनौती दी थी कि हम 5 साल के कार्यकाल में इस कमी को दूर करेंगे और 5 साल होते-होते सिर्फ 20 प्रतिशत महिलायें रक्त अल्पता की शिकार होगी और सच्चाई यह है कि सरकार ने खुद बताया है कि हम इस मामले में असफल ही नहीं बुरी तरह असफल हुये हैं और रक्त अल्पता का प्रतिशत 48 प्रतिशत से बढ़कर 50.8 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार से यह जो साक्षरता की बात है। सरकार जब सत्ता में आयी थी तो हमारे प्रदेश की साक्षरता 56.27 प्रतिशत थी और सरकार ने कहा था कि हम इसे 56.27 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 कर देंगे और आज जो आंकड़े हम लोगों को दिये गये हैं वह भी 56.27 के ही हैं एक कदम भी साक्षरता की दृष्टि से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाये हैं। इसी प्रकार से जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या है, सरकार ने जो पावर्टी आफ सोशल मानीटरिंग अध्ययन कराया था दो और तीन के बीच का अन्तर लेकर। सरकार ने कहा कि इस प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 31.15 है। हम अपने पांच साल के शासनकाल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रेशियों को घटा करके 15 परसेन्ट कर देंगे। वी0एस0 तेन्दुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है अगर उसे आप सरसरी निगाह से भी पढ़ लें तो आज की स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में 41 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 38 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं यह पूरा देश योजना आयोग के आंकड़ों के माध्यम से जानता है।

इसी प्रकार से अभी एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात हो रही थी मा0 मंत्री जी ने बता दिया कि 1.8 प्रतिशत नहीं तो मैं तो जानता था कि लगभग 4 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है लेकिन हमारा जो लक्ष्य था 6.4 प्रतिशत का था। इण्डस्ट्रियल विकास का जो लक्ष्य हमने रखा था वह 10.5 का था हमने पाया है 5.4। सेवा क्षेत्र का जो लक्ष्य हमने रखा था वह था 12.4 हमने पाया है 9.6। अर्थात् जितने भी मानक इस सरकार ने हमें दिये थे और कहा था कि सफलता असफलता का मूल्यांकन करते समय इन्हीं मानकों को अपने सामने रखना और उन्हीं के आधार पर तय कर लेना कि हम काम करने में

कितने सफल हुए। आज सरकार स्वयं अपने मानकों के माध्यम से बता रही है कि अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम पूरी तरह से असफल हुए हैं, यह हमारा पहला बिन्दु है। आज सामान्य चर्चा है।

आज मैं विभागीय बजट की ओर नहीं जाना चाहता हूं। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, मा0 मुख्य मंत्री जी आयीं और कहती रहीं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश न जाने क्या-क्या विभाजन करना चाहती है केन्द्र को भेज दिया, क्या करना चाहती है वही जाने। बजट साहित्य में पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड की बात की जाती है। हमारे लिए धनराशि बढ़ाकर 291 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग 40 प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश की बनाते हैं, 27 जिले हैं। बुन्देलखण्ड का मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन पूरे प्रदेश का विकास होना चाहिए किसी एक हिस्से का विकास न होने से पूरे प्रदेश का विकास प्रभावित होता है। बुन्देलखण्ड में 7 जिले आते हैं और कुल मिला करके 4 प्रतिशत लोग वहां रहते हैं। उनके बजट की व्यवस्था चार गुना की गई है, ठीक की गई है अच्छी की गई है क्योंकि बुन्देलखण्ड भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले केन्द्रीय उत्तर प्रदेश के मुकाबले पिछड़ा है। लेकिन पिछड़ा कौन है सरकार खुद क्या कह रही है इसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पूरे प्रदेश का औसत एक लाख की जनसंख्या पर एलोपैथिक डिस्पेंसरी सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से 2.48 है, बुन्देलखण्ड में यह संख्या 3.42 है अर्थात् देश प्रदेश के औसत से अधिक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह संख्या सिर्फ 2.6 है। एक लाख की जनसंख्या पर बिस्तरों की संख्या प्रदेश का औसत 36.74 बिस्तरों का है, बुन्देलखण्ड में यह संख्या 45.56 है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह संख्या सिर्फ 37 है। एक लाख की जनसंख्या पर पी0एच0सी0 की संख्या प्रदेश का औसत 1.9 है बुन्देलखण्ड का औसत 2.79 है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का औसत 2.01 है यानि इस अर्थ पर भी बुन्देलखण्ड बहुत आगे है। साक्षरता की दर पर बात करें तो प्रदेश का औसत 56.27 है, बुन्देलखण्ड इस प्रदेश का सर्वाधिक शिक्षित हिस्सा है जहां साक्षरता 59.3 है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की साक्षरता सिर्फ 54.37 है। महिला साक्षरता में प्रदेश का औसत 42.22 है और बुन्देलखण्ड का औसत प्रदेश के औसत से अधिक 45.11 है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 39 प्रतिशत है।

मान्यवर, जब साक्षरता अधिक है तो स्पष्ट है कि स्कूलों की संख्या भी अधिक होगी। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं मैं तो सिर्फ आपके आंकड़े रख रहा हूं। साक्षरता वहां इसलिए अधिक है क्योंकि एक लाख की जनंसख्या पर वहां जूनियर बेसिक स्कूल अधिक खोले गये हैं और यहां तक कि उन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या भी अधिक रखी गयी है। यह जो शिक्षक-छात्र रेशियों होता है वह औसत हमारे प्रदेश में सीनियर बेसिक स्कूल में 27 है, बुन्देलखण्ड में 44 है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह संख्या 76 है। इसी प्रकार से जूनियर बेसिक विद्यालयों में यह औसत 67 है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 83 बच्चों पर एक शिक्षक है। अगर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े का सिर्फ औसत रखें आपके बीच में, तो मा0 अध्यक्ष महोदय बुन्देलखण्ड की औसत आय जो एक साल पहले बतायी गयी है इस समय का इवैलुवेशन तो अभी हुआ नहीं है, जब फायनल प्लान देंगे तो उसमें आयेगा। बुन्देलखण्ड की औसत आय उस समय 15,495 रु0 बतायी गयी है और उसके मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश की औसत आय सिर्फ 10,392 रु0 अर्थात् एक तिहाई का अन्तर है।

यह मैं नहीं कह रहा, यह जो बजट साहित्य आप देते हैं यह स्वयं कह रहे हैं। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन का मूल्य बुन्देलखण्ड जिसके बारे में इतनी चर्चा आप करते हैं, प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन 7574 रुपये है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप उन लोगों को बताते हैं कि यहां का कृषि उत्पादन सिर्फ और सिर्फ 3963 रुपये है अर्थात् कृषि के क्षेत्र में भी हम वास्तविक रूप से इतने अधिक पिछड़े हुए हैं। जो व्यापार करने के लिए उद्योग करने के लिए हम अपने बैंकों में पैसा जमा करते हैं और हम उसके बदले में जो हम ऋण लेते हैं जिसे बैंक की भाषा में सी0डी0 रेशियो कहते हैं, प्रदेश का औसत 42 प्रतिशत हैं। बुन्देलखण्ड का औसत 48 प्रतिशत है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष महोदय, आप भी वहीं से आते हैं यह आपकी भी अपनी चिन्ता का विषय होना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश का औसत सिर्फ 26 प्रतिशत है जो शायद बिहार का भी नहीं होगा। यह आंकड़े मैं इसलिए दे रहा हूं कि यह सब आपने बताया, आपने जाना और जानने के बाद एक डाक्टर बीमारी का निदान न कर पाये तो समझ में आता है। यह छूट मिलती है। कि आप बीमारी की डायग्नोसिस सही-सही कर पाते हैं या नहीं लेकिन बीमारी की डायग्नोसिस करने के बाद आप उसका गलत इलाज करें यह किसी के समझ के परे है। जब इन सारी सच्चाईयों को आप जान रहे थे। जब यह जान रहे थे कि प्रदेश के अन्दर पूर्वी उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है तो जो चीजें आप बुन्देलखण्ड को दे रहे थे तो आपको साथ में यह चिन्ता करनी चाहिए थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों के लोग वास्तव में प्रदेश में कितने पिछड़े हैं और हमें उनके लिए क्या प्राविधान करना चाहिए। आप स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की बात करते हैं, आप जेण्डर कम्पोनेन्ट प्लान की बात करते हैं। कुछ नहीं करते तो इतना कर देते कि आपने कागजों पर प्रदेश को 4 हिस्सों में, 4 आर्थिक जोनों में बांटा है और आपका यह नारा है कि 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी।' तो आर्थिक क्षेत्र में इसी नारे को लागू किया होता। 40 प्रतिशत अगर हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है तो कम से कम अपने बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा हमें दिया होता। यदि नहीं तो कम से कम आप जो अपने साहित्य में छापते हैं ह्युमन डेवलपमेन्ट और इन्डेक्स के आंकड़े, कम्पोजिट डेवलेपमेण्ट इंडेक्स के आंकड़े और जिसके आधार पर आप बताते हैं कि प्रदेश के कौन-कौन से जिले सबसे अधिक गरीब है। जिस सच्चाई को आप मानते हैं कि 15 सबसे पिछड़े हुए जिलों में 13 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। आज जब उत्तर प्रदेश का बजट बनाते हैं तो कम से कम इतनी ईमानदारी तो करते कि कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन पिछड़े जिलों के लिए उनके पिछड़ेपन के हिसाब से धन की व्यवस्था करते और यह कभी भी नहीं किया।

केन्द्र सरकार जब धन भेजती है अध्यक्ष महोदय, तो 12वें वित्त आयोग का पैसा देती है चाहे वह अपने केन्द्रीय करों का पैसा देती है। उसने फार्मूले बनाये हुए हैं। मुखर्जी गाडगिल फार्मूला बनाया हुआ है जिसमें वह कह देते हैं कि पापूलेशन के हिसाब से हम 7 प्रतिशत देंगे। आर्थिक आय के पिछड़ेपन के आधार पर 20 प्रतिशत देंगे, टैक्स एफर्ट के हिसाब से 5 से 7.5 प्रतिशत देंगे और विशेष प्राविधान को ले करके 7.5 प्रतिशत देंगे। केन्द्र सरकार अपनी बजट को जब पूरे देश में बांटता है और विभिन्न राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर उनके टैक्स एफर्ट के आधार पर और उनकी विशेष समस्याओं के आधार पर धन देने की बात करता है

और आप उसी धन को लेते हैं तो कम से कम अपने प्रदेश के अन्दर जब आप धन को बांटते हैं तो आपको इसी गाडगिल फार्मूले को लागू करना चाहिए। अगर आपने वह भी नहीं किया तो मा0 वित्त मंत्री जी इस बजट में नहीं हो पायी, अगली बजट जिसकी सरकार होगी वह उसे करेगी, जिसकी भी हो सबके काम का विषय होगा। आप कम से कम यही कर देते कि जो आप राज्य वित्त आयोग बनाते हैं उनके लिए जो टर्म्स आफ रिफरेन्स है, उनसे जैसे केन्द्र सरकार वित्त आयोग की तरह तय करती है आप तय कर देते, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का आर्थिक पिछड़ेपन का मूल्यांकन करके प्रदेश के राजस्व को कैसे बांटा जायेगा इसके निश्चित प्राविधान वित्त आयोग आपको दे देती, आप उसे लागू कर देते। किसी को भी आपके ऊपर पूर्वाग्रह या पक्षपात के साथ काम करने का आरोप नहीं लगाना पड़ता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, समस्या क्या है ? मैं अन्तिम बात पर आऊंगा और इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करूंगा। समस्या यह है कि यह सरकार इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कुछ जानती ही नहीं है। सरकार की जानकारी में वह तथ्य है ही नहीं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है सरकार के पास कितना धन है सरकार किन मानकों पर कितना खरा उतरती है किस प्रकार से पैसा बांटती है मैं क्यों कह रहा हूं उसका कारण है वर्ष 2010 में इसी सदन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश बजट प्रबन्धन अधिनियम पारित किया था माननीय मंत्री जी आपको याद होगा कि मैंने बहुत विरोध किया था कि सरकार की जितनी स्थिति खराब नहीं है उससे अधिक खराब स्थिति प्रस्तुत की जा रही है इस अधिनियम को पारित करने की कोई जरूरत नहीं है पूरे देश के सामने इस प्रदेश की गलत छवि जा रही है आवश्यकता नहीं है अधिकारी गलत तथ्यों को आपको बता रहे हैं अधिकारी स्वयं भी तथ्यों को नहीं जानते हैं जिस प्रकार से उन्हें काम करना है वह आपको उल्टा सीधा समझा रहे हैं मैंने उस समय कहा था और एक साल के अन्दर मंत्री जी आपको पुनः वही विधेयक संशोधन के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा वर्ष 2010 में जो प्राविधान आपने किये थे उनको वापस लेना पड़ा और बजट अधिनियम 2004 के जो मूल प्राविधान थे उनको पुनः स्थापित करना पड़ा मैं उसकी भाषा पढ़ रहा था उस बजट अधिनियम को रखते समय मैं जान सका कि प्रदेश के अधिकारी प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था से पूरी तरह से अज्ञानता रखते हैं उस अधिनियम में हमने प्राविधान कर दिया कि राजकोषीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक राजकोषीय घाटा शून्य करेंगे राजस्व संतुलन बनाये रखेंगे तत्पश्चात् अधिशेष प्राप्त करेंगे। सच्चाई क्या है सच्चाई यह है कि 2006-07 में यह प्रदेश राजस्व अधिशेष को प्राप्त कर चुका है वर्ष 2006-07 में राजकोषीय प्रबन्धन अधिनियम का टार्गेट 2009 का था हमने वह टार्गेट 2006-07 में पूरा कर लिया है उसी समय से हम रेवेन्यू सरप्लस में चल रहे हैं राजस्व घाटा राजस्व बचत में बदल चुका है।

आपने पिछले साल भी राजस्व सरप्लस प्राप्त किया था 8-9 में प्राप्त किया था इस साल जो बजट दिया है उसमें राजस्व सरप्लस में है तब भी जब आप अधिनियम लेकर आए तो आपने कहा कि 2011-12 में हम राजस्व अधिशेष प्राप्त कर लेंगे आपने कहा कि प्रदेश की ऋणग्रस्तता सुनिश्चित करेंगे कि राजकोषीय वर्ष 14-15 की समाप्ति पर कुल ऋण साख उस वर्ष की प्राक्कलित सकल घरेलू उत्पादन के 42 प्रतिशत से अधिक न हो यह जो पुस्तिका आपने बांटी हम लोगों ने गलती से उसे पढ़ लिया है आपने भले न पढ़ी हो लेकिन हमने पढ़ ली है हमारी ऋण ग्रस्तता सकल घरेलू उत्पादन के

मुकाबले सिर्फ 32.1 प्रतिशत है अर्थात् यह प्रदेश उन आंकड़ों के हिसाब से ऋणग्रस्तता सकल घरेलू उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है हम सिर्फ 32 प्रतिशत ऋणग्रस्त है और हम एक अधिनियम पारित करके पूरे देश को बता रहे हैं कि हम 14-15 तक अपनी ऋणग्रस्तता 42 प्रतिशत तक पहुंचा लेंगे इसका अर्थ है कि जिन जिम्मेदारियों के साथ, जिन गहराइयों के साथ जितनी गम्भीरता के साथ सारे तथ्यों को वास्तविक रूप से मूल्यांकन करने के बाद इन अधिकारियों ने मैं इसके लिए राजनीतिक व्यक्ति को कभी भी दोषी नहीं ठहराता सदन में मैंने पिछले साल भी कहा था कि यह कार्य अधिकारियों का होता है। वित्त विभाग इतना बड़ा बनाया गया है प्रमुख सचिव से लेकर न जाने कितने-कितने लोग बैठते हैं इन सबको नोटिसें दी जानी चाहिए इन सबके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर यही तथ्य था तो तुमने अधिनियम में गलत तथ्यों को रखने का काम क्यों किया। इसी के साथ आपने मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्त मंत्री माननीय लालजी वर्मा जी के प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय, न्यायप्रिय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार देश में समय-समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे महान सन्तों, गुरुओं, महापुरुषों विशेष रूप से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर कांशीराम जी के बताये हुए रास्ते पर चलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर वर्ष 2011-12 का बजट प्रस्तुत किया है। वह पिछले वर्ष की तुलना में 10.6 परसेन्ट अधिक है। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक देशी में कहावत है कि जिनके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। मान्यवर, आज हमको आजादी मिले हुए लगभग 64 वर्ष हुए। इन 64 वर्षों में अनेक पार्टियों की सरकारें लगभग 59 वर्षों तक सत्ता में रही लेकिन 59 वर्षों में किसी ने भी विकास की बात नहीं सोची। अगर विकास की गंगा बहाने का काम किसी ने किया है तो वह उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री बहिन कुमारी मायावती जी ने किया है। मान्यवर, आज मैं बताना चाहता हूं कि आज के तीस साल पहले या आज के 10 साल पहले की स्थिति लें तो किसी भी गांव में जहां आज बहिन कुमारी मायावती जी ने डा0 बी0आर0 अम्बेडकर साहब ग्राम सभा विकास के नाम पर आज गांव का चयन किया है।

मान्यवर, आज वहां पर सी0सी0 रोड, पिच रोड है जहां पर 30 साल पहले अगर किसी भी गांव का दलित व्यक्ति अपना हसुआ, अपनी खुरपी अगर उसको रेतने के काम के लिए अगर रेती नहीं होती थी तो पत्थर खोजने का काम करते थे और आज वह पत्थर खोजते-खोजते किसी के यहां जाते थे तो वहां पर भी उनको वह कार्य नहीं करने दिया जाता था। लेकिन धन्य है बहिन कुमारी मायावती जी जहां सर्व समाज के लोगों की बात चाहे वह ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो या पिछड़ा समाज हो आज उनके दरवाजे पर सी0सी0 रोड बनवाने का काम बहिन कुमारी मायावती जी ने किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के अन्तर्गत 10 हजार 84 करोड़ की बजट व्यवस्था समाज के विभिन्न

दुर्बल वर्गों और अभिशिप्त वर्गों के कल्याण में की गई यह वर्ष 2010-2011 की तुलना में 15.1 प्रतिशत अधिक है। माननीया बहिन कुमारी मायावती जी की सरकार जबसे उत्तर प्रदेश में बनी कई बार बी0पी0एल0 सूची में नाम बढ़ाने का काम केन्द्र सरकार को बहिन कुमारी मायावती जी ने लिखा लेकिन उस पर कोई ध्यान केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। उसी के तहत बहिन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 सूची में जिनका नाम नहीं है, ऐसे लोगों का चयन करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 31 लाख लोगों को 300 रुपये पहली बार पेंशन देने का काम बहिन कुमारी मायावती जी ने किया और अभी 15 जनवरी, 2011 को वह राशि बढ़ाकर 400 रुपये करने का काम किया। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी समाज में किसी गरीब परिवार में अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो वहां मातम छा जाता था। हमारे यहां सभी लोगों के परिवार में अगर हमारी मातायें उस परिवार में जाती थीं जहां बेटी पैदा होती थी सिर नीचे करके चली जाती थी और सोहर गाने का भी काम होता था वह भी बन्द हो गया। लेकिन धन्य है बहिन कुमारी मायावती जी कि महिला होने के नाते उन्होंने उन महिलाओं की इस बात को समझा और सुना और इसी के तहत बहिन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बालिका जिस दिन बालिका पैदा होती है उसी दिन बहिन कुमारी मायावती जी ने उस बच्ची को लखपतिया बनाने का काम किया। उसी दिन जब वह बेटी उस घर में पैदा होगी तो उस परिवार के मुखिया को उस बच्ची के माता-पिता को लगभग 25 हजार रुपये की एन0एस0सी0, एफ0डी0आर0 प्रदान कर दी जाती है। यही नहीं मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बहिन कुमारी मायावती जी ने एक तीर से दो निशाना भी किया। वह निशाना यह किया कि हमारे इस देश में, हमारे गरीब समाज में, जब बेटी पैदा होती थी, उसकी शादी की चिन्ता सताती थी और तमाम यहां पर रिसर्च हुए कि भ्रूण हत्या को कैसे रोका जाय। लेकिन धन्य हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने उन लड़कियों को लखपतिया बनाने का काम किया है। शिक्षा के लिए जैसे ही हमारी बेटी टेन्थ पास करेगी उसको 15 हजार रुपया नगद और एक साइकिल देने का काम किया। उसके बाद जैसे ही हमारी बेटी कक्षा 11 पास करके कक्षा 12 में पहुंचेगी वैसे ही उसको 10 हजार देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। यही नहीं जब उस बेटी की शिक्षा ग्रहण करते-करते उम्र 18 साल हो जायेगी तो गरीब भाई जो हमारा है उसे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है वह सीधे जाकरके चाहे पोस्ट आफिस हो, चाहे बैंक हो, वहां से एक लाख रुपया लाकर के अपनी बेटी की शादी शान-शौकत से कर सकेगा।

(मेजें थपथपाई गईं।)

साथियों मैं कहना चाहता हूं लोग पूर्वान्चल की बात करते हैं, गोरखपुर की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं, जौनपुर की बात करते हैं मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, 2007 के पहले मिर्जापुर से चाहे मिर्जापुर हो, चाहे सोनभद्र हो अगर गोरखपुर जाने के लिए निकलता था तो उसे गोरखपुर जाने में 8 घण्टे लगता था लेकिन धन्य है बहन मायावती जी की सरकार जिन्होंने चमत्कारिक विकास किया और तीन वर्षों में ही अगर कोई मिर्जापुर से निकलता है तो वह दो घण्टे में गोरखपुर पहुंच जाता है। चार सौ किलोमीटर की दूरी केवल दो से तीन घण्टे में पूरी तय हो जाती है। जहां चमचमाती हुई सड़कें बनाई है, सत्य बहुत कड़ुवा होता है। आप लोग सुन लें।

मैं अपनी विधान सभा से निकलता था तो केवल चालीस किलोमीटर की दूरी जौनपुर जिले की होती थी और उस चालीस किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए मुझे दो घण्टा लगता था आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज जब मैं विधान सभा से निकलता हूं तो जौनपुर मुख्यालय पहुंचने में चालीस मिनट लगता है चालीस से इकतालिसवां मिनट नहीं लगता है। जहां तक सिंचाई और कृषि की बात है तो इससे पहले तक जहां पानी टेल तक नहीं पहुंचता था किसान भूखे मर रहे थे, कर्जे से ग्रस्त थे आज नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का काम किसी ने किया तो वह बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने किया। यही नहीं साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं बहुत छोटा था और आज जिन महापुरुषों की बदौलत से माननीय कांशीराम जी के बताये हुए रास्ते पर और बहन कुमारी मायावती जी के कारण उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधान सभा में मुझे पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वह बहन कुमारी मायावती जी के आर्शीवाद से हुआ है। मैं बहुत छोटा था मैं एक बार बाम्बे गया तो बाम्बे में दलित परिवार के लोगों की खोलियां होती थीं उनको फ्लैट नहीं मिलता और छप्पर होते हैं उस छप्पर में मैं भी बैठा था तो देख रहा था कि चौथे मंजिल से लोग, पांचवें मंजिल से लोग, आठवें मंजिल से लोग, बालकनी में बैठे देख रहे थे, मैं सोच रहा था क्या यह भाग्य गरीबों के लिए भी आ सकता है। लेकिन धन्य हैं बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने माननीय कांशीराम शहरी गरीब योजना के तहत आज वह सपना पूरा करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आज तीसरे चौथे पांचवें मंजिल पर गरीब भाईयों को आवास देने का काम बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। यही नहीं चाहे महामाया आवास योजना की बात हो आज जिनका बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं है आज उनको भी उत्तर प्रदेश में महामाया आवास योजना के तहत, चाहे वह ब्राह्मण जाति के लोग हों, चाहे क्षत्रिय जाति के लोग हों चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों सर्वजाति के लोगों को आवास देने का काम बहन कुमारी मायावती जी की सरकार कर रही है ...

(मेजें थपथपाई गईं।)

माननीय अध्यक्ष जी खाद की बात लोग कर रहे थे मेरा दावा है जहां किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती थीं आज निश्चित रूप से सहकारी समितियों के आंकड़े यह बताते हैं कि खाद का स्टाक पूरा उपलब्ध है लेकिन वहां कोई खाद लेने वाला नहीं है यह तो केवल आप लोगों को बहाना है कि खाद और बीज नहीं है। मान्यवर, पहली बार खाद और बीज उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बात समाप्त करते हुए अन्त में इतना कहना चाहूंगा कि "जो हो न सका तोप, तलवार, बन्दूक की गोली से, बहना ने करके देखा दिया, सर्व समाज की टोली से", धन्यवाद।

*श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने वर्ष 2011-2012 के बजट पर बोलने को मौका दिया और मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विपक्ष के ज्यादा मा0 सदस्य है नहीं। सपा के माननीय नेता के यहां कार्यक्रम है लेकिन अन्य पार्टियों को भी देख लीजिए।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, बजट यह प्रस्तुत करता है कि आने वाला समय जनता के सुख-दुख में कैसा भागीदार होगा। मान्यवर, लाखों-करोड़ों का यह बजट वास्तव में बहुत बड़ा बजट है और इससे हमारे प्रदेश की विकास दर बढ़नी चाहिए, किसान की विकास दर बढ़नी चाहिए। लेकिन इतने बड़े बजट के होने के बावजूद भी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे हम गरीब कमजोर की मदद कर सकें। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यदि बजट नहीं होगा तो हम सब लोगों के यहां आने का मतलब भी खत्म होता है और जो व्यवस्था चल रही है, उसका भी मतलब खत्म होता है और इस बजट के आने से ही सबकी समृद्धि, चाहे अधिकारी हों, हम सब लोग हों, मंत्री हों, शासन और प्रशासन हो, सरकार की समृद्धि भी उसी पर आधारित है तो सवाल यह उठता है कि बजट का क्रियान्वयन कैसे हो और क्रियान्वयन अगर अच्छी सोच और पारदर्शिता से नहीं होगा तो कितना ही बजट हो, वह भी कम पड़ेगा और गरीब तथा कमजोर की मदद नहीं कर पायेगा। मान्यवर, आज जो किसान की दशा है, सिंचाई विभाग को ही ले लीजिए, उसका बजट 5451 करोड़ रुपये है, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं कितनी ही नहरों में, रजबहों में, माइनरों में पानी नहीं आ रहा है। इतना बड़ा बजट है लेकिन पानी नहीं आ रहा है और यह बजट कहां लगता है, जहां रजबहों की पिचिंग होनी है, पक्के रजबहे बनाने हैं और वह भी दो महीने में ही टूटने लगते हैं। पानी आता नहीं लेकिन बनाये हुए रजबहे टूट जाते हैं। मान्यवर, यदि किसान के खेती की सिंचाई नहीं होगी तो उसकी उत्पादन क्षमता घटेगी। अगर पारदर्शिता के साथ यदि सिंचाई विभाग का बजट न लगे, सीधा-सीधा अधिकारी कहते हैं कि 50 परसेन्ट ठेकेदार लेता है, हमें भी चाहिए तो यह दिक्कत है, क्रियान्वयन की। मान्यवर, आज बाढ़ नियंत्रण की जो स्थिति है, बाढ़ के लिए भी बजट रखा जाता है, गंगा किनारे गढ़मुक्तेश्वर है, बहुत सारे लोग वहां बाढ़ से प्रभावित हुए। घर बह गये, उनके पशु बह गये, उनकी फसलों को नुकसान हो गया, फसल नष्ट हो गयी, लेकिन उनको मिला क्या ? आज भी जब हम वहां जाते हैं तो सबसे पहले वह यही कहते हैं कि आप लोगों ने सरकार ने कोई मदद नहीं की। मान्यवर, तो यह बजट उन बाढ़ पीड़ितों के लिए जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए जहां बाढ़ के कारण पशु बह गये, फसलें नष्ट हो गयीं, तब तो कोई मतलब निकलता है कि हमारा अच्छा बजट है। मान्यवर, पर्यटन के लिए बजट में पूर्णतः व्यवस्था नहीं हो पाई हैं, गढ़मुक्तेश्वर को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने का शायद सरकार का मन्तव्य है और जब तक गढ़मुक्तेश्वर प्राधिकरण नहीं बनेगा, तब तक उसका उचित विकास नहीं हो सकता। वहां पर बहुत बड़ा मेला नवम्बर के महीने में लगता है, मैं समझता हूं कि प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, उसके लिए बजट की व्यवस्था होनी चाहिए। कूट एक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, वहां पर गुरूकुल भी है। वहां पर एक ऐतिहासिक टीला है, गंगा किनारे हैं, वहां पर एक शुगर मिल का गन्दा पानी जाता है, लोगों को उससे आचमन करने में, नहाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। पशु-पक्षी उसमें पानी नही पी सकते, डाल्फिन नामक मछली वहीं पर मिलती है।

लेकिन वह भी कम होती जा रही है। मान्यवर, अगर गढ़मुक्तेश्वर, बृजघाट को डेवलप कर दिया जाय, हरिद्वार की तर्ज पर तो बहुत बड़ा विकास मैं समझता हूं कि हमारे गढ़मुक्तेश्वर में होगा। वहां पर झील है, जो हजारों एकड़ की झील है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है लोगों ने लेकिन वह झील आज तक सौन्दर्यीकरण के रूप में विकसित नहीं हुयी है।

श्री अध्यक्ष-

चौहान जी, समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मान्यवर, गन्ना किसान है, अगर उसको गन्ने का मूल्य सही नहीं मिलेगा और घटतौली और तस्करी के रूप में उसका शोषण होगा तो अगर 250 रुपये कुन्टल मिल मालिक दे रहे हैं तो सरकार अगर 250 रुपये कुन्टल दे तो वो भी गन्ना किसानों के हित में हो जायेगा। मान्यवर, आज विद्युत क्षमता बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं और उसमें 1267 करोड़ रुपये उत्पादन क्षमता में लगाने का प्राविधान है बजट में। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे संस्थान जिनकी मशीनें पुरानी हो गयी थीं, जिनकी मशीनों की क्षमता, उत्पादन क्षमता घट गयी थी। क्या उनको सुधारने के लिये कितना बजट रखा गया, यह बजट पर्याप्त नहीं है। मान्यवर, आज वितरण व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, जब गांव में हम जाते हैं तो बहुत से लोग यह कहते हैं कि साहब अपनी बिजली कटवा लीजिये। हमें बिजली नहीं चाहिए, हम एक बल्ब जलाते हैं और वो भी तब आती है रोशनी, जब रात को 12 बज जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो रोशनी चली जाती है मान्यवर। तो आखिर जो छात्र है या किसान हैं या व्यापारी है या जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

उसको भी बिजली की आवश्यकता है मान्यवर। हां एक बात जरूर है आज और मैं उसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बताना चाहूंगा मान्यवर। मान्यवर, जो विद्युत कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिये गये कि आपको राजस्व की वसूली बहुत ज्यादा करनी है और उस राजस्व वसूली के दबाव में वो किसी ने चोरी की या नहीं की। नोटिस भेजा या नहीं भेजा। लेकिन बिल के नाम पर एफ0आई0आर0 करते हैं और उसका पता उपभोक्ता को नहीं होता। उसकी एफ0आई0आर0 करते हैं और उसको अर्थदण्ड भी लगाया जाता है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो सम्मन शुल्क जो पुलिस के द्वारा वसूला जाता है, वो कौन सा शुल्क है। मान्यवर, इससे उपभोक्ता का शोषण होता है। मान्यवर, समाज कल्याण की बात अगर हम करें तो आज गरीबी की रेखा के नीचे की पुत्रियों की शादी के लिये और गरीब कमजोर के इलाज के लिये मात्र 268 करोड़ का बजट है।

श्री अध्यक्ष-

यह सब बाद में कह लीजियेगा। समाप्त करिये।

श्री मदन चौहान-

इसी तरह से पारिवारिक लाभ का 250 करोड़ रुपये का बजट है जो बहुत कम है, ये दोनों चीजें उस गरीब कमजोर गांव के आदमी, बी0पी0एल0 परिवार से जुड़ी हैं जिसको बहुत ही आवश्यकता है। उसका बजट और बढ़ना चाहिए मान्यवर। विकलांग लोगों के भरण-पोषण के लिये, गांव में बहुत लोग विकलांग रहते हैं इंटीरियर में उनके 259 करोड़ का बजट रखा गया है। जो बहुत कम है क्योंकि विकलांग जन बहुत असहाय होता है, उनके भरण पोषण के लिये बजट में व्यवस्था और बढ़नी चाहिए। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम चलें तो कालेज स्कूल बहुत सारे होते जा रहे हैं। छात्रवृत्ति का घोटाला हो रहा है मान्यवर। शिक्षक कहीं नहीं है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री मदन चौहान-

शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। मान्यवर, अगर गुणवत्ता नहीं होगी तो शिक्षा के कोई मायने नहीं रहेंगे। ऐसे ही अगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बात की जाय तो पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 बहुत बने हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत जगह पर डाक्टर नहीं मिल पा रहे हैं और अगर डाक्टर मिल भी जाये तो उसकी दवाईयां सही नहीं है। मान्यवर, एक और बात महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी तक महत्वपूर्ण नहीं थी क्या। चलिये, इनका समय समाप्त। समय समाप्त हुआ।

श्री मदन चौहान-

इसके अलावा मान्यवर, चिकित्सा विभाग में जो 1500 डाक्टर हैं, इसके बावजूद वह क्लर्क का काम कर रहे हैं। वह 1500 डाक्टर बाबुओं का काम कर रहे हैं। मान्यवर, जो डाक्टर बाबुओं का काम कर रहे हैं उनको यही निर्देश दिया जाय कि वह आने वाले मरीजों को जरूर देखें।

श्री अध्यक्ष-

अब समय समाप्त, अब समाप्त करिये। अब श्री विश्वनाथ जी बालेंगे।

श्री मदन चौहान-

इसके अलावा मान्यवर, प्रदूषण की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिये समय समाप्त, मैं बार-बार कह रहा हूं। आपका समय अब समाप्त हुआ। आप बन्द करिये, आपका समय समाप्त हो चुका है। इनकी बात न नोट की जाय। कई बार कहा जा रहा है तो आप मान नहीं रहे हैं। इनकी बात न नोट किया जाय। चलिये आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री विश्वनाथ-

मान्यवर, वर्तमान बजट पर साधारण चर्चा में आपने शिरकत करने का आदेश किया। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, 'है बसा हमारा हिन्दुस्तान कहां वह बसा हमारे गांवों

में' गांव की तरक्की होगी, किसानी की तरक्की होगी तो देश और प्रदेश की तरक्की होगी लेकिन बढ़ती हुई जनंसख्या और सिकुड़ता हुए कृषि का क्षेत्रफल और घटता हुआ अन्न का उत्पादन, यह भयावह स्थिति की ओर संकेत कर रहा है। कृषि पर वित्त मंत्री जी ने 8.9 प्रतिशत से धन बढ़ाया था, लेकिन किसान को अच्छा बीज चाहिए, समय से खाद चाहिए, खेत के लिए पानी चाहिए और फसलों के लिए दवा चाहिए। सुबह से इस वक्त तक अनुरोध हो रहा है आपने खाद भेजा, उसकी मात्रा हमको लगता है कि कम नहीं है। लेकिन जमाखोरों ने ब्लैक मार्केटरों और स्मगलरों ने आपकी समस्या बढ़ायी है और किसान भी इसे समय से नहीं पाया है। सच्चाई यह है कि इस वक्त भी यूरिया दुर्लभ है। सुलभ है अगर कहीं तो ब्लैक पर।

मान्यवर, हम बिहार बार्डर से आते हैं। आपकी खाद बिहार में तस्करों के जरिए बेची गई, आप की खाद नेपाल में गई है, निर्विवाद है और आपकी व्यवस्था आपका प्रबन्धन आपको तबाह किये हैं और जनता को बर्बाद किये हुए हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। हम तो कहते हैं कि हम खुद ही किसान हैं खाली किसान के बेटे नहीं हैं। कमेटी में इसी तरह का मामला आया हमारा जो बीज बोया गया था, वह गया है सीड्स स्टोर से और उस पर आयी है अध्यक्ष की जांच, डायरेक्टर की जांच, निर्देशक की कि 10 परसेन्ट बीज जमा। हमने कहा कि गलती से जीरो दाहिने हो गया और वन बाये हो गया है तो स्थिति यह खाद और बीज की है। खाद के लिए मारा मारी है। अच्छा मजाक किया, सत्यता से इंकार नहीं किया सिंचाई मंत्री जी लाइन लगाना पड़ेगा। बिहार में तो बदला हुआ निजाम है और बदला हुआ इंतजाम है। आपको बताता हूं कि उनके दरवाजे पर फसल उत्पाद को क्रय करने वाले अधिकारी पहुंच जाते हैं, वहां से लादकर उचित दाम देते हैं, चेक देते हैं, किसान का ले जाते हैं और 25 किलो तक धान। खरीद नीतीश कुमार जी ने किसानों को दरवाजे पर कराया है और आप के यहां बिचौलियों को मौका दिया गया। हम दावे के साथ कहते हैं आठ वर्षों में ये बिचौलिये किसान से गल्ला लेकर क्रय केन्द्र पर बेचने का काम करके करोड़पति हो गये हैं। खाद्य सामग्री जो आवश्यक वस्तु है, उसको भी वितरित करने में रोज घोटाला हो रहा है। एस0एम0आई0 10 किलो प्रति बोरी निकाल ले रहा है और वह वहां से ब्लैक कर रहा है। उठान दस किलो कम का होता है, तौल बोरी का नहीं होता है, तो स्थिति किसान की भयावह है और सिंचाई मंत्री जी आपसे आरजू करता हूं कि पश्चिमी गण्डक कैनाल की ओर देखें, कुशीनगर जिले की मेरे विधान सभा की सारी नहरें सिल्ट से पटी है, हेड से टेल तक पानी पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता, जब हेड पर ही पानी नहीं चढ़ रहा है रजबहों के, आप उनकी सफाई करवा देते, तीन साल से यह बात मैं कह रहा हूं और केवल पानी आप पहुंचा दीजिए, खाद दे दीजिए, बीज दे दीजिए, दवा दीजिए।

आप चाहें तो पेट्रोल पर सब्सिडी किसान को दीजिए या न दीजिए, उत्पादन पूरा करके वह आपके प्रदेश को समृद्ध बना देगा तो यह स्थिति है किसान की और यह स्थिति है प्रतिनिधियों की, तीन साल से मैं कह रहा हूं, हमारे यहां की चाप शाखा से निकलने वाली रजबहों की स्थिति बड़ी खराब है, या तो उनको पटवा दीजिए न हो तो समाप्त कर दीजिए नहीं तो उनकी सफाई करवा दीजिए यह विनती आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह आपका अन्तिम बजट है, पता नहीं आप उधर होंगे कि इधर होंगे या कहीं के नहीं होंगे। तो इसलिए सफाई करवा दीजिए हमारी विधान सभा

क्षेत्र की नहरों की। दूसरी बात आपसे कहूं, लॉ एण्ड आर्डर की बात पर बड़ा जोर देते हैं हमारे वर्मा जी, कानून व्यवस्था तो आपकी चकनाचूर है, 08 तारीख को मैं आ रहा था अध्यक्ष जी आपको मैंने कहा था, 08 तारीख को आपकी पुलिस इतनी चुस्त-दुरुस्त और मौके पर काम करने वाली है कि आते ही वक्त में मुझे रोक लिया कि मुख्य मंत्री जी आ रही है, मुख्य मंत्री जी आयें, जनप्रतिनिधि न आने पाये यह आपकी व्यवस्था है और यह पुलिस का कारनामा है। मैं आपसे कहता हूं कि शासन व्यवस्था भलों के लिए है, बुरों के लिए नहीं, इसलिए उनको संभालिये, रोज अपराध बढ़ रहे हैं और आप आंकड़ा पेश कर रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, शर्म से सिर नीचा हो रहा है। मा0 मंत्री जी यह लिटरेचर नहीं बोलेगा आपका और न अखबार बोलेगा, सरकारें काम से बोलती हैं और काम का अन्दाज लीजिए आप सभी किसान है, नसीमुद्दीन साहब किसान हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई कहें कि किसान के बेटे हैं, हमको पानी दे दीजिए, हमको खाद दे दीजिए, हमको बीज दे दीजिए, हमको दवाएं दे दीजिए फसल को दुरुस्त और निरोग रखने के लिए और भरपूर फसल ले लीजिए। स्थिति बड़ी खराब है, आपकी शासन व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और माफ करियेगा कटु बात नहीं कर रहा हूं, विधायक हूं, विधायक निधि पर सवाल उठता है तो हम लोगों के व्यक्तित्व और हम लोगों की ईमानदारी के ओर सवाल उठता है विधायकों की तो विधायक निधि को समाप्त न कर दीजिए, काहे विधायकों को बदनाम करने के लिए उसे रखे हैं और हालत सुधरी है, तरक्की हुई है, इतनी तरक्की हुई है कि आत्महत्या के लिए किसान, गरीब और गांव का आदमी मजबूर है, लेकिन तरक्की हुई है मंत्रि-मण्डल के सदस्यों की हुई हो, विधायकों की हुई हो मालामाल हो गये और उनकी तकदीर बदल गई उनकी सेहत बदल गई, उनकी शकल बदल गई। तो आप प्रदेश के आम आदमी की शकल बदलने, सेहत बदलने और हालात को दुरुस्त करने का काम करिये, नहीं तो अब तो मियाद आपकी भी पूरी हो गई, हमारी नहीं पूरी हुई यह समझते हैं हमें भी चुनाव मैदान में जाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा और जनता ऐसी है कि जो सुबहे में हो जाते हैं उनको सजाए मौत दे देती है, संदेह का लाभ अदालत में केवल मिलता है, जनता की अदालत में नहीं मिलता है और आप तो गुनहगार है, खता साबित है, इसलिए संभल कर, अभी साल भर का मौका है, दुरुस्त कर लीजिए, लोगों का उपकार होगा, आपका नाम होगा। ऊर्जा मंत्री यहां बैठे हुए हैं यह बिना ऊर्जा के मंत्री जी बैठे हुए हैं। हमारे पास ऊर्जा आये कहां से जब आप ऊर्जा देंगे ही नहीं आपके पास ऊर्जा है नहीं। बिजली की हालत बहुत खराब है। कृषि, सिंचाई, पढ़ाई, लिखाई उद्योग किसी को बिजली नहीं मिल रही है। आज आप उत्तर प्रदेश की प्रगति की बात करते हैं लेकिन ऊर्जा के अभाव में यह कैसे होगा। आप ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का काम करें। ऊर्जा मंत्री अच्छा जवाब दे लेते हैं आप विरोधियों को अच्छा जवाब दे देते हैं। आप कहते हैं कि विरोधियों ने कुछ नही किया इसलिए आप वहां पर विराजमान हैं। लेकिन यह कोई अच्छा जवाब नहीं है। जवाब तो काम का होना चाहिए कि हमने यह-यह किया है। जुबान से उल्टी बात तो कहना ठीक नहीं है। आपके पास साल भर का समय है। आपके पास परियोजनायें बहुत हैं आप किसानों की समृद्धि की बात करते हैं लेकिन आपके कार्य कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। आपका न तो कोई काम है और न उस काम के प्रति कोई प्रयास है। बस आप जवाब देने में माहिर है। कितनी बिजली दे दी आप बतायें। लोगों को कितनी बिजली दी जाय उसके बारे में

सोंचे। उल्टे आपने लोगों को बन्द करने का काम ज्यादा किया है। आपने लोगों से जुर्माना वसूलने का काम ज्यादा किया है। आप कुछ माफ कर दें। बिजली बिल गरीबों का माफ कर देना चाहिए। आप भी विधान सभा क्षेत्रों में वोट मांगने जायेंगे उसका वक्त आ गया है। लोग यही कहेंगे कि आपने कुछ किया नहीं है। आज बिहार की स्थिति क्या हो गयी है। बिहार सरकार ने किसानों को डीजल दिया है लगातार बिजली दे रही है लोगों के घरों तक जिंस दिये जा रहे हैं। बिहार सरकार ने लोगों को चमचमाती सड़कें दी हैं जो आज हमारे प्रदेश को चिढ़ा रही है। मान्यवर, हमारे यहां प्रधान मंत्री योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों का हाल यह है कि सड़कें अभी पूरी नहीं हुई कि दूसरी तरफ से टूटनी शुरू हो गयी है। भाई साहब कह रहे थे कि यहां पर सड़कों पर चलने में 40 मिनट लगता है मैं तो कह रहा हूं कि दो तीन घण्टे लग जाते हैं। सबको सम्भल कर चलना पड़ता है। देखकर चलना पड़ता है कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट न हो जाय। आपकी सड़कें एक्सीलेंट नहीं है। इसलिए बचाकर चलियेगा यह मैं आपसे कह रहा हूं। मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं। गंगा बहाने की बात नसीमुद्दीन साहब आपसे नहीं कहता लेकिन हमारे यहां नहरों की सफाई कराके पानी तो दे दीजिये नहरों में यह तो आप करा दीजिये। हेड से टेल तक पहुंचा दीजिये। नहरें बनायी नहीं आपने। एक किमी0 भी नई नहर आपने नहीं बनायी है। लेकिन उनकी सफाई तक आप नहीं रखवा पाये हैं।

सुरक्षा के सवाल पर आता हूं। चौकीदार है। चौकीदार को ब्रिटिस सरकार ने जमीन दी थी। दलित वर्ग के और पिछड़े वर्ग के लोग ही चौकीदार है और चौबीस घण्टे तक गांव की रखवाली और थाने तक आने-जाने का बेगार का काम करते हैं। थानों में एफ0आई0आर0 तक दर्ज कराने का काम चौकीदार करते हैं। चौकीदार का एक संवर्ग बना दीजिये उनको सुरक्षा से जोड़ दीजिये। जैसे आपने मूर्तियों के लिए रखवाला और प्रहरी तय किया है उसी तरह से इनका संवर्ग बनाकर इन्हें चतुर्थ श्रेणी वर्ग का तनख्वाह दे दीजिये। यह तो आप कर सकते हैं। चौकीदार का एक संवर्ग बना दीजिए। आप दनादन संवर्ग बना रहे हैं जैसे आपने सफाई कर्मचारियों का संवर्ग बना दिया है। सफाई कर्मी के बराबर ही उनको वेतनमान दे देते तो अच्छा होता। यह परम्परागत पद है सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तनख्वाह तो लोगों के रोज बढ़ते हैं। लेकिन यह तनख्वाह पर नहीं रखे गये हैं। हजार पन्द्रह सौ पर रखे गये हैं तो यह कह रहा हूं चौकीदारों के लिए कह रहा हूं कि इनका एक संवर्ग सुरक्षा से जोड़कर बना दीजिये और उस संवर्ग का मिनिमम वेतन तय कर दीजिये। आज तय करके आया था कि कोई कटु बात नहीं कहूंगा कटु बातों को सहूंगा। अध्यक्ष जी, अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

*चौधरी सत्यपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया। यह पूरा बजट भाषण सरकार का बहुत गम्भीरता से पढ़ा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, माननीय विश्वनाथ सिंह जी अब उठकर तो जायें। जो मान्यवर, बोलता जा रहा है वह उठता जा रहा है और खास तौर से वह लोग नहीं है जो कहते हैं कि इतनी बैठकें होनी चाहिए, बातें आनी चाहिए। जब बात रखने का समय है मान लिया समाजवाद पार्टी के नेता, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है उनके यहां फंक्शन है तो कोई बात नहीं इधर कहां फंक्शन है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी सराहना कर रहे हैं। मान्यवर, आप देख लीजिए क्या उपस्थिति है अब इसके बाद कहेंगे कि सदन की और बैठक होनी चाहिए पहले इतनी बैठक होती थी कितनी उपस्थिति है, उपस्थिति देख लीजिए। मान्यवर, यानि कोई गम्भीर है ही नहीं कि प्रदेश की समस्याओं को विधान सभा में उठाया जाय। आप लोग गम्भीर है ? मान्यवर, देखिये कितने गम्भीर हैं जो बोलता जायेगा गम्भीरता खतम यही सिलसिला चल रहा है। मान्यवर, यह परम्परा तो अच्छी नहीं है फिर यह कहना कि बैठकें नहीं हो रही हैं कम दिवस हो रहे हैं क्या यह सत्ता पक्ष की ही जिम्मेदारी है कि सदन चलाये विपक्ष गायब। मान्यवर, यह थोड़ा सा विपक्ष को भी समझना चाहिए, यह परम्परा अच्छी नहीं है।

चौ0 सत्यपाल सिंह-

मान्यवर, कहा गया सरकार के द्वारा कि किसानों का हित सर्वोपरि है जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है मेरा यह स्पष्ट मानना है और यह स्पष्ट सोच है और यह सरकार के 4 साल के कार्यकलापों से सिद्ध हो गया है कि यह सरकार किसानों के विरुद्ध है और यह सरकार किसानों की जमीन को अधिग्रहीत कर रही है जबकि उसमें लिखा हुआ है कि छोटे-छोटे किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। पिछले विगत दिनों में 15-14 अगस्त को मेरे क्षेत्र टप्पल में अधिग्रहण के ऊपर किसानों की हत्याएं इस सरकार में हुई और सरकार के आदेश से पुलिस ने गोली चलाई, महीनों आन्दोलन चला और अब भी सरकार के नुमाइन्दे या सरकार के जो भी हितैषी है या सरकार में बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। विगत 17 जनवरी से, जैसा सिरोही साहब कह रहे थे हजारों, किसान बच्चे धरने पर बैठे हैं आखिर यह कारण क्या है जो सरकार बार-बार छोटे किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके एक ही पूंजीपति उद्योगपति को दे दें। जैसा कि मैंने बताया भी कि वहां पर ट्रेने रोकी गयी। मेरा यह स्पष्ट सोच है कि यह सरकार किसानों की बिल्कुल हितैषी नहीं है बहुत विरोधी हैं और इस सरकार ने किसानों को समाप्त करने की एक जिम्मेदारी ओढ़ रखी है। अभी पिछले कुछ दिनों में जैसा कि बार-बार जिक्र हो रहा है किसानों को जब रबी की फसल थी यूरिया कहीं दिखाई नहीं दी बाजारों में, किसानों ने 300 साढ़े 300 रुपये में एक-एक कट्टा यूरिया लेकर लगाया है तो ऐसी सरकार जो किसानों को खाद नहीं दे सकती हो, किसानों की फसल के लिए बिजली नहीं दे सकती हो, किसानों की फसल के लिए पानी नहीं दे सकती हो ऐसी सरकार से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि इस सरकार का यह अन्तिम बजट है और किसानों के लिए कोई भी उनकी समस्या समाधान के लिए बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। जहां तक मंहगाई का सवाल है अगर केन्द्र को हम दोषी मानते हैं तो प्रदेश की सरकार की भी जिम्मेदारी है मंहगाई के लिए। इस सरकार ने मंहगाई रोकने के लिए क्या उपाय किये क्या

इन्होंने ऐसे कार्यक्रम चलाये कि प्रदेश की सरकार को मंहगाई से निजात मिले। यह सरकार तो दलितों की, पिछड़ों की बहुत अन्तिम सोपान पर खड़े हुए लोगों की, छोटे लोगों के वोटों से बनी है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि आज इस 4 साल के शासन के बाद आपका यह अंतिम बजट है और अब तक आपके शासन में मान्यवर, कांशीराम आवासीय योजना से आवास दिये जा सकते हैं, आप और किसी योजना से किसी को लाभ दे सकते हैं लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि लगभग 90 प्रतिशत दलित, शोषित, वंचित समाज के जितने लोग हैं उनको इस सरकार से कोई रिलीफ नहीं मिला। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है और जो लोग सरकार में बैठे हैं उन्हें अपनी कमियां, अपने कार्यकलाप नजर नहीं आ रहे हैं। मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि इस सरकार ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नाम पर गरीबों के लिये कुछ नहीं किया। सिवाय यह योजनायें चला दी है इसमें क्या हो रहा है यह आप स्वयं जानते हैं और सभी मेरे मित्र जानते हैं। इनकी गुणवत्ता क्या है आखिर मान्यवर, कांशीराम योजना के जो मकान बन रहे हैं इनकी गुणवत्ता क्या है मेरा यह इस सदन में स्पष्ट आरोप है कि अकेली माननीया मुख्य मंत्री 4 साल के बाद एक जनपद में जाकर एक या दो गांव देखकर पूरे परिदृश्य का अंदाजा नहीं लगा सकती। अगर यह सभी मंत्री है सभी की बराबर जिम्मेदारी है, कैबिनेट की पूरी जिम्मेदारी है, हर विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी है, आखिर सरकार के सभी लोग क्यों नहीं जाकर के अम्बेडकर गांव और गरबों की स्थिति को देखते हैं। क्या यह संभव है कि एक शीर्ष पर बैठी माननीया मुख्य मंत्री जी एक गांव में जाकर पूरे जनपद को ठीक कर देगीं। क्या चार-छः जनपदों में जाने से पूरे प्रदेश को ठीक कर दिया जायेगा।

मेरा यह मानना है कि जो गरीबों को लाभ मिलना चाहिये था जो गरीबों के लिये कुछ सुविधायें होनी चाहिये थी वह सुविधायें यह सरकार बिल्कुल भी नहीं दे पाई। महिला बाल विकास, विकलांग, एस0सी0 और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये जो भी वृद्धावस्था पेंशन है पिछड़े वर्ग के लिये पेंशन है, वहां पर किसी भी तरह किसी जनपद में किसी भी मंत्री ने जाकर क्या यह समीक्षा की है कि कितना रुपया वहां गया और कितना इन लोगों को मिल रहा है पूरे पैसे का बंदरबांट ऊपर से नीचे तक हो रहा है और यह सरकार अधिकारियों की जिम्मेदारी डालकर बहुत मजे से यह कह रही है कि हम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय में लगे हुए हैं। मैं ऊर्जा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि पिछले 16 साल से यह सरकार ही बहुमत में आई है। मेरा हर बजट भाषण के बाद यही कहना होता है कि मैं यह आज दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 16-17 साल में यह सरकार बहुमत में आई और ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने किसानों पर एफ0आई0आर0 कराई हों विद्युत बकाये के मामले में। क्या विद्युत बकाया आखिर किसानों पर ही है। जिसके पास 20 हजार रुपये है एक जे0ई0 उसके पास जाता है, कोई कर्मचारी जाता है और उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 करा देते हैं। जब हम लोग अधिकारियों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि 16 हजार तो शमन शुल्क जमा करा दीजिये और इनके खिलाफ जो कुछ हो गया है वह करा दीजिये। मेरा यह कहना है कि अगर प्रदेश की दशा सुधारनी है तो प्रदेश के किसानों पर तुरन्त एफ0आई0आर0 बंद कराई जाये और उनके जो भी बकाया हो वह आप किसी और तरीके से लीजिये

और इसके लिये आप कोई और नियम बनाइये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

*श्री राघव लखन पाल शर्मा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर साधारण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, हम सब माननीय सदस्य और विशेष रूप से सत्ता पक्ष के जो माननीय मंत्री है और माननीय सदस्य है, सबका एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य है कि एक समृद्ध और वैभवशाली उत्तर प्रदेश का हमारे प्रयासों द्वारा निर्माण हो। अभी बजट स्पीच को पढ़ने के बाद देखने को मिला कि बहुत से आंकड़े इसमें दिये गये हैं। हजारों-करोड़ों की लागत से बाई पास बनेंगे, एक्सप्रेस वेज बनेंगे, सड़कें बनेंगी कितना निवेश औद्योगिक क्षेत्रों में हो रहा है। कोई भी प्रदेश यदि विकास की राह देखना चाहता है, मैं भारत के उपलक्ष में बात कर रहा हूं तो कृषि के साथ-साथ उसे औद्योगिक दृष्टि से सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, कुछ संकेतक होते हैं जिनसे यह मापा जाता है कि वास्तव में औद्योगिक विकास किसी क्षेत्र का हो रहा है या नहीं। प्रमुख रूप से 6 संकेतक होते हैं एक होता है कि प्रति करोड़ जनसंख्या में कितने कारखाने लगे हैं, उसके साथ प्रति व्यक्ति कितना पूंजीनिवेश हुआ है, प्रत्येक सौ व्यक्तियों में से कितने लोग कारखानों में काम कर रहे हैं, मूल्यवृद्धि प्रतिव्यक्ति क्या हुई है प्रतिव्यक्ति उत्पादन कितना हुआ है, प्रतिव्यक्ति आय कितनी हुई है लेकिन इन पर कोई चर्चा नहीं हुई है इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यदि हम यह आंकड़े देखें तो हमारा सर शर्म से झुक जायेगा। आज हम अपनी तुलना चीन, अमेरिका और इग्लैण्ड से न करें बल्कि पास के प्रदेश गुजरात से करे कि आज गुजरात की क्या स्थिति है वहां विकास दर क्या है।

अगर हम कृषि की ही बात करें तो 9.6 प्रतिशत वहां की विकास दर है। क्यों औद्योगिक रूप से आज गुजरात में इतना निवेश हो रहा है ? बात हो रही है 2065 करोड़ लघु उद्योगों में उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ मैं बताना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में गुजरात में 1 लाख 82 हजार 998 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और यदि इसे पांच से डिवाइड करें तो लगभग 35 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष निवेश हुआ है। गुजरात में कितनी जनसंख्या है केवल साढ़े पांच करोड़ और क्षेत्रफल 6.2 प्रतिशत पूरे भारत का। आप कह सकते हैं कि कल्चर फर्क है लेकिन वहां कुछ ठोस कदम उठाये गये, वहां की सरकार ने कुछ करके दिखाया है। वह पहला प्रदेश था जहां एक इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐक्ट लागू किया गया और वह एक ऐसा प्रदेश है जहां हर वर्ष दो बार वाइब्रेड गुजरात समिट रखा जाता है उसमें कांफ्रेन्सेज होते हैं, सेमिनार होते हैं, राउंड टेबल मीटिंग्स होती हैं जिसमें स्वयं वहां के मा0 मुख्य मंत्री सीधा संवाद निवेशकों और उद्योगपतियों से करते हैं। क्यों नहीं हम इस प्रकार की नीति यहां पर अपना सकते हैं क्यों नहीं एक स्ट्रेटजिकली ओरिएन्टेड इण्डस्ट्रियल पालिसी हम फार्मुलेट करें एक रणनीति औद्योगिक नीति हम बनायें जिससे वास्तव में हम औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का विकास कर सकें। चलिये यह कहा जा सकता है कि गुजरात की समस्यायें भिन्न हैं कल्चर भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है लेकिन जिसे बीमारू प्रदेश कहा जाता था बिहार, आप उसी से तुलना कर लें। वहां भी यही सब तमाम समस्यायें थीं, जातिगत राजनीति एक बहुत ही पुअर हेल्थकेयर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और मानव विकास न के बराबर, अपराध दर बहुत ऊंची बुनियादी ढांचे के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा था वहां कोई इण्डस्ट्री नहीं लग रही थी, लेकिन मान्यवर आज हमारे इस बजट में आपने उत्तर प्रदेश की विकास दर 7.2 प्रतिशत दी है, उस बीमारू प्रदेश की विकास दर आप सुनकर चौंक जायेंगे पिछले वर्ष वहां की विकास दर थी 16.59 प्रतिशत और वहां की सरकार का लक्ष्य है कि 2015 तक बिहार को पूर्ण रूप से औद्योगिक प्रदेश की दृष्टि से लाया जायेगा। हमारा लक्ष्य क्यों नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है कि कौन सत्ता में आयेगा, हमारा लक्ष्य क्या है कि अगले साल चुनाव लड़ना है हमारा लक्ष्य क्या है कौन अपनी ज्यादा चलायेगा और विपक्ष की नहीं सुनेगा। हमारा लक्ष्य पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता है।

मान्यवर, सुझाव बहुत हैं देने को आंकड़े भी बहुत हैं देने को लेकिन विशेष रूप से अगर औद्योगिक विकास करवाना है तो माइक्रो-स्माल एण्ड मीडिएम इण्डस्ट्री जो लघु उद्योग है उसको आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। आपकी बजट स्पीच कह रही है कि हमने इतने नई मीडियम और स्माल इण्डस्ट्रीज लगाई है लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। मैं अपने गृह जनपद सहारनपुर की ही बात करूं तो वहां पिछले 10 वर्षों में लगभग 60 प्रतिशत उद्योग या तो बन्द हो चुके हैं या पलायन कर चुके हैं। कहां पलायन कर चुके हैं बगल में उत्तराखण्ड है, वहां तमाम सुविधायें हैं, टैक्स हॉलीडे है, बिजली है, पानी है और सरकार एक पार्टनर इन प्रोग्रेस विकास में साथी की भूमिका निभाती है। इसकी भूमिका निभाती है। यहां क्या है ? यहां सरकार बाधायें डालती है और बताती है कि हमारी यह प्रोसीजर्स एण्ड पॉलीसीज है, ये हमारे सिस्टम है, ये हमारे नियम है, प्रक्रियायें हैं, उनको सुलभ भी बनाने की कोशिश नहीं करती, सुलझाने की कोशिश नहीं करती और उलझाने की कोशिश करती है। क्या विस्तार हुआ है उद्योग का ? यह इससे ही सीधा स्पष्ट होता है कि सरकार की क्या नीति है ? चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम पर बेचा गया है। सहारनपुर जनपद की बिडवी चीनी मिल जिसकी केवल सम्पत्ति मात्र 600 करोड़ रुपये की है उसको 35 करोड़ रुपये में बेचा गया है, क्या उस समय सब आंखें बन्द किये हुए थे जब उस पर हस्ताक्षर हुए या फिर कोई योजना थी कि हमें कौड़ियों के भाव बेंच देना है, पूरा प्रदेश ही बेच देना है और घाटे में ला देना है। तो हम लोगों को जागना पड़ेगा और इस विषय पर सोचना पड़ेगा।

मान्यवर, थोड़े-बहुत सुझाव जरूर है, अगर आपको वास्तव में उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास करवाना है तो आपको कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेगे। बाहर से आप उदाहरण मत लीजिये। जो मैंने दिये हैं, गुजरात, बिहार और हमारे आस-पास के जो विकसित प्रदेश है, उनमें आप कुछ सीखिये। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रियेट की जा सकती है, जहां उद्योग को पनपने के लिये तमाम सुविधायें देते हैं। आपको मीडिएम एण्ड स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना होगा। उसको आप कृषि की दर पर ऋण उपलब्ध करवाइये, उसे आगे बढ़ाईये। क्यों नहीं हर वर्ष आप एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करवा सकते हैं जिस प्रकार गुजरात में साल में दो बार होता है। आप साल में एक बार कराईये जिसमें प्रदेश की माननीया मुख्य मंत्री जी 2 दिन उसके लिये निकालें और एक सीधा संवाद उद्योगपतियों से करें। उन्हें जो उनके अधिकारी बताते हैं उसको न मानते हुए डायरेक्ट वह सम्पर्क करें और जानें कि वास्तव में मुश्किलें क्या हैं और उनका हल क्या है ? मान्यवर, जिला उद्योग केन्द्र

बिल्कुल ठप्प पड़े हुए हैं उनके आधुनिकीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ताकि वह बेहतर सेवायें दे पायें जो उद्योग बन्धु हैं उन्हें और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। बहुत सी कम्पनियां सिक डिक्लेयर है या फिर बीमार होने की कगार पर खड़ी है ऐसी कम्पनियों को चिन्हित करना चाहिये और उनके पुनर्वास, रेहैबिलीटेशन के लिये कोई पैकेज होना चाहिये या फिर अगर नहीं चल पा रही है तो उनके एक्जिट के लिये भी कोई न कोई पैकेज होना चाहिये। इस सबको इन्फ्रास्टक्चर डेवलमेंट से जोड़ा जा सकता है और उससे बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाए, लेकिन बुनियादी ढांचा केवल आंकड़ों से, बातों से और इन कागजों से नहीं होने वाला। मेरे पास बहुत सारे कागज पड़े हैं। लेकिन दुःख होता है जब मैं कागज पर ही सब कुछ होते हुए देखता हूं। अभी एक मा0 सदस्य बता रहे थे कि उनके क्षेत्र में 2 घण्टे लगते थे अब 40 मिनट लग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सहारनपुर से देवबन्द जाने के लिये पहले केवल आधा घण्टा लगता था और अब ढ़ाई घण्टे लगते हैं। मैंने तो यह विकास देखा नहीं, शायद आपके क्षेत्र में हो रहा हो, मेरे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। जिस यू0पी0 को मैं जानता हूं वह यू0पी0 इस वक्त बीमार है और उसमें विकास कहीं होते हुए नजर नहीं आ रहा है। मान्यवर, समय आ चुका है कि हम लोग जागें, उठें और कुछ ठोस कदम बढ़ायें। धन्यवाद।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे प्रदेश के बजट भाषण पर चर्चा करने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, बजट में प्रथम पृष्ठ से महापुरुषों के सम्मान से लेकर अन्तिम पृष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के धन्यवाद तक कई बार पेज पलटे, कई बार देखने का काम किया, लेकिन मान्यवर, बजट देखने से ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश मायनस पश्चिमी उत्तर प्रदेश बराबर बचे हुए उत्तर प्रदेश का बजट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम पर बजट में कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अभी मेरे साथी डा0 अग्रवाल साहब कह रहे थे सरकार का एक स्लोगन दोहरा रहे थे कि ''जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उतनी उसकी भागीदारी।'' जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के राजस्व में सबसे बड़ी संख्या देने का काम करता है धन के रूप में विकास में सबसे बड़ी भागीदारी का काम करता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बजट का भी आवंटन उसी हिसाब से होना चाहिये। आज प्रदेश सरकार ने इससे पहले की सरकारों से डार्क ब्लाक के सर्वे कराने का काम किया आज पूरा उत्तर प्रदेश भू-जल स्तर की समस्या से ग्रस्त है जलस्तर लगातार गिर रहा है। दोनों तरफ मार हैं जल स्तर नीचे जाने की वजह से एक ओर प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिये भारी-भारी पम्पसेट, भारी-भारी इंजनों और भारी-भारी मोटरों का प्रयोग करना पड़ रहा है पानी की समस्या खड़ी हो गई है दूसरी तरफ पेयजल की समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है जबकि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही खारे पानी की समस्या से ग्रस्त है एक नई समस्या उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई है।

मान्यवर, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं में भूमि अधिग्रहण के विषय और सड़कों के विषय में कहने का काम किया मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पी0डब्लू0डी0, सिंचाई दोनों विभाग के वरिष्ठ मंत्री मौजूद है उत्तर प्रदेश में जहां पर भूमि अधिग्रहण करके बड़े-बड़े एक्सप्रेस हाई वे बनाने का काम किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रहा है वही उत्तर प्रदेश में सरकार की सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी है नहरों के किनारे पर जिसको हम चार लेन में डेवलप करने का काम कर सकते हैं। गंग नहर जो तीन हिस्सों में है ऊपरी गंग नहर मध्य गंग नहर और निचली गंग नहर इन तीनों नहरों की पटरियों पर सिंचाई विभाग की जमीन है लगभग चार लेन यहां बना सकते हैं। मंत्री जी के बराबर में विद्युत मंत्री जी भी बैठे हुए हैं मध्य गंग नहर इनके क्षेत्र से होकर गुजरती है गंग नहर के तीनों हिस्से यह हरिद्वार सहारनपुर से होकर कानपुर तक जाने का काम करते हैं सरकार ऐसी नहर की पटरियों पर चार लेन बनाने का काम करेंगे तो जो आज हमें खाद्यान्न संकट पर चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है भूमि अधिग्रहण से किसानों को निजात दिलाने की जरूरत पड़ रही है शायद उसमें कितनी ही राहत मिलने का काम होगा मान्यवर, मेरे साथी विधायक कह रहे थे वह दिन चले गये कि जब बेटी पैदा होती है तो घर में मातम मनाने का काम होता है मुझे तो नहीं लगता हमारे यहां पश्चिम में कहावत है कि अगर घर में बेटी पैदा हुई तो कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है लक्ष्मी के रूप में माना जाता है हमारे यहां बेटियों का सम्मान किया जाता है मान्यवर, सरकार ने उन बेटियों को साइकिल देने का काम किया है इसकी सराहना करता हूं लेकिन साइकिल से उसके गन्तव्य स्थान तक चाहे स्कूल जाना है या कार्य क्षेत्र में जाना है या कहीं और जाना है उसे सुरक्षा देने का भी सरकार को करना चाहिये। मान्यवर, इसके अलावा एक और बात बजट में देखने को मिली नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिये मान्यवर, कैसा अलग तरह का बजट आया नक्सल प्रभावित जनपदों को विशेष पैकेज देने का काम किया जायेगा। मान्यवर, अगर नक्सल प्रभावित होना ही विकास का मानक है तो क्या हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नक्सली हो जायं क्या हम क्षेत्र में जाकर कह दें कि नक्सली हो जायं उत्तर प्रदेश की विधान सभा नक्सलों पर मेहरबान है मान्यवर, एक आदमी जो गलत रास्ते पर जा रहा है इसमें मुख्य धारा की कहां बात है आप विकास के लिये पैसा देंगे नहीं और मुख्य धारा का नाम लेने का काम करेंगे आप उठाकर तो देखें मान्यवर, प्रदेश में विद्युत संकट के लिये अनेकों बार विद्युत मंत्री जी ने चर्चा की मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने नये बिजलीघर लगाने का काम किया लेकिन आज भी उन नये-नये बिजलीघरों का 2014 में क्या होगा क्या नहीं होगा यह संकट के बादल हैं मैं चाहता हूं कि इसको लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये। मान्यवर, रोजगारपूरक योजनाओं की भी कहीं कोई बजट में चर्चा नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

डा0 अजय तोमर-

बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। किसान की घटती जोत पर किसान के लिये सरकार को चिन्ता करने की आवश्यकता है। आज किसान का बेटा पैदा होने के बाद 2/3 हिस्सों में बंटता जा रहा है, घर परिवार बंटता जा रहा है अगर वह जमीन उसी तरह बंटती रही उसके परिवार को कोई आदमी रोजगार में नहीं है। अगर किसान को रोजगार देने का काम नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह एक भयंकर समस्या बनेगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में किसानों को सलाह देने के लिये किसान मित्र रखे गये थे। मान्यवर, किसान मित्रों को हटाने का काम किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि उन बेरोजगार किसान मित्रों को पुनः रखा जाय और जो उनका बाकी

मानदेय है उनके समय का उसको दिलाने का काम किया जाय। अंत में मान्यवर, अपने जनपद की बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा। जहां मान्यवर, पूरे प्रदेश में अम्बेडकर विकास योजना अम्बेडकर गांव के चयन के साथ विकास कराने का काम किया जा रहा है। हर जनपद से 15-15 गांव का चयन किया जा रहा है। मान्यवर, बागपत जनपद के 6 गांव और 6 गांव नहीं वह गांव के वो मजरे जो कभी आबाद नहीं है। गैर आबाद मजरों को चयनित किया गया है। मान्यवर, चाहे मानक में स्थिरता बरती जाय, चाहे नियमों में स्थिरता बरती जाय पूरे प्रदेश की तरह बागपत जनपद को भी 15 अम्बेडकर गांव देने का काम किया जाय। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

*श्री अशोक कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे साधारण बजट चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। कल से और आज भी मैं यह सुन रहा हूं कि कोई भी माननीय सदस्य यह मानने को तैयार नहीं है कि किसानों को समय से खाद मिली हो, किसानों को समय से बीज मिला हो। किसानों को समय से बिजली मिलती हो। किसान की नहरों में समय से पानी आता हो। यह तो स्पष्ट हो गया कि यह सरकार जो ढ़िढोरा पीट रही है कि हम किसान हितैषी हैं, यह सरकार किसान विरोधी है जब हमको खाद की जगह पर लाठी मिलती है, बीज की जगह पर लाठी मिलती है, बिजली की जगह पर एफ0आई0आर0 होती है, नहरों की सफाई के नाम पर लूट होती है तो ऐसी स्थिति में कैसे विश्वास कर लें कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। तमाम तरह की बातें हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसे रजबहे हैं, भगवंतनगर रजवहा, फजुलगाह रजवहा, जिसको भारत सरकार के माध्यम से 106 करोड़ रुपये सफाई के लिये मिले थे। जब उसमें सफाई हो रही थी तो मैंने जनपद के उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि यहां पर बेरहमी और बेवकूफी से सफाई हो रही है, इसको दिखवाइये। उन्होंने कहा कि हां तुरन्त दिखवाते हैं और थोड़ी देर फोन आया कि माननीय विधायक जी, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। इसमें बहुत ऊंचे का हाथ है लिहाजा जो हो रहा है, वह होने दीजिये। तो इसका आप अर्थ समझ गये होंगे कि उसमें सफाई क्यों नहीं हुआ, कोई काम क्यों नहीं हुआ। इसी तरह से न इसमें पानी चला है न किसानों को कोई लाभ मिला है। इसी तरह से चाहे धान खरीद का मामला हो, किसान लेके आठ-आठ दिन लाइन लगाये खड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। अगर बिचौलिये घूमते रहते हैं कि आप इतने में दे दीजिये हम आपका धान खरीद लेंगे। इसी तरह से गेहूं की खरीद में भी हुआ। गन्ने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे जनपद की मिल ही आपने बेच दी तो हम कौन सा लाभ पायेंगे। गन्ना किसानों ने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी जो आपने मिल बेच दी। आपके कर्मचारी और अधिकारी मिलकर गन्ना मिल को घाटे में ले जा रहे थे तो आप उसकी व्यवस्था करते। किसानों को किस तरह से कुचला है आपने कि मिल ही बेच दी तो गन्ना कहां से होगा। आपने दूसरी मिल को हमारे सेन्टरों पर लगा दिया है, क्या होता है उसको भी दिखवा लीजियेगा। जिस तरह से लूट मचती है वहां जिस तरह से होता है। सड़कों की हालत, अभी हमारे सम्मानित भाई ने कहा कि हम 40 मिनट में पहुंच

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाते हैं। हमारे क्षेत्र के मंत्री जी भी बैठे हैं, अगर लालगंज रायबरेली रोड को जानते हों तो 30 कि0मी0 की एरिया दो घण्टे लगते हैं। मैं किसी पर इंगित नहीं करता हूं तमाम तरह की स्वीकृत सड़कें हैं लेकिन बनती नहीं। हमारे क्षेत्र में अगर बिजली विभाग की बात की जाय। माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमको बिजली न दिलायें लेकिन कम से कम इधर बैठे हुए साथियों को 14 घण्टे बिजली जरूर दीजिये। सबको आठ घण्टे बिजली दे रहे हैं किस खेत में पानी पहुंचता है। किस क्षेत्र में पानी पहुंचता है। हमारे जनपद रायबरेली की बिजली कटवा दें लेकिन हमारे जो बैठे हैं उनको तो 14 घण्टे बिजली दे दीजिये। हमारे यहां दो-दो तीन-तीन पावर स्टेशन लगे हैं, अगर उसमें बिजली आ जाय लेकिन इतना पावर लोड है। मैंने कई बार निवेदन किया है लिखकर के कि इनके ट्रान्सफार्मर बदल दिये जायं, इनकी नई लाइन बना दी जाय।

यह कहा जाता है कि 31 मार्च तक पूरा करवा दिया जाएगा और कहीं कोई कार्य अभी तक नहीं हो रहा है। बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश के जो मजदूर भागने से रुके हैं उसमें महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना ऐसी है जिसने यहां के मजदूरों का पलायन से रोका है। कारखानों की बात हमारे माननीय सदस्य ने कहा बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसके साथ दूसरा पहलू भी है किसान को अगर आप मजबूती नहीं देंगे तो हम उद्योगों को लगाने के बाद किसकी तरफ देखेंगे कौन उद्योगों का लाभ पायेगा। अभी उत्तर प्रदेश में तो हमारी जानकारी में नहीं हैं कि लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री के अलावा कोई ऐसा बड़ा उद्योग लगा हो जिसमें उत्तर प्रदेश की बढ़ोत्तरी में कोई नया आयाम हो रहा हो। शिक्षा के नाम पर चर्चाएं हुई हैं मैं उस पर ज्यादा न बोलते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी का नाम पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी आप संक्षेप में कहें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने 2011-12 के बजट भाषण पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो लिट्रेचर, बजट भाषण दिया गया है सरकार के द्वारा मैंने इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने का काम किया और यही नहीं मैं यह भी कहूंगा कि हम 2007-2008 में चुनकर आये थे इस विधान सभा में जो बजट भाषण हमें तब दिया गया था उसे भी लेकर आया हूं उसको भी पढ़ने का काम किया और उसके बीच में जो मिले थे उसको भी पढ़ने का काम किया। 2007 और 2008 में जब यह सरकार अस्तित्व में आई, अभी चूंकि डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना की बात यहां पर हो रही थी हमारे माननीय साथी त्रिपाठी जी इसके बारे में कह रहे थे इसमें कहा गया है कि प्रदेश में पूर्व में चलाई जा रही डा0 अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना के क्रियान्वयन में पिछली सरकार द्वारा यथेष्ट ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण योजना से लाभान्वित होने वाले डा0 अम्बेडकर ग्रामों में प्रारम्भ किये गये कार्य अधूरे रह गये, डा0 अम्बेडकर ग्राम के समेकित विकास हेतु डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना नामक, एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच ग्राम सभाओं का चयन करके उन्हें

प्रमुख कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जायेगा उसके बाद कार्यक्रम थे, माननीय अध्यक्ष जी, और बहुत सारी चीजें सरकार ने बताई थी, अब मैं सारी चीजें तो बताने का काम करूंगा नहीं, क्योंकि आपने समय पर पाबन्दी लगा दी है। तो खाली डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना की ही बात कर लेते हैं, पांच गांव जब चयन करने का काम सरकार ने किया अधिकारियों ने जरूर इस पर ध्यान दिया होगा कि पांच ग्राम सभाओं को चयनित करके विकसित करेंगे एक साल में तो कितने धन की आवश्यकता होगी। लेकिन जब चयन कर लिया गया तो उन पांच ग्राम सभाओं की विकास पूर्ति के लिये सरकार धन की व्यवस्था नहीं कर पाई। मान्यवर, मेरे विधान सभा का गांव है हररा, जनपद मेरठ में पड़ता है मुस्लिम आबादी बाहुल्य गांव है उसका चयन किया गया, सी0सी0 रोड बनाने का काम हुआ, विद्युतीकरण का काम हुआ, माननीय मुख्य मंत्री जी शायद 20 तारीख को जा भी रही है जनपद मेरठ में। खाली उस हररा गांव का निरीक्षण करने का काम कर लें और एक शर्म की बात यह भी है कि उस गांव में जो काम छोड़ दिया गया वह हरिजन आबादी में ही छोड़ दिया गया।

(हरिजन शब्द प्रतिबन्धित है की आवाजें)

कोई प्रतिबन्धित नहीं है। उसको छोड़ दिया गया। उन बस्तियों में न सी0सी0 रोड का काम हुआ और न विद्युतीकरण करने का काम किया गया। उसके बाद अधिकारियों के ध्यान में आया कि पांच-पांच गांव की पूर्ति तो हम नहीं कर पायेंगे। सम्पूर्ण गांव का विकास नहीं कर पायेंगे एक भी गांव का ... चूंकि गांव की बड़ी आबादी है, गांव की केवल दलित आबादी में अम्बेडकर गांव में आप विकास कार्य करायेंगे, सी0सी0 रोड बनाने का काम करेंगे ? दलित आबादी के गांव चुन लिये गये, दलित आबादी में ही काम करने का काम किया गया। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं या जोड़ने का काम कर रहे हैं ? तमाम दूसरे समुदाय के लोग भी उस गांव में निवास करते हैं, खाली एक समुदाय के घर के सामने आप सीसी रोड बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं ? मैंने इस योजना का स्वागत किया था कि बहुत अच्छी योजना चलाने का आपने काम किया है कम से कम आपने एक गांव का तो विकास करने का काम किया। लेकिन उस योजना में आपने गांव का तो विकास नहीं किया बल्कि एक मुहल्ले का विकास करने का काम कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से इसमें लिखा है, 2011-12 में गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों सहित सभी वर्गों के विकास और समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये पूरी तरह से हमारी सरकार कटिबद्ध है।

मान्यवर, जिन-जिन लोगों का नाम लिया गया, सच्चाई तो है कि यह तमाम लोग दुखी और परेशान है लेकिन सरकार नहीं मानती, मानेगी भी नहीं। दिल्ली से लेकर नोयडा तक मेट्रो रेल का परिचालन तथा ग्रेटर नोयडा तक काम शुरू करवाना इत्यादि ऐसे कार्य है। जिससे प्रदेश की तरक्की पर निश्चय ही सीधा सकारात्मक दूरगामी परिणाम पड़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी, अब दिल्ली से नोयडा मेट्रो आ गई, प्रदेश का बहुत बड़ा विकास हो गया, पूरे प्रदेश के विकास पर इसका असर पड़ेगा। मान्यवर, नोयडा के लोगों पर इसका जरूर असर पड़ेगा, उन्हें सुविधायें मिलेगी, लेकिन पूरे प्रदेश पर इसका क्या असर पड़ेगा, मैं नहीं समझ पाया। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हैं। कानून व्यवस्था का भी जिक्र है। मा0 अध्यक्ष जी, बजट भाषण के पेज-13 पर लिखा गया है 'गरीबी रेखा के नीचे

जीवन यापन करने वाले परिवारों के पुत्रियों की शादी तथा उनके परिजनों के इलाज हेतु वर्ष 2010-2011 में रु0 175 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2011-2012 में रु0 268 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।' मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, इस योजना में पैसा देने का कोई लाभ नहीं है। इस योजना में लाभ क्यों नहीं है या तो आप यह व्यवस्था करिये कि अगर दो भाई पात्र हैं और वह दोनों अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, दोनों गरीब भी हैं तो दोनों को पैसा देने का आप काम करिये। जनपद में कितने आवेदन आ रहे हैं, इस पर तो आपने विचार नहीं किया। मेरे बागपत जनपद में 1500 आवेदन है और पैसा गया 140 का। बाकी लोग रह गये। वह पात्र भी है, सूची में भी है लेकिन उनको शादी वाला अनुदान नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार आ गया, पैसा लेकर देने का काम हो रहा है। जो पैसा दे देगा, उसको चेक मिल जायेगा, जो पैसा नहीं देगा, उसको नहीं मिलेगा। या तो आप इसे बन्द करिये या तमाम उन लोगों के लिये व्यवस्था करिये जो गरीब हैं, जो पात्र है, जिन श्रेणी को आपने पात्र माना है, जिन्हें देना चाहते हैं, उन सबको देने का काम करिये। मैं यह नहीं कहता कि आप उच्च्व आय वर्ग के लोगों को भी देने का काम करें लेकिन जो निम्न आय वर्ग के हैं, जिस कटेगरी को आप देना चाहते हैं तो उस कैटेगरी को तो आप पूरा करने का काम करिये, आप उसके लिये भी पूरा बजट देने का काम नहीं कर रहे हैं। 10 लोगों को देने को काम कर रहे हैं। और 100 लोग लाइन लगाये खड़े हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मा0 मुख्य मंत्री जी के अधीन यह विभाग है, मैंने नियमों के तहत् आपको सूचना देने का काम किया, इस विभाग के अन्दर जितना भी पैसा दिये जाने का काम होता है, उस पूरे के पूरे पैसे का मिसयूज होने का काम हो रहा है। अधिकारी उस पैसे को बन्दरबाट करने का काम कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपये शासन के माध्यम से एन0जी0ओ0 को देने का काम हो गया, जिले में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे जिले में इस नाम की कोई संस्था है ही नहीं, काम ही नहीं कर रही है और उन संस्थाओं को यहां से 5 करोड़ आवंटित हो गये। कहां वह पैसा गया, कहां लगा। मान्यवर, तमाम चीजें आपने लिटरेचर में देने का काम कर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, 2-3 चीजें रह गयीं। प्रदेश की नदियों को, मैं इससे पढ़ रहा था कि प्रदेश की नदियों को प्रदूषणमुक्त किये जाने के साथ ही सात प्रमुख झीलों को भी प्रदूषणमुक्त किये जाने हेतु झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में 25 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। अब 25 करोड़ रुपये में मा0 अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश की कुल नदियों को और सारी नदियों को ही झीलों को भी आप प्रदूषणमुक्त करने का काम कर देंगे तो यह कैसे सम्भव है इस पर भी विचार किया। मुझे तो लगता नहीं कि 25 करोड़ में 225 करोड़ में भी यह काम सम्भव नहीं है। ये 25 करोड़ रुपये आप बरबाद करने का काम क्यों कर रहे हो ? इससे कुछ होने वाला नहीं है। नदियां झील ऐसी की ऐसी ही रहने वाली हैं और 25 करोड़ रुपया सरकार का चला जायेगा मा0 अध्यक्ष जी। इसी तरीके से मा0 अध्यक्ष जी, यह जो प्राथमिक विद्यालय हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी चले गये।

प्राथमिक विद्यालयों में कक्ष निर्माण की बात कही गई। जो प्राथमिक विद्यालय बेसिक प्राइमरी स्कूल हमारे हैं, उनमें कक्षों की कमी नहीं है और आप कक्ष बनवाने का काम कर रहे हो। विद्युत का कनेक्शन लगाने का काम कर रहे हो, पंखे लगाने का काम कर रहे हो, बिजली का कनेक्शन लगेगा।

जब तक आपके पास इतनी बिजली नहीं है कि जब बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है तो जो स्कूल की टाइमिंग है और जब तक स्कूल बन्द होगा, उस वक्त तक पहले हमें बिजली देने की व्यवस्था करनी चाहिये। उसके बाद हमें वहां बिजली का कनेक्शन या फिटिंग करानी चाहिये। अभी बिजली की कमी है, मा0 मंत्री जी बता रहे हैं कि बिजली के लिये प्रयास भी वो कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की तारीख में इतनी बिजली नहीं है कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जायेंगे, उस वक्त हम उनको बिजली दे दें। करोड़ों रुपये बिजली की फिटिंग कराने पर खर्च कर दिये, बिजली है नहीं, न बल्ब जल रहा है, न पंखा चल रहा है, उस फिटिंग को कराने का क्या औचित्य है। आज प्राइमरी स्कूलों में भवन निर्माण कराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आवश्यकता है तो छात्रों की आवश्यकता है। छात्र पढ़ने को है नहीं, शिक्षक पढ़ाने को हैं नहीं। एक-एक दो-दो शिक्षकों में तमाम विद्यालय चल रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, बस एक मिनट लूंगा। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात करना चाहूंगा कि एक मॉडल स्कूल बनाने की बात कही गई, मॉडल स्कूल बनाये जायेंगे 148 प्रदेश में बजट में कहा गया है। 148 मॉडल स्कूलों के लिये बजट की व्यवस्था भी हो गई और बजट कितना रखा गया। बजट रखा गया 878378 रुपये एक स्कूल के लिये। इस तेरह करोड़ रुपये का जो बजट है, इसमें एक स्कूल के हिस्से में आता है 878378 रुपये। 8 लाख में तो जमीन भी नहीं मिलेगी और कौन सा माडल स्कूल बन जायेगा। इस योजना का हश्र भी वही होना है, जो 5 गांव विधान सभा में चयनित करके विकसित करने का काम आपने 2007-08 में शुरू किया था। तो मा0 अध्यक्ष जी मैं अपनी बात खत्म करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि सरकार माने या न माने, आज नहरों में पानी नहीं है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, साथी विधायक जी कि जो रास्ता 2 घण्टे में तय करते थे अब वह 40 मिनट में तय करते हैं, बधाई है कि आपकी सड़क बन गई। मैं दिल्ली से बागपत जनपद में प्रवेश करता हूं, बागपत से सहारनपुर जाने का काम करता हूं, शामली जाने का काम करता हूं, मेरठ से शामली जाने का काम करता हूं। तमाम सड़कें पश्चिम की गिनवा रहा हूं किसी एक सड़क पर आप जाने का करो। 40 कि0मी0 का रास्ता ढ़ाई घण्टे में तय करने का काम कर दो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। ढाई-ढाई, तीन-तीन घण्टे लगते हैं 40 कि0मी0 में। तीन-तीन फुट गहरे गड्ढे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आप एक विधान सभा की कमेटी बना दीजिये, उसमें सभी पक्ष और विपक्ष के लोग जाकर देख लें। अगर अलीगढ़, आगरा की खराब होंगी तो अलीगढ़ आगरा के साथी बता देंगे। मैंने जो देखी है उनको बताने का काम कर रहा हूं। लेकिन सरकार समझ रही है कि हम सरकार को आरोपित करने का काम कर रहे हैं। हम तो सरकार को फंसाने का काम कर रहे हैं। खाद की बात आई मा0 मंत्री जी बैठे हैं मैं खुद किसान हूं मा0 अध्यक्ष जी। मेरे यहां मुझे यूरिया की जरूरत है। मेरी किसान सेवा सहकारी समिति है, उसका मैं सदस्य हूं। खाद नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं तो कैसे विकास की बात कर रहे हैं, मंत्री जी। अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण में चर्चा करने का अवसर प्रदान किया मैं इसके लिये आपका बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा संक्षेप में करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मा0 अध्यक्ष जी यह जो बजट भाषण हम लोगों को दिया गया है वह पढ़ने से लगता है कि यह केवल सरकार की ओर से एक प्रशस्ति पत्रिका प्रकाशित की गई है और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं है कि इसकी आलोचना सुन सकें और उनकी कमियों को देख सकें क्योंकि इनके लिये बोलना तो बिल्कुल मना है। मैं याद कर रहा था अभी कि दुष्यंत कुमार जी ने दो लाइने कही है- कि "मैं बहुत कुछ सोचता हूं, पर कभी कहता नहीं,

बोलना तो है मना, सच बोलना तो दरकिनार"

इसके लिये तो सच बोलना दरकिनार है, बोलना भी मना है। मा0 अध्यक्ष जी यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें इतनी कमियां है, इतनी खामियां है। इनका अवलोकन करने की एक हिम्मत नहीं करते और इसकी आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं करते और इस पर भी दुष्यंत कुमार जी ने कहा है कि-

"घर की दीवार में दिखती नहीं कोई दरार,

क्योंकि हर दीवार पर चिपके है, इतने इश्तिहार"

इश्तिहारों के माध्यम से यह सरकार चल रही है, अपनी प्रशस्ति के बल पर चल रही है। मा0 अध्यक्ष जी मुझे बोलने के लिये इसलिये खड़ा होना पड़ा है क्योंकि इस प्रशस्ति पत्र इन लोगों का उसमें लखनऊ की बड़ी चर्चा की गई है और विशेषकर हजरतगंज के बारे में। मैं हजरतगंज के बारे में बता दूं अभी कितने दिन हुए इनको इसका विकास किये हुए। मान्यवर, 75 लाख रुपये से बनी हुई सड़क एक बार नहीं 3-3 बार धंस गई है। इन्होंने विक्टोरिया लैम्प लगवाये हैं कितना पैसा खर्च किया है। विक्टोरिया लैम्प जलते नहीं और एक दिन एक आदमी का धक्का लग गया तो विक्टोरिया लैम्प जिस खम्भे में लगा था वह खम्भा गिर गया और वह आदमी मर गया। यह रही इनकी हजरतगंज के सौन्दर्यीकरण की बात, मैंने कई बार सदन में कहा है कि लखनऊ का सौन्दर्यीकरण जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की कीमत पर मत करायें। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हजरतगंज में जब सीवर लाइन डाली गई तो वह भी दब गई।

मान्यवर, हजरतगंज का तो इन्होंने दुर्दशा कर दी। विकास नहीं किया उसका सर्वनाश कर दिया उसकी ऐतिहासिकता इन्होंने मिटा दी अब यह लखनऊ का सौन्दर्यीकरण करने से बाज आवें। बस वही बेल्ट इनके लिये बाकी है जो गोमती नगर से तेलीबाग तक है। इसी विधान सभा में मैंने यह प्रश्न किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजाजीपुरम् बसा हुआ है और ये यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर बना हुआ है, क्या यह सरकार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मूर्ति लगवाने का काम करेगी, मेरे पास लिखित उत्तर है कि जी हां। और जी हां कहने के बाद से अब तक सरकार ने अनेक मूर्तियां लगाई लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल उनकी मूर्ति लगाने की उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की। आखिर इसमें किसका बुरा था एक मूर्ति उनकी भी लग जाती। कहीं पर स्वामी विवेकानन्द जी की मूर्ति लगवा देते, जिन्होंने विश्व में भारत का नाम किया, तो यह पाप धुल जाता। मा0 अध्यक्ष जी, जनता

की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जनता की जो सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है वह है शुद्ध पेयजल। अभी दो-तीन दिन पहले लखनऊ में वैज्ञानिकों का एक सेमिनार हुआ था, जिसमें इनके अधिकारीगण भी गये थे, प्रमुख सचिव स्तर के प्रमुख सचिव स्तर के और उन्होंने चिन्ता भी व्यक्त की, कि लखनऊ में सात मीटर तक कहीं, कहीं जल स्तर गिर रहा है, यदि इस गिरते हुए जल स्तर की ओर चिन्ता नहीं की गई तो लखनऊ बूंद-बूंद पानी के लिये तरसेगा, यह तो मैंने पानी की बात की और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज गोमती नदी जो मुख्य स्रोत है लखनऊ की जीवनधारा है, उसके अन्दर कैसे-कैसे केमिकल, कैसे-कैसे खनिज उसके अन्दर वैज्ञानिक बता रहे हैं जो शरीर को नष्ट कर डालने के लिये काफी है, गोमती नदी के अन्दर आयरन, मैगनीज, लेड, जिंक और आर्सेनिक जैसे जहर मिले हुए हैं, केवल सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट लगा देने से अपनी पीठ मा0 नगर विकास मंत्री जी थपथपाने का काम करते हैं, इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, यह जो गोमती का पानी है, उसको शुद्ध करने के लिये क्या उपाय करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं लखनऊ का विस्तार हुआ है और लखनऊ में लगभग 245 ऐसी कालोनियां हैं जिनका लेआउट प्लान नहीं पास हुआ है, उनको सरकार ने कह दिया कि ये कालोनियां अवैध हैं, मेरी मांग है कि जब इन कालोनियों में रहने वाले लोगों से आप पानी का पैसा लेते हैं और आप उनसे हाउस टैक्स लेते हैं तो आप उनका विकास इस बात पर क्यों नहीं करते कि अवैध कालोनियां हैं। मैंने यहां पर एक प्रश्न लगाया था कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में आलमनगर के पास कलस सिटी, आलम बिहार, अमन विहार ऐसी अनेक कालोनियां वहां पर हैं जहां पर विद्युत कार्य करा दीजिये, हमसे कहा गया कि 60 लाख रुपये आप अपनी विधायक निधि से दे दीजिये और जब मैंने चाहा कि इसका आप स्टीमेट दीजिये और इस कार्य को करिये तो अधिकारी महोदय नाराज हो गये पता नहीं कैसे और वहां पर चले गये, वहां पर छापा डलवा दिया, एक तो सरकार ने कहा अवैध कालोनियों को विद्युतीकरण हम नहीं करायेंगे आप करायें अपनी विधायक निधि से दूसरे ओर वहां 43 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी करने की एफ0आई0आर0 दिखा दी गई, वह गरीब लोग हैं जिनके घरों में बिजली नहीं है, सरकार कहती है कि हम विद्युतीकरण नहीं करायेंगे, उनके ऊपर छापा डाल करके उन्होंने कैसे एफ0आई0आर0 लिखा दी और आज वह लोग मा0 हाईकोर्ट की शरण में हैं वहां से अरेस्ट-स्टे करने की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बस दो बातें मैं और कहना चाहता हूं लखनऊ में जो राजकीय एलोपैथिक अस्पताल है उनमें मानक के अनुसार चिकित्सक नहीं है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एलोपैथिक अस्पताल है, 30 बेड से 100 बेड का हो गया, लेकिन डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई। लखनऊ के अन्दर नकली मिनरल वाटर के बिकने पर प्रतिबन्ध लगाने की भी बात मैं आपसे कह रहा हूं। यहां पर मैंने सरकार से प्रश्न लगा पूछा कि क्या आपने लाइसेंस दिया है, कितनी फैक्ट्रियां है, लेकिन सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष-

कृपया अब समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, और तो तीन कालोनियों के अन्दर प्राईवेट लोग अपना नल-कूप लगा करके और उस पानी को बेंच रहे हैं, अन्धाधुन्ध दोहन हो रहा है, उस पानी की कीमत वसूल कर रहे हैं, सरकार को चाहिये कि ऐसे लोगों को इंगित करें, उनके ऊपर मुकदमा कायम करे जो अवैध रूप से पानी का व्यापार कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी गरीब पुत्रियों की शादी की बात अभी यहां पर उठी थी, दस हजार रुपये मात्र गरीब पुत्रियों की शादी के लिये समाज कल्याण में मिलता है, मेरी मांग है, कई बार मैं कह चुका हूं, आजकल दस हजार रुपये की कोई कीमत नहीं होती, इस रकम को बढ़ा कर के 20 हजार रुपये किया जाय। समाज कल्याण का एक बहुत बड़ा घोटाला है माननीय अध्यक्ष जी, जितने टेक्निकल एजूकेशन के यहां पर विद्यालय हैं मेरी विधान सभा में मैंने कल माननीय अध्यक्ष जी, आपको सूचित किया है नियम-301 के अन्तर्गत कुमारी रिचा नाम की एक लड़की यह गाजियाबाद के अन्दर एक इन्स्टीट्यूशन में पढ़ रही है, थर्ड इयर में आ गई, लेकिन उसकी छात्रवृत्ति उसको नहीं दी गई है, वह गरीब लड़की है, उसके पिता मेरे पास आये थे वह रो रहे थे कि मैं क्या करूं, मैंने कर्जा लिया है बैंक से, कर्जा कैसे अदा करूं। इस तरह की तमाम, जितनी भी यह हायर इन्स्टीट्यूशन है, जहां के परिवार की आय के बारे में कहा गया है कि एक लाख रुपये से कम जिन गार्जियन की वार्षिक आय होगी उनकी बेटियों के लिये बेटों के लिये छात्रवृत्ति देंगे, मान्यवर, अध्यक्ष जी सरकार ने उस बारे में कुछ नहीं किया है। ऐसे इन्स्टीट्यूशन के खिलाफ आपकी कार्यवाही करनी चाहिये। आपको धन्यवाद।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे 2011-2012 के वित्त मंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, बजट जो है वह सरकार की नीति और नियत का एक आईना होता है। मान्यवर, इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने महापुरुषों का नाम लिया जिसमें छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबाफूले, सावित्री बाई फूले, अम्बेडकर जी आदि का नाम लिया। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इस देश में और प्रदेश में भगवान राम ने और कृष्ण जी ने भी जन्म लिया है उनका आपने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। इससे यह पता चलता है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। मान्यवर, इस बजट में 2009-2010 में 23132 रु0 प्रति व्यक्ति आय की बात कही है। मान्यवर, किन्तु इसमें यह नहीं बताया गया है कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें कितने प्रतिशत की कमी आई है।

मान्यवर, आप सवर्ण समाज में बराबरी की बात करते हैं लेकिन हो क्या रहा है प्रदेश में यह सब लोग जानते हैं। मान्यवर, इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं है जिनके बच्चों के पास पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है जिनके पास ओढ़ने के लिये पर्याप्त रजाई की व्यवस्था नहीं है उनके लिये आप इस बजट में कुछ कहते तो अच्छा होता। मान्यवर, इस बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गई है। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की एक वेंच की स्थापना के लिये कितने वर्षों से मांग कर रहे हैं लेकिन इस बजट में उसके लिये कुछ नहीं कहा गया है। इसी तरह से पत्रकार जो तीसरे स्तम्भ होते हैं लोकतंत्र से उनके लिये इसमें कोई

बात नहीं की गई है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। आप जगह-जगह सब स्टेशनों का उद्घाटन करते हैं यह अच्छी बात है। किन्तु अब आपके पास ज्यादा मौके नहीं हैं यह आपका अन्तिम बजट है। आप एक सशक्त मंत्री है। आप अपने समय में हाथरस अलीगढ़ में एक बड़ा पावर हाउस लगाने का काम करायें तो अच्छा होगा। जनता भी आपको बधाई देगी। इन छोटे-छोटे पावर स्टेशनों के उद्घाटन से कुछ होने वाला नहीं है वहां बड़े पावर हाउस की स्थापना की बहुत जरूरत है। आज किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है उसको आप भरपूर बिजली मुहैय्या करायें। उनके ट्यूबवेलों पर बिजली पहुंचायें इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि कि यह बजट गुमराह करने वाला है और झूठ का पुलिन्दा है। मान्यवर, अभी पिछले दिनों माननीया मुख्य मंत्री जी सिकन्दराराऊ गयी थी वहां लोगों ने उनका घेराव करने की कोशिश की। वहां लोग यह मांग रहे थे कि एक दलित युवक जिसका सिर काट दिया गया था उसके सिर को रिकवर कराया जाय। वह आज तक उसका सिर रिकवर नहीं हो पाया है। इसी तरह से, एक दलित डाक्टर पवन के घर डकैती पड़ी सब कुछ नष्ट हो गया पूरा परिवार नष्ट हो गया लेकिन आज तक किसी को पकड़ा नहीं गया। इसलिये वहां के लोग आन्दोलनरत है वहां पर इन घटनाओं पर कार्यवाही हो। मान्यवर, इन सब घटनाओं के बावजूद सिकन्दराराऊ में एस0डी0एम0 नहीं है, सी0ओ0 नहीं है, थाने में कोतवाल नहीं है। उनकी तैनाती कराई जाय। मान्यवर, किसानों की स्थिति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं टेल तक हमारे यहां किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। जो खेती की बात कितना यूरिया मिल पा रहा है। हमारे जनपद में किसानों को 350 रु0 का यूरिया मिल रहा है। इससे लगता है कि सरकार जो किसानों के हित की बात करती है उसकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है। इसलिये यह बजट गुमराह करने वाला है और झूठ का पुलिन्दा है। धन्यवाद।

*श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, आपने वर्ष 2011-12 के बजट पर प्रतिपक्ष के द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं बहुत-बहुत आभारी हूं आपका। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट फर्जी आंकड़ों का भ्रमजाल है विकास की झूठी गाथाओं का फरेब है, कोरे आश्वासनों पर खड़ा किया बालू का महल है जनता के पैसे का अनुत्पादक खर्चों पर जमकर दुरुपयोग और विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों की घोर उपेक्षा है। माननीय अध्यक्ष जी, बसपा सरकार का यह वित्तीय वर्ष का बजट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। एक दिशाहीन बजट सर्वजनसुखाय बजट है और इससे क्षेत्रीय असंतुलन के अलावा और कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बार फिर बुन्देलखण्ड के लिये इसमें पैकेज की व्यवस्था की गई है। जिस पर अभी एक सदस्य माननीय बोल रहे थे, मैं यह नहीं कहता कि पूर्वांचल को न दिया जाय लेकिन उन्हें इस बात पर कुछ उन्होंने कम्परीजन किया कि बुन्देलखण्ड को बहुत कुछ दिया गया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बुन्देलखण्ड में अभी मेरे जनपद में दो वर्ष से मेडिकल कालेज बना खड़ा है। ओ0पी0डी0 तक उसकी दो वर्ष से चालू नहीं हुई बांदा का एक मेडिकल कालेज लिया गया है हम सोचते हैं कि कहीं हमारी तरह बांदा का भी हश्र न हो। यह बात सही है कि मेरे जनपद में पूरे बुन्देलखण्ड में 7 जनपद हैं लेकिन अगर देखा जाय तो 6 जनपदों की उपेक्षा है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिर्फ एक जनपद ऐसा है जहां पर पूर्ण बजट और पूर्ण सहयोग है। हमें बुराई नहीं है हम यह चाहते हैं भले ही एक जनपद का विकास हो लेकिन वह विकास भी ऐसा हो कि कम से कम पूर्ण हो जाय। हमारा अनुरोध है कि हमारे यहां का जो मेडिकल कालेज है अभी उस पर बयान आया कि उसको शुरू किया जायेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी लागत से बना 6-700 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 2 वर्ष से वह बिल्डिंग खड़ी है उसमें कोई जनता का हित नहीं हो रहा है मेरा अनुरोध है कि शीघ्र इस मेडिकल कालेज को शुरू कराया जाय। मान्यवर, सिंचाई के बारे में बताना चाहता हूं 100 वर्ष पहले अंग्रेजों ने हमारे यहां 2 नहरें बनाई थी हमीरपुरशाख और कुठावनशाख। आज उसकी यह हालत है कि जो नहरें हमसे ऊपर बहती थी उन्हें हम कमर से पार कर जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि नया काम तो कोई दे नहीं सकते माननीय सिंचाई मंत्री जी बड़े भाई है चले गये हैं मैं साढ़े तीन वर्ष से उनसे निवेदन कर रहा हूं एक बेतवा का पुल है जिसमें कोटरा में इन्हीं की पार्टी का चेयरमैन है, वह पुल सारी मान्यताओं में आता है लेकिन आज तक माननीय सिंचाई मंत्री जी का चाहे यह सोचते हों कि मैं विपक्ष का विधायक हूं, कांग्रेस का विधायक हूं या जो भी हो, वह सारी मान्यताओं में आता है और अतिआवश्यक जनहित का पुल है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं जब से विधायक बनकर आया हूं साढ़े तीन वर्ष से बराबर दो मांगे करता आ रहा हूं कि एक तो बेतवा का पुल बना दिया जाय इससे मध्य प्रदेश और हमारी सीमा कम हो जायेगी दूसरा एक पुल है रेलवे ओवर ब्रिज उस पर घण्टों जाम लगता है यह दो तीन वर्ष से पड़ा हुआ है और जनता को परेशानी हो रही है। लेकिन उस पर भी हमारे माननीय मंत्री जी का कोई ध्यान नहीं जाता। माननीय ऊर्जा मंत्री जी विराजमान है मैंने कई बार यह बात उनके बजट में कही कि हमारे यहां 60 वर्ष से जो तार लगे हैं वह गलगलकर गिर रहे हैं यहां तक कि बड़ी बड़ी घटनायें हुई एक बस से आग लगी उसमें करीब 3-4 लोग मरे। कुठौर थाने का थानाध्यक्ष भी विद्युत घटना से मरा एक तार टूटकर गिरा और थानाध्यक्ष की मौत हो गई मेरा आपसे अनुरोध है माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कि जो 60 वर्ष पुराने तार हैं उनको बदलवाने का प्रयास किया जाय।

इनको बदलवाने का प्रयास किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देलखण्ड के बारे में बातें बहुत होती हैं, लेकिन बुन्देलखण्ड में जमीनी हकीकत में कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने पहले भी कहा था कि जब यह सरकार आई थी तो हमको बहुत खुशी थी, हम सोचते थे कि यह बुन्देलखण्ड ही इसका जन्मदाता है, 1989 में माननीय अध्यक्ष जी पहली बार जब इस सरकार का विधायक खाता खुला था तो वह हमारा ही जनपद था, जहां चार में से तीन सीटें पाई आज भी चार में से तीन इनके पास है तब हम लोग यह सोचते थे हमारे यहां विकास होगा लेकिन हमारे जनपद में कोई विकास नहीं हुआ। बुन्देलखण्ड के बारे में घोषणाएं तो बहुत होती है लेकिन ग्रामरूट पर कुछ नहीं है आप पता लगा लें। मैं यह चाहता हूं कि आप ऐसी कोई सर्वदलीय कमेटी बना दें, बुन्देलखण्ड के लिये एक अलग विभाग बना दें, यह जाकर यह देख लें कि कम से कम इन 62 वर्षों में जो रुपया बुन्देलखण्ड को मिला है उसकी जमीनी हकीकत क्या है। हमारे यहां सड़कों का हाल बहुत बुरा है। अगर डकैत समस्या न होती

तो वह सड़कें भी न बनती। 30-30 साल पहले की बनी सड़कें है जिसमें अब सिर्फ सड़क दिखाई देती है, न डामर है, न गिट्टी है, कोई व्यवस्था नहीं है।

हम तो आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहते है कि अभी तक जितना बुन्देलखण्ड को दिया है, उसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी कर दे और देख लें कि क्या वहां पर जमीनी हकीकत है, कितना वहां विकास हुआ है। माननीय सदस्य ने अभी जब आंकड़े पेश किये तो यह हो सकता है कि कागजों में यह आंकड़े बहुत बड़े-बड़े हों लेकिन चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, इसमें बड़ी बात और क्या हो सकती है कि दो वर्ष पहले जो मेडिकल कालेज बन गया हो, उसमें सिर्फ गेट बन्द है और चौकीदार उसको देख रहे हैं। जनता के लिये उसकी कोई सुविधा नहीं है और हमारे यहां चाहे परिवार कल्याण के लिये हो, चाहे परिवार योजना में हो, चाहे माननीय अध्यक्ष जी शादी विवाह में हो, चाहे माननीय अध्यक्ष जी शादी विवाह में हो, भले ही 20 हजार रुपया कर दिया गया हो लेकिन आज भी यह हालत है कि दो-दो हजार प्रार्थना-पत्र पेन्डिंग है। विद्युत कनेक्शन किसानों के लिये जो होने चाहिये उसमें अभी 4 हजार पेन्डिंग है। अभी कुछ छूट हमारे बुन्देलखण्ड विकास निधि से दी गई। सरकार ने 68 हजार रुपये का लक्ष्य रखा गया कि हम 68 हजार रुपये किसानों को छूट देंगे लेकिन उसमें अभी तक सिर्फ घोषणा है और ग्रासरूट पर स्थिति यह है कि आज इस छोटे से जनपद का 4 हजार कनेक्शन पेन्डिंग में है जहां की आबादी मात्र 17 लाख है। इनको बिजली का कनेक्शन चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने जनपद के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक सड़क है जो जालौन से मध्य प्रदेश सीमा को मिलाती है, बंगरा होते हुए, वह सड़क महत्वपूर्ण है लेकिन आज तक उस सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ। जो पुराने समय से सड़क है वही आज भी है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी से और सरकार से आप यह कहें कि वह इस सड़क का चौड़ीकरण कराये। आपने जो बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2011-2012 के सामान्य बजट पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मान्यवर, इस मौजूदा सरकार में माननीया मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी ने अपने शासनकाल में चारों शासनकाल का जिक्र किया है और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन आन्दोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करने की बात कही है। इन चारों शासनकाल में सर्वसमाज के सभी वर्गों के हितों को पूरा ध्यान देने की बात कही है। इस बजट के पृष्ठ नं0-2 पर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कही गई है लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि मौजूदा सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों के उत्थान तथा समस्त क्षेत्रों में विकास का प्रयास किया जा रहा है यह बताया है। सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों सहित सभी वर्गों का कल्याण किये जाने की बात अपने इस भाषण में कही है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी क्या वर्तमान सरकार यह बताना चाहेगी कि गरीब मजदूर और किसान के बच्चों को अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी परसेन्टेज के आधार पर, बिना किसी सिफारिश के उनके एडमीशन किये जा रहे हैं।

मा0 मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहती हूं। अभी महिलाओं की बात आई क्या मौजूदा सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिये कोई ठोस उपाय उठाये हैं कोई ऐसी नीति बनाई है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, विकलांग महिलाओं को रोजगार जैसे कि सिलाई सेन्टर, अचार बनाने का सेन्टर, रेक्सीन के बैग बनाने के सेन्टर जैसे रोजगार मिल सके, यह मैं आपसे पूछना चाहती हूं। इस बजट के पेज-4 पर बताया गया है कि सफाई कर्मियों की 95 हजार 650 नियुक्ति की गई है। मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं कि जो सफाई कर्मियों की भर्ती की गई है, उसमें जो वास्तव में पात्र थे उन्हें भर्ती नहीं किया गया और जो अपात्र थे उन्हें भर्ती किया गया है। आप हमारी बात समझ रहे होंगे कि सफाई कर्मी में बाल्मीकि को रखा जाता है लेकिन इसमें दूसरे वर्ग के लोगों को रखा गया है जिससे इस वर्ग के लोगों को नुकसान हुआ है। यह दूसरे वर्ग के जो लोग हैं यह अपनी सैलरी के कुछ अंश से स्वीपर को रख लेते हैं और अन्ततः काम उसी वर्ग को कम पैसे पर करना पड़ रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, अभी हमने नियम-56 में लगाया था जिसे आपने स्वीकार किया था जिसमें शिक्षकों की भर्ती पारदर्शिता के साथ नहीं की गई है। अभी इस सरकार में बी0पी0एल0 धारकों की बात आई, मान्यवर, गरीब लोगों के लिये जो बी0पी0एल0 कार्ड बनते हैं उसमें संशोधन वर्ष 2002 में होना था। सरकार का कहना है कि उनको लाभ दिया जायेगा, मान्यवर, जब गरीब आदमी का बी0पी0एल0 कार्ड ही नहीं बना है तो उसको आप 300 रुपये का लाभ कैसे दे पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। इस बजट में सिंचाई की बात रखी गई है। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का किसान है, गेहूं का किसान है, धान का किसान है और उसको अपनी फसल को सींचने के लिये पानी की आवश्यकता होती है। नहरों की सफाई समय पर नहीं होती रोस्टर के अनुसार पानी नहीं छोड़ा जाता तो नहरों से सिंचाई का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। इस बजट में बाढ़ के लिये 5451 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बजट करोड़ों का है लेकिन अभी 2010 में जिला मुजफ्फरनगर के मोरना विधान सभा क्षेत्र में 35 गांवों में बाढ़ आई बाढ़ इतनी भयंकर थी कि लोगों का सौ का सौ प्रतिशत गन्ना खत्म हो गया धान खत्म हो गया लोगों के मकान गिर गये लेकिन आज तक उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया गया है। अभी आपने बात कही है अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल की और बहुत सारे स्मारक स्थल बनवाने की बात कही है। मान्यवर, आपने महापुरुषों को सम्मान देने के लिये स्मारक बनवाये हैं लेकिन हमारा जो गरीब दलित व किसान है जिसने यह सरकार बनाई है उसके पास इन स्मारकों को देखने के लिये, यहां तक पहुंचने के लिये पैसा नहीं है तो वह उनका लाभ कैसे उठा सकेंगे। कैसे देख सकेंगे, तो इन पैसो को आप गरीब किसानों के लिये, मजदूरों के लिये निःशुल्क शिक्षा दिलाते और रोजगार में इस पैसे को लगाते तो ज्यादा बेहतर होता।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आवास योजना का भी जिक्र किया गया है लेकिन क्या बिना बी0पी0एल0 के कार्डों के आप इन्दिरा आवास बनायेंगे ? ऐसा पिछली बार भी इसमें दिया था लेकिन जिला मुजफ्फरनगर के अन्दर तथा और भी अनेकों जिलों में पैसा वापस आया है और उनके बी0पी0एल0 कार्ड नहीं बनाये गये। जिनको लाभ मिलना चाहिये था उनको लाभ नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहती हूं कि यह जो सरकार नारा देती है कि यह दलितों की, पिछड़ों की और गरीबों की सरकार है तो यह गरीबों की नहीं पूंजीपतियों की सरकार है। कांशीराम शहरी आवास योजना लागू की है तो उसमें भी ऐसे पूंजीपति लोगों को, मेरे पास प्रूफ है, जिनके पास दुमंजिला मकान है, रंगीन टेलीविजन है और भी बहुत सारी सुविधायें हैं, उनको मकान दिये गये हैं परन्तु गरीब विधवा महिलाओं को मकान नहीं दिये गये।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्रीमती मिथिलेश पाल-

मान्यवर, यह सरकार किसानों की सरकार है। हमारा उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है लेकिन इसमें किसानों की कोई बात नहीं कही गई है। किसानों के लिये खाद बीज की कोई बात नहीं कही गई। मैं माननीय अध्यक्ष जी चाहती हूं कि सरकार कुछ ऐसे नियम बनाये जिससे छोटे-छोटे किसानों को समय पर बीज मिले, खाद मिले और वह ब्लैक न हो और आम जनता को इसका फायदा हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, आप हम सब पर दया करते हैं परन्तु मुझे आप पर दया आती है। क्योंकि इस सदन को व्यवस्थित रखने के लिये जो अनुशासनहीन लोग होते हैं उन्हें समय देना आपकी मजबूरी बन जाती है। इसलिये आत्मा से आप मेरा इतना सहयोग करते हैं कि जो जनहित के काम होते हैं उसे आप इशारे से ही निपटा देते हैं। इसलिये मैं आपका आभारी हूं। बोलने के बजाय आप हृदय से मेरे जनहित के काम करते हैं। ये नेता जाने किस चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं कि कभी एक आदमी एक साथ दो काम नहीं कर सकता है, हंसना और गाल फूलाना। मगर नेताओं में यह काम करने की क्षमता है। जब मंहगाई का मुद्दा आता है तो यहां से वहां तक विपक्ष एक हो जाता है। प्रदेश सरकार अपनी समस्या को टालने के लिये केन्द्र सरकार पर टाल देती है। सबने पलड़ा झाड़ लिया। जब समर्थन देने की बात आती है तो सपा और ब0स0पा0 सभी केन्द्र सरकार को समर्थन देते हैं, जब विक्रान्त की बात आती है तो प्रदेश सरकार टाल देती है कि हमें केन्द्र सरकार पैसा नहीं देती है। तो ये बहुत सी बातें हैं। मैं दो ही मिनट में आपके आदेश का अनुपालन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। अप्रशिक्षित मृतक आश्रित जो जूनियर हाईस्कूल में सहायता प्राप्त विद्यालय में लगे हुए हैं उन्हें 30-06-2004 को पूरा वेतन मिलने लगा और उक्त तारीख में जिनके दो दिन भी 5 साल में

कम से कम रह गये थे उन्हें आज तक 10 वर्ष पढ़ाते हुए हो गये, उन्हें शिक्षित मानते हुए अब तक पूर्ण वेतन नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु इसलिये है कि मृतक आश्रित के कोटे में उनकी नियुक्ति की गई और अभी तक उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा है तो उनका परिवार कैसे पले ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मेरे क्षेत्र की कुछ व्यक्तिगत समस्यायें हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि डेढ़ मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूं। जो मैं लिखित रूप में दे रहा हूं उसको इसके साथ सम्बद्ध करते हुए इसका कार्यवाही में समायोजन करा दें।

श्री कुबेर सिंह-

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि समय से पहले मैंने अपनी बात समाप्त कर दी। माननीय अध्यक्ष जी मैं कुछ लाइनें आपके पास भिजवा रहा हूं अनुरोध है कि इसे भाषण में सम्मिलित कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इन लाइनों को सम्मिलित कर लिया जायगा।

श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2011-12 के सामान्य बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिये आपका आभारी हूं। मैं अपने भाषण में अपने क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं को आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए माननीय वित्त मंत्री जी से निम्न समस्याओं का निराकरण कराने की कृपा करेंगे :-

जनपद एटा के जलेसर विकास खण्ड आवागढ़ में गांव मोहनपुर मजरा अवागढ़ देहात में कट्टी घर खोला जाना प्रस्तावित है। मेरा अनुरोध है कि उक्त कट्टी घर को स्थापित न कराये जाने के निर्देश पीठ से आ जायेगी तो क्षेत्र की जनता में एक अच्छा संदेश जायेगा और कट्टी घर के विरोध में आये दिन आन्दोलन चल रहे हैं जिससे किसी भी दिन शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। जनपद एटा के जलेसर तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किये जाने एवं न्यायालय के शीघ्र सुचारु रूप से कार्य कराये जाने हेतु अविलम्ब बजट प्राविधान किया जाना आवश्यक है, जो जनहित में होगा।

जनपद एटा के जर्जर मार्ग क्रमशः जलेसर-आगरा मार्ग, जलेसर-एटा वाया निधौली मार्ग, जलेसर-फिरोजाबाद मार्ग, जलेसर-अलीगढ़ मार्ग की मरम्मत एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही कराई जाये। जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जलेसर-सिकन्दराराऊ मार्ग से गांव पिलखतरा व जिनावली मिर्जापुर मार्ग से नगला खड़ी गांव तक, मनीगढ़ी, मजरा शाहनगर, टिमरुआ मार्ग, कल्याणपुर मजरा जिनावली मार्ग, रेजुआ से बढ़ावली तक मार्ग नरौरा से खेड़िया सुरजी मार्ग मिर्जापुर से जगतपुर मार्ग दोषपुर से जलूखेड़ा मार्ग ध्वस्त मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है। जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सभा करथनी हसन अलीपुर (बसई), बहादुरपुर कासमपुर, जलेसर देहात, समसपुर, बढ़नपुर, सोनामई, गनेशपुर, पिलखतरा, सकरां, पटना, शाहनगर,

टिमरुआ, भ्याऊ, मुडसमा, बोराकला, जलूखेड़ा, भुड़ई, प्रह्लादनगर, जिनावली, अन्निया, हसनगढ़, मोहम्मदपुर गहरवार, खैसरा, सहालवानपुर, लोहचा, वीरनगर, लोदीपुर, खेड़ा, नूह, गोपालपुर, सकरौली, महापुर, रजानगर तथा नीमखेड़ा चिरावली ग्रामों में एक-एक पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना दिनांक 09-02-2011 को स्वीकृत हुई है। मेरा आग्रह है कि जनहित में पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए आने वाली गर्मी से पूर्व टंकियों के निर्माण हेतु बजट स्वीकृत कराने की कृपा करें।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर में ग्राम मिर्जापुर व उदयपुर के बीच, नगला अतिया व जगतपुर के बीच व भरकना के पास एक-एक नलकूप लगाये जाने के साथ-साथ नगला खिल्ली, वि0खं0 निधौली कलां को रि-बोर कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना दिनांक 14-02-2011 को स्वीकृत हुई है, मेरा आग्रह है कि मा0 सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री जी को बजट निर्गत कर इसी वर्ष सरकारी नलकूप प्रारम्भ कराने की कृपा करें।

जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र में बिल सुधार कराकर विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में, (ताज ट्रिपेजियम के अन्तर्गत)

जनपद एटा के आगरा-बरेली मार्ग वाया जलेसर व सिकन्दराराऊ को राजमार्ग घोषित किये जाने के साथ ही रोडवेज का डिपो बनवाये जाने के सम्बन्ध में, एटा टूण्डला रेल मार्ग को कासगंज तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रजानगर उर्फ रज्जनपुर गांव को टी0टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु टंकी निर्माण के सम्बन्ध में है। जनपद एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शनिदेव मंदिर/बड़े मियां की मजार जलेसर जनपद एटा के चढ़ावे को प्रशासक नियुक्त कर सरकारी कोष में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में, जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के गांव मनीगढ़ी मजरा शाहनगर टिमरुआ व कल्याणपुर मजरा जिनावली की सड़कों पर बड़ी गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है उन्हें पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, जनावली मिर्जापुर मार्ग से वाया नगला खड़ी गांव कुवेरपुर वि0खं0 अवागढ़, जनपद एटा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, जलेसर से देवकरनपुर मार्ग जो पूर्णतयः ध्वस्त है, को इसी बजट में सम्मिलित कराते हुए सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने की कृपा करें।

किसानों को आवश्यकतानुसार यूरिया व अन्य खाद, पानी व बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने, एवं खादों का अभाव व कालाबाजारी समाप्त करने के सम्बन्ध में, पर्याप्त संख्या में धान खरीद केन्द्र प्रदेश में खोले जाने एवं किसानों को धान खरीद माफिया व बिचौलियों से बचाने के सम्बन्ध में, प्रदेश में कानून का शासन लागू करने तथा ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने के लिये कोई सार्थक कार्य योजना के सम्बन्ध में पूर्व वर्षों का गन्ना भुगतान कराये जाने तथा मिलों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के सम्बन्ध में, प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों की स्थिति को सुधारने तथा पूरी क्षमता से पानी व बिजली दिये

जाने के सम्बन्ध में, किसानों को धान का मूल्य न दिला पाने एवं बिचौलियों की लूट खसोट से किसानों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के नागरिक सुरक्षा कोर की बहाली को सुधारने के सम्बन्ध में,

रामश्री बेवा भजनलाल व बुद्धो देवी बेवा नत्थू निवासी मोहम्मदपुर मजरा शहवाजपुर, वि0खं0 निधौली कला, तहसील जलेसर, एटा, बी0पी0एल0 कार्ड धारक है, को आवास व पेंशन दिलाया जाना आवश्यक है।

गांव के बीच से जल निकासी हेतु ग्राम मकसूदपुर तथा ग्राम पोण्डरी में पक्का नाला एवं पुलिया का निर्माण कराने के सम्बन्ध में तथा जनपद एटा के ग्राम नगला खिल्ली व खेडानू में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में।

*श्री श्यामकिशोर शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी कृपा के लिये धन्यवाद कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी यह बजट कपोल कल्पित और लोक लुभावन बजट है। मैं समझता हूं कि इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सत्य हो। सारी चीजें सत्य से परे हैं। मैं कुछ बिन्दुओं पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ और पुराने लखनऊ में लगभग 3.50 लाख जरदोजी कारीगर है इन कारीगरों की स्थितियां बहुत दयनीय हैं जिनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बजट में ऐसा प्राविधान हो कि जो जरदोजी कारीगर हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बी0पी0एल0 कार्ड और इनका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। मैं आपका ध्यान लखनऊ के विकास की तरफ जो बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं गोमती नगर का सौन्दर्यीकरण हो रहा है, अपना जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है निश्चित रूप से हजरतगंज का सौन्दर्यीकरण हो रहा है इसका मैं स्वागत करता हूं कि स्वागत के साथ-साथ इस तरफ भी ले जाना चाहता हूं जहां लखनऊ में ऐसे भी मुहल्ले हैं, ऐसे भी वार्ड हैं जहां आज भी सड़कों का अता-पता नहीं है। राजधानी की मैं बात कर रहा हूं आज वहां बिजली के तार बांस पर लगे हुए हैं बांसों पर कनेक्शन दे दिया गया है। सड़कों का बुरा हाल है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हम हजरतगंज को सुन्दर बना रहे हैं हम गोमती नदी को सुन्दर बना रहे हैं। गोमती नदी के किनारे एक से एक बल्ब जल रहे हैं। लालबाग की बात हो रही थी। लालबाग को सुन्दर बनाने की कोशिश की जा रही है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ में जल निगम और जल संस्थान के माध्यम से जो इण्डिया मार्ग टू हैण्ड पम्प लगाए गए थे वह सारे के सारे बेकार पड़े हैं। निष्प्रभावी पड़े हैं और उधर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई की गम्भीर अव्यवस्था है। अगर नगर निगम से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि सफाई कर्मियों की कमी है अब नगर निगम और सरकार के बीच में लखनऊ नगर सफर कर रहा है। मैं अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहता उनसे फोन पर बात करो तो सीधे उपलब्ध नहीं होते हैं नगर निगम मिलने के लिए जाओ तो वहां उपलब्ध नहीं हैं वह कहां काम कर रहे हैं यह मुझे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पता नहीं है। पुराने लखनऊ की स्थिति नालों की स्थिति बहुत खराब है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर नाले हैं वहां रिटेनिंग वाल और पुलियों पर दीवार न होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं मार्ग पर पानी भरने से पुल गुलाम हुसेन आदि में विद्युत ट्रांसफार्मर के नीचे पानी आ जाने से करन्ट का खतरा रहता है और दुर्घटनाएं भी होती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2010-11 में लखनऊ नगर के अधिकांश वार्डों में डेंगू, मलेरिया व मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप फैला था उसमें अनेक बार नगर निगम को निवेदन किया गया लेकिन वहां से कोई कार्यवाही नहीं हुई अनेक स्थानों में विद्युत पोल के बारे में निवेदन किया कि वहां बांस पर तार लगे हैं जिससे किसी समय कोई दुर्घटना हो सकती है यह राजधानी लखनऊ की बात मैं कर रहा हूं। कोई देहात इलाके के बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी एक साहब सन्तों महात्माओं की बात कर रहे थे मैं सन्तों महात्माओं का सम्मान करता हूं चाहे वह आपके हों या हमारे मैं सबका सम्मान करता हूं। लेकिन आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर आज हजरतगंज का सौन्दर्यीकरण हो रहा है, गोमतीनगर का सौन्दर्यीकरण हो रहा है, वहां पर हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो स्थल हैं वहां पर क्या हो रहा है ? उस तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं हो रहा है ? क्या आजादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं था ? अगर आजादी की लड़ाई में उनका योगदान था तो उन शहीदों के परिवारों को और स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी जो हमारे बीच में जीवित हैं, जिनको मैं नमन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री श्याम किशोर शुक्ला-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उन जगहों पर भी जो जहां पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का चाहे वह जी0पी0ओ0 का हो या काकोरी का हो, ऐसे स्थानों पर भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सुरेश्वर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट 2011-2012 की साधारण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्यों ने जो बातें रखी हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। बार-बार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा इस सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है लेकिन वह नारा फलीभूत नहीं हो रहा है। वह नारा तब फलीभूत होगा जब हिन्दू मुस्लिम सिक्ख ईसाई सब मिल जुलकर भाई चारा स्थापित करेंगें। लेकिन इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। कोई संस्कृत पढ़ रहा है, कोई उर्दू पढ़ रहा है, कोई मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कोई इसाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। जब बेसिक शिक्षा ही हमारी अलग-अलग होगी तो भाईचारा कैसे कायम होगा। हमारी राय में बेसिक शिक्षा के लिये सबको मिल जुलकर बैठकर के एक कमेटी बनाकर बेसिक शिक्षा अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से, जिन लोगों ने देश को आजाद कराने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, बलिदान किया है। आपके पीछे लगी हुई फोटो, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस,

सरदार भगत सिंह, अश्फाक उल्लाह खां, विवेकानन्द जी, वीर शिवाजी, ऐसे महापुरूषों के पाठ-पढाये जायं, राष्ट्रभक्ति बताई जाय। जब बेसिक शिक्षा इस प्रकार की होगी तब ही हम हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई की बात और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करना हमारे लिये हितकर होगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने चार पंक्तियां लिखी हैं, कि

भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं,
वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

हमको इन चार पंक्तियों के ऊपर बेसिक शिक्षा का ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। बेसिक शिक्षा पर अभी सुबह प्रश्न आया था। बता रहे थे कि हमारी बेसिक शिक्षा बड़ी बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है। एक ही विद्यालय में शिक्षा मित्र को 3500 सौ रुपया दिया जा रहा है और वहीं एक अध्यापक को 30 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। शिक्षा मित्र कहता है कि अध्यापक को 30 हजार रुपये दिया जा रहा है अगर 30 हजार रुपये वाला नहीं पढ़ा रहा है तो मैं क्यों पढ़ाऊं ? इस पर भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। इस पर भी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अभी इसमें दिया हुआ है क्षेत्रीय असन्तुलन और आर्थिक असमानताओं को दूर करने का। लेकिन आपके बजट भाषण में यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है कि, इसमें आशानुरूप सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है, पैकेज देने में। केन्द्र सरकार ने पैकेज नहीं दिया लेकिन अभी बात हो रही थी गोमतीनगर से ले करके तेलीबाग तक के जितना पैसा चाहे किसी पार्क पर कब्जा रहा हो, चाहे गन्ना कमिश्नर का कार्यालय रहा हो। मान्यवर, आपके भी आवास को उसी में सम्मिलित करके पूरे लखनऊ में पत्थरों को लगा दिया गया। क्या केन्द्र सरकार ने उसको काम करने की इजाजत दी थी ? इतने हजार करोड़ रुपये खर्च करने की इजाजत दी थी ? आप कैसे आर्थिक समानता को लाने का प्रयास करेंगें। आपने खुद, आपकी सरकार ने असमानता को दूर करने का कोई काम नहीं किया। सावित्रीबाई फुले योजना का आपने बड़े जोर-शोर से जिक्र किया है, लेकिन जब फाइल वहां पहुंचती है तो बिना रुपया लिये क्योंकि मांग ज्यादा है, बजट कम जाता है, चाहे वह शादी विवाह का पैसा हो, चाहे वह बीमारी के लिये पैसा हो, चाहे सावित्री बाई फुले का शिक्षा योजना का पैसा हो बिना पैसा लिये कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ती है यह मेरा आरोप है। आपने अपने बजट भाषण में 2007 से कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित करने की बात कही है। मान्यवर, मैं आपकी पीठ से दिये गये निर्देश का जिक्र करना चाहता हूं पिछले सत्र में मेरा घर बार-बार जलाया गया। मैंने यहीं से कहा था कि मेरे घर पर जो गारद लगी हुई है या तो उसको वापस कर लिया जाए। सरकार अगर मानती है हमको खतरा नहीं है, तो गारद वापस कर ली जाए लेकिन आज तक न तो हमारी गारद वापस की गई और न मुझे सुरक्षा प्रदान की गई। इस तरह से कानून से कानून का राज चलाया जा रहा है। चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा, सिंचाई विभाग में 1975 में सरयू परियोजना चालू हुई थी। 1975 से लेकर अब तक प्रथम चरण का कार्य पूरा नहीं हो सका है मान्यवर, केवल सरयू परियोजना के प्रथम चरण के कार्य को पूरा करने के लिये 44 सौ करोड़ की व्यवस्था की गई। 2013-2014 में इसको पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया है। राप्ती लिंक चैनल की मुख्य लाइन में हजारों एकड़ की जमीन खरीदकर ऐसी

ही पड़ी हुई है। अगर वह जमीन काश्तकारों के पास होती तो उसका सदुपयोग काश्तकार करते। आठ-दस साल में वह जमीनें खरीदकर पड़ी हुई हैं, अगर काश्तकार उस जमीन का सदुपयोग करते तो हो सकता है हमको कुछ राजस्व का लाभ होता। हमारा इसी तरह से केरछा-बहरौली बांध है पिछले सत्र में हमने प्रश्न लगाया था कि नदी छः सात सौ मीटर दूर बह रही है, इस पर स्पर बनाने की आवश्यकता है, लेकिन जवाब आया कि एक किलोमीटर की दूरी पर नदी है आज यह स्थिति हो गई है घाघरा के किनारे जो पुल बना है वह बांध को छूते हुए नदी निकल रही है। जहां हमने प्रश्न लगाया था वहां चार सौ मीटर दूरी पर नदी बह रही है। अगर बाढ़ से पहले इसकी व्यवस्था नहीं की गई तो बांध कट जाने से कम से कम पचास हजार आबादी का नुकसान होगा। बाकी बातें विभागीय बजट जब प्रस्तुत होगा तो कहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मान्यवर, अनुदानित शिक्षक महाविद्यालय में एक ही महाविद्यालय में एक अध्यापक को 80 हजार रुपये मिल रहा है और इसी तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों को तीन हजार और चार हजार वेतन मिल रहा है। 7 फरवरी से लोक क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने आज तक जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि कोई अधिकारी वहां जाकर उनसे बात कर लें। जबकि 8 फरवरी, 2008 में उच्च शिक्षा मंत्री श्री राकेश धर त्रिपाठी ने आश्वासन दिया था कि विनियमितीकरण कर दिया जायगा। लेकिन अब तक उनका विनियमितीकरण नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री सुरेश्वर सिंह-

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री माधव पासवान-

मान्यवर, आपने मुझे 2011-12 पर जो बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचना देना चाहता हूं इसमें जितने बजट आये हैं इसमें नौजवान जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिये कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि जो जॉब कार्ड मनरेगा के माध्यम से चलाया जा रहा है उसमें बहुत धांधली हो रही है। उसको ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों का नाम उसमें भरा जा रहा है जो घर बैठे रहते हैं उनकी हाजिरी 120 रुपये की भर दी जाती है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा है। मान्यवर, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं जो जॉब कार्ड है और एक लाल कार्ड बना है, बी0पी0एल0 कार्ड, उसमें भी आप जांच कराकर संशोधन करा लें। वह कार्ड सही ढंग से गरीबों को नहीं मिल रहे हैं और उसमें बहुत धांधली हो रही है। मैं बताना चाहता हूं हमारे विधान सभा क्षेत्र में

2007 में जब चुनाव हुआ तो जिस दिन सरकार बनी थी, चुनाव खत्म हुआ था, उसी दिन मान्यवर, आंधी आई थी। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, सूचना दे रहा हूं, उस आंधी में जो पोल गिरे, आज तक उन गांवों में पोल नहीं लग पाये। अनुसूचित जाति के गांवों के पोल टूटे हुए हैं और लकड़ी के पोल वहां आज भी लगे हुए हैं, बांस पर तार टांग करके लोग काम चला रहे हैं। मान्यवर, बरसात के महीने में एक तार गिर गया था, एक गरीब का लड़का लोटा लेकर खेत की तरफ जा रहा था, वह समझ नहीं पाया कि तार गिरा हुआ है, उसका पैर उसमें फंस गया, वहीं पर वह गिरकर मर गया। हम यह नहीं कहते हैं कि सरकार की इसमें कोताही है, उसमें कहीं कर्मचारी/अधिकारी की कोताही हो सकती है, मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं, पिछला सत्र जब चल रहा था, मैंने आपके माध्यम से कहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक दोआबा क्षेत्र है जो 52-56 गांव होते हैं, रेगुलेटर की मांग मैंने किया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पी0डब्लू0डी0 मंत्री उस समय बैठे थे, उन्होंने कहा था कि बन जायेगा, आपने बैठने का आदेश दिया, मैं भी बैठ गया लेकिन मान्यवर, अब तक वह नहीं बन पाया है। आज भी हजारों एकड़ खेती उसी तरह पड़ी हुई है।

मान्यवर, वहां एक गोहाबार घाट है, वहां पर एक पुल का निर्माण हो रहा है लेकिन उसका निर्माण रुक गया है। मैं 20 दिन पहले गया था कि देखें क्या उसकी गति है ताकि मैं सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित कर सकूं। लेकिन तीन किलोमीटर पहले से ही वहां जाने के लिये कोई जगह नहीं थी कि उस पुल तक मैं जा सकूं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करा दें कि उस पुल का निर्माण शुरू हो जाए। मान्यवर, उसी की बगल में एक सोहगउआ घाट है, वह भी सालों से पड़ा हुआ है। अभी एक सदस्य कह रहे थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिल्कुल चकाचक है लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार बनती है तो सबकी सरकार बनती है, चाहे इधर बैठते हों, चाहे उधर बैठते हों लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शायद सरकार एक आंख से देखती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार दोनों आंखों से देखें। हम लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, मान्यवर, हम आपके ही सदस्य है, हम तो नये जीत कर आए हैं, अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, इसलिये हमने सारी बात बता दिया। मान्यवर, जो बी0पी0एल0 कार्ड है और जॉब कार्ड है, उसकी ठीक से जांच करा लें, आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, चाहे भारत सरकार पैसा देती हो, चाहे आपकी सरकार पैसा देती हो, प्रदेश सरकार आप चलाते हैं, केन्द्र सरकार कांग्रेस चलाती है, मैं तो सदस्य हूं लेकिन आप दोनों के बीच में अगर आपका पैसा कहीं पानी में डाला जाता है तो मैं आपको सूचना देता हूं और मान्यवर, मैं चाहूंगा कि पी0डब्लू0डी0 मंत्री जी कह दें कि मैं उस रेगुलेटर का काम करवा दूंगा। मान्यवर मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से वह रेगुलेटर बन जाए, साल भर रह गया है, एक कहने की बात हो जाए कि माधव पासवान, विधायक रहे, अनुसूचित समाज के तो कम से कम एक पुल बनवा दिया।

मान्यवर, एक चीज और बताना चाहता हूं, हमारी विधान सभा में आप भी अक्सर उधर से आते-जाते रहते हैं, माननीय खनन मंत्री जी भी उधर से आते-जाते रहते हैं, गोरखपुर से देवरिया के

बीच में चौरी-चौरा एक शहीद स्थली है तो चौरी-चौरा काण्ड हुआ था, ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन वहां आज भी कोई गेस्ट हाउस नहीं है, कभी राज्यपाल का दौरा हो जाता है, कभी किसी मंत्री का दौरा हो जाता है, उन शहीदों को माला पहनाने के लिये। मान्यवर, 56 किलोमीटर के अन्दर कोई गेस्ट हाउस नहीं है तो मैं चाहूंगा कि एक गेस्ट हाउस वहां बनाया जाए और जिस रेगुलेटर का मैंने जिक्र किया है, उस रेगुलेटर को लगवाने का काम करें। इसी के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद।

श्री अशोक कंसल-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने वर्ष 2011-2012 के बजट की आम चर्चा में अपनी बात कहने का मुझे अवसर दिया, मैं आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए अपनी बात को कहता हूं। मान्यवर, किसी प्रदेश की खुशहाली वहां की कानून-व्यवस्था पर निर्भर करती है और मान्यवर, पहली सरकार ने नारा दिया था, उत्तम प्रदेश बनाने का लेकिन उत्तम प्रदेश तो नहीं बन पाया और वर्तमान सरकार ने 'अन्याय मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त और विकास मुक्त' का नारा दिया। तो मुझे लगता है कि जहां युक्त लिखना था, वहां मुक्त लिख दिया गया, जहां मुक्त लिखना था वहां युक्त लिख दिया गया क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति जितनी खराब इस प्रदेश की है कि आज इस प्रदेश की 5 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। बीस-बाइस साल की युवती सुरक्षित नहीं है और तो और 65-70 वर्ष की वृद्ध महिला भी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश के अन्दर। तो यह कैसी सुदृढ़ कानून व्यवस्था की बात कहने वाली यह सरकार है, कहां तक खरी उतर रही है इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है मान्यवर। आज अगर किसान अपने खेत में पानी चलाने के लिये जाता है तो मान्यवर, रात्रि में वह पानी चलाने में भी समर्थ नहीं है क्योंकि वहां भी गुण्डागर्दी इस प्रकार से बढ़ी हुई है। अगर व्यापारी अपनी दुकान से बैंक तक पैसा जमा करने जाता है तो वह सुरक्षित नहीं है तो मान्यवर, फिर कैसा भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार, मुझे लगता है कि यह नारा बिल्कुल थोथा है और मान्यवर, किसानों की चर्चा करने वाली सरकार बिल्कुल किसान विरोधी है क्यों कि पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से गुजरता है।

मान्यवर, आज किसानों को समय पर बीज की उपलब्धता नहीं, खाद की उपलब्धता नहीं और सिंचाई करने जाये तो नहरों में टेल तक कोई पानी नहीं। बिजली की व्यवस्था इनके लिये बिल्कुल जीरो है। यदि आज की स्थिति उठा करके देखें तो 2-3 घण्टे से ज्यादा बिजली शायद ही किसान को मिल रही हो। मान्यवर, वहां की सड़कें जो सम्पर्क मार्ग है, उनकी स्थिति भी बड़ी भयावह है और मान्यवर, मा0 बिजली मंत्री जी बैठे हैं अभी पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर के अन्दर रेड करने का काम किया और रेड में लगभग 100 करोड़ रुपये की चोरी मा0 मंत्री जी के द्वारा वहां पकड़ी गई। मान्यवर, उसमें जो अधिकारी लिप्त थे मेरे हिसाब से उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और जो उसमें उद्योगपति पकड़ा गया था उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की। जिन उद्योगपतियों को क्लीन चिट दे दिया गया है उनके प्रति जरूर 80 करोड़ रुपये की एक तरह से असेसमेण्ट करके उनको भेज दिया गया था। जो सरासर गलत है। तो मान्यवर इस बात को भी देखने की जरूरत है और मान्यवर, जहां

तक ऊर्जा की बात की जाय। अभी एंकर कम्पनी के द्वारा मीटर लगाये गये थे और मीटरों में सभी में 4096 की जैसे ही रीडिंग आयी तो वे सब बन्द हो गये। लेकिन उसका चार्ज उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है जो सरासर उन उपभोक्ता का आर्थिक शोषण है लेकिन कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाय। और मान्यवर, जब से उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश अलग हुए हैं तो हरिद्वार उत्तराखण्ड में जाने के बाद हमारे जनपद में पड़ने वाला शुक्रताल जो बड़ा ही पौराणिक और द्वापर और कलियुग के संधिकाल का पौराणिक स्थल है, उसको मुख्य पर्यटक स्थलों से जोड़ने का काम अगर सरकार के द्वारा किया जाय तो वहां की जो विकास की स्थिति है, वह ठीक हो सकती है। मान्यवर, पिछली सरकार के द्वारा मेरे क्षेत्र में पड़ने वाला मोलाहीडे गांव पड़ता है, उसमें एक नाबार्ड के द्वारा एक पुल काली नदी पर बनने का प्रस्ताव था और उसको स्वीकृति दी गई थी। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, 4 वर्ष लगभग पूर्ण होने जा रहे है, अभी तक उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है और मा0 अध्यक्ष जी, आपको अभी सत्तापक्ष के अपने एक विधायक जी कह रहे थे कि उन्होंने 400 कि0मी0 की दूरी लगभग 2 घण्टे में तय की जानी बताई थी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कौन सा रोड प्लेन उनको दे दिया कि 400 कि0मी0 की दूरी की पूर्ति इतने कम समय में हो रही है। मैं अपने जनपद की बात करना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर मुख्यालय को जोड़ने के लिये क्योंकि वहीं सब सीनियर अधिकारी बैठते हैं, सभी दफ्तर है, कचहरी है, वहां पर डेली आवागमन जनता का रहता है। मान्यवर, अगर एक भी सड़क की हालत, 30 किलोमीटर से लेकर के मैक्सिमम 60 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। मुजफ्फरनगर से शामली चले जाइये। शामली से काधला, काधला से बुढाना या मुजफ्फरनगर से सहारनपुर रोड आप चले जाए, जिसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूं कि 3-3 घण्टे में रास्ता तय किया जाता है। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की भी स्थिति देखने की जरूरत है और उसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों की जो स्थितियां हैं मान्यवर, बड़ी ही खराब है, दयनीय है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाईस्कूल तक विद्यालय है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिये कहीं न कहीं चाहे वह मुजफ्फरनगर जाएं या सहारनपुर जाएं। उनके सम्पर्क मार्गों की भी स्थिति बहुत खराब है। भोपा रोड से मुखियाली से चांदपुर, सोपा रोड से चांदपुर, चांदपुर से तिगरी, जटमुझेडा मेरठ रोड पर पड़ने वाला स्थान है जड़ोदा, जड़ोदा से लछेड़ा, मुलाहेडी बाई पास से बहलना सभी सम्पर्क मार्गों की स्थिति बड़ी भयावह है। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। मा0 अध्यक्ष जी, गरीबों की बात करने वाली, दलितों की बात करने वाली सरकार से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बी0पी0एल0 कार्ड, अन्त्योदय कार्ड, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ कुछ ही पात्रों को मिल रहा है जो कि सभी पात्रों को मिलना चाहिये उसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 15 फरवरी, 2011 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 45 सूचनायें प्राप्त हुई :-

निम्नलिखित सूचनायें वक्तव्य के लिये स्वीकृत की जाती हैं।

1-श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश के बी0एड0 डिग्री धारक बेरोजगारों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, 2-श्री हुकुम सिंह की पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर सामली के निकट पूर्वी जमुना नहर पर बने क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में तथा 3-श्री प्रदीप माथुर की मथुरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुये राजस्थान बार्डर तक दानघाटी बाई पास होते हुये चार लेन सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाओं को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

1-श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद स्थित विल्वहरि घाट से दिलासीगंज तक बन्धे का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, 2-श्री रामसागर अकेला की बलरामपुर उतरौला मार्ग पर परिवहन निगम की बसों को श्रीदत्तगंज बाजार से होकर संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, 3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ सिंचाई खण्ड-51, व सुल्तानपुर सिंचाई खण्ड-36 से नहरों में पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा 4-श्री उदयभान करवरिया की इलाहाबाद के ग्राम कनिहार परगना झूंसी में चकबन्दी अधिकारियों के द्वारा गलत भू-चित्र को ठीक कराये के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :-

1-श्री बाला प्रसाद अवस्थी की लखीमपुर खीरी के ग्राम रामपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, 2-श्री डी0पी0 यादव की बदायूं के सहसवान विधान सभा क्षेत्र को डार्क क्षेत्र से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, 3-श्री विश्वनाथ की कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को दिये जाने वाले गेहूं, चावल की भारी मात्रा में तस्करी कर बिहार व नेपाल भेजे जाने के सम्बन्ध में है, 4-श्री राधेश्याम गुप्ता की फतेहपुर के विकास खण्ड हस्वा में पीने के पानी के संकट को देखते हुए नलकूप व हेड टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में है, 5-डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान पर स्मारक बनाये जाने के सम्बन्ध में है, 6-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की लखनऊ स्थित जुबली गर्ल्स डिग्री कॉलेज एवं बी0एस0एन0वी0 डिग्री कॉलेज को जाने वाले मार्ग पर जल निकासी व क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, 7-श्री प्रजापालन की जनपद काशीराम नगर स्थित काशगंज में किसानों की भूमि का अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में है, 8-श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर की भोपा रोड से चांदपुर गांव तक जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा 9-डॉ0 आर0ए0 उस्मानी लखीमपुर खीरी स्थित ग्राम निधासन में स्वीकृत पावर स्टेशन का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री विद्यासागर गुप्ता

2-श्री काशीराम

3-श्री सुखलाल

4-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल

5-श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी

6-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

7-श्री कुबेर सिंह

8-श्री पंकज कुमार मलिक

9-श्री राम बिशुन आजाद

10-श्री जावेद अंसारी

11-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा

12-श्री रिजाज अहमद

13-डॉ0 अनिल चौधरी

14-श्री पूरन प्रकाश

15-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी

16-श्री राजाराम त्यागी

17-श्री निर्मल वर्मा

18-श्री लालजी यादव

19-श्री राम प्रकाश यादव

20-श्री महेश चन्द्र गुप्ता

21-श्री अनूप सण्डा

22-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल

23-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल

24-श्री सुरेश्वर सिंह

25-श्री अरविन्द सिंह यादव

26-श्री सुरेश कुमार खन्ना

27-श्रीमती मिथलेश पाल

28-श्री शम्भू चौधरी

29-श्रीमती कृष्णा राज

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के बन्द होने के उपरान्त उसके कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अपट्रान इण्डिया लि0 की स्थापना वर्ष 1979 में उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 की सहायक इकाई के रूप में हुई थी .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

[अपट्रान इण्डिया लि0 इलेक्ट्रानिक क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों यथा टी0बी0, इन्टरकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, वायरलेस सेट तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर व साफ्टवेयर के उत्पादन एवं बिक्री तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि कार्य सम्पादित करती थी। कम्पनी वित्तीय वर्ष-1987-88 तक लाभ में थी, परन्तु वित्तीय वर्ष-88-89 से हानिप्रद इकाई के रूप में परिवर्तित हो गई है तथा दिनांक 20-06-1994 को अपट्रान को बी0आई0एफ0आर0 को सन्दर्भित कर दिया गया।

2-मा0 मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 01-12-1998 में अपट्रान इण्डिया लि0 के कन्सलटेन्सी डिवीजन को छोड़कर शेष सभी डिवीजनों को बन्द किये जाने तथ छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन आदि के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा व्यापक नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। मा0 मंत्रि-परिषद् के उक्त निर्णय दिनांक 01-12-98 के सन्दर्भ में दिनांक 04-01-99 को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि अपट्रान कर्मियों को संविदा के आधार पर प्रशासकीय विभागों/प्रतिष्ठानों में तैनात किया जाय। इस सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1/6/97-का-4-1998, दिनांक 11-11-98 में यह निर्णय लिया गया है कि निगमों के सरप्लस स्टाफ को सरकारी विभागों में संविदा के आधार पर नियत वेतन के रूप में एक निश्चित अवधि के लिये तैनात किया जाय।

3-अपट्रान इण्डिया लि0 के कार्मिक जो विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निगमों आदि में संविदा/प्रतिनियुक्ति/बाडीशापिंग के आधार पर तैनात हैं, उनको उन्हीं विभागों में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में समायोजन की कार्यवाही प्रचलन में है। सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार समायोजन की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद खीरी के ग्राम उकरमुंहा के पूर्व ग्राम प्रधान को गिरफ्तार करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य, वित्त चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 09-02-11 को दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया था.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[कि विकास खण्ड पसगवां की ग्राम पंचायत उकरमुंहा के प्रधान श्री शान्ति स्वरूप मिश्रा अपने रिश्तेदार की खेती की देखभाल कर रहे थे। इसकी असली हकदार श्रीमती गमला देवी द्वारा मुकदमा जीत जाने के बावजूद विपक्षी राम प्रताप को पुलिस चौकी ने फसल काटने की अनुमति दे दी और जब वे कोर्ट के आदेश के अनुरूप फसल काटने गये थे तब स्थानीय पुलिस चौकी के उप निरीक्षक द्वारा उनके बेटों सहित पकड़ लिया गया और अवैध असलहा तथा कारतूस के साथ मुठभेड़ दिखा कर जेल भेज दिया।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, खीरी से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद खीरी के थाना पसगवां पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दिनांक 12-12-10 को वादी श्री राम प्रताप मिश्र पुत्र मनीराम मिश्र निवासी ग्राम भोगीपुर सेवाराम थाना पसगवां द्वारा थाना पसगवां पर यह सूचना दी गयी कि विपक्षीगण शान्तिस्वरूप पुत्र रामचन्द्र, अखिलेश, रोहित पुत्रगण शान्तिस्वरूप निवासीगण भोगीपुर सेवाराम थाना पसगवां जनपद खीरी, दरबारी पुत्र श्री कृश्ण ग्राम कुंवरपुर थाना पिहानी जनपद हरदोई तथा श्रीमती गमला देवी पत्नी राम प्रकाश नि0 अब्दुल्ला नगर थाना पिहानी जनपद हरदोई उसकी भूमि पर जबरन कब्जा करने की नीयत से अवैध असलहों के साथ आये और उनके द्वारा मारपीट की गयी। इस सम्बन्ध में श्री राम प्रताप मिश्र द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर के आधार पर उक्त विपक्षीगण के विरुद्ध मु0अ0स0-2607/2010 धारा-147/148/149/307/504/ 506/323, भा0द0वि0 का अभियोग दिनांक 12-12-10 को पंजीकृत किया गया, उसी दिन विवेचक व थानाध्यक्ष पसगवां मय पुलिस बल के रवाना होकर घटनास्थल पर पहुंचे। विवेचना के दौरान दिनांक 13-12-2010 को सुबह 5.00 बजे अभियुक्तों की पुलिस से मुठभेड़ हुई तथा अभियुक्तों द्वारा पुलिसबल पर फायरिंग की गयी। मौके पर गिरफ्तार अभियुक्तगण शांति स्वरूप पुत्र रामचन्द्र के पास से एक देशी एसबीबीएल गन एक जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त अखिलेश पुत्र शान्तिस्वरूप के पास से एक अदद देशी रायफल व एक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त रोहित के पास से एक एसबीबीएल गन पौनी देशी, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस 12 बोर व एक तमंचा 315 बोर, व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना पसगवां पर दिनांक 13-12-2010 को मु0अ0स0-2609/10 धारा-147/148/149/307 भा0दं0वि0 वादी श्री रवि कुमार श्रीवास्तव थानाध्यक्ष पसगवां द्वारा अभियुक्त शान्ति स्वरूप अखिलेश व रोहित तथा फूलचन्द पुत्र होरी लाल निवासी रेगाई थाना पिहानी जनपद हरदोई के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया व देशी असलहों की बरामदगी के आधार पर थानाध्यक्ष पसगवां द्वारा मु0अ0स0-2610/10 धारा-3/25 आर्म्स ऐक्ट बनाम शान्ति स्वरूप व मु0अ0स0-2611/10 धारा-3/25 आर्म्स ऐक्ट बनाम अखिलेश व मु0अ0स0-2612/10 धारा-3/25 आर्म्स ऐक्ट विरुद्ध रोहित पंजीकृत कराया गया।

मु0अ0स0-2607/2010 धारा-147/148/ 149/307/504/ 506/323, भा0द0वि0 में विवेचक द्वारा दिनांक 21-01-2011 को अरोप-पत्र सं0-22 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा मु0अ0स0-2609/10 धारा-147/148/149/307 भा0द0वि0 की विवेचना सम्पादित कर अभियोग में दिनांक 31-01-2011 को आरोप पत्र संख्या-30 न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोग संख्या-2610/10, 2611/10 एवं 2612/10 धारा-3/25 आर्म्स ऐक्ट की विवेचना पूर्ण कर आरोप-पत्र संख्या-31, 32 एवं 33 मा0 न्यायालय में दिनांक 31-1-2011 को प्रेषित किये जा चुके हैं।

दोनों पक्षों के विरुद्ध शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 107/116 व 116 (3क) द0प्र0सं0 की निरोधात्मक कार्यवाही की गई है।]

गोरखपुर में जिला जेल बाईपास के निर्माण के लिये भूमि का अधिग्रहण किये बिना भूमि पर कब्जा करने तथा मुआवजा न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा दिनांक 9-2-11 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि गोरखपुर महानगर में ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[में बाई पास के निर्माण के लिये जंगल सालिगराम, शिवपुर शाहबाजगंज, जंगल मातादीन, जंगल हकीम नं0 1, शाहपुर बशारतपुर ज0. तिनकोनिया, हरसेवकपुर नं0 2, जंगल नकहा नम्बर एक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा दो आदि दस गांवों के किसानों की जमीन लोक निर्माण विभाग ने अपने कब्जे में लेकर वहां बाईपास बना दिया। लोक निर्माण विभाग के पत्रांक 1881/14 प्रकीर्ण दिनांक 5 नवम्बर, 2009 के माध्यम से यह स्वीकार किया गया है कि उक्त बाईपास के निर्माण के लिये ली गयी 10 गांवों की जमीन में से सिर्फ एक मौजा जंगल हाकिन नं0 1 की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। शेष गांवों की अधिग्रहीत भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर द्वारा अभी तक नहीं की गयी है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भूमि का अधिग्रहण वैध तरीके से न करने के कारण अभी तक किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा नहीं मिला है।

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की आख्या में यह अवगत कराया गया है कि जिला जेल बाईपास की कुल लम्बाई 8.55 कि0मी0 है। इस मार्ग निर्माण कार्य में वर्णित दस गांवों-जंगल हकीम नं0-1, शाहपुर, जंगल मातादीन, जंगल सालिकराम, शिवपुर शाहबाजगंज, बशारतपुर, जंगल तिनकोनिया, हरसेवकपुर नं0 2, जंगल नकहा नं0-1 एवं जंगल नकहा नं0-2 में मार्ग निर्माण हेतु 32.63 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। उसमें से ग्राम जंगल नं0-1 की 2.62 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शासन की अधिसूचना दिनांक 19-12-2002 द्वारा किये जाने के पश्चात् वर्ष 2002-03 में प्रतिकर का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर द्वारा कर दिया गया है। तत्पश्चात् अवशेष 09 ग्रामों के 30.01 एकड़ भूमि अर्जन के मुआवजे हेतु प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा रु0 456.00 लाख की मांग की गयी, जिसके सापेक्ष उक्त धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि रु0 99.00 लाख वित्तीय वर्ष 2005-06 में शासनादेश दिनांक 31-03-06 द्वारा प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा भुगतान हेतु प्रतिकर के रूप में आवंटन दिया गया है। प्रमुख अभियन्ता द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ग्राम शाहपुर तथा ग्राम जंगल मातादीन के प्रभावित काश्तकारों को जिलाधिकारी, गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के क्रम में आपसी समझौते के आधार पर मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार गांव जंगल हकीम नं0-1, ग्राम शाहपुर तथा ग्राम जंगल मातादीन (कुल 03 गांव) की जमीन का वैध तरीके से अधिग्रहण करते हुये मुआवजा भुगतान कर दिया गया है।

गांव सालिकराम की 0.323 हे0 भूमि का अधिग्रहण किये जाने हेतु धारा-6 की अधिसूचना दिनांक 18-08-10 को निर्गत कर दी गयी है। इस गांव को सम्मिलित करते हुये अवशेष 07 ग्रामों के मुआवजा भुगतान हेतु रु0 396.00 लाख की धनराशि का आवंटन प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है, जो वित्तीय वर्ष 2010-11 में संगत मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं कराया जा सका है। सम्प्रति अन्य मद से पुनर्विनियोग के माध्यम से मुआवजे के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की व्यवस्था करायी जा रही है। अवशेष प्रतिकर के भुगतान हेतु रु0 396.00 लाख का धनावंटन शीघ्र कराकर काश्तकारों को नियमानुसार यथाशीघ्र भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

रामपुर में बिलासपुर से चकफेरी नवाबगंज मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री संजय कपूर मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 09-02-2011 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर से चकफेरी होते हुये नवाबगंज मार्ग ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[की जीर्णशीर्ण अवस्था का उल्लेख करते हुये जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग की गयी है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में बिलासपुर से चकफेरी मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या-4076(1)/23-11-2006-7/10(7)/2006 टीसी दिनांक 31-03-2006 द्वारा 10.00 कि0मी0 लम्बाई व लागत रु0 461.00 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 360.00 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2009-10 में अवमुक्त की गयी थी। उक्त धनराशि से प्रारम्भ के 5.00 कि0मी0 में प्रथम सतह लेपन एवं शेष 5.00 कि0मी0 में एस0डी0बी0सी0 तक मार्ग का निर्माण कराया गया था। मार्ग के अंतिम 5.00 कि0मी0 में मार्ग पर कराया गया कार्य क्षतिग्रस्त हो गया। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने एवं विशिष्टियों के अनुरूप कार्य न कराये जाने के लिये मो0 जावेद खां, अधिशासी अभियन्ता (सेवानिवृत्त), श्री आदिल नसीर सिद्दीकी, सहायक अभियन्ता, श्री रईस अहमद, सहायक अभियन्ता श्री आबिद अली, अवर अभियन्ता एवं श्री रईस हैदर जैदी, अवर अभियन्ता के विरुद्ध गठित आरोप पत्रों की जांच मुख्य अभियन्ता बरेली क्षेत्र लोक निर्माण विभाग बरेली द्वारा की जा रही है।

3-क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियन्ता (विकास) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की संस्तुति के अनुसार उक्त मार्ग के मिट्टी के नमूने आई0 आई0 टी0 रुड़की को परीक्षण हेतु प्रेषित किये गये है। आई0आई0टी0 रुड़की से नमूनों के परीक्षण परिणाम के अनुसार मार्ग के निर्माण हेतु आगणन गठित किया जा सकेगा, जिसकी स्वीकृति तत्समय के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में निर्मित क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, प्रश्नगत सूचना के माध्यम से मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[पैकेज संख्या-5714, 5715, 5721, 5727, 5735, 5743, 5747, 5732, 5755, 5768, 5769 के द्वारा कुल 38 मार्ग जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये स्वीकृत किये गये, जिसमें बहुत मार्ग के कार्य पूर्ण दिखाये गये परन्तु अधिकतर उसमें क्षतिग्रस्त होने के बाद गठित अनुबन्ध के अनुरूप 5 वर्षों तक मरम्मत कार्य कराये जाने की व्यवस्था का सम्बन्धित ठेकेदार एवं विभाग द्वारा अनुपालन नहीं कराया गया है जिससे मार्गों की दशा अत्यन्त खराब हो गयी है। पटरिया कट गयी है तथा पक्के मार्ग में भी गड्ढे हो गये हैं। यातायात प्रभावित हैं तथा बहुत से मार्ग के कार्य अब भी अधूरे है जिसे पूरा कराने में विभाग द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है। यह भी अवगत कराया गया है कि इस सम्बन्ध में मा0 विधायक द्वारा दिनांक 14-01-2011 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को पत्र लिखा गया है। अतः मा0 सदस्य द्वारा कार्य कराने में मानको एवं गुणवत्ता की अनदेखी किये जाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

अवगत कराना है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पैकेज संख्या-5714, 5715, 5721, 5727, 5735, 5743, 5747, 5732, 5755, 5768, 5769 द्वारा कुल 34 मार्ग जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये स्वीकृत किए गये थे जिनमें से 30 मार्ग पूर्ण हो चुके हैं, 02 मार्गों को अन्य विभागों द्वारा निर्मित कराये जाने के कारण निरस्त किया गया है। पैकेज संख्या-यू0पी0 57-47 का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है। इस प्रकार अवशेष 02 मार्गों का कार्य प्रगति पर है। पूर्ण किये गये मार्गो पर ठेकेदार द्वारा 05 वर्ष तक अनुरक्षण करने का अनुबन्ध में प्राविधान है, जो ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है जिन मार्गो पर आंशिक रूप से पटरियां कट गई है तथा पक्के भाग में कुछ पैच हो गये हैं उन मार्गों से सम्बन्धित ठेकेदारों को यथाशीघ्र मार्गो को ठीक कराने हेतु निर्देशित किया गया है। मार्गों पर यातायात चालू है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुछ बड़े मार्ग जैसे पट्टी बधवा पटखौली मार्ग की स्वीकृति लागत रु0 462.86 लाख है, इसका कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण है। कोंहड़ौर-चन्दौका मार्ग (लागत रु0 178.96 लाख) एवं दीवानगंज मंगरौरा मार्ग (लागत रु0 170.45 लाख) पैकेज संख्या-यू0पी0-57-46 में स्वीकृत किये गये हैं। उक्त दोनों मार्ग पूर्ण हैं एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत हैं। पट्टी राजाबाजार मार्ग-लागत रु0 187.87 लाख, रखहा बाजार से कोंहडौर मार्ग-लागत रु0 334.13 लाख, हल्लूपुर सी0एम0एस0 से अमारी मार्ग-लागत रु0 334.13 लाख का कार्य पूर्ण है। पट्टी चांदा मार्ग से दाउदपुर मार्ग-लागत रु0 316.32 लाख का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है। उपर्युक्त सभी कार्य मानक के अनुरूप कराये जाने के पश्चात् ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया गया है। मार्गों हेतु स्वीकृत धनराशि का दुरूपयोग नहीं किया गया है।

ग्राम्य विकास अनुभाग-1 के पत्र संख्या-पी-114/38-1-11-5पी0एम0जी0एस0वाई0/2011, दिनांक 11 फरवरी, 2011 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 14-01-2011 के क्रम में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के गाईडलाइन के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कराकर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को पत्र संख्या-पी-69/38-1-2011-5 पी0एम0जी0एस0वाई0/2011, दिनांक 04-02-2011 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय जांच प्रणाली के माध्यम से गुणवत्ता एवं मानक की जांच कराये जाने का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय जांच एजेंसी एन0क्यू0एम0, एस0क्यू0एम0 एवं स्मैक इण्डिया प्राईवेट लि0 द्वारा समय-समय पर जांच करायी गयी हैं। मार्ग का मरम्मत कराने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को समय-समय पर विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है।]

प्रदेश के सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक तथा आई0 आई0 आर0 टी0, इलाहाबाद के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वर्ष 2002 से वेतन न मिलने एवं छठे वेतनमान का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्राभार) का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना मांगी गयी है कि उत्तर प्रदेश के 18 सहायता प्राप्त.....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[पॉलीटेक्निक तथा आई0ई0आर0टी0 इलाहाबाद के लगभग 1200 शिक्षक, कर्मचारी समय से वेतन न मिलने, वर्ष 2002 से आज तक डी0ए0 एरियर, मंहगाई भत्ते के मूल वेतन में विलय का एरियर, छठें वेतनमान के वेतन का भुगतान न होने से गम्भीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कई बार जनतांत्रिक आन्दोलन भी हुये हैं। दिनांक 08 दिसम्बर, 2009 को प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री श्री शैलेष कृष्ण की अध्यक्षता में कई वरिष्ठ विभागीय व सम्बन्धित अधिकारियों तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उ0प्र0 एवं उत्तर प्रदेश पॉलीटेक्निक कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की उच्च्य स्तरीय बैठक में निर्णय लिये गये जिनको एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी आज तक लागू नहीं किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से तय पाया गया था कि वर्ष 1998 में सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निकों का बजट त्रुटिपूर्ण ढंग से फ्रीज किया गया था। मंत्रि-मण्डल ने कोई निर्णय नहीं लिया था। त्रुटिपूर्ण ढंग से बजट फ्रीज होने के कारण शिक्षक-कर्मचारियों को पूरे वर्ष का वेतन नहीं मिलता, इस भीषण मंहगाई के दौर में शिक्षक व परिवार का पालन पोषण ठीक से न होने के कारण शिक्षक-कर्मचारी व छात्रों में भारी असंतोष व्याप्त रहता है। उच्च्य स्तरीय बैठक के बाद भी निर्णय का अनुपालन न होना बहुत ही सोचनीय, शर्मनाक शासन की अकर्मण्यता तथा शिक्षक कर्मचारियों की घोर उपेक्षा दर्शाता है। शिक्षक-कर्मचारी विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने जा रहे है।

2-प्रदेश में सहायता प्राप्त 19 डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें संचालित हैं। इन संस्थाओं में 1545 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1113 विभिन्न समूह-क, ख, ग एवं घ के कार्यरत शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन भत्ते आदि को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बजट के माध्यम से अनुदान दिया जाता है। इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से प्राप्त होने वाला शिक्षण शुल्क संस्था द्वारा खोले गये संयुक्त वेतन खाते में जमा किया जाता है, जिसे इन संस्थाओं के कार्मिकों के वेतनादि के मद में समायोजन कर लिया जाता है फिर भी शिक्षण शुल्क की धनराशि से कार्मिकों के पूर्ण वर्ष के वेतन का भुगतान नहीं हो पाता है और जो धनराशि कम पड़ती है उसे राज्य सरकार से वेतन मद में प्राप्त होने वाले अनुदान की धनराशि से पूर्ति की जाती है। सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं का बजट वित्त विभाग के स्तर पर वर्ष 1998-99 में फ्रीज कर दिया गया था।

3-वर्ष 1988-1999 के बाद से संस्थाओं के व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उक्त व्यय भार के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2003-2004 से बजट प्राविधान में वृद्धि करते हुए रु0 1257.13 लाख के स्तर पर फ्रीज किया गया। तदोपरान्त वर्ष 2005-2006 में पुनर्विनियोग के माध्यम से रु0 103.71 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए फ्रीज बजट स्तर में वृद्धि करते हुए रु0 1361.02 लाख कर दिया गया था।

4-पुनः वित्तीय वर्ष 2007-08 मे पुनर्विनियोग के माध्यम से रु0 358.00 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए बजट स्तर में 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी किये जाने का मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2008-09 में शासनादेश संख्या-2523/16-प्रा0शि0-3-2008-6(बी)/2003 टीसी दिनांक 11-11-2008 द्वारा अनुपूरक अनुदान के माध्यम से बजट प्राविधान में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद में रु0 340.26 लाख की वृद्धि कर फ्रीज बजट स्तर को रु0 1701.28 लाख कर दिया गया।

5-छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां दिनांक 1-1-2006 से लागू हो जाने के फलस्वरूप वेतन एवं भत्तों में वृद्धि होनें के कारण वित्तीय वर्ष 2010-11 से व्ययभार में हो रही वृद्धि के वहन हेतु रु0 1839.80 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में रु0 1931.42 लाख का प्राविधान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1998-99 में प्राविधानित धनराशि रु0 1271.40 लाख के सापेक्ष 51.91 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक तक कर दी गयी है।

6-छठे वेतनमान के वेतन अवशेषों के भुगतानार्थ चालू वित्तीय वर्ष में कुल रु0 3528.30 लाख का बजट प्राविधानित किया गया जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है।

7-साथ ही साथ वेतन भत्तों में वृद्धि के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित शिक्षण-शुल्क रु0 6000/- को शैक्षिक-सत्र 2010-11 से आगामी दो वर्षों (कुल तीन वर्ष) के लिए नियमित पाठ्यक्रम में शिक्षण-शुल्क में 140.50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्तमान में रु0 14,430/- निर्धारित किया गया है जिसको शत-प्रतिशत संयुक्त वेतन संदाय खाते में जमा किया जाता है। इसी प्रकार स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व निर्धारित शिक्षण शुल्क रु0 9000/- में 133.33 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्तमान में रु0 21,000/- शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका 20 प्रतिशत संयुक्त खाते में जमा किये जाने के आदेश दिये गये है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं के देयकों में वृद्धि के दृष्टिगत समय-समय पर शुल्क दरों एवं बजट आदि में वृद्धि करते हुए संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के अवशेषों के शीघ्र भुगतान कराये जाने का प्रयास किया गया है।]

मथुरा शहर से अलीगढ़ जाने वाले मार्ग पर यमुना नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल का सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 09-2-2011 को दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[मथुरा शहर से अलीगढ़ जाने वाले मार्ग पर लाखों यात्री व वाहन मथुरा प्रस्थान से प्रथम पड़ने वाले पुल से गुजरते हैं, जो काफी क्षतिग्रस्त है। इसके खम्भों में दरारें आ गयी है, जिससे यह पुल काफी असुरक्षित हो गया है।

मा0 सदस्य महोदय द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि मथुरा से अलीगढ़ जाने वाली रेल लाइन हाथरस लिंक मार्ग पर उपरोक्त पुल के समानान्तरण बने रेल पुल के स्तम्भ भी हिलने लगे हैं तथा इसका पुनः निर्माण नहीं कराया जा रहा है।

उपरोक्त दोनों पुलों से कभी भी इतना बड़ा हादसा घटित हो सकता है जो अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकता है।

उक्त सूचना पर मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र से आख्या प्राप्त की गयी हैं तद्नुसार मथुरा शहर से अलीगढ़ जाने वाले मार्ग पर सेतु जनपद मथुरा में पीलीभीत बरेली, मथुरा भरतपुर राजमार्ग सं0-33 के कि0मी0-260 में स्थित है। सेतु का निर्माण कार्य वर्ष 1962 में हुआ है। इस सेतु की दर व्यवस्था 8x42+2x20 =376 मी0 है। सेतु का प्रकार वैलेन्स केन्टीलीयर बाक्स टाइप है। सीमेन्ट कांक्रीट में तथा एक्टगेन्ट में बीग के नीचे कांक हैं सेतु के फुटपाथ के ब्रेकिट की कैक्रीट कहीं-कहीं से क्षतिग्रस्त होते हैं, जिसकी मरम्मत समय-समय पर कराई जाती है।

रेल लाइन पर स्थित सेतु का कार्यभार लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है। रेलवे विभाग को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु लिख दिया गया है।]

आजमगढ़ स्थित बिलरियागंज रौनापार क्षतिग्रस्त मार्ग को मिक्स्ड प्लाण्ट से बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि जनपद आजमगढ़ में बिलरियागंज रौनापार मार्ग है ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लाल जी वर्मा-

[जो लगभग 20 कि0मी0 मार्ग क्षतिग्रस्त है। यह मार्ग पी0 डब्लू0 डी0 का मार्ग है, जो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्रामीण अंचल से जनता का आवागमन रहता है, लोग आये दिन आजमगढ़ शहर अपने काम से कचेहरी आते हैं, व्यवसायी अपने व्यवसाय हेतु आते हैं, सभी को काफी दिक्कतों का सामना करनापड़ता है, सड़क पर हर जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण प्रतिदिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, लोगों का आवागमन दूभर हो गया है, जिस कारण क्षेत्रीय जनता में काफी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

असंतोष है। उक्त 20 कि0मी0 ध्वस्त मार्ग को मिक्स्ड प्लाण्ट से तत्काल बनाये जाने की मांग की गई है।

विषयगत सूचना/केवल वक्तव्य के सम्बन्ध में विवरण/आख्या निम्नवत् है :-

जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़-बिलरियागंज-रौनापार मार्ग 27.00 कि0मी0 लम्बाई का ''अन्य जिला मार्ग'' श्रेणी का मार्ग हैं इसमें बिलरियागंज से रौनापार तक की लम्बाई 11.00 कि0मी0 है। मार्ग के इस भाग की दशा ठीक है। इसके अतिरिक्त आजमगढ़ से बिलरियागंज के बीच 16.00 कि0मी0 भाग में पैच/दाग मरम्मत करके यातायात चलाया जा रहा है। मार्ग के इस भाग (लम्बाई कि0मी0 16.00) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु आगणन/प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, 17 फरवरी, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 06 बजकर 09 मिनट पर दिनांक 17 फरवरी, 2011 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 15 फरवरी, 2011

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्र0सं0-11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के प्रथम मंगलवार के लिये श्री आरिफ अनवर हाशमी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-11 के उत्तरालेख का संलग्नक :-

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य उत्पादन व्यवसाय से राजस्व आय में वृद्धि हेतु तथा मत्स्य व्यवसाय में लगे हुये मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है :-

1-मत्स्य उत्पादन व्यवसाय के माध्यम से राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हेतु उथले हो चुके जलाशयों को चिन्हित कर उनको गहरा कराकर जीर्णोद्धार की कार्यवाही करायी जा रही है।

2-मत्स्य उत्पादकता की वृद्धि हेतु विभागीय जलाशयों में बड़े आकार के मत्स्य बीज संचय की व्यवस्था करायी जा रही है।

3-मत्स्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिये मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को ग्राम समाज के तालाबों का दस वर्षीय पट्टा आवंटन में प्रथम वरीयता तथा श्रेणी-3 व 4 के विभागीय जलाशयों की नीलामी में वरीयता दी जा रही है।

4-मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु उन्हें विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गज आवश्यक प्रशिक्षण देकर उनका तकनीकी ज्ञानवर्धन किया जा रहा है।

5-प्रदेश में मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय मछुआ आवास योजना लागू की गयी है। राष्ट्रीय आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्रामों का चयन करके मछुआ समुदाय के व्यक्तियों हेतु आवास तथा पेयजल हेतु हैण्डपम्प की सुविधा दी जा रही है।

6-प्रदेश में मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के कल्याण हेतु मछुआ दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है। मछुआ दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत मछुआरों को पंजीकृत कराकर उनकी मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता होने पर प्रति व्यक्ति रुपया 1.00 लाख तथा आंशिक अस्थाई विकलांगता होने पर रुपया 50,000/- की धनराशि की सहायता दिये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्र0सं0-34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर।)

उत्तर प्रदेश की 2010 की डेंगू/चिकेनगुनिया नियन्त्रण कार्य योजना

डेंगू तथा चिकेनगुनिया रोग दो अलग-अलग विषाणुओं (वाइरस) द्वारा होते हैं। डेंगू रोग डेंगू वाइरस के कारण तथा चिकेनगुनिया रोग चिकेनगुनिया वाइरस के कारण होता है। दोनों बीमारियों का रोगवाहक एडिस प्रजाति का मच्छर है। एडिस मच्छर डेंगू अथवा चिकेनगुनिया के रोगी को काटने के पश्चात् डेंगू अथवा चिकेनगुनिया वाइरस से संक्रमित हो सकता है तथा उपरोक्त बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाकर इन बीमारियों को आउटब्रेक/महामारी का रूप दे सकता है। एडिस मच्छर घर के अन्दर व उसके आस-पास की परिस्थितियों में रहता है और पलता है तथा केवल दिन के समय में काटता है और रात में विश्राम करता है। चूंकि डेंगू एवं चिकेनगुनिया दोनों रोगों का वाहक मच्छर एडिस है इसलिए दोनों रोगों के संक्रमण (ट्रान्समीशन) में भी समानता है। इन दोनों बीमारियों का प्रसार भी अधिकतर वर्षा ऋतु के उपरान्त जुलाई से नवम्बर माह के मध्य होता है। इसी कारण डेंगू एवं चिकेनगुनिया रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण की रणनीति समान है। साधारण डेंगू रोग एवं चिकेनगुनिया रोग गम्भीर प्रकृति के रोग नहीं हैं, इन दोनों रोगों के लक्षण भी लगभग समान होने के साथ-साथ इनका उपचार भी साधारणतया सिमटोमेटिक एवं सर्पोटिव आधार पर किया जाता है।

डेंगू बुखार में तेज सिरदर्द, बदन दर्द, आंखों में दर्द, शरीर पर लाल दाने तथा जोड़ों में दर्द आदि लक्षण होते हैं। डेंगू रोग में बुखार के साथ दो गम्भीर दशाऐं भी हो सकती हैं, जिसमें मुंह, नाक, मल एवं मूत्र द्वारा तथा योनि से रक्त स्त्राव हो सकता है तथा रक्तचाप में गिरावट भी आ सकती है। डेंगू रोग की इन असाधारण गम्भीर दशाओं को डेंगू हैमरेजिक बुखार तथा 'डेंगू शाक सिन्ड्रोम' के नाम से जाना जाता है।

चिकेनगुनिया गम्भीर प्रकृति का रोग नहीं है। इसमें तेज बुखार के साथ-साथ कंपकपी, सिरदर्द, उल्टी, कमर दर्द, आंखों में लाली, गले में खराश, बदन में लाल महीन दाने या खराश (रेश) तथा जोड़ों में दर्द आदि के लक्षण हो सकते हैं। जोड़ों में मुख्यतः शरीर के छोटे जोड़ प्रभावित होते हैं, जैसे-हाथ की उंगलियों, कलाई के जोड़े, पैर की उंगली/एड़ी के जोड़ आदि। जोड़ों का दर्द बुखार ठीक होने के पश्चात् भी महीनों बना रह सकता है। नवजात शिशुओं, वृद्ध व्यक्तियों तथा बीमार व्यक्ति, जिनमें रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो (जो इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड हों) में यह रोग गम्भीर रूप ले सकता है। चिकेनगुनिया आउटब्रेक/महामारी में प्रभावित जनसंख्या हजारों में हो सकती है परन्तु यह रोग साधारणतः गम्भीर नहीं होता है तथा इसमें सामान्यतया मृत्यु नहीं होती है। लगभग तीस वर्षों के अन्तराल के पश्चात वर्ष 2005 से इस बीमारी का संक्रमण भारत में पुनः शुरू हो चुका है। अतः प्रदेश में इस बीमारी के प्रति सचेंत रहकर समस्त रोकथाम, निरोधात्मक तथा नियंत्रण के उपाय समय रहते कर लिए जाऐं।

इन बीमारियों से निपटने के लिये एक राज्य स्तरीय कार्य योजना का क्रियान्वयन आवश्यक है जो कि राज्य स्तर से मण्डल, जनपद एवं यथा सम्भव ग्राम स्तर तक तत्काल चलाई जाय, जिससे इस

रोग के प्रसार पर समय रहते नियंत्रण पा लिया जाय। इस कार्य योजना में डेंगू/चिकेनगुनिया रोग नियंत्रण के अतिरिक्त रोकथाम पर विशेष बल दिया जाएगा तथा परहेज उपचार से बेहतर के सिद्धान्त को अपनाते हुए इन रोगों के संक्रमण काल के पूर्व इण्टर एपीडेमिक पीरियड से ही इन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इन्हीं उद्‌देश्यों की पूर्ति कि लिए कार्य योजना को निम्न भागों में बाटा गया है।

कार्य योजना की रणनीति :-

1-डेंगू तथा चिकेनगुनिया बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की तत्काल पहचान, निदान एवं उपचार।

2-स्वास्थ्य शिक्षा।

3-इन्टीग्रेटेड वेक्टर कन्ट्रोल द्वारा मच्छरजनित परिस्थितियों को समाप्त किया जाना।

4-सर्वेलेन्स पर विशेष बल देते हुए डेंगू तथा चिकेनगुनिया की रोकथाम तथा महामारी से बचाव।

5-प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग/बी0 सी0 सी0/आई0 ई0 सी0/एडवोकेसी एवं अन्तर्विभागीय सहयोग।

1-डेंगू/चिकेनगुनिया बुखार से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान, तत्काल निदान एवं उपचार

एडीज मच्छरों की अधिक वेक्टर डेन्सिटी वाले किसी भी क्षेत्र में अचानक बुखार के फैलने पर रोगी सम्भावित डेंगू अथवा चिकेगुनिया का हो सकता है। उसके रक्त के नमूने संग्रहित कर तथा जांच कर रोग के कारण को निश्चित करना चाहिये। लक्षण तथा परीक्षण जांच के आधार पर डेंगू अथवा चिकेनगुनिया के सम्भावित रोगियों की पहचान कर उस स्थान के संवेदनशील होने का प्रमाण मिलने पर उस क्षेत्र में सघन सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये।

डेंगू रोगियों की पहचान

डेंगू रोग में तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, आंखों में दर्द, शरीर में दर्द तथा जोड़ों में दर्द आदि लक्षण होते हैं। असामान्य रूप से केवल कभी-कभी डेंगू रोग में बुखार के साथ दो असाधारण गम्भीर दशाऐं भी हो सकती हैं। जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त स्त्राव, रक्त चाप में अचानक कमी तथा मेडिकल शॉक की स्थिति हो सकती है। इन असाधारण स्थितियों को डीएचएफ/डीएसएस कहते हैं।

डेंगू बुखार रोगी की पहचान निम्नवत की जानी चाहिए :-

(अ) संदेहास्पद रोगी :

2-7 दिनों की अवधि के तीव्र ज्वर के साथ निम्न दो या अधिक लक्षण

- सरदर्द
- आखों के पीछे दर्द
- बदन दर्द
- जोड़ों में दर्द
- ल्यूकोपीनिया
- शरीर पर लाल महीन दाने या खराश (रैश)

(ब) सम्भावित रोगी :

डेंगू ज्वर का संदिग्ध रोगी तथा निम्न में से एक या अधिक की उपस्थिति

- एक स्थान तथा एक ही समय पर डेंगू ज्वर के पुष्ट (कन्फर्म) रोगी का पाया जाना।
- निगेटिव मलेरिया स्लाइड तथा सिरोलॉजी द्वारा सपोर्टिव रोगी
- क्षेत्र में डेंगू वेक्टर की हाई डेन्सिटी

(स) पुष्ट रोगी

- प्रयोगशाला जांच द्वारा।

डेंगू हैमरेजिक फीवर की पहचान करना

डेंगू का सम्भावित अथवा पुष्ट रोगी, जिसे शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त स्त्राव हो रहा हो अथवा :-

- पॉजिटिव टूर्नीकेट टेस्ट पाया जाना
- शरीर पर पेटेची, इकाइमोसिस अथवा परपुरा दिखाई पड़ना
- नाक मुंह तथा योनि से रक्त स्राव
- मल मूत्र व उल्टी में रक्त का पाया जाना तथा प्लेटलेट एक लाख पर क्यूबिक मि0मी0 से कम होना इसके अतिरिक्त प्लाजमा लीकेज के प्रमाण जैसे औसत हिमेटोक्रिट 20 प्रतिशत बढ़ जाना अथवा वाल्यूम रिप्लेसमेन्ट से हिमेटोक्रिट 20 प्रतिशत तक घट जाना तथा प्लूरल इफयूजन, एसाइटिस, हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाना।

डेंगू शॉक सिण्ड्रोम की पहचान करना

डी0एच0एफ0 के चिन्हित लक्षण तथा साथ में सरकुलेटरी फेलियर के लक्षणों का होना, जैसे-तेज तथा कमजोर नब्ज, पल्स प्रेशर 20 मि0मी0 से कम होना, एकदम से रक्तचाप कम होना, बदन का ठण्डा पड़ना तथा मानसिक बेचैनी का होना।

चिकेनगुनिया रोगियों की पहचान करना

चिकेनगुनिया बीमारी की पुष्टि प्रयोगशाला द्वारा की जाती है। इस बीमारी की सम्भावना निम्न विशेष लक्षणों के आधार पर की जाए।

1-बुखार, 2-लाल महीन दाने (रैश), 3-जोड़ों में दर्द

(अ) संदेहास्पद रोगी :-

2-7 दिनों की अवधि के तीव्र ज्वर के साथ निम्न दो या अधिक लक्षण

- सरदर्द
- आंखों के पीछे दर्द
- बदन दर्द
- जोड़ों में दर्द
- शरीर पर लाल महीन दाने या खराश (रैश)

(ब) सम्भावित रोगी :

चिकेनगुनिया ज्वर का संदिग्ध रोगी तथा निम्न में से एक या अधिक की उपस्थिति

- एक स्थान तथा एक ही समय पर चिकेनगुनिया ज्वर के पुष्ट (कन्फर्म) रोगी का पाया जाना।
- निगेटिव मलेरिया स्लाइड तथा सिरोलॉजी द्वारा सपोर्टिव रोगी
- क्षेत्र में एडिस वेक्टर की हाई डेन्सिटी

(स) पुष्ट रोगी :

- प्रयोगशाला जांच द्वारा।

डेंगू अथवा चिकेनगुनिया रोगी के घर रहते हुए ओ0पी0डी0 उपचार का आधार

-पल्सरेट, पल्सप्रेशर तथा रक्तचाप सामान्य होना।

-रक्तस्राव का न होना।

-ब्लड प्लेटलेट की संख्या 1 लाख/क्यूबिक मिमी0 से अधिक होना

डेंगू तथा चिकेनगुनिया रोग की महामारी की स्थिति में केवल उन्हीं रोगियों को चिकित्सालय में भर्ती किया जाय जिनको अस्पताल में भर्ती करने से विशेष लाभ होने की संभावना हो। अन्य रोगियों को घर रहते हुए उपचारित किया जाय।

मच्छर जनित परिस्थितियों को समाप्त किया जाना

<u>अविकसित लार्वा का नियंत्रण</u>

अंडे देने की परिस्थितियां मुख्यता रुके हुये जल स्थानों में होती है जैसे कि पानी एकत्रित करने की टंकियों में, कबाड़ में, टायर, टूटे फूटे प्लास्टिक के डिब्बे, बर्तन एवं कूलर में एकत्रित पानी में। इसके अतिरिक्त यह घर में प्रयोग किये जाने वाले बर्तनों, जानवरों के चारे हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले पात्र, धुलाई सफाई के लिये एकत्रित जल में अण्डे देता है अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि घरों में एकत्रित किया गया पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदला जाना चाहिये। इन सभी परिस्थितियों को समाप्त करने की स्वास्थ्य शिक्षा जन समुदाय को दी जानी चाहिए। जन सहयोग से मच्छरों के अण्डे को नष्ट करने का सघन कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए।

<u>कीटनाशकों का छिड़काव</u>

क्षेत्रीय स्तर पर एडीज मच्छरों का घनत्व ज्ञात करने और कीट संग्रह की कार्यवाही नियमित रूप से करनी चाहिये तथा मच्छरों के घनत्व में आकस्मिक वृद्धि इंगित होने पर संवेदनशील क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव और एण्टी लार्वल कार्यवाही यथा सम्भव माह जून से प्रारम्भ कर देनी चाहिए। सामग्रियों की व्यवस्था, स्प्रेईग तथा फागिंग मशीनों के रख-रखाव के अतिरिक्त मरीजों की व्यवस्था तथा छिड़काव कार्य हेतु बजट की मांग महानिदेशालय से आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित कीटनाशक छिड़काव को इस कार्य योजना के साथ समन्वित करके कीटनाशक छिड़काव कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। फागिंग मशीनें तथा उससे सम्बन्धित वाहन आदि कार्यशील न हों तो उन्हें ठीक करवा लिया जाय तथा छिड़काव कार्य के लिये नगर निगम से भी समन्वय स्थापित रखे जाने के प्रयास किये जाने चाहिए। डेंगू/चिकेनगुनिया बुखार के रोगी के निवास स्थान से 100 मी0 के क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव

किया जाना चाहिए परन्तु विशेष बल स्थायी रूप से मच्छरों के सोर्स रिडक्शन तथा उनकी उत्पत्ति/प्रजनन स्थल समाप्त करने पर दिया जाए।

डेंगू/चिकेनगुनिया रोग सेन्टीनल सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं हेतु मेडिकल कालेज लखनऊ, मेरठ, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, कानपुर तथा जिला चिकित्सालय, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर एवं रीजनल लैब, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ की कुल 10 प्रयोगशालाओं को चिन्हित किया गया है।

प्रशिक्षण एवं अन्तर्विभागीय सहयोग

डेंगू चिकेनगुनिया रोकथाम तथा नियंत्रण का प्रशिक्षण प्रयोगशाला प्राविधिक को देने के लिए व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य से विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक द्वारा डेंगू एवं चिकेनगुनिया के संक्रमण को रोकने का प्रचार-प्रसार किया जाए एवं जन सामान्य को रोकथाम एवं बचाव के उपाय बताए जायें।

वर्ष 2010-11 में डेंगू नियंत्रण हेतु समय-सारिणी

माह	कार्यवाही	अवधि	उत्तरदायित्व	टिप्पणी
1	2	3	4	5
(अ) सर्वेलेन्स (1) रोगी				
जून, 2010 से अक्टूबर, 2010	ज्वर रोगियों का सर्वेक्षण जनसंख्या का 1.00 प्रतिशत (एक्टिव 0.60 एवं पैसिव 0.40 प्रतिशत) सर्वेक्षण में तेजी व तत्परता	1 जून, 2010 से 31 अक्टूबर, 2010 तक	एम0पी0डब्लू0/ एफ0टी0डी0/ चिकित्सा अधिकारियों/ चिकित्सालयों के पैथोलोजिस्ट	मलेरिया के अतिरिक्त अन्य ज्वर रोगियों को उचित उपचार केन्द्र पर अविलम्ब संदर्भित किया जाना

(2) वेक्टर

अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011	वेक्टर मच्छर प्रजातियों को संग्रहण एवं डेन्सिटी आंकलन	संवेदनशील नगरों में घरों में व उनके आस-पास कन्टेनर का दैनिक एवं निर्धारित चार वार्डों में पाक्षिक संग्रहण	जनपद/मण्डल के कीट संग्रहकर्ता	जनपद के तीन अति संवेदनशील प्रा0स्वा0 केन्द्र सेन्टिनियल स्थल निर्धारित

(ब) उपचार

अप्रैल, 2010	उपचार केन्द्रों पर स्टाफ के दायित्वों को प्रदर्शित किया जाना (चिकित्सालय)	1 अप्रैल, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक	चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी द्वारा	चिकित्सालयों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को उपचार एवं नर्सिंग की जानकारी
मई, 2010	उपचार केन्द्रों पर स्टैण्डर्ड उपचार शिड्यूल को प्रदर्शित किया जाना	1 मई, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक		
जुलाई, 2010	चिकित्सालयों/ सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र पर समुचित उपचार व्यवस्था तथा रोगी के ट्रान्सपोर्टेशन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना	1 जुलाई, 2010 से 30 नवम्बर, 2010 तक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सालय/ सामु0स्वा0 केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा	मानव संसाधन, औषधियों, उपकरण तथा वाहन आदि की समुचित व्यवस्था

1	2	3	4	5
जनवरी, 2011 से मार्च, 2011 तक	रोग उपचार एवं चिकित्सा प्रबन्धन प्रशिक्षण उपरोक्तानुसार	1 जनवरी, 2011 से 31 मार्च, 2011 तक	जनपदीय टी0ओ0टी0 एवं जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी	समस्त चिकित्सकों को रोग उपचार एवं चिकित्सा प्रबन्धन पर रि-ओरिएन्टेशन

(स) निरोधात्मक कार्यवाही

अप्रैल, 2010	कीटनाशक एवं छिड़काव उपकरणों की उपलब्धता	1 अप्रैल, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक	चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी द्वारा	छिड़काव सामग्री की छिड़काव से पूर्व उपलब्ध
मई, 2010	जनपदीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन एवं ज्वर के रोगियों की वृद्धि पर निगरानी एवं विश्लेषण तथा उचित कार्यवाही	1 मई, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा	रोग पर त्वरित एवं प्रभावी नियंत्रण
अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011	मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मुरादाबाद, बदायूं, मुजफ्फरनगर शहरों के जलीय स्थलों में साप्ताहिक अन्तराल पर टेमोफॉस फैन्थियान का छिड़काव	1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक	नगरीय मलेरिया इकाईयों के प्रभारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वीबीडी	रोग पर त्वरित एवं प्रभावी नियंत्रण
जुलाई, 2010	फॉगिंग (संवेदनशील ग्रामों में पाक्षिक अन्तराल पर)	1 जुलाई, 2010 से 31 दिसम्बर, 2010 तक	जिला मलेरिया अधिकारी सामु0 स्वा0 केन्द्र	रोग पर त्वरित एवं प्रभावी नियंत्रण

(द) **बी0सी0सी0**

1	2	3	4	5
(1)	**एडवोकेसी वर्कशाप**			
अप्रैल, 2010	ब्लाक टाउन स्तर पर	1 से 30 अप्रैल, 2010	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्रत्येक सप्ताह में
(2)	**इण्टर सेक्टोरियल मीटिंग**			
अप्रैल, 2010	अन्य टाउन स्तर पर	13 अप्रैल, 2010 ------------- 18 अप्रैल, 2010	जिला मलेरिया अधिकारी	अन्य विभागों का सहयोग

(च) प्रशिक्षण/कैपेसिटी बिल्डिंग

मई, 2010	स्प्रे वर्कर्स एवं सुपरवाइजर्स का प्रशिक्षण	1 से 7 मई, 2010	जनपदीय टी0ओ0टी0 द्वारा	स्प्रे वर्कर्स एवं सुपरवाइजर को स्प्र की जानकारी

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0-87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82 पर।)

5-सुविधाएं

(1) आधारिक सुविधाएं

(i) संस्थानों के कब्जे में सौ छात्रों के प्रारम्भिक दाखिले के लिए ढाई हजार वर्गमीटर नितांतः भली-भांति सीमांकित भूमि होगी जिसमें से डेढ़ हजार वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। सौ या उससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थान के पास पांच सौ वर्गमीटर की अतिरिक्त भूमि का कब्जा होना चाहिए। प्रतिवर्ष दो सौ से अधिक तथा तीन सौ तक दाखिल किये जाने वाले छात्रों के लिए उसके कब्जें में तीन हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए। इन विनियमों से पहले स्थापित संस्थानों के मामले में अतिरिक्त रूप से दाखिल किये जाने वाले सौ छात्रों के लिए निर्मित क्षेत्र में पांच सौ वर्गमीटर की वृद्धि की जानी होगी तथा अतिरिक्त भूमि की शर्त उनके मामले में लागू नहीं होगी। सभी अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रमों पर एक साथ विचार करते हुए किसी भी संस्थान में दाखिल किये जाने वाले छात्रों की कुल क्षमता तीन सौ से अधिक नहीं होगी। शारीरिक शिक्षा अध्यापक पाठ्यक्रमों के लिए अलग भूमि और निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ii) बी0एड0 कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगा :

	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)
बी0एड0	1500 वर्गमीटर	2500
डी0ई0सी0एड0 तथा बी0एड0	2500 वर्गमीटर	3000
डी0एल0एड0 तथा बी0एड0	3000 वर्गमीटर	3000
बी0एड0 तथा एम0एड0	2000 वर्गमीटर	3000
डी0ई0सी0एड0 तथा बी0एड0 तथा एम0एड0	3000 वर्गमीटर	3500
डी0एल0एड0 तथा बी0एड0 तथा एम0 एड0	3500 वर्गमीटर	3500
डी0एल0एड0 तथा डी0ई0सी0एड0 तथा बी0एड0 तथा एम0 एड0	4000 वर्गमीटर	4000

बी0एड0 के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए पांच सौ वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(iii) संस्थान में निम्न आधारित सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए :

(क) दो क्लास रूम

(ख) दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला तथा एक डायस सहित बहुउद्देशीय हाल (दो सौ वर्ग फुट)।
(ग) पुस्तकालय एवं वाचनालय।
(घ) आई0सी0टी0 संसाधन केन्द्र।
(ङ) मनोविज्ञान संसाधन केन्द्र।
(च) कला तथा शिल्प संसाधन केन्द्र।
(छ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र।
(ज) विज्ञान और गणित संसाधन केन्द्र।
(झ) प्रिंसिपल का कार्यालय।
(ज) स्टाफ रूम।
(ट) प्रशासनिक कार्यालय।
(ठ) अतिथि कक्ष।
(ड) बालिकाओं का कामन रूम।
(ढ) संगोष्ठी कक्ष।
(ण) कैंटीन।
(त) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग टायलेट सुविधाएं।
(थ) वाहन खड़ा करने के लिए स्थान।
(द) स्टोर रूम (दो)।
(ध) बहुप्रयोजन खेल मैदान।
(न) अतिरिक्त आवास के लिए खुला स्थान।

(iv) खेल के मैदान सहित खेल सुविधाएं होंगी। विकल्प के तौर पर नितांतः निर्धारित अवधियों के लिए सम्बद्ध स्कूल या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और महानगरीय शहरों/पर्वतीय क्षेत्रों जैसे स्थानों में, जहां स्थान की कमी रहती है छोटे मैदान के खेलों, योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है।

(v) आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किये जाने चाहिए।

(vi) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा रहित होने चाहिए।

(vii) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0-180 का उत्तर पीछे पृष्ठ 121 पर।)

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से प्राप्त अभिलेखानुसार प्रदेश में सन् 2002 से मान्यता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों की सूची

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	मान्यता का स्तर
1	2	3
1	गोपीनाथ कविराज सं0 महावि0 कैथी, वाराणसी	शास्त्री, सा0,व्या0ज्यो0 पुराण धर्मशास्त्र
2	रानी पदमावती तारायोगतंत्र अ0सं0महावि0 इन्द्रपुर शिवपुर, वाराणसी	आचार्य, वेद स0,ज्यो0,न्या स्व0 दर्शन कर्मकाण्ड
3	बटुकनाथ संस्कृत महावि0 खोजवा शंकुल धारा वाराणसी	आचार्य, स0व्या, ज्यो0
4	श्रीमती ललिता आ0 संस्कृत महावि0 बिल्थरा रोड बलिया	शास्त्री व्या0,स0, दर्शन, पौ0
5	विश्वनाथ वैदिक कर्मकाण्ड सं0 महावि0 विश्वनाथ गली वाराणसी	शास्त्री, वेद, व्या0साहि0 दर्शन पौरोहित्य
6	किरणशास्त्री सं0महावि0 ननहूल सिकन्दरपुर बलिया	शास्त्री, व्या0साहि0
	कार्यपरिषद् की बैठक 31-10-2003	
7	गोपीनाथ कविराज सं0महावि0 कैथी वाराणसी	आचार्य, सा0व्या0,ज्यो0 दर्शन
8	रानी पदमावती तारायोगतंत्र अ0सं0महावि0 इन्द्रपुर शिवपुर, वाराणसी	आचार्य वेदशा0,ज्यो0न्या0 दर्शन, कर्मकाण्ड
9	बटुकनाथ संस्कृत महावि0 खोजवा शंकुल धारा वाराणसी	आचार्य, सा0व्या0ज्यो
10	विश्वनाथ वैदिक कर्मकाण्ड सं0 महावि0 विश्वनाथ गली वाराणसी	शास्त्री, वेद, व्या0 साहि0 दर्शन पौरोहित
11	सुरेन्द्र एवं रवीन्द्र मिश्र सं0 महावि0 मिश्रनगर बिडरा सिद्धार्थनगर	शास्त्री, व्या0, सा0
12	रघुराज सिंह सं0 महावि0 लुरौली संत रविदासनगर	शास्त्री, व्या0,सा0 पुराण
13	केदारनाथ सं0 महावि0 गोपपुर चोलापुर वारा0	आचार्य सा0 व्या0
14	सूर्याश सं0 महावि0 वशीपुर प्रतापगढ़	शास्त्री, व्या0,सा0
15	हरिनारायण सं0 महावि0 जगापुर भाउपुर जौनपुर	शास्त्री, व्या0सा0
16	संस्कृत महावि0 बभनुआ टहरौली झांसी	शास्त्री, वेद, व्या0 ज्यो0 आ0 सा0 व्या0
17	माथुर चतुर्वेदी सं0 महावि0 डैम्पियर नगर मथुरा	एन0टी0सी0ई0 की संस्तुति एवं राज्य सरकार की अनापत्ति शिक्षा शास्त्री वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत।

1	2	3
	कार्यपरिषद् की मान्यता समिति की बैठक दिनांक 27-12-2003	
18	लक्ष्मीनारायणी संस्कृत महाविद्या0 मोकलपुर जौनपुर	आचार्य साहित्य
19	बालेश्वर प्रसाद सं0 महावि0 गौरीननहूल सिकन्दरपुर बलिया	शास्त्री, व्या0, साहि0
20	ओमशंकर जी सं0 स्नातकोत्तर महावि0 सिकन्दरपुर बलिया	शास्त्री, व्या0, साहि0
21	सौर्वभौमिक शिक्षाश्रम महावि0 घुरहूपूर सारनाथ वाराणसी	शास्त्री, व्या0, साहि0, दर्शन
22	प्रज्ञायोग सं0 महावि0 सोनारपुरा वाराणसी	शास्त्री, व्या0, साहि0
23	श्री बुढ़ियामाई बनवारी सं0महावि0 शिवपुरा कला कोडार प्रतापगढ़	शास्त्री, व्या0, साहि0
24	भगवान गौतमबुद्ध सं0 महावि0 ताजपुर, गाजीपुर	शास्त्री, व्या0, साहि0
25	राजाराम सं0 महावि0 जखांव संतरविदास नगर	शास्त्री, व्या0, साहि0
26	श्री सच्चा अध्यात्म सं0 महावि0 सकलडिहा चन्दौली	शास्त्री, व्या0, साहि0
27	संकटमोचन सं0 महावि0 सुरियावां संत रविदासनगर	शास्त्री, व्या0, साहि0
28	रुद्राध्यात्मक सं0 महावि0 भापट भोपापुर वाराणसी	शास्त्री, व्या0, साहि0
29	दीपनारायण सं0 महावि0 हण्डियाडीह वाराणसी	शास्त्री, व्या0, साहि0
30	श्रीमती विद्यादेवी सं0 महावि0 श्रीकण्ठपुर वाराणसी	शास्त्री, व्या0, साहि0
31	गुरुकुल सं0 महावि0 शुकताल मुजफ्फरनगर	शास्त्री, व्या0, साहि0
32	रघुराज सिंह सं0 महावि0 कुरौली संतरविदासनगर	आचार्य, साहि0, व्या0
33	धर्मचक्र बिहार अन्तर्राष्ट्रीय मूल बौद्ध शिक्षा शोध संस्थान सारनाथ वाराणसी	पूर्व प्रदत्त अस्थायी मान्यता का स्थायीकरण शास्त्री, बौद्धदर्शन, पाली
34	शैव भारतीय शोध प्रतिष्ठान, जंगमबाड़ीमठ, वाराणसी	शोध संस्थान
	मान्यता समिति की बैठक 24-12-2004 एवं 16-4-2005	कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक 20-4-2005
35	उमा महेश्वर सं0 महावि0 कोलढेमा, जौनपुर	आचार्य साहि0 व्या0
36	लक्ष्मी सरोज सं0 महावि0 कुर्मीडीहा अम्बेडकरनगर	शास्त्री, व्या0, साहि0, पुराण
37	मां शुकली देवी सं0 महावि0 सहजौर, देवरिया	शास्त्री, व्या0, साहि0 ज्यो0
38	देवी सावित्री सं0 महावि0 डीकनगंज बलिया	शास्त्री, व्या0, साहि0ज्यो0
39	भुनेश्वरी सं0 महावि0 भुवनेश्वरी बिसहड़ा मिर्जापुर	शास्त्री, व्या0, साहि0 वेद
40	शिवशर्मा सं0 महावि0 दारागंज प्रयाग	आचार्य सा0 वेद
41	किरण शास्त्री सं0 महावि0 सिकन्दरपुर ननहूल बलिया	आचार्य साहि0

1	2	3
42	दुर्गाजी सं0 महावि0 छतपुरा शैदराजा चन्दौली	शास्त्री, साहि0 व्या0
43	अल्पेश्वर सं0 महावि0 जनैवदा, फतेहगंज जौनपुर	आचार्य साहि0 व्या0
44	बृजराज सिंह सं0 महावि0 भर्रामई शाहजहांपुर	शास्त्री, साहि0 व्या0
45	आदर्श सं0 महावि0 सुरजननगर मुरादाबाद	शास्त्री, साहि0 व्या0
46	दुलिया देवी स्मारक सं0 महा0 ट्रांसपोर्टनगर इलाहाबाद	शास्त्री, साहि0 व्या0
47	शिवशंकर सं0 महावि0 नगर पंचायत थोसिया औराई भदोही, संतरविदास नगर	आचार्य शास्त्री साहि0 व्या0
48	परशुराम सेवा संस्थान ज्ञानचन्द्र सं0 महावि0 रामपुर महावल बलिया	शास्त्री, साहि0 व्या0
49	नरसिंह बहादुर सिंह शान्ति देवी सं0 महावि0 छीटपुर प्रतापगढ़	शास्त्री, साहि0 व्या0 ज्यो0
50	श्रीराम दुलार सं0 महावि0 सराय ममरेज, इलाहाबाद	शास्त्री, साहि0 व्या0
51	चैतन्य शिक्षा संस्थान शीतलछाया रमणरेती वृन्दावन, मथुरा	शास्त्री, साहि0 व्या0
52	बलराम सं0 महावि0 सिरहिर सिलौधी, मेजा, इलाहाबाद	शास्त्री, साहि0 व्या0
53	सुरेन्द्र एवं रवीन्द्र मिश्र सं0 महावि0 मिश्रनगर बिडरा सिद्धार्थनगर	आचार्य, साहि0 व्या0
54	मृत्युंजय पाण्डेय सं0 महावि0 बरहुआ सैदपुर चन्दौली	शास्त्री, साहि0 व्या0 ज्यो0
55	रामसनेही त्रिपाठी सं0 महावि0 चन्देवर व्यवहा, आजमगढ़	आचार्य, साहि0 व्या0
56	श्री दुर्गा सं0 महावि0 अमारी अमरहट मऊ	शास्त्री, साहि0 व्या0 ज्यो0
57	सत्येन्द्र बहादुर सिंह सं0 महावि0 खर्गसेनपुर, थानागद्दी जौनपुर	शास्त्री, साहि0 व्या0
58	केशरी प्रसाद सं0 महावि0 चक्र उजिखारी, खेजुरी बलिया	शास्त्री, साहि0 व्या0
59	आचार्य बद्रीनाथ शुक्ल स्मारक सं0 महावि0 डुमरियाबुजुर्ग सिद्धार्थनगर	शास्त्री, साहि0 व्या0
60	देवीदत्त तिवारी शिक्षा संस्थान सं0 महावि0 खोरीवारी देवरिया	शास्त्री, साहि0 व्या0
61	रामबाबा सं0 महावि0 एकवादी बलिया	पूर्व स्वीकृत अस्थायी मान्यता का स्थायीकरण शास्त्री, साहि0 व्या0
62	जय हिन्द सं0 महावि0 कन्धीकला, जौनपुर	शास्त्री, साहि0 व्या0
63	रामआसरे त्रिपाठी संस्कृत महावि0 सिद्धार्थनगर	शास्त्री, साहि0 व्या0
64	श्री देववाणी प्रचारक जनता महावि0 बडहरी, पिपरादौलाकदम देवरिया	आचार्य साहि0 व्या0 ज्यो0 पुराण

1	2	3
65	श्रीनाथ सं0 महावि0 रसडा बलिया	आचार्य साहि0 व्या0 स्थायी मान्यता
66	हरदेव सं0 महावि0 बलिया	शास्त्री, साहि0 व्या0
67	ज्ञानोदय सं0 महावि0 अजीतनगर पडियाव लखनऊ	शास्त्री, साहि0 व्या0 ज्यो0
68	शारदा प्रसाद सं0 महावि0 पाण्डेयपुर जसरा इलाहाबाद	शास्त्री, साहि0 व्या0
69	गुरूकुल सं0 महावि0 बहादुरगढ़ गाजियाबाद	आचार्य साहि0 व्या0 ज्यो0
70	श्रीमती ललिता देवी सं0 महावि0 बेल्थरा रोड बलिया	आचार्य साहि0 व्या0
71	हनुमत सं0 महावि0 हाथीगुजैनी, वाराणसी	आचार्य साहि0 व्या0
72	राधिका सं0 महावि0 लखीमपुर जौनपुर	आचार्य साहि0 व्या0
73	अवधनारायण सं0 महावि0 जौनपुर	शास्त्री व्या0 साहि0
74	माताचन्द्रावती सं0 महावि0 देवरिया	आचार्य साहि0 व्या0
75	सरस्वती सं0 महावि0 अंकोटा रोही संतरविदास नगर	आचार्य साहि0 व्या0
76	सुखराज सं0 महावि0 औरईकाल बिडहरा बलिया	शास्त्री, व्या0 साहि0
77	दीवरीनाथ सांगवेद सं0 महावि0 नैनीताल रोड, बरेली	शास्त्री व्या0 साहि0 ज्यो0
78	सनातन देवीदास सं0 महावि0 सुदनीपुर जौनपुर	शास्त्री व्या0 साहि0
79	चन्देल सिंह सं0 महावि0 मोधराखुर्द सुल्तानपुर	शास्त्री व्या0 साहि0
80	जय गुरूदेव सं0 महावि0 बाजार पट्टी प्रतापगढ़	शास्त्री व्या0 साहि0
81	सीताराम सत्संग आश्रम सं0 महावि0 मिश्रौली मथुरा छापर देवरिया	शास्त्री व्या0 साहि0
82	रामकृष्ण सं0 महावि0 भीमपुरा बलिया	शास्त्री व्या0 साहि0
83	ब्रहर्षि राम विकास वेदान्ती सं0 महावि0 संकटमोचन मंदिर मीरापुर प्रतापगढ़	शास्त्री व्या0 साहि0
84	रामदेव सं0 महावि0 जकरिया रसड़ा बलिया	शास्त्री व्या0 साहि0
85	सनातन धर्म सं0 महावि0 पटनगंज आजमगढ़	आचार्य साहि0
86	विद्यावती सं0 महावि0 बलकरनपुर सोरांव इलाहाबाद	शास्त्री व्या0 साहि0
87	रामकृष्ण सं0 महावि0 पवारा जौनपुर	शास्त्री व्या0 साहि0 ज्यो0 वेद
88	चैतन्य शिक्षा संस्थान शीतलछाया रमणरेती वृन्दावन मथुरा	आचार्य साहि0 व्या0 दर्शन, ज्यो0 वेदांत
89	श्रीमती शिवराजी मौर्य सं0 महा0 भीटी इला0	शास्त्री व्या0 साहि0
90	श्रीमती लाचीदेवी सं0 महावि0 भलुवानी, व्यहम देवरिया	शास्त्री व्या0 साहि0
91	राजनाथ पाण्डेय सं0 महावि0 तिवारी पाण्डेय पुर वाराणसी	आचार्य साहि0 व्या0

1	2	3
92	ब्रहर्षि योगीराज देवरहा बाबा सं0 महावि0 सुखनिया कुशीनगर	शास्त्री व्या0 साहि0
93	शिवशान्ति सं0 महा0 चौबेपुर वाराणसी	शास्त्री व्या0 साहि0
94	समरथ शिक्षा संस्थान सं0 महा0 खजरन देवा जौनपुर	शास्त्री व्या0 साहि0
95	श्रीराम सं0 महा0 लौरिका मड़ियाहूं जौनपुर	शास्त्री व्या0 साहि0
96	हरिहर राजमती सं0 महा0 रामगढ़ बैरिया, चन्दौली	शास्त्री व्या0 साहि0
97	रामगोपाल आचार्य सं0 महा0 नयाबॉस एटा	शास्त्री व्या0 साहि0
98	पृथ्वीपाल भगत सं0 महा0 टेकवारा मऊ	शास्त्री व्या0 साहि0
99	राम प्रताप स्नातकोत्तर सं0 महा0 बैरना सुखोटाधाम बस्ती	शास्त्री व्या0 साहि0
100	सनाधर्म आदर्श सं0 महा0 नगर बाजार बस्ती	पूर्व प्रदत्त मान्यता आचार्य/साहि0व्या0 का स्थायीकरण
101	श्री भवानन्द सं0 महा0 जहानागंज पुनर्जी आजमगढ़	शिक्षा शास्त्री बी0एड0
102	श्री गौरीशंकर सं0 महा0 सुजानगंज जौनपुर	शिक्षा शास्त्री बी0एड0
103	श्री जलधारी देवी सं0 महा0 नुनखार देवरिया	पूर्व प्रदत्त शास्त्री साहि0, व्या0 का स्थायीकरण
104	जवाहरलाल नेहरू सं0 महा0 भवानी ग्राम रेटीकला सोनभद्र	पूर्व प्रदत्त मान्यता आचार्य/ साहि0व्या0 का स्थायीकरण
	कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक 12-11-2010	
105	रामरति राम प्यारे सं0 महा0 ब्रहापुरा चौरीचौरा गोरखपुर	साहि0, व्या0 बौद्ध से शास्त्री तक प्रत्येक विषय में दो अध्यापकों की नियुक्ति के प्रतिबन्ध के साथ
106	स्वामी सुदर्शनाचार्य सं0 वेद विद्यालय सिद्धमाता आश्रम बड़खल सूरजकुण्ड मार्ग, फरीदाबाद	वेद, साहि0 व्या0 एवं पैरोहित विषय से शास्त्री तक
107	रुकमणी बल्लभ वेदवेदांग सं0 महा0 अवन्तिका आहार बुलन्दशहर	साहि0, व्या0 वेद एवं ज्यो0 विषय में शास्त्री पर्यन्त

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0-182 का उत्तर पीछे पृष्ठ 122 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित डा0 आर0 ए0 उस्मानी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं0-182 के उत्तर का संलग्नक

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	स्थापित संयंत्रों की संख्या
1	2	3
1-पलिया (योग-66)	पटिहन	2
	बड़ापत तारा	1
	पलिया देहात	1
	सरधना पूरब	1
	बड़ागांव	1
	बड़ागांव आदाबनगर	1
	पलिया	6
	अतरिया	1
	पुलिस चौकी बन्सीनगर (दुधवा)	1
	निशादनगर	1
	दुदुआ	1
	विकोलिया	1
	परसहिबा	1
	पतवारा	1
	बसंतापुर कलां	1
	भगवन्त नगर	1
	त्रिलोकपुर	2
	महंगई	3
	खलेपुरवा	1
	किश्नानगर	1
	कमलापुर	1
	गोबिन्द नगर	1
	रानीनगर कालोनी	1
	परसिया	3
	सोनहा	1
	सुमेरनगर	2

1	2	3
	बलहरा	2
	पुरैना	2
	बेलडाडी	1
	पचपेड़ा	2
	मौरा	1
	मुडनोचनी	1
	पोगा	2
	बरबटा	2
	रामनगर चन्दर चौकी	2
	सुरमा	1
	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 पलिया	4
	आवास विद्यालय सोनहा	4
2-ईसानगर (योग-28)	मूडी	1
	रामपुर	8
	लालजीपुरवा	1
	गाजीरपुरवा	1
	रुसानीपुरवा	1
	काजीपुर	3
	बेलागढ़ी	1
	वीरसिंहपुर	2
	परसिया	1
	बेल्हुआ	6
	चौरी	1
	खमरिया	1
	अखतियारपुर	1
3-बांकेगंज (योग-8)	टिहुलिया	2
	रामपुर	3
	मोतीपुर	1
	ढल्लापुर	2

1	2	3
4-बिजुआ (योग-6)	विकास खण्ड कार्यालय	1
	बिजुआ	2
	भवानीपुर	1
	लमहाभूड	1
	जनकीदेवी स्कूल बिजुआ	1
5-धौरहरा (योग-2)	धौरहरा	1
6-मितौली (योग-2)	विछिया	2
7-लखीमपुर (योग-29)	किसान इण्टर कालेज फरधान	2
	मलिनवा बुजुर्ग	15
	खीरी टाउन	6
	मो0 ईदगाह लखीमपुर	2
	बरखेरवा	1
	करनपुर	3

पी0एस0यू0पी0-एल0 16 विधान सभा (35)-19-5-2011-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।